VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

दिसंबर 2022

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा **2024**

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 10 JAN, 9 AM | **JAIPUR: 15 FEB, 4 PM**

व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा

Starts: **11th Oct**

प्रोग्राम की विशेषताएँ

- Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF विश्लेषण सेशन
- पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों / शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन
- विगत वर्षों के टॉपर्स तथा वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद
- प्रदर्शन मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया
- मॉक इंटरव्यू सेशंस की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवायी जाएगी

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की लेखापरीक्षा (Audit of Local Self Government)....7
1.2. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)....9
1.3. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति (Appointments of Election Commissioner)....11
1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....13
  1.4.1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अधीन मामलों में दोषसिद्धि की दर में कमी (CBI's Conviction of Case Comes Down)....13
  1.4.2. डिजिटल इंडिया अवाड्‌र्स {Digital India Awards (DIA) 2022}....14
  1.4.3. पूर्वोत्तर परिषद (North-Eastern Council: NEC)....14
  1.4.4. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद (Maharashtra-Karnataka Inter-State Border Dispute)15
  1.4.5. प्रोबिटी पोर्टल (Probity Portal)....16

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 17

2.1. संयुक्त राष्ट्र और भारत का नॉर्म्स (United Nations and India's NORMS)....17
2.2. G20 बाली घोषणा-पत्र (G20 Bali Declaration)....19
2.3. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) {Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC}....22
2.4. भारत-अमेरिका-चीन का त्रिकोणीय संबंध (India-USA-China Triangle)....25
2.5. सॉफ्ट पॉवर (Soft Power)....27
2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....30
  2.6.1. महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग {United Nations Commission on Status of Women (CSW)}..30
  2.6.2. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता {India Australia Economic and Cooperation Trade Agreement (ECTA)}....30
  2.6.3. संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल डिफेंस ऑथोराइज़ेशन एक्ट (US' NDAA)....30
  2.6.4. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क (SAARC Currency Swap Framework)....31
  2.6.5. लुसोफोन देश (Lusophone Countries)....31
  2.6.6. पेरिस क्लब (Paris Club)....32

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 33

3.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)....33
3.2. डिजिटल ऋण (Digital Lending)....37
3.3. शहरी सहकारी बैंकों का पुनर्वर्गीकरण (Re-Categorization of Urban Cooperative Banks)....40
3.4. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 {Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022}....43
3.5. प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां (Competition Law and Big Technology Companies)....46
3.6. कानूनी सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस {Legal Reforms and Ease of Doing Business (EoDB)}....50
3.7. भारत में पेंशन प्रणाली (Pension System in India)....53

3.8. लैंड टाइटलिंग या भू-स्वामित्व (Land Titling)..........56
3.9. मूल्य निगरानी केंद्र (Price Monitoring Centres: PMC)..........58
3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)..........59
3.10.1. भारत कौशल रिपोर्ट 2023 (India Skills Report 2023)..........59
3.10.2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System: PFMS)..........59
3.10.3. वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी./ GST) परिषद की 48वीं बैठक {48th Meeting of Goods and Services Tax (GST) Council}..........60
3.10.4. केंद्र सरकार द्वारा उपकर निधियों का कम हस्तांतरण (Short-Transfers of Cess Funds by Centre)..........61
3.10.5. बैंकएश्योरेंस (Bancassurance)..........62
3.10.6. विश्व बैंक की "माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ (World Bank Migration and Development Brief)..........62
3.10.7. ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 (Global Wage Report 2022-23)..........62
3.10.8. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ)..........63
3.10.9. गैस मूल्य निर्धारण पर गठित किरिट पारेख समिति (Kirit Parekh Panel on Gas Prices)..........63
3.10.10. शहरी कायाकल्प के लिए पहल (Initiatives for Urban Rejuvenation)..........64
3.10.11. अर्बन-20 (Urban-20: U20)..........65
3.10.12. किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (SWAMIH/स्वामी) कोष {Special Window For Affordable & Mid-Income Housing (SWAMIH) Fund}..........65
3.10.13. कृषि निवेश पोर्टल (Agriculture Investment Portal)..........65
3.10.14. स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) की सुविधा के लिए योजना {Scheme For Facilitating Startups Intellectual Property Protection (SIPP)}..........65
3.10.15. विमानन सुरक्षा रैंकिंग (Aviation Safety Rankings)..........66
4. सुरक्षा (Security) 67
4.1. समुद्री पायरेसी-रोधी विधेयक (Anti-Maritime Piracy Bill)..........67
4.2. तस्करी और जालसाजी (Smuggling and Counterfeiting)..........69
4.3. लोन वुल्फ आतंकवाद (Lone-wolf Terrorism)..........71
4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)..........73
4.4.1. अग्नि-5 (AGNI-5)..........73
4.4.2. ब्रह्मोस (BRAHMOS)..........74
4.4.3. स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बी वागीर (Scorpène-Class Submarine VAGIR)..........74
4.4.4. आईएनएस मोरमुगाओ (INS Mormugao)..........75
4.4.5. मरीन कमांडो फोर्स (मार्कोस) {Marine Commando Force (MARCOS)}..........75
4.4.6. सुर्ख़ियों रहे में अभ्यास (Exercises in News)..........75
4.4.7. अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (Crime and Criminal Tracking Network System: CCTNS)..........76
5. पर्यावरण (Environment) 77
5.1. संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन {COP15 to the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD)}..........77

5.1.1. वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स (World Restoration Flagships) 81
5.1.2. रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट, 2022 (Restoration Barometer Report 2022) 83
5.1.3. अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज (Updated Red List of Threatened Species) 84
5.2. प्रकृति आधारित समाधान (Nature Based Solutions: NbS) 86
5.3. भारत में सौर ऊर्जा को अपनाना (Adoption of Solar Energy in India)....................88
5.4. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 {Energy Conservation (Amendment) Act, 2022}....................91
5.5. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)....................94
5.6. भारत के शीतलन क्षेत्रक में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर (Climate Investment Opportunities in India’s Cooling Sector) 96
5.7. प्रदूषित नदी खंडों पर जल-गुणवत्ता की बहाली- 2022 रिपोर्ट (Polluted River Stretches For Restoration Of Water Quality - 2022 Report) 98
5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....................99
5.8.1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने “काली मृदा की वैश्विक स्थिति” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की (Global Status of Black Soil: Report of Food and Agriculture Organization) 99
5.8.2. आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड-2022 (Arctic Report Card 2022) 100
5.8.3. यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंडवाटर, 2022 {United Nations (UN) Water Summit On Groundwater (GW) 2022}....................101
5.8.4. ‘राइट टू रिपेयर’ पोर्टल (Right To Repair’ Portal)....................102
5.8.5. ‘पर्यावरणीय प्रभाव की स्व-रिपोर्टिंग हेतु कंपनियों के लिए मानकों का संशोधित मसौदा’ (Revised Draft of Standards for Firms to Self-Report Environmental Impact) 102
5.8.6. नवीकरणीय ऊर्जा (RE) रिपोर्ट 2022 {Renewable Energy (RE) Report 2022} 103
5.8.7. सिंधुजा-I (Sindhuja-I) 103
5.8.8. स्पंज विरंजन (Sponge Bleaching) 103
5.8.9. रेन बैबलर (Wren Babbler)....................104
5.8.10. सबसे पुराना ज्ञात डी.एन.ए. (Oldest Known DNA) 104
5.8.11. बम चक्रवात (Bomb Cyclone) 104
5.8.12. चक्रवात ‘मंडौस’ (Cyclone Mandous)....................104
5.8.13. कलासा-बंडूरी परियोजना (Kalasa-Banduri Project)....................105
5.8.14. शुद्धिपत्र (Errata)....................105
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 106
6.1. सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) 106
6.2. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण {Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)}....................108
6.3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013} 111
6.4. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System)....................115
6.5. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement)....................119
6.6. निर्भया कोष (Nirbhaya Fund) 121

6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)..123

6.7.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की “ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्संस विद डिसैबिलिटीज” पर रिपोर्ट {Global Report On Health Equity For Persons With Disabilities (PWD): World Health Organisation}..123

6.7.2. ऑक्सफैम इंडिया ने 'इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की (‘India Inequality Report 2022: Digital Divide’ Released By Oxfam India)..124

6.7.3. प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojna: PMAAGY)..124

6.7.4. श्रेयस योजना (Shreyas Scheme)..125

6.7.5. सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index: SPI)..125

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 127

7.1. नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)..127

7.2. राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 (National Geospatial Policy, 2022)..129

7.3. अंतरिक्ष संधारणीयता (Space Sustainability)..132

7.4. आचार्य जगदीश चंद्र बोस (जे.सी. बोस) {Acharya Jagadish Chandra Bose (J.C. BOSE)}..136

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)..138

7.5.1. स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (Spacetech Innovation Network: SpIN)..138

7.5.2. सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (SWOT) मिशन {Surface Water and Ocean Topography (SWOT) Mission}..138

7.5.3. पर्सीवरेंस मिशन (Perseverance Mission)..139

7.5.4. आर्टेमिस-1 लूनर मिशन (Artemis 1 Lunar Mission)..139

7.5.5. गामा रे बर्स्ट (Gamma Ray Burst: GRB)..140

7.5.6. ग्लास रिपोर्ट, 2022 (Glass Report 2022)..140

7.5.7. विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 (World Malaria Report 2022)..141

7.5.8. विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी (WOMB/ वॉम्ब) {Winning Over Mothers With Hepatitis B (WOMB)}141

7.5.9. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अनुसार एचआईवी (HIV) संक्रमण दर में 2010 और 2021 के बीच 46% की गिरावट (HIV Infection Rate Declines By 46 Percent Between 2010 and 2021: NACO)..141

7.5.10. ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) रिसर्च फंडिंग ट्रेंड्स, 2005-2021 रिपोर्ट {Tuberculosis (TB) Research Funding Trends, 2005–2021 Report}..142

7.5.11. ‘पैथो डिटेक्ट™ किट’ (‘Pathodetect™ Kit’)..142

7.5.12. एथिलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol)..142

7.5.13. भारत में वैज्ञानिक शोध-पत्रों का प्रकाशन (Scientific Publication in India)..143

7.5.14. कम्युनिटी इनोवेटर फैलोशिप (Community Innovator Fellowship: CIF)..143

7.5.15. शी स्टेम (She Stem)..143

7.5.16. डिजी यात्रा (Digi Yatra)..143

7.5.17. ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming)..144

7.5.18. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'स्टे सेफ ऑनलाइन' अभियान और 'G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (DIA)' लॉन्च किया {‘Stay Safe Online’ Campaign and ‘G20 Digital Innovation Alliance (DIA)’ Launched By MeitY} 144
7.5.19. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 {India Internet Governance Forum (IGF) 2022} 145
7.5.20. प्रोजेक्ट वाणी (Project Vanni) 145
7.5.21. एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब (Asia’s First Drone Delivery Hub) 146
7.5.22. 2अफ्रीका पर्ल्स (2Africa Pearls) 146
8. संस्कृति (culture) 147
8.1. श्री अरबिंदो (Sri Aurobindo) 147
8.2. भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication: GI) 148
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 151
8.3.1. यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची (UNESCO’S Tentative List of World Heritage Sites) 151
8.3.2. भद्राचलम और रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर {Bhadrachalam and Rudreshwar Temple (RAMAPPA)} 152
8.3.3. श्रीशैलम मंदिर (Srisailam Temple) 152
8.3.4. पाणिनि कोड (Panini Code) 153
8.3.5. एर्रा मट्टी डिब्बालू (Erra Matti Dibbalu) 153
8.3.6. संगई महोत्सव (Sangai Festival) 154
8.3.7. हॉर्नबिल महोत्सव (Hornbill Festival) 154
8.3.8. वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) {Veer Bal Diwas (26 December)} 154
8.3.9. असम आंदोलन (Assam Movement) 154
8.3.10. साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Akademi Awards: SAA) 154
8.3.11. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार (National Sports Awards) 155
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 156
9.1. भ्रष्टाचार और भारत में सिविल सेवाएं (Corruption and Civil Services in India) 156
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News) 160
10.1. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP) 160

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

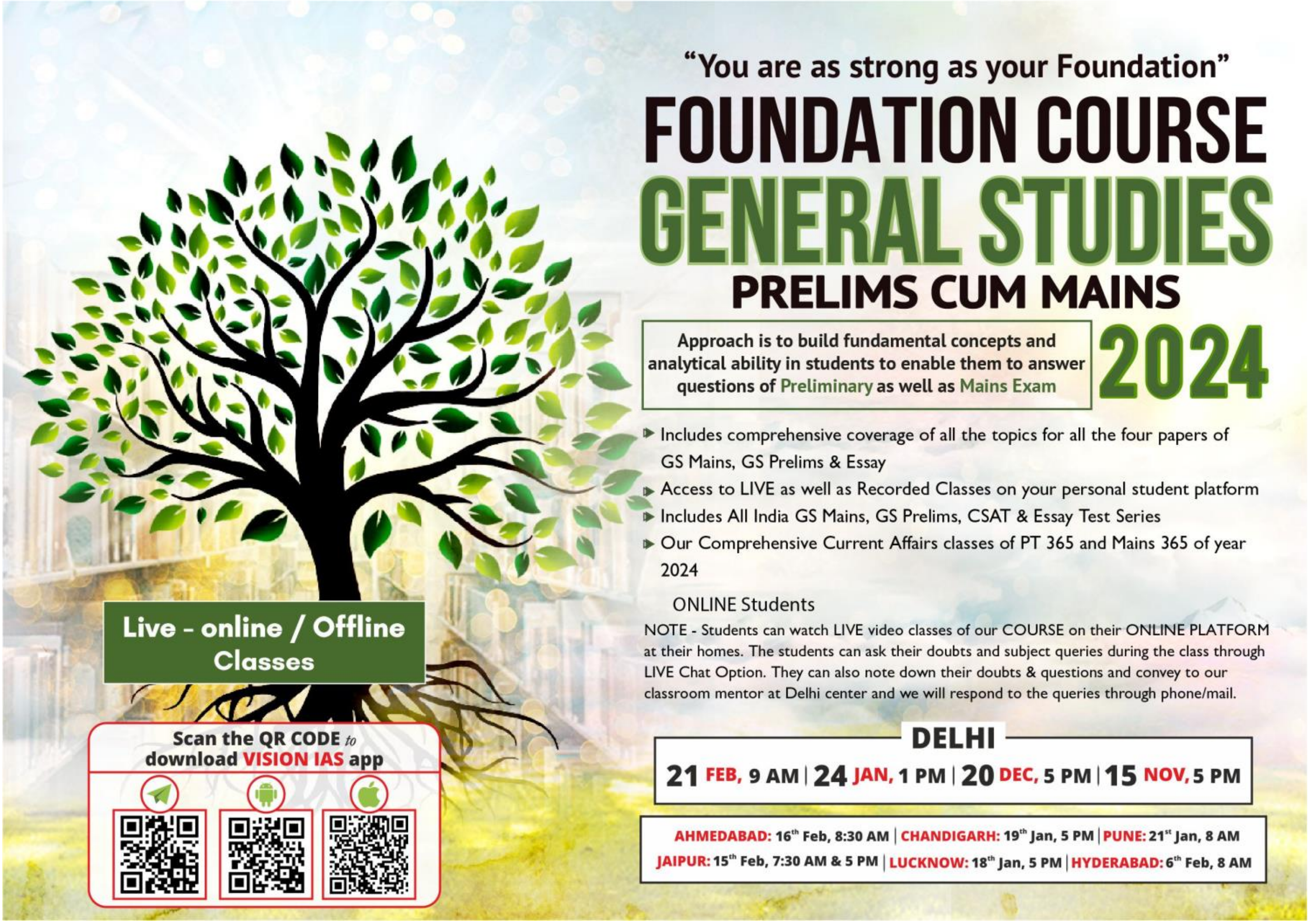
"You are as strong as your Foundation"

FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2024

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024

ONLINE Students

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI
21 FEB, 9 AM | 24 JAN, 1 PM | 20 DEC, 5 PM | 15 NOV, 5 PM

AHMEDABAD: 16th Feb, 8:30 AM | CHANDIGARH: 19th Jan, 5 PM | PUNE: 21st Jan, 8 AM
JAIPUR: 15th Feb, 7:30 AM & 5 PM | LUCKNOW: 18th Jan, 5 PM | HYDERABAD: 6th Feb, 8 AM

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की लेखापरीक्षा (Audit of Local Self Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)[1] जिला स्तर तक अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके पीछे उद्देश्य त्रिस्तरीय **पंचायती राज संस्थानों (PRIs)**[2] की **लेखापरीक्षा** व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- धन के व्यापक आवंटन को देखते हुए CAG ने प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही, इस प्रस्ताव में PRIs के लेखाओं के उचित रखरखाव व लेखापरीक्षा के लिए CAG द्वारा **"नियंत्रण और पर्यवेक्षण**[3]**"** का भी प्रावधान किया गया है।
- वर्तमान में **CAG के कार्यालय राज्यों की राजधानियों** में स्थित हैं। CAG का **महालेखाकार कार्यालय**[4] राज्य सरकारों के लेखाओं के लेखापरीक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- सरकारी विभाग संचित निधि से धन प्राप्त करते हैं, जबकि PRIs **बैंक या राजकोष (ट्रेजरी)** में बनाए गए अलग खातों से धन प्राप्त करती हैं।
- प्राप्त जानकारी के अनुसार, CAG ने **अब सभी सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए** अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का फैसला किया है। भले ही व्ययों के लिए धन संचित निधि से या राजकोष से निकाला गया हो।
    - ○ PRIs **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971**[5] के तहत लेखापरीक्षा के दायरे में आते हैं।

स्थानीय स्वशासन और इसकी लेखापरीक्षा के बारे में

- संसद ने 1992 में **73वां और 74वां संविधान संशोधन** पारित किया था। इसने राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में **पंचायतों** (गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर) तथा **नगरपालिकाओं** (नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों के रूप में) का गठन करना अनिवार्य कर दिया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के बारे में

- **अनुच्छेद 148 से 151:** भारत के **संविधान (अनुच्छेद 148 से 151 तक)** में CAG से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- CAG की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।
- CAG को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया** जाता है।
- वरीयता क्रम में, **CAG को 9वां स्थान** दिया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है।
- CAG **संघ** और **राज्यों** तथा विधान सभा वाले **केंद्र शासित प्रदेशों** की लेखाओं (अकाउंट्स/ खातों) का लेखापरीक्षा (ऑडिट) करता है। वह ऐसे **प्राधिकरणों या निकायों** के लेखाओं की भी लेखापरीक्षा करता है जिन पर संसद के कानून लागू होते हैं या जो केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त-पोषित हैं।

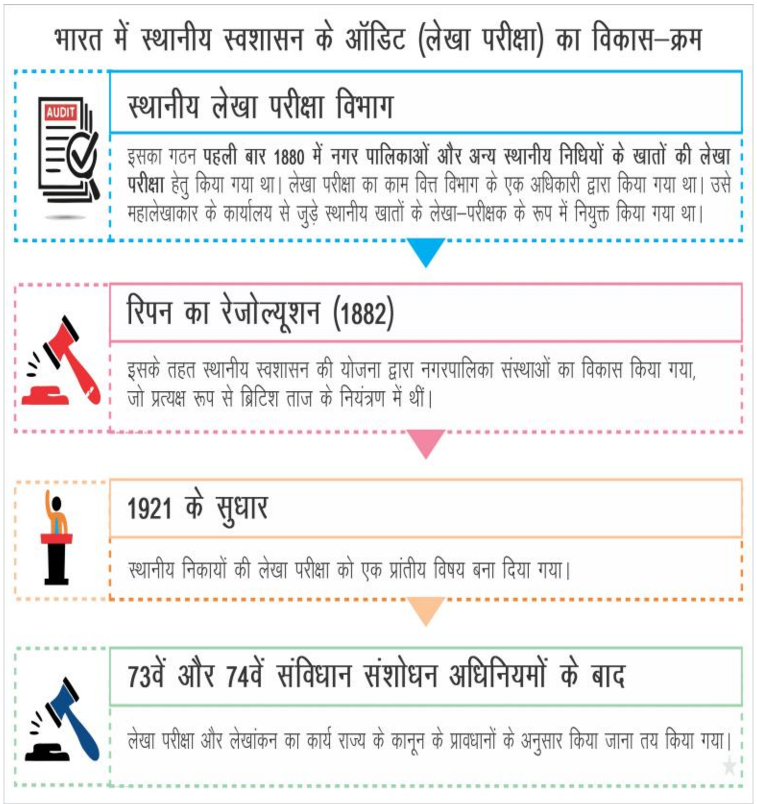

भारत में स्थानीय स्वशासन के ऑडिट (लेखा परीक्षा) का विकास–क्रम

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

इसका गठन **पहली बार 1880** में नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निधियों के खातों की **लेखा परीक्षा** हेतु किया गया था। लेखा परीक्षा का काम वित्त विभाग के एक अधिकारी द्वारा किया गया था। उसे महालेखाकार के कार्यालय से जुड़े स्थानीय खातों के लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिपन का रेजोल्यूशन (1882)

इसके तहत स्थानीय स्वशासन की योजना द्वारा नगरपालिका संस्थाओं का विकास किया गया, जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में थीं।

1921 के सुधार

स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा को एक प्रांतीय विषय बना दिया गया।

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बाद

लेखा परीक्षा और लेखांकन का कार्य राज्य के कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाना तय किया गया।

---

[1] Comptroller and Auditor-General

[2] Panchayati Raj Institutions

[3] Control and Supervision

[4] Accountant General's office

[5] Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971

- इसने स्थानीय सरकारों को कार्यों, फंड्स और अधिकारियों के हस्तांतरण के जरिए **संघीय ढांचे में शासन के तीसरे स्तर की स्थापना** की थी।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 243J:** किसी राज्य का विधान-मंडल, कानून के माध्यम से **पंचायतों** द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा।
    - **अनुच्छेद 243Z:** किसी राज्य का विधान-मंडल, कानून के माध्यम से **नगरपालिकाओं** द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा।

स्थानीय स्वशासन की लेखापरीक्षा का महत्त्व

- **जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक:** केंद्रीय और राज्य स्तरीय कई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों के पास जाता है।

केस स्टडी: कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित मलूर पर आधारित

- कोलार जिले में मलूर तालुका पंचायत (TP) के कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer: EO) के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच (2001-03) की गई थी। इस जांच में पाया गया कि EO ने नियमों का उल्लंघन कर तथा फर्जी कार्यों या फर्जी बिलों के जरिए कुल **1.74 करोड़ रुपये का गबन** किया था।
- मलूर के उप-राजकोष अधिकारी (STO)[6] ने संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित तरीके से **उचित जांच नहीं की तथा इस तरह के फर्जी बिलों को पारित करके गबन में मदद** की थी।

    - मौजूदा कार्यप्रणाली में PRIs को "प्राप्त राशि और किए गए भुगतान के लिए मासिक एवं वार्षिक खातों को तैयार करने" की अनुमति प्राप्त है। वर्तमान में होता यह है कि **PRIs रसीदों को अपने पास रख लेती हैं और उनकी लेखापरीक्षा के लिए उन्हें महालेखापरीक्षक के पास जमा नहीं करती हैं।**
- **अनियमित लेखापरीक्षा को रोकने में सहायक:** स्थानीय स्वशासन की लेखापरीक्षा एक स्थानीय लेखापरीक्षा निकाय करता है अथवा राज्य द्वारा नियुक्त कोई और संस्था करती है। यही नहीं, लेखापरीक्षा को नियमित रूप से भी नहीं किया जाता है।
    - PRIs भूमिकर, दरों, करों, जुर्माने, फीस आदि के जरिए भी राजस्व जुटाती हैं। ये **किसी भी केंद्रीय या राज्य लेखापरीक्षा प्रणाली की निगरानी के अधीन नहीं** होती हैं।
- **पारदर्शिता लाने में सहायक:** स्थानीय स्वशासन को कई स्रोतों से धन प्राप्त होता है। शहरी अवसंरचना के कार्यान्वयन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल, नगरपालिका बॉण्ड आदि इसके उदाहरण हैं।
- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सहायक:** स्थानीय स्वशासन का लेखापरीक्षण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- **लोक जागरूकता:** लोक जागरूकता और जोखिम विश्लेषण, PRIs को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा योजना का हिस्सा हैं।

स्थानीय स्वशासन की लेखापरीक्षा में चुनौतियां

- **कर्मचारियों और कौशल की कमी:** लेखाओं या खातों के रखरखाव के लिए कर्मचारियों के पास अपेक्षित कौशल नहीं है।
- स्थानीय लेखापरीक्षा प्राधिकरण द्वारा **नियमित रूप से लेखापरीक्षा नहीं** की जाती है।
- **बैंक या ट्रेजरी अकाउंट:** PRIs बैंक या राजकोष के अलग-अलग खातों से धन निकालते हैं और इनका लेखापरीक्षण स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है। इसलिए, इनकी लेखापरीक्षा करना एक कठिन कार्य है।
- **स्थानीय नौकरशाही** में अधिकारियों की कमी है। साथ ही, इनमें लेखापरीक्षा प्रारूप में डेटा को बनाए रखने के कौशल का भी अभाव है।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके

- **लेखा मानक (Accounting Standards):** CAG एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय सरकार के लेखाओं के लिए लेखांकन मानकों और लेखा प्रारूपों को निर्धारित कर सकता है।
- **समर्पित संस्था:** 11वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार, लोकल फण्ड ऑडिट संस्थान या किसी अन्य संस्था के निदेशक को स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। उसे लेखापरीक्षा मानकों को निर्धारित करने वाले CAG के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (TGS)[7] के तहत कार्य करना चाहिए।
- **लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** पंचायतों और नगरपालिकाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित CAG की रिपोर्ट को **राज्य विधान-मंडल की एक समिति** के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समिति का गठन **लोक लेखा समिति** (PAC)[8] की तर्ज पर किया जाना चाहिए।

---

[6] Sub-Treasury Officer

[7] Technical Guidance and Supervision

[8] Public Accounts Committee

- **कौशल सुधार:** लोकल फण्ड ऑडिटर्स के तकनीकी कौशलों में पर्याप्त सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **सामाजिक लेखापरीक्षा:** PRI प्रणाली में सुधार करने और जवाबदेही व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिट) का विकास करना बहुत जरूरी है।

1.2. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां, **मूल क़ानून (Parent Act)** द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह **अधिकारातीत (Ultra Vires)** है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह मामला केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा **केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील से संबंधित** है। उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने **केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014**[9] को बरकरार रखने का निर्णय दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, प्रत्यायोजित विधान को **मूल कानून के दायरे से बाहर नहीं** जाना चाहिए।
    - यदि ऐसा होता है, तो यह अधिकारातीत है और इसे प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों सहित प्रत्यायोजित विधान को अपने मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं बल्कि उनका पूरक होना चाहिए।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में

- यह एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून (प्राथमिक विधान) द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये कानून उस मूल कानून की आवश्यकताओं को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं।
- इस प्रकार संसद **मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम** बनाती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में एक प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) अमान्य होगा:

- यदि **मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन** किया गया है।
- यदि नियम/विनियम **मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर** हैं या मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
- यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियम या विनियम को बनाने की **विधायी क्षमता** नहीं थी।
- यदि **मनमाने और बिना किसी कारण** के प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया है तो उसे रद्द किया जा सकता है।
- **भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान नहीं** किया जा सकता है। यदि मूल अधिनियम में ऐसा करने का प्रावधान है तो वह मान्य होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि विधायिका अपने **"अनिवार्य विधायी कार्यों"** को कार्यपालिका (Executive Branch) को नहीं सौंप सकती है।

- **भारत के संविधान** के अनुसार, कानून बनाने की शक्तियां **विधायिका** को दी गई हैं, जबकि **कार्यपालिका** के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है।
    - **समय की कमी** के कारण विधायिका खुद को **नीतिगत मामलों तक ही सीमित** रखती है। इसलिए, **संसदीय कानून का पूरक कानून या नियम बनाने** के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है।
- **प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य:**
    - **आवश्यक परिवर्तन करने में लचीलापन प्रदान करना:** यह सरकार को संसद द्वारा नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना कानून बनाने में सक्षम बनाता है।

---

[9] Kerala Electricity Supply Code, 2014

- ○ **संसद पर दबाव को कम करना:** राज्यों में प्रशासनिक गतिविधियों की संख्या बढ़ रही हैं। इनके लिए कानून की आवश्यकता होती है और संसद के पास प्रत्येक मामले पर पर्याप्त समय देना या अलग-अलग कानून बनाना संभव नहीं है।
- ○ **विकेंद्रीकृत और क्षेत्र विशिष्ट नियम/ विनियम बनाना:** कॉर्पोरेट कानून के क्षेत्र में कानून निर्माताओं की प्रवृत्ति केवल मूलभूत तत्वों को शामिल करने वाले (Bare-bone) कानूनों को बनाने की होती है। उदाहरण के लिए- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 आदि।
- ○ **अधिक जटिल हो रहे आधुनिक प्रशासन को सरल बनाना:** राज्य के कार्यों का विस्तार हो रहा है तथा यह विस्तार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर अधिक हो रहा है। ऐसे में कुछ विशेष और उपयुक्त अवसरों पर नए सुधारों को अपनाने तथा अलग-अलग प्राधिकरणों को अधिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित मुद्दे

- **प्रत्यायोजित विधान की निम्न संवीक्षा (Low Scrutiny of Delegated Legislation):** संसद के दोनों सदनों में **अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति**[10] को नियमों का अध्ययन करने, विशेषज्ञों और जनता की राय लेने तथा सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
  - ○ एक अध्ययन से पता चला है कि 2008 से 2012 तक, कुल 6,985 में से केवल 101 प्रत्यायोजित विधानों की ही समितियों द्वारा संवीक्षा की गई थी। यह अत्यंत खेदजनक है।

सुप्रीम कोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण वाद

सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण पर **केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए** प्रत्यायोजित विधान की वैधता को यथावत रखा है।

सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निदेशक एन.सी.टी.ई. (2003) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्यायोजित विधान को एक "आवश्यक बुराई **(Necessary evil)**" माना जा सकता है। साथ ही, इसे "शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत" के एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन अपरिहार्य उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है।

डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद 312** प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है।

- नियमों और विनियमों को अधिसूचित करने की **संख्या** बहुत अधिक है।
  - ○ उदाहरण के लिए- कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने के बाद से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने इस अधिनियम के तहत **56 नियमों** को अधिसूचित किया है। साथ ही, MCA ने **181 सर्कुलर** जारी किए हैं।
- **लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध:** यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इसका कारण यह है कि प्रत्यायोजित विधान के चलते कार्यपालिका से जुड़े लोग नियम बनाने के कार्य में शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्यायोजित विधान में **राजनीतिक हितों** के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **कार्यपालिका द्वारा शासन करने की शक्तियों का दुरुपयोग:** प्रत्यायोजित विधान की संवीक्षा (जांच) न होने से, कार्यपालिका द्वारा शासन करने की शक्तियों के दुरुपयोग का कारण बन सकती है।
  - ○ दूसरी ओर, खराब नियम अनिवार्य रूप से मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं। इससे न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि होगी।
- **कार्यों का अतिव्यापन (Overlapping of the Function):** उदाहरण के लिए- प्रत्यायोजित विधान में शामिल अधिकारियों को कानून में संशोधन करने का कार्य मिलता है, जो विधि निर्माताओं का कार्य है।

सुझाव

- **संसदीय प्रक्रियाओं में संशोधन:** संसद की प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विधायिका के सदस्य प्रत्येक नियम की पुष्टि कर सकें।

---

[10] Standing Committee on Subordinate Legislation

- अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति के तहत **अतिरिक्त कार्य समितियों**[11] का गठन किया जाना चाहिए। इनमें संसद के तहत आने वाले सभी नियमों का व्यापक अध्ययन करने में मदद करने के लिए कानून और नीति-निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
- किसी अधिनियम के निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख से छ: महीनों तक नियमों का मसौदा तैयार नहीं होने पर देरी के कारणों का समिति के सामने उल्लेख किया जाना चाहिए।
- **सांसदों और समितियों के बीच समन्वय:** यदि किसी सांसद द्वारा अधीनस्थ विधान को विशेष आधार पर विश्लेषण के लिए समिति के पास भेजा जाता है, तो अनिवार्य रूप से इस पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद समयबद्ध तरीके से इसके बारे में सदन को सूचित किया जाना चाहिए।

1.3. निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति (Appointments of Election Commissioner)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **निर्वाचन आयुक्त** की नियुक्ति के लिए एक **चयन समिति**[12] के गठन के संबंध में लोक सभा में एक निजी विधेयक पेश किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अलग करने** का प्रयास करता है। साथ ही, यह **सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयुक्तों को अपात्र बनाने का प्रावधान** करता है।
- इस विधेयक में **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** (CEC)[13] सहित **निर्वाचन आयुक्तों (ECs)** को **प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली समिति** द्वारा नियुक्त करने की मांग की गई है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- यह विधेयक **CEC और ECs** के **कार्यकाल** को उनकी **नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष** तक करने का प्रावधान करता है। साथ ही, इसमें **प्रादेशिक/ क्षेत्रीय आयुक्तों (Regional Commissioners)** के **कार्यकाल को 3 वर्ष** की निश्चित अवधि तक करने का भी प्रावधान है।
- यह विधेयक **सुप्रीम कोर्ट** में चल रहे कुछ वादों (Cases) की सुनवाई से भी संबंधित है। वर्तमान में **सुप्रीम कोर्ट** CEC और ECs की **नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।**
  - सुप्रीम कोर्ट ने **CEC की नियुक्ति के तरीके पर सरकार से प्रश्न** किया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से **CEC और ECs की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए अभी तक कोई कानून न बनाए जाने का कारण भी पूछा है।**

निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) के बारे में

- मंत्रियों के अलावा **किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक, निजी सदस्य विधेयक** कहलाता है।
- इसे **केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है** और इसी दिन इस पर चर्चा की जा सकती है।
- **राज्य सभा के मामले में सभापति** और **लोक सभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसकी स्वीकार्यता तय की जाती है।**
- 1970 के बाद से अब तक कोई भी निजी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया है।

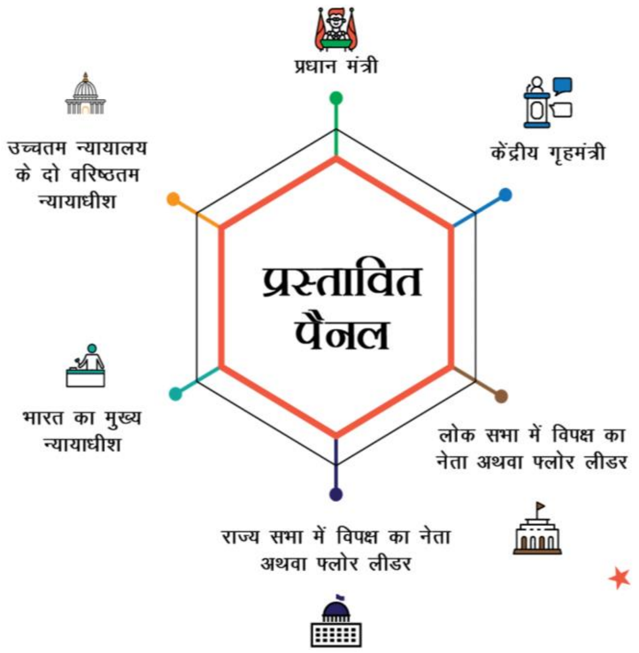
प्रधान मंत्री
केंद्रीय गृहमंत्री
लोक सभा में विपक्ष का नेता अथवा फ्लोर लीडर
राज्य सभा में विपक्ष का नेता अथवा फ्लोर लीडर
भारत का मुख्य न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
प्रस्तावित पैनल

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) के बारे में

- **अनुच्छेद 324 के तहत,** ECI एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। यह **भारत में संघ और राज्य से संबंधित चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी** है।
  - यह भारत में **लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं** तथा **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनावों का आयोजन** करता है।
- निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991[14] के तहत, **CEC** और **ECs** का **कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है।

---

[11] Additional working committees

[12] Selection committee

[13] Chief Election Commissioners

- CEC और ECs, **भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते** प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, CEC और ECs को समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।
- **CEC को कार्यकाल की सुरक्षा** प्रदान की गई है। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।
    - CEC की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद **कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा:**
- दूसरी ओर, संविधान में **ECs को कार्यकाल की सुरक्षा** प्रदान नहीं की गई है। **ECs या क्षेत्रीय आयुक्तों** को **CEC की सिफारिश के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं।**
- **CEC और ECs की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 324 (2)** के तहत, भारत के राष्ट्रपति को CEC और ECs को नियुक्त करने का अधिकार है।
    - अनुच्छेद 324(2) **भारत के राष्ट्रपति** को **CEC के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या** (इन्फोग्राफिक देखें) को समय-समय पर **तय करने का अधिकार देता है।**

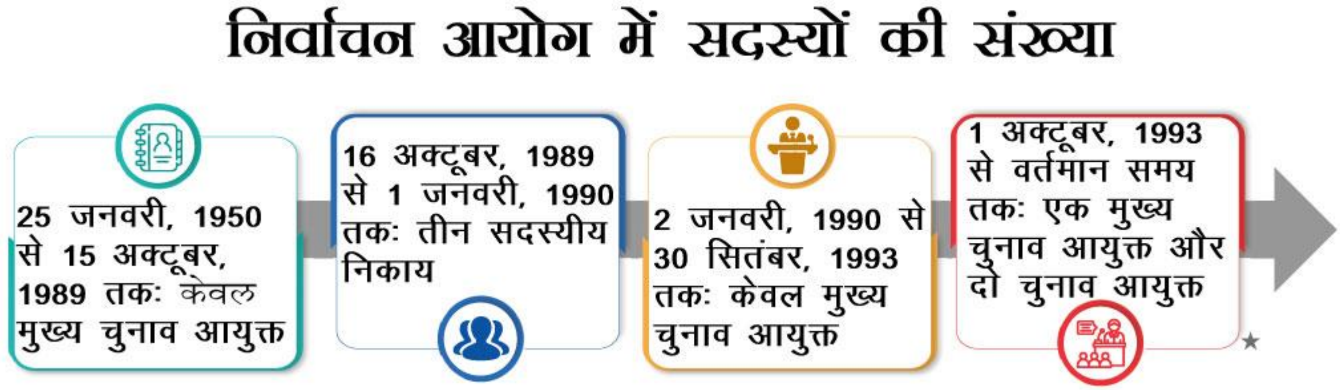
निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या
25 जनवरी, 1950 से 15 अक्टूबर, 1989 तक: केवल मुख्य चुनाव आयुक्त
16 अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक: तीन सदस्यीय निकाय
2 जनवरी, 1990 से 30 सितंबर, 1993 तक: केवल मुख्य चुनाव आयुक्त
1 अक्टूबर, 1993 से वर्तमान समय तक: एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त

CEC और ECs की नियुक्ति/ पद से हटाने से संबंधित मुद्दे

- **सत्तारूढ़ दल की भूमिका:** निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती है। इस प्रकार सत्ताधारी पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है, जिसकी उस पार्टी के प्रति सुनिश्चित वफादारी हो।
- **कोई निर्धारित योग्यता ना होना:** संविधान द्वारा CEC/ ECs की नियुक्ति के संबंध में कोई योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित **नहीं** की गई है।
- **पद से हटाये जाने के तरीके में अंतर:** CEC को मनमाने ढंग से हटाने के प्रति सुरक्षा प्राप्त है। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, राष्ट्रपति के आदेश पर ही पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, EC के पद को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।
- **कार्यकाल की कम अवधि:** 2004 के बाद से किसी भी CEC ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, इसलिए CEC कुछ भी ठोस काम करने में असमर्थ रहा है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद की रोजगार पर चुप्पी:** “निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991” सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के तहत किसी भी पद या कार्यालय में CEC और ECs की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है।
    - CEC या ECs को **सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से रोकने के लिए** सेवा अधिनियम की शर्तों में कुछ भी निर्धारित नहीं है।

आगे की राह

- **कॉलेजियम प्रणाली:** एक कॉलेजियम की आवश्यकता है जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर निर्णय ले।
- **सेवानिवृत्ति के बाद:** दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में सिफारिश की थी कि CEC और ECs को राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद सहित सरकार के तहत किसी भी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। केवल एक EC को ही अगले CEC के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होना चाहिए।

---

[14] Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991

- **चुनावी सुधारों पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 255** को अपनाया जाना चाहिए। इसमें **भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यालय को मजबूत बनाने हेतु कई सिफारिशें** की गई हैं, जैसे-
    - पद से हटाये जाने के मामलों में आयोग के सभी सदस्यों को **समान संवैधानिक संरक्षण देना।**
    - ECs और CEC की नियुक्ति **चयन समिति के परामर्श से** की जानी चाहिए। **चयन समिति** में शामिल होंगे - प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता (या लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता); और भारत के मुख्य न्यायाधीश।
    - भारतीय निर्वाचन आयोग की पूरी तरह से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ECI हेतु एक **स्थायी व स्वतंत्र सचिवालय** बनाना।

चुनाव सुधार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।		
 चुनाव सुधार: प्रभावी लोकतंत्र का एक दृष्टिकोण	चुनाव भारत के बड़े त्योहार जैसे बन गए हैं। कई राज्यों में धांधली, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं के लिए खतरा और बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा इन चुनावों की विशेषता बन गई है। चुनावी सुधारों की आवश्यकता को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है और इस संबंध में कई सुझाव दिए गए हैं। यह दस्तावेज़ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मूल तथ्यों एवं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की कमियों की व्याख्या करता है और भारत में चुनावी सुधारों की शुरुआत का मार्ग सुझाता है।	

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.4.1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अधीन मामलों में दोषसिद्धि की दर में कमी (CBI's Conviction of Case Comes Down)

- हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 112वीं रिपोर्ट पर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट** राज्य सभा में प्रस्तुत की गई।
- **समिति द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां और प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:**

विषय	**टिप्पणियां**	**सिफ़ारिशें**
कार्मिक प्रबंधन	• **कार्मिकों की भारी कमी** (1500 से अधिक IAS अधिकारी) है और 21 सेवाओं की **कैडर समीक्षा** होनी है।	• आरक्षित रिक्तियों पर बैकलॉग की निगरानी करने के लिए **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नोडल एजेंसी** के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
सत्यनिष्ठा, सतर्कता, पारदर्शिता और सेवा से संबंधित मामले	• केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)[15], केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों (CVOs)[16], केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आदि के पास **लंबित मामलों की संख्या अधिक है।** • CBI 2012 में 743 मामलों में दोषसिद्धि में सफल	• CAT में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। CVOs द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। CBI में दर्ज किए जा रहे मामलों के अनुरूप पदों की संख्या को तय किया जाना चाहिए। • **लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए केस प्रबंधन प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिए।

---

[15] Central Administrative Tribunal

[16] Central Vigilance Officers

	रही थी, जबकि **2021 में यह संख्या घटकर 202** हो गई थी।	
सामान्य सहमति (General Consent)	• **9 राज्यों ने CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।** इससे CBI द्वारा मामलों की जांच में बाधा उत्पन्न हुई है।	• सामान्य सहमति वापस लेने से पहले, राज्यों को अन्य राज्यों में कार्यरत **अलग-अलग एजेंसियों और कई मामलों में विदेशी तत्वों के संलिप्त होने की जटिल प्रकृति** पर भी विचार करना चाहिए।
भर्ती	• CBI में **उप-निरीक्षक रैंक से ऊपर के अधिकारियों की सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है।**	• **निरीक्षक/ DSP रैंक के अधिकारियों की सीधी भर्ती** का प्रावधान होना चाहिए।

1.4.2. डिजिटल इंडिया अवार्ड्स {Digital India Awards (DIA) 2022}

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (DIA) 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है
- डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, डिजिटल इंडिया विज़न को साकार करने में सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत **अभिनव डिजिटल समाधान** के लिए दिया जाता है।
    - ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** आयोजित करता है।
    - स्मार्ट सिटी मिशन को इसकी **डेटास्मार्ट सिटीज-एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा पहल** के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
- **डेटास्मार्ट सिटीज (DSC) पहल** को राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य **भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर गवर्नेंस के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग** करना है।
    - यह शहर के काम-काज में **डेटा जागरूकता और डेटा उपयोग की संस्कृति को आत्मसात** करने के लिए एक **त्रि-आयामी दृष्टिकोण (पीपल, प्रोसेस व प्लेटफ़ॉर्म)** का उपयोग करता है।
- **डेटास्मार्ट सिटीज के लाभ:**
    - यह **सेवाओं के वितरण और संसाधनों के आवंटन में अधिक दक्षता** लाने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में **शहर के प्रशासकों की मदद करेगा।**
    - **नागरिक सशक्तीकरण के माध्यम से भीड़भाड़, स्वच्छता जैसी जटिल समस्याओं** का समाधान करेगा।
    - नगर विषयक मुद्दों पर **बहुआयामी अनुसंधान को बढ़ावा देगा।**
    - डेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराकर **पारदर्शिता और जवाबदेही** को बढ़ावा देगा।

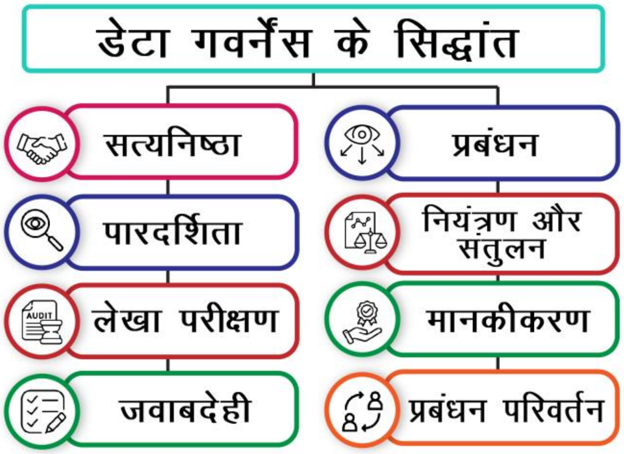

- **डेटास्मार्ट सिटीज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें:**
    - **स्मार्ट सिटीज़ ऑन ओपन डेटा पोर्टल** का विकास किया गया है। यह शहरों के डेटा को साझा करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है।
    - डेटा के आदान-प्रदान के लिए **इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म** शुरू किया गया है।
    - **असेसमेंट एंड मोनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर-रेडी अर्बन इंडिया (AMPLIFI)** पहल शुरू की गई है।

1.4.3. पूर्वोत्तर परिषद (North-Eastern Council: NEC)

- प्रधान मंत्री ने NEC के 50 साल पूरे होने पर **पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों** पर कार्य करने पर बल दिया। ये स्तंभ हैं- शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि, खेल और क्षमता निर्माण।
- प्रधान मंत्री ने **त्रिपुरा में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के तहत दो लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम** का उद्घाटन किया।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए की गई अन्य पहलें**
    - **'एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ-ईस्ट' और 'एक्ट फर्स्ट फॉर नार्थ-ईस्ट'** नीतियों की घोषणा की गई है।
    - **पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल (PM-DevINE)** की घोषणा की गई है। इस पहल से अवसंरचना निर्माण, रोजगार के अवसर पैदा करने आदि क्षेत्रकों में प्रगति प्राप्त होगी।
    - **असम में लोहित नदी पर देश के सबसे लंबे ढोला-सदिया पुल का निर्माण** किया गया है।
    - **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला-अखौरा रेल परियोजना** का निर्माण किया गया है।
- **पूर्वोत्तर परिषद (NEC)** की स्थापना 1972 में की गई थी। इसे **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी** के रूप में स्थापित किया गया था।
    - यह **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
    - **केंद्रीय गृह मंत्री** NEC के **पदेन अध्यक्ष** होते हैं।
    - **पिछले आठ वर्षों में NEC की उपलब्धियां:**
        - उग्रवादी समूहों की हिंसक घटनाओं में 74% की कमी आई है;
        - सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में 60% की कमी आई है आदि।

1.4.4. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद (Maharashtra-Karnataka Inter-State Border Dispute)

- महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** के दौरान हुई थी।
- 1960 में अपने गठन के बाद से ही **महाराष्ट्र, कर्नाटक के पांच जिलों के 865 गांवों** को अपने राज्य में मिलाने की मांग कर रहा है। इन गांवों में **मराठी भाषी बहुसंख्यक लोग निवास** करते हैं। **ये पांच जिले हैं-** बेलगावी, कारवार, विजयपुरा, कालाबुर्गी और बीदर।
- 1967 में, केंद्र सरकार ने **महाजन आयोग** का गठन किया था। इस आयोग ने **बेलगावी (पुराना नाम बेलगाम) पर महाराष्ट्र के दावे को खारिज** कर दिया था। आयोग ने कुछ गांवों को महाराष्ट्र में जबकि अन्य गांवों को कर्नाटक में मिलाने की सिफारिश की थी।
    - **महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था।** साथ ही, उसने 2004 में संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को न्यायालय में चुनौती दी थी।**
        - **अनुच्छेद 131:** सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction) से संबंधित है।
    - कर्नाटक ने संविधान के **अनुच्छेद 3** को वरीयता देने की मांग की है। इस अनुच्छेद के अनुसार **राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के पास** है।
    - **बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है।**
- सीमाओं के निर्धारण के परिणामस्वरूप लगभग **11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद** उत्पन्न हुआ है।
    - **ऐसे विवादों के उदाहरण हैं:** आंध्र प्रदेश-ओडिशा, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश विवाद आदि।
- **केंद्र सरकार का पक्ष:** इस तरह के विवादों को **संबंधित राज्यों के सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है।** केंद्र सरकार केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करती है।

1.4.5. प्रोबिटी पोर्टल (Probity Portal)

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)[17] ने एक नया पुनर्निर्मित **प्रोबिटी पोर्टल** लॉन्च किया है।
  - प्रोबिटी का आशय ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शुचिता, पारदर्शिता और सच्चरित्रता जैसे **मजबूत नैतिक सिद्धांतों को अपनाने तथा उनका सख्ती से पालन** करने से है।
- प्रोबिटी पोर्टल को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका **उद्देश्य सभी मंत्रालयों/ विभागों/ स्वायत्त संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से निम्नलिखित के संबंध में डेटा प्राप्त करना था:**
  - अभियोजन (Prosecution) की मंजूरी के लिए **लंबित मामलों की संख्या।**
  - **रोटेशनल स्थानांतरण नीति** का कार्यान्वयन।
  - **दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों** की संख्या।
- DoPT ने अब इस पोर्टल को एक नया रूप दिया है। इसमें **उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अनेक नई विशेषताओं को जोड़ा गया है।**

QUIZ

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for PRELIMS 2023: 22 Jan | प्रारंभिक 2023 के लिए 22 जनवरी

for PRELIMS 2024: 22 Jan | प्रारंभिक 2023 के लिए 5 फरवरी

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2023: 22 Jan | मुख्य 2023 के लिए 22 जनवरी

for MAINS 2024: 22 Jan | मुख्य 2023 के लिए 5 फरवरी

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

---

[17] Department of Personnel and Training

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. संयुक्त राष्ट्र और भारत का नॉर्म्स (United Nations and India's NORMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **"न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम्स (नॉर्म्स/ NORMS)"** के जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य एक ऐसी **वैश्विक व्यवस्था** का निर्धारण करना है जो **समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित** कर सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- **बहुपक्षवाद (Multilateralism) में कई (तीन या तीन से अधिक) स्वतंत्र देश शामिल होते हैं।** ये देश समावेशी तरीके से व्यवस्था या संस्था के चरित्र को आकार देते हैं।
    - वास्तव में **बहुपक्षीय संगठन निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले सभी देशों के लिए खुले हैं।**
    - बहुपक्षीय संगठनों के नियम सार्वजनिक रूप से ज्ञात होते हैं और पर्याप्त समय तक बने रहते हैं।
- नॉर्म्स **वर्तमान बहुपक्षीय संरचना (शांति व सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार) के सभी तीन स्तंभों** में सुधार की परिकल्पना करता है। नॉर्म्स के तहत **संयुक्त राष्ट्र** को केंद्र में रखा गया गया है।
- इसमें **प्रतिनिधित्व पर आधारित एक बहुपक्षीय संरचना**[18] का आह्वान किया गया है। यह संरचना आतंकवाद, कट्टरपंथ, महामारी तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से पैदा होने वाले खतरों जैसी अन्य **उभरती चुनौतियों से निपटने** के लिए आवश्यक है।
- भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने' पर आयोजित **UNSC की खुली चर्चा की अध्यक्षता करते हुए यह विचार प्रस्तावित** किया है।
    - भारत ने दिसंबर 2022 के लिए **UNSC की अध्यक्षता** ग्रहण की थी। ज्ञातव्य है कि दिसंबर माह UNSC में **अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के दो वर्षों के कार्यकाल** का अंतिम महीना भी था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य **संकट-प्रबंधन (Crisis-management)** निकाय है। इसका प्रमुख उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना** है। इसके लिए इसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर **बाध्यकारी दायित्वों (Binding Obligations) को लागू** करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **इसके सदस्यों की कुल संख्या 15 (पांच स्थायी और दस अस्थायी) है:**
    - **पांच स्थायी सदस्य:** ये हैं- **चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम** और **संयुक्त राज्य अमेरिका।** इन्हें सामूहिक रूप से **P5** के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें **"वीटो पॉवर"** प्रदान की गई है।
    - **दस अस्थायी सदस्य:** ये सदस्य **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत** के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। इनके कार्यकाल की अवधि **दो वर्ष** होती है। इन्हें **वीटो पॉवर प्रदान नहीं** की गई है।
- **UNSC की अध्यक्षता:** प्रत्येक सदस्य को **केवल एक माह** के लिए UNSC की अध्यक्षता करने का अवसर दिया जाता है। अध्यक्षता के लिए **सदस्य देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का पालन करते हुए उनका चयन** किया जाता है।
- **संघर्ष को रोकने के लिए UNSC के पास कौन-से साधन हैं:** संयुक्त राष्ट्र का चार्टर UNSC को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह संघर्ष में शामिल **पक्षकारों से वार्ता या मध्यस्थता कर या शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकाले।** ऐसा नहीं होने पर यह UNSC को अधिक मुखर कार्रवाई करने का अधिकार भी देता है, जैसे- **प्रतिबंध लगाना, बल प्रयोग करना** आदि।
    - पीस कीपिंग मिशन (या शांति स्थापना मिशन) UNSC के संघर्ष-प्रबंधन कार्यों का **सबसे प्रमुख उदाहरण** है।

संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **समावेशिता और प्रतिनिधित्व की कमी (Lack of Inclusivity and Representation):** UNSC की मूल संरचना को 77 साल पहले तय किया गया था। तब से इसकी संरचना में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - **वर्तमान में वैश्विक समुदाय की वास्तविकताओं में बहुत अधिक बदलाव हुए हैं।** नतीजतन, सुरक्षा परिषद पर इसकी **वैधता, प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व** के संदर्भ में सवाल उठाए जा रहे हैं।

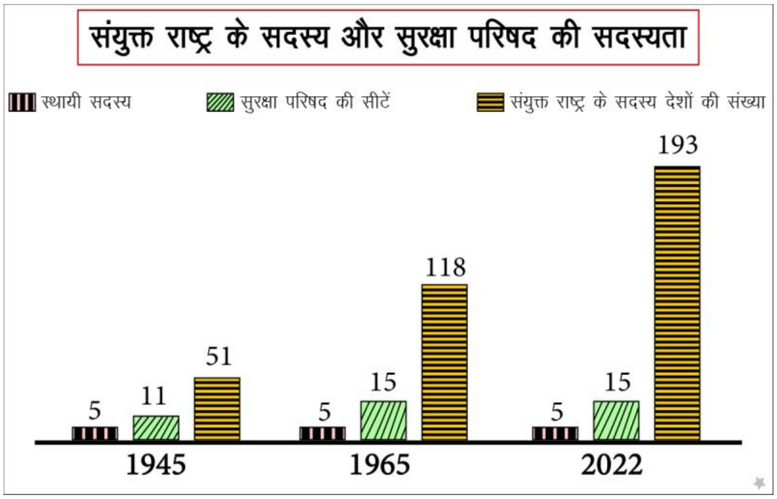

---

[18] Representative Multilateral Structure

  - **UNSC के स्थायी सदस्यों में किसी भी अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी** देश को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। वहीं यूरोप को P5 (स्थायी सदस्य) में **“अधिक प्रतिनिधित्व”** दिया गया है।
  - **संयुक्त राष्ट्र के 50 से अधिक सदस्य देश** आज तक सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं।
- **प्रवर्तन तंत्र में कमियां (Lacunae in enforcement mechanisms):** संयुक्त राष्ट्र की अपने **अधिदेश (मैंडेट) को प्रभावी ढंग से लागू करने** में अक्षमता के कारण बार-बार इसकी आलोचना की जाती है।
  - संयुक्त राष्ट्र केवल **उतना ही प्रभावी है, जितना कि सदस्य देश अनुमति देते हैं।** सदस्य देश अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस प्रकार, यह **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैचारिक संघर्षों** का बंधक बन गया है।
  - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया **बहुत हद तक अप्रभावी रही है।** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने केवल **गैर-बाध्यकारी सिफारिशें** पारित की हैं। अन्य संगठनों ने भी रूस के कार्यों की निंदा की है, लेकिन किसी ने भी इसके विरुद्ध **दंडात्मक कार्यवाही** नहीं की है।
- **भूमिका में बदलाव:** संयुक्त राष्ट्र और UNSC जिन मुद्दों से निपट रहे हैं, उनमें **पिछले 77 सालों में व्यापक विविधता** आई है। इन मुद्दों में शामिल हैं: शांति निर्माण, संघर्ष की रोकथाम, परमाणु अप्रसार, आतंकवाद का मुकाबला और नागरिकों की सुरक्षा।
  - **समकालीन वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता:** संयुक्त राष्ट्र को **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के शक्ति पदानुक्रम (Power hierarchy)** का प्रतिबिंब माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व में कई बदलाव देखे गए हैं। भारत, ब्राजील, जापान जैसी बड़ी **आर्थिक और सैन्य शक्तियों** का उदय हुआ है।
  - संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसी परिषद की आवश्यकता है, जो **हमेशा प्रभावी समाधान निकाल सके और जो अपने निर्णयों को समयबद्ध एवं कुशल तरीके से लागू कर सके।**
- **वीटो पॉवर का दुरुपयोग:** प्राय: UNSC की गवर्निंग क्षमता को बाधित करने लिए वीटो पॉवर का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसी कारण वीटो पॉवर की आलोचना भी की जाती है।
  - P5 देशों पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि वे **वैश्विक सुरक्षा की कीमत पर** अपने राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप **वीटो पॉवर का दुरुपयोग** करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **रूस ने यूक्रेन से संबंधित संकल्पों (Resolutions) पर अपनी वीटो पॉवर का उपयोग** किया था। एक अन्य उदाहरण में चीन ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध भारत द्वारा सह-समर्थित एक प्रस्ताव के खिलाफ अपनी वीटो पॉवर का उपयोग किया था।

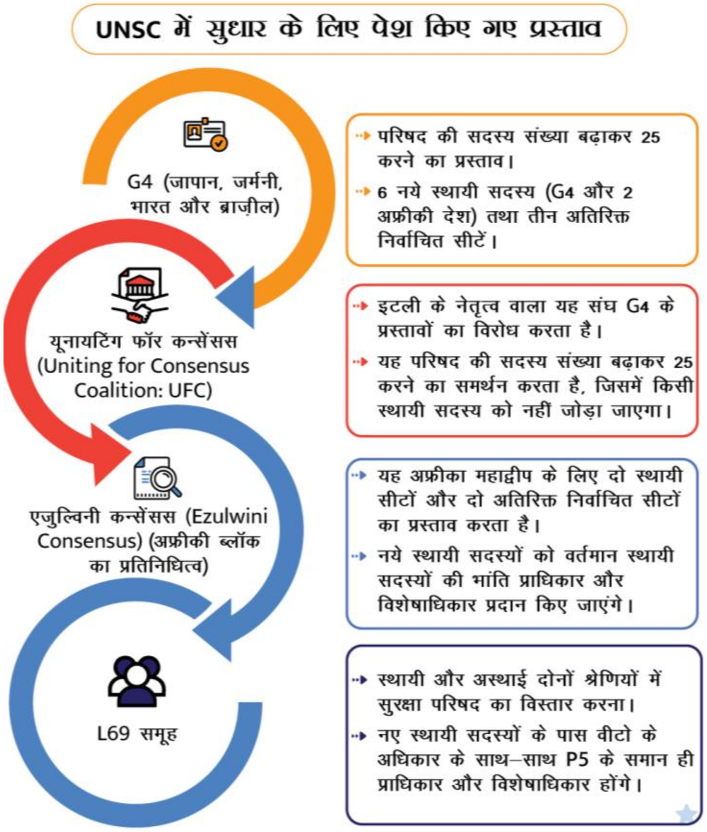
UNSC में सुधार के लिए पेश किए गए प्रस्ताव

G4 (जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील)
- परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव।
- 6 नये स्थायी सदस्य (G4 और 2 अफ्रीकी देश) तथा तीन अतिरिक्त निर्वाचित सीटें।

यूनायटिंग फॉर कन्सेंसस (Uniting for Consensus Coalition: UFC)
- इटली के नेतृत्व वाला यह संघ G4 के प्रस्तावों का विरोध करता है।
- यह परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 25 करने का समर्थन करता है, जिसमें किसी स्थायी सदस्य को नहीं जोड़ा जाएगा।

एजुल्विनी कन्सेंसस (Ezulwini Consensus) (अफ्रीकी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व)
- यह अफ्रीका महाद्वीप के लिए दो स्थायी सीटों और दो अतिरिक्त निर्वाचित सीटों का प्रस्ताव करता है।
- नये स्थायी सदस्यों को वर्तमान स्थायी सदस्यों की भांति प्राधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे।

L69 समूह
- स्थायी और अस्थाई दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार करना।
- नए स्थायी सदस्यों के पास वीटो के अधिकार के साथ–साथ P5 के समान ही प्राधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार के समक्ष बाधाएं

- **व्यापक समर्थन की आवश्यकता:** संशोधनों को लागू करने के लिए, सुधार प्रस्तावकों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में **दो-तिहाई मतों के समर्थन** की आवश्यकता होगी। साथ ही, P5 सहित **महासभा के दो-तिहाई सदस्य देशों** द्वारा इनकी अभिपुष्टि (Ratification) करने की भी जरूरत होगी।
- **आम सहमति का अभाव:** हालांकि, इस बात पर आम सहमति है कि परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए, लेकिन विस्तार के विषयों के संबंध में पर्याप्त सहमति नहीं बन पाई है।
  - संयुक्त राष्ट्र चार्टर, UNSC का स्थायी सदस्य बनने के लिए **मानदंड प्रदान करने में विफल रहा है।**
- **P5 से समर्थन का अभाव:** अतीत में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिंता व्यक्त की थी कि यदि UNSC का विस्तार किया गया, तो इससे परिषद की **प्रभावशीलता भविष्य में कमजोर** हो सकती है।
  - यदि नए स्थायी सदस्यों को भी **वीटो पॉवर दे दी जाएगी** तो यह समस्या और बढ़ सकती है।
  - यू.एन. चार्टर में संशोधन के जरिए **वीटो पॉवर को समाप्त करने या सीमित करने** संबंधी प्रस्तावों पर वर्तमान P5 शायद ही सहमत होंगे।

आगे की राह

- **संयुक्त राष्ट्र का विस्तार:** महासचिव ने सिफारिश की है कि सुधार **तीन स्तंभों (यू.एन. डेवलपमेंट सिस्टम, शांति और सुरक्षा** तथा **प्रबंधन)** पर आधारित होने चाहिए। महासचिव की सिफारिश को परिवर्तन की प्रक्रिया में **एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए।**
    - व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए **सुरक्षा परिषद (स्थायी सदस्यता सहित) में विस्तार किया जाना चाहिए।**
- **कार्य संचालन:** प्रक्रियागत परिवर्तन इस तरह के सीमित सुधार को आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए- हाल ही में महासभा ने UNSC के पांचों स्थायी सदस्यों को वीटो पॉवर के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु एक संकल्प अपनाया था। इस संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि जिन परिस्थितियों के कारण वीटो पॉवर का उपयोग किया गया था, उन पर चर्चा करने के लिए एक औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी।
- **मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना:** वर्तमान में तीन प्राथमिक खतरे मानवता के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं: **जलवायु परिवर्तन, संक्रामक रोग** और **परमाणु हथियार।**
    - एजेंसियों, फंड्स और संबंधित संगठनों में **संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए एक स्थायी समन्वय मंच स्थापित** किया जाना चाहिए। इस मंच के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में त्वरित, व्यापक और कुशलता से कार्य किया जा सकेगा।
- **डिजिटल सहयोग: डेटा अब एक प्रमुख आर्थिक परिसंपत्ति बन गया है।** हालांकि, इसका **उपयोग और इसके परिणाम व्यावसायिक मुद्दों से आगे बढ़कर** समाज और राजनीतिक व्यवस्था की गुणवत्ता जैसे मामलों तक जा चुके हैं।
    - **इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली प्रक्रिया डेटा सहयोग प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत ही आवश्यक फ्रेमवर्क स्थापित करेगी। यह फ्रेमवर्क कोविड-19 के बाद की रिकवरी** को सक्षम बनाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

2.2. G20 बाली घोषणा-पत्र (G20 Bali Declaration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **G20** का **17वां शिखर सम्मेलन संपन्न** हुआ। इस सम्मेलन में **बाली घोषणा-पत्र को स्वीकृति** प्रदान की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस G20 शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य (Motto) था- **"रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर[21]"।**
- भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की।

बाली घोषणा-पत्र 2022 के प्रमुख बिंदु

- G20 ने **यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अपने मतभेदों पर प्रकाश डाला** और यूक्रेन के इलाकों से रूस की पूर्ण वापसी का आह्वान किया।
- G20 ने **वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी फिर से दोहराया।**
    - समूह ने **तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में संपन्न काला सागर अनाज समझौते (Black Sea Grain Initiative)** का स्वागत किया।
        - यह **रूस और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा हस्ताक्षरित** एक समझौता ज्ञापन है। यह क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के रूस व यूक्रेन से निर्यात की अनुमति प्रदान करता है।

अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता क्यों?

- **पश्चिम का प्रभुत्व:** बहुपक्षीय संस्थानों में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है, जहां **यूरोपीय और अमेरिकी हित प्रबल** हुए हैं। उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थान **व्यापार उदारीकरण, निजी उद्यम को बढ़ावा देने** और **सार्वजनिक व्यय में समग्र कमी** जैसी शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- **प्रक्रियात्मक समस्याएं (Procedural issues):** बहुपक्षवाद के साथ-साथ प्रक्रियात्मक समस्याएं **निर्णय लेने और लागू करने के तरीके** से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए- स्थापित बहुपक्षीय संगठन यकीनन **जवाबदेही और पारदर्शिता के उन मानकों को पूरा नहीं करते** हैं, जिन्हें वैध माना जाता है।
    - उदाहरण के लिए- कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई जांच में **अस्पष्टता और पारदर्शिता की कमी** पाई गई थी।
- **वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया:** वैश्वीकरण के संकट के संकेत निम्नलिखित हालिया घटनाओं में देखे जा सकते हैं:
    - **ब्रेक्जिट,**
    - **राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध,**
    - दोहा दौर में गतिरोधों की पुनरावृत्ति,
    - WTO[19] के अपीलीय निकाय (Appellate Body) में न्यायाधीशों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति में बाधा के कारण WTO के **विवाद निपटान निकाय का निष्क्रिय होना** आदि।
- **वित्त-पोषण में कमी:** बहुपक्षीय संगठनों के जरिए की गई आधिकारिक विकास सहायता[20] की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद भी उनके संसाधन कम हो रहे हैं।

---

[19] World Trade Organization/ विश्व व्यापार संगठन

[20] Official Development Assistance

[21] Recover Together, Recover Stronger

- समूह ने अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के प्रावधान का स्वागत किया है। यह प्रावधान **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (2005) को लागू करने** और वित्त-पोषण में कमी को दूर करने में सहायता करेगा।
    - इसने विश्व बैंक के अधीन गठित **महामारी PPR[22] के लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष (महामारी कोष)[23]** की स्थापना की सराहना की है।

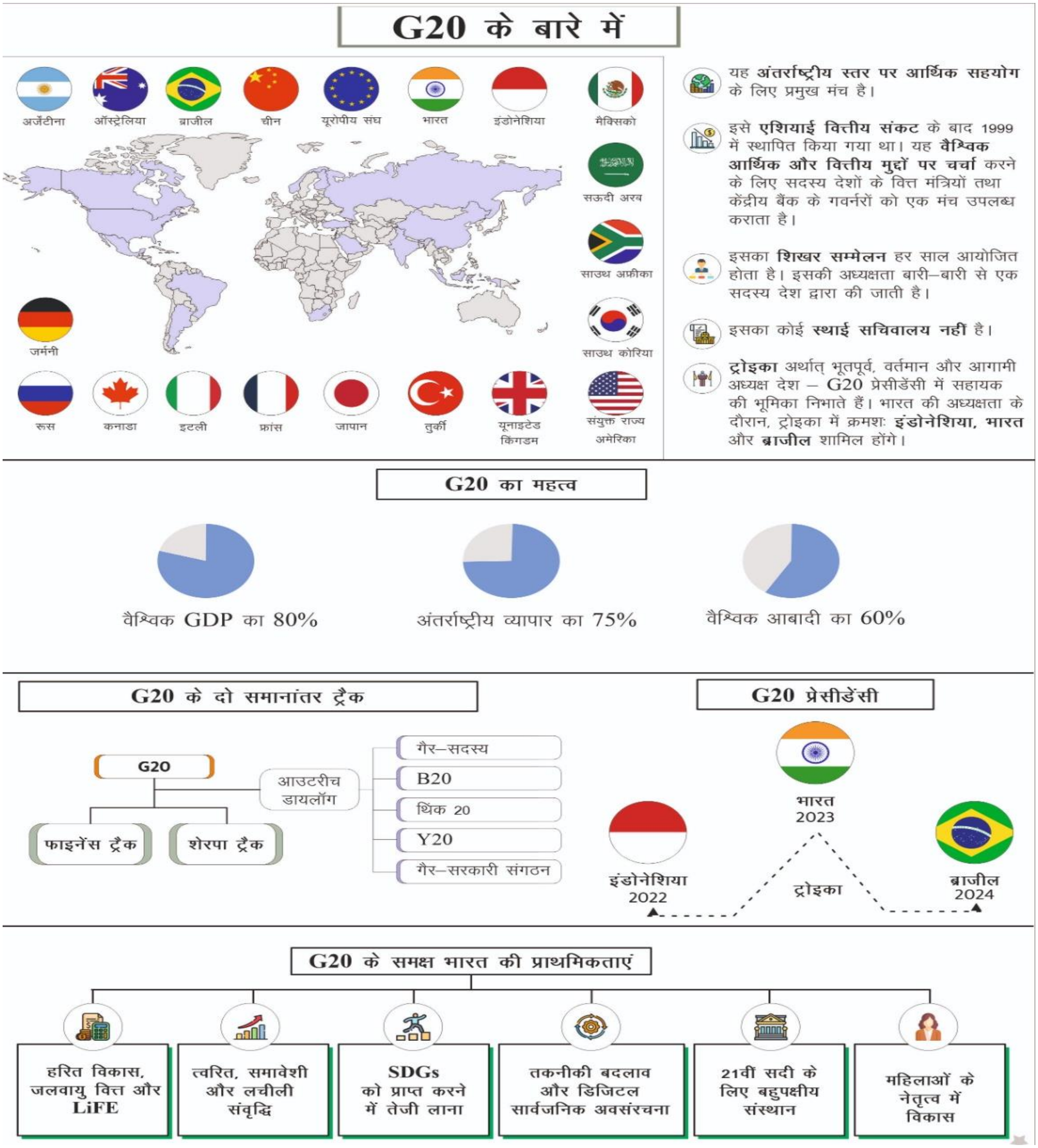

G20 के बारे में

अर्जेंटीना
ऑस्ट्रेलिया
ब्राजील
चीन
यूरोपीय संघ
भारत
इंडोनेशिया
मैक्सिको
सऊदी अरब
साउथ अफ्रीका
साउथ कोरिया
जर्मनी
रूस
कनाडा
इटली
फ्रांस
जापान
तुर्की
यूनाइटेड किंगडम
संयुक्त राज्य अमेरिका

- यह **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग** के लिए प्रमुख मंच है।
- इसे **एशियाई वित्तीय संकट** के बाद 1999 में स्थापित किया गया था। यह **वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा** करने के लिए सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक मंच उपलब्ध कराता है।
- इसका **शिखर सम्मेलन** हर साल आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता बारी–बारी से एक सदस्य देश द्वारा की जाती है।
- इसका कोई **स्थाई सचिवालय नहीं** है।
- **ट्रोइका** अर्थात् भूतपूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष देश – G20 प्रेसीडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान, ट्रोइका में क्रमशः **इंडोनेशिया, भारत** और **ब्राजील** शामिल होंगे।

G20 का महत्व

वैश्विक GDP का 80%
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%
वैश्विक आबादी का 60%

G20 के दो समानांतर ट्रैक

G20
फाइनेंस ट्रैक
शेरपा ट्रैक
आउटरीच डायलॉग
गैर–सदस्य
B20
थिंक 20
Y20
गैर–सरकारी संगठन

G20 प्रेसीडेंसी

इंडोनेशिया 2022
भारत 2023
ब्राजील 2024
ट्रोइका

G20 के समक्ष भारत की प्राथमिकताएं

- हरित विकास, जलवायु वित्त और LiFE
- त्वरित, समावेशी और लचीली संवृद्धि
- SDGs को प्राप्त करने में तेजी लाना
- तकनीकी बदलाव और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान
- महिलाओं के नेतृत्व में विकास

---

[22] Prevention, Preparedness and Response/ रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया

[23] Financial Intermediary Fund for Pandemic PPR (the ‘Pandemic Fund’)

वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में G20 का महत्त्व

- **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों के केंद्र में:** G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और गवर्नेंस को आकार देने एवं उन्हें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - यह **2008 के वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था** के संचालन में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ था।
    - G20 ने **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों** का नेतृत्व किया है। उदाहरण के लिए- **G20/ OECD आधार क्षरण और लाभ साझाकरण** (BEPS)[25] **परियोजना** के जरिए **अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार।**
- **समतावादी समूहीकरण (Egalitarian grouping):** यह अधिक विकसित देशों के प्रभुत्व वाले **G7** तथा 38-सदस्यीय **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन** (OECD)[26] से अलग एक स्वीकार्य मंच है।
    - पिछले दो दशकों में, **वैश्विक आर्थिक संतुलन में बदलाव** आया है। इसलिए **G20 को वैश्विक नेतृत्व के अधिक प्रतिनिधित्वकारी और समतावादी समूह** के रूप में देखा जा रहा है।

भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता (India's G20 Presidency)

- भारत की प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता की थीम है- **"वसुधैव कुटुम्बकम"** या **"एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"।**
- यह थीम पृथ्वी पर सभी जीवों के मूल्य की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त, यह व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर भी **पर्यावरण के लिए जीवन शैली**[24] को भी रेखांकित करती है।
- भारत ने **G20 द्वारा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया वर्किंग ग्रुप** बनाया है।
- भारत **32 अलग-अलग कार्य क्षेत्रों में 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों की मेजबानी** करेगा।

- **निम्न आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करना:** यह एक ऐसा मंच है, जहां G20 लीडरशिप **विकासशील देशों, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।** इस प्रतिबद्धता हेतु **G20 लीडरशिप** संवृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए नीतिगत तालमेल, विश्लेषण और व्यावहारिक साधन प्रदान करता है।
    - यह मानता है कि विकास संबंधी और वैश्विक आर्थिक मुद्दों से अलग-अलग नहीं निपटा जा सकता है।
- **सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति करना:** सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
    - संधारणीय विकास को बनाए रखने के लिए उपाय करना और वैश्विक स्थिरता को बढ़ाना;
    - कर पारदर्शिता के मामले में सहयोग करना,
    - विप्रेषण (Remittances) की लागत को कम करना, और
    - महिला भागीदारी में वृद्धि करना आदि।

G20 के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **आंतरिक गवर्नेंस संबंधी चुनौती:** हालांकि, समूह का उद्देश्य G7 की तुलना में अधिक समावेशी होना है, लेकिन औपचारिक सदस्यता के लिए अभी तक कोई मानदंड स्थापित नहीं किए गए हैं।
    - इसकी सदस्यता किसी देश के **वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए उसके प्रणालीगत महत्त्व तथा केवल सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार में उसके योगदान पर आधारित है।**
    - अल्प विकसित देशों के लिए कोई समावेशी सदस्यता नहीं है।
- **कोई आचार संहिता विद्यमान नहीं है:** सदस्यों के लिए एक आचार संहिता और स्पष्ट व लागू करने योग्य नियमों का अभाव है। इस अभाव के कारण किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई को सक्षम नहीं बनाया जा सकता है।
    - यदि G20 में कोई मजबूत आचार संहिता होती, तो चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में इसका प्रबल हस्तक्षेप हो सकता था।
- **सहायता और व्यापार के मामले में बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं कमजोर हो रही हैं:** ऐसा इसलिए है, क्योंकि दाता व प्राप्तकर्ता देशों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका कमजोर होने लगी है।
    - अब तीन सामाजिक-आर्थिक प्रणालियां विद्यमान हैं- **G7, चीन-रूस** तथा **भारत और अन्य।** ये संयुक्त रूप से वैश्विक एजेंडे को निर्धारित करेंगी।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भू-राजनीतिक तनाव पैदा किया है। इस तनाव के कारण समूह के भीतर सहयोग के समक्ष खतरा तेजी से बढ़ गया है।

---

[24] Lifestyle for Environment: LiFE/ लाइफ

[25] Base Erosion and Profit Shifting

[26] Organisation for Economic Co-operation and Development

- **देश बेलआउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की ओर रुख कर रहे हैं:** G20 ने अपने 2020 के शिखर सम्मेलन से पहले ऋण राहत के उपाय करने के लिए एक सामान्य फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया था। हालांकि, केवल **तीन देशों (चाड, इथियोपिया और जाम्बिया)** ने ही इस फ्रेमवर्क के तहत ऋण राहत का अनुरोध किया था।
    - अन्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों की ओर रुख किया है।
- **जलवायु परिवर्तन के संबंध में मतभेद:** चीन, भारत, रूस और सऊदी अरब ने जुलाई 2021 में संपन्न हुई पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में कथित तौर पर कोयले के उपयोग तथा जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को समाप्त करने के लिए एक समझौते को बाधित कर दिया था।
    - इसके अलावा, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जर्मनी और अन्य G20 देश विदेशों में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के वित्त-पोषण को रोकने के अपने पिछले वादों से मुकर गए हैं।

आगे की राह

- **समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का संशोधित सैद्धांतिक फ्रेमवर्क (Revised theoretical framework of macro and microeconomics):** G20 के सदस्य देशों को, आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित नीतिगत कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के चलते पैदा हुए हलिया संकटों से मिले सबकों से सीखने की आवश्यकता है। साथ ही, इन आर्थिक सिद्धांतों को भी संशोधित करने की जरूरत है।
- **आंतरिक विभेदों से बचना:** इसके लिए सामूहिक कार्रवाई और समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से यह पारंपरिक रूप से समान विचारधारा वाले देशों के समूहों से आगे निकल सकता है।
- **आउटरीच में सुधार करना:** G20 द्वारा न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये व्यवस्थाएं ग्लोबल साऊथ की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक अभिव्यक्ति और भूमिका प्रदान करेंगी।
    - G20 को गैर-सदस्य देशों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं तक भी पहुंच बनानी चाहिए। साथ ही, उनकी चिंताओं को संज्ञान में लेना चाहिए और उनका समाधान करने के प्रयास करने चाहिए।
- **सदस्य देशों के लिए एक आचार संहिता स्थापित करना:** एक आचार संहिता को स्थापित करने से यह समूह चीन और रूस जैसे आक्रामक सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में बेहतर भूमिका निभा सकता है।

2.3. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) {Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए बेहतर क्षेत्रीय मंच की तलाश करने की आवश्यकता है।

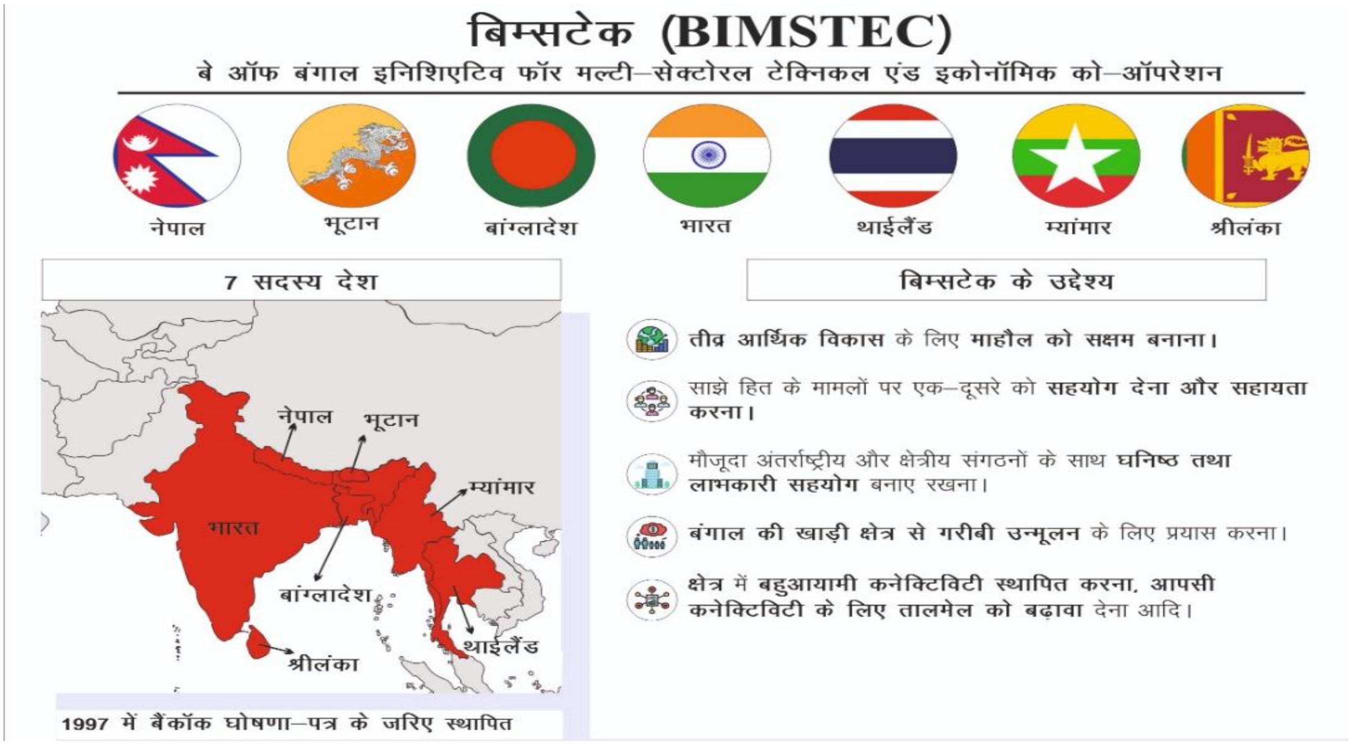

- **तीव्र आर्थिक विकास** के लिए **माहौल को सक्षम बनाना।**
- साझे हित के मामलों पर एक–दूसरे को **सहयोग देना और सहायता करना।**
- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ **घनिष्ठ तथा लाभकारी सहयोग** बनाए रखना।
- **बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से गरीबी उन्मूलन** के लिए प्रयास करना।
- **क्षेत्र में बहुआयामी कनेक्टिविटी स्थापित करना, आपसी कनेक्टिविटी के लिए तालमेल को बढ़ावा** देना आदि।

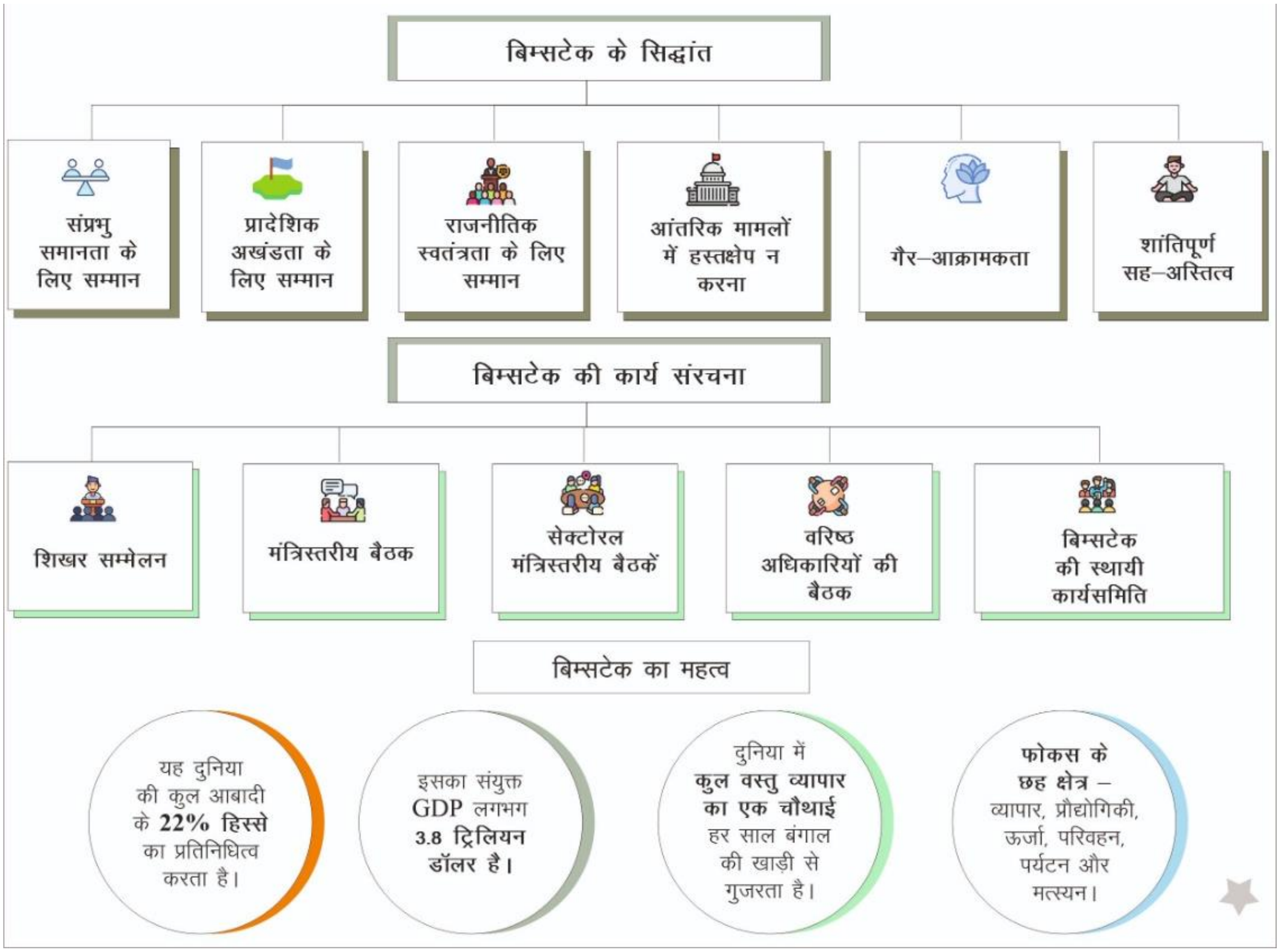
बिम्सटेक के सिद्धांत
संप्रभु समानता के लिए सम्मान
प्रादेशिक अखंडता के लिए सम्मान
राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
गैर–आक्रामकता
शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व
बिम्सटेक की कार्य संरचना
शिखर सम्मेलन
मंत्रिस्तरीय बैठक
सेक्टोरल मंत्रिस्तरीय बैठकें
वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
बिम्सटेक की स्थायी कार्यसमिति
बिम्सटेक का महत्व
यह दुनिया की कुल आबादी के 22% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
इसका संयुक्त GDP लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर है।
दुनिया में कुल वस्तु व्यापार का एक चौथाई हर साल बंगाल की खाड़ी से गुजरता है।
फोकस के छह क्षेत्र – व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्यन।

अन्य संबंधित तथ्य

- उल्लेखनीय है कि मौजूदा क्षेत्रीय मंच **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/ दक्षेस)** (SAARC)[27] 2014 से निष्क्रिय है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सार्क के विकल्प की तलाश करने की आवश्यकता है।
- **इस उद्देश्य हेतु बिम्सटेक को भारत के लिए सही विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।**

सार्क की तुलना में बिम्सटेक कैसे बेहतर है?

- **समावेशिता (Inclusivity): बिम्सटेक अधिक समावेशी प्रकृति का है।** हाल ही में, हस्ताक्षरित बिम्सटेक चार्टर का **अनुच्छेद-6** समूह में "नए सदस्यों के प्रवेश" का उल्लेख करता है। अनुच्छेद-6 का उपयोग **मालदीव** जैसे देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है।
    - **सार्क में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।**
- **दृष्टिकोण (Approach): बिम्सटेक अपने दृष्टिकोण में अधिक समरूप है।** इसके सदस्य आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सार्क के विपरीत, **इस समूह में पाकिस्तान जैसा कोई बाधक कारक मौजूद नहीं है।**
- **नीति केंद्रित (Policy Focus): बिम्सटेक भारत के 'एक्ट ईस्ट' लक्ष्यों की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है।** यह मंच **परिवहन कनेक्टिविटी, व्यापार समझौतों जैसी पहलों की सहायता** से आसियान देशों तक पहुंचने हेतु भारत के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
    - वहीं दूसरी ओर, **मध्य एशिया से भारत की कनेक्टिविटी पाकिस्तानी बाधाओं के कारण अभी भी व्यावहारिक रूप धारण नहीं कर सकी है।** पाकिस्तान ने सार्क के माध्यम से इस तरह की कनेक्टिविटी संबंधी गतिविधि को हमेशा से बाधित किया है।
- **शक्ति संतुलन: बिम्सटेक में भारत और थाईलैंड जैसी दो क्षेत्रीय शक्तियां हैं।** ये समूह में दो प्रभावशाली शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं। साथ ही, अन्य छोटे सदस्य देशों पर किसी एक प्रभावशाली देश के प्रभुत्व का भय भी कम है।

---

[27] South Asian Association for Regional Cooperation

    - वहीं दूसरी ओर, **सार्क के छोटे सदस्य देश भारत के प्रभुत्व के भय से ग्रस्त हैं।**
- **व्यापार और विकास:** बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच व्यापार केवल एक दशक में ही **छह प्रतिशत तक पहुंच** गया है। वहीं, **सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार सार्क की स्थापना के बाद से अब तक केवल पांच प्रतिशत ही बना हुआ है, जबकि सार्क में एक मुक्त व्यापार समझौता भी हो चुका है।**
    - भारत और उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए सार्क की तुलना में बिम्सटेक में व्यापार की क्षमता अधिक है।
- **मौजूदा संबंध: बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। इसके सदस्य देश यथोचित मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं।** इसके अलावा, लोगों के बीच संबंधों में भी सुधार हो रहा है।
    - वहीं दूसरी ओर, **सार्क के सदस्य देश एक-दूसरे के प्रति अविश्वास और संदेह से ग्रस्त** हैं, जो बेहतरी के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है।

आगे की राह

- **कनेक्शन और कनेक्टिविटी को बढ़ाना:** इसे लोगों के मध्य संपर्कों को प्रोत्साहित करके प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, इसे मौजूदा बहुपक्षीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर कार्य में तेजी लाकर भी प्राप्त किया जा सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्कों को मजबूत करना: बौद्ध धर्म जैसी साझा सांस्कृतिक विशिष्टता तथा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के उपयोग से** क्षेत्रीय एकीकरण प्राप्त किया जा सकता है।
- **सदस्य देशों के बीच विशेष वीजा समझौते: यूरोप के शेंगेन वीजा की तर्ज पर** इस क्षेत्र के लिए विशेष वीजा प्रदान किया जा सकता है। यह वीजा बेहतर पर्यटन व्यवसाय-से-व्यवसाय अंतर्क्रिया को सक्षम बनाएगा।
- **मुक्त व्यापार समझौते पर निर्णय:** FTA से सदस्य देशों के बीच व्यापार बेहतर होगा और यह समूह के मध्य अंतर्क्रिया को अगले स्तर पर ले जाएगा।
- **एक विवाद समाधान तंत्र बनाना:** एक कुशल विवाद निवारण तंत्र प्रदान करने से सीमा पार निवेश में व्यापारिक निकायों का विश्वास बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र का बेहतर ढंग से एकीकरण हो सकेगा।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

- **कनेक्टिंग लिंक:** यह समूह भारत की दो प्रमुख विदेश नीतियों अर्थात् **'नेबरहुड फर्स्ट नीति' और 'एक्ट ईस्ट नीति'** को साकार करने के लिए एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- **पूर्वोत्तर के लिए सेतु:** मंच के सदस्य देशों **(जैसे- बांग्लादेश और म्यांमार)** के सहयोग से स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है।
    - **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट** जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं पूर्वोत्तर के विकास की गति को तेज कर सकती हैं।
    - पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूह पड़ोसी देशों में शरण लेते हैं। ऐसे में बिम्सटेक **पूर्वोत्तर में आंतरिक संघर्ष को कम करने में मदद** कर सकता है।
- **ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक:** मंच के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की सहायता से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को एक **सुरक्षित व पाइरेसी (समुद्री डकैती) मुक्त क्षेत्र** बनाया जा सकता है।
- **चीनी प्रभाव से निपटना:** भारत और भूटान को छोड़कर, बिम्सटेक के अन्य सभी राष्ट्र **चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड पहल** (BRI)[28] **का हिस्सा हैं।**
    - भारतीय उत्पादों को सुदूर पूर्व तक पहुंचाने के लिए भारत इसी तरह की पहल की स्थापना में मदद हेतु सदस्य देशों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

बिम्सटेक से संबंधित चुनौतियां:

- **एक मुक्त व्यापार समझौता** (FTA)[29] **करने में बहुत अधिक विलंब:** FTA के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक FTA पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके 7 आवश्यक समझौतों में से केवल 2 समझौते ही अंतिम चरण तक पहुंचे हैं।
- **भौतिक अवसंरचना:** बिम्सटेक क्षेत्र में **खराब सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, अपर्याप्त लास्ट माइल लिंक और बोझिल सीमा शुल्क व मंजूरी प्रक्रिया** विद्यमान हैं। ये कमियां **व्यापार और लोगों के मध्य संपर्क को बाधित** करती हैं।
- **सदस्य देशों की अलग-अलग आकांक्षाएं: सदस्य देश अलग-अलग लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वार्ताएं कर रहे हैं।**
    - उदाहरण के लिए- म्यांमार अपने आंतरिक राजनीतिक संकट और **रोहिंग्या शरणार्थी संकट** से जूझ रहा है। भूटान **अपने पर्यावरण के संरक्षण को लेकर और विकासात्मक परियोजनाओं के प्रति संरक्षणात्मक** बना हुआ है। इसके अलावा, श्रीलंका भी आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के संकटों का सामना कर रहा है।
- **बिम्सटेक डेवलपमेंट फंड पर कोई आम सहमति नहीं:** बिम्सटेक डेवलपमेंट फंड के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए गठित तकनीकी टीम को अभी तक कोई आम सहमति नहीं मिली है।
- **अप्रयुक्त व्यवसाय-से-व्यवसाय सहयोग:** वर्तमान में, समूह की पहलें ज्यादातर अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेतृत्व में होती हैं। इनका व्यापारिक निकायों तक भी विस्तार किए जाने की जरूरत है।

---

[28] Belt and Road Initiative

[29] Free Trade Agreement

2.4. भारत-अमेरिका-चीन का त्रिकोणीय संबंध (India-USA-China Triangle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"युद्ध अभ्यास"** का **18वां संस्करण उत्तराखंड** में संपन्न हुआ। यह **भारत** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक **वार्षिक सैन्य अभ्यास** है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अभ्यास **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)**[30] **से केवल 100 किलोमीटर** की दूरी पर आयोजित किया गया था। इस कारण चीन ने इसका विरोध किया है।
- **चीन ने दावा किया है कि भारत ने LAC पर 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है।** साथ ही, चीन ने अमेरिका को भी **भारत-चीन संबंधों में हस्तक्षेप न करने** की सलाह दी है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, भारत, अमेरिका और चीन के मध्य संबंध भविष्य में विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।

1993 व 1996 के भारत-चीन समझौते:

1993 के समझौते में, दोनों देश निम्नलिखित पर सहमत हुए थे:

- दोनों पक्षों के बीच **LAC को सख्ती से मानने और उसका पालन करने पर सहमति बनी।**
- दोनों पक्ष **LAC से सटे क्षेत्रों में सैन्य बलों को न्यूनतम स्तर तक बनाए रखेंगे।**
- दोनों पक्ष **परस्पर चिन्हित क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे।**
- प्रत्येक पक्ष **LAC के निकट निर्दिष्ट स्तरों के सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना एक-दूसरे को प्रदान करेंगे।**

1996 के समझौते में, दोनों देश निम्नलिखित पर सहमत हुए:

- कोई भी पक्ष **दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपनी सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा।**
- LAC से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में **दोनों पक्षों की ओर से कोई सशस्त्र बल तैनात नहीं किया जाएगा।**

भारत-अमेरिका और चीन के बीच त्रिकोणीय संबंध

- एक त्रिकोणीय व्यवस्था में, **देश "A" और देश "B" का आपसी व्यवहार अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश "C" के व्यवहार को प्रभावित करता है।** ऐसा तीनों पक्षों के बीच स्थापित अंतर्क्रिया मॉडल (Model of Interaction) के कारण होता है।
- एक त्रिकोणीय संबंध के लिए पूर्व शर्तें ये हैं कि **प्रत्येक भागीदार तीन सिद्धांतों की रणनीतिक विशेषता को स्वीकार करता हो। इसके अतिरिक्त, किन्हीं भी दो भागीदारों के बीच का संबंध तीसरे भागीदार से उनके संबंध से प्रभावित होगा।**
    - **भारत-अमेरिका-चीन त्रिकोण की वर्तमान गतिशीलता के साथ, यह संबंध अभी भी अपनी विकासशील अवस्था में है।** उनके संबंधों में विचलन (Divergences) और अभिसरण (Convergences) दोनों देखने को मिलते हैं।
- **तीन पक्षों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि दो पक्ष आपस में मित्र या सहयोगी हों और तीसरा पक्ष उनका साझा शत्रु हो।**

भारत-अमेरिका-चीन त्रिकोण में विचलन के क्षेत्र

- **असंगत विदेश नीतियां:** चीन **भारत की तिब्बत नीति और संयुक्त राज्य अमेरिका की ताइवान नीति** को अपने संप्रभु प्रादेशिक दावों के समक्ष बाधा के रूप में देखता है।
    - इसी प्रकार भारत, चीन के पाकिस्तान के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों के माध्यम से घनिष्ठ गठबंधन से परेशान है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को अपने महाशक्ति के दर्जे के लिए निकटतम खतरे के रूप में देखता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति भारत की स्पष्ट निकटता:** चीन अमेरिका के साथ भारत की निकटता को एक समस्या के रूप में देखता है, उदाहरण के लिए-
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार** के रूप में नामित किया है। साथ ही, भारत को **स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 का दर्जा** भी प्रदान किया है।
    - दोनों देशों ने निम्नलिखित **चार रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं-**
        - **जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA);**
        - **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA);**
        - **कम्युटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (CISMOA);** तथा

---

[30] Line of Actual Control

    - **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)**
- **चुनौतीपूर्ण आधिपत्य:** चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को कमजोर करके इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। चीन अपनी **"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" की नीति के माध्यम से भारत को घेरने की योजना बना रहा है।**
    - चीन ने वैश्विक व्यवस्था में **संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को प्रतिस्थापित करने हेतु अति सतर्क योजनाएं** निर्मित की हैं।
    - चीन **क्वाड समूह में भारत और अमेरिका की सहभागिता** को अपने लिए एक खतरा बताता है।
    - **चीन इस क्षेत्र में आक्रामक रहा है।** उदाहरण के लिए- **दक्षिण चीन सागर के संबंध में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विवाद।**
- **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल:** इस पहल की शुरुआत 2013 में की गई थी। कई उदाहरणों से पता चलता है कि चीन ने इस पहल को ऋण जाल के रूप में इस्तेमाल किया है। साथ ही, अपने लाभों के लिए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है।
- **शक्ति संघर्ष:** चीन भारत को अपना ऐसा **'एशियाई प्रतिद्वंद्वी'** मानता है, जिसके पास एशिया में उसकी वर्चस्ववादी महत्वाकांक्षाओं को रोकने की अंतर्निहित क्षमता है।
    - इसी प्रकार, चीन अमेरिका को अपने **'वैश्विक प्रतिद्वंद्वी'** के रूप में देखता है। वहीं दूसरी ओर, भारत और अमेरिका दोनों चीन को एक आक्रामक देश के रूप में देखते हैं, जो उनकी संप्रभुता में घुसपैठ करता है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर चीन का रुख:** चीन भारत को **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह** (NSG)[31] और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** जैसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों से दूर रखने का प्रयास करता है।
    - वहीं दूसरी ओर, अमेरिका चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को उन्हीं मंचों में सदस्य के तौर पर शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है।
- **चीन व्यापार को अपने हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है:** चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों के साथ व्यापार संतुलन को मजबूती से अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास करता रहता है।
    - भारत के कुल आयात का लगभग 16% हिस्सा चीन से आता है। अमेरिका भी चीन पर कुछ इसी तरह से निर्भर है, क्योंकि यह अमेरिका के प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में कार्य करता है।
    - चीन ने भारत से आने वाली कई वस्तुओं पर गैर-प्रशुल्क बाधाएं (Non-tariff barriers) आरोपित की हैं। इनमें उत्पाद प्रमाणन और लेबलिंग मानकों पर कठोर नियम, कस्टम क्लियरेंस में देरी आदि शामिल हैं। इस कारण व्यापार संतुलन के मामले में चीन मजबूत स्थिति में रहता है।

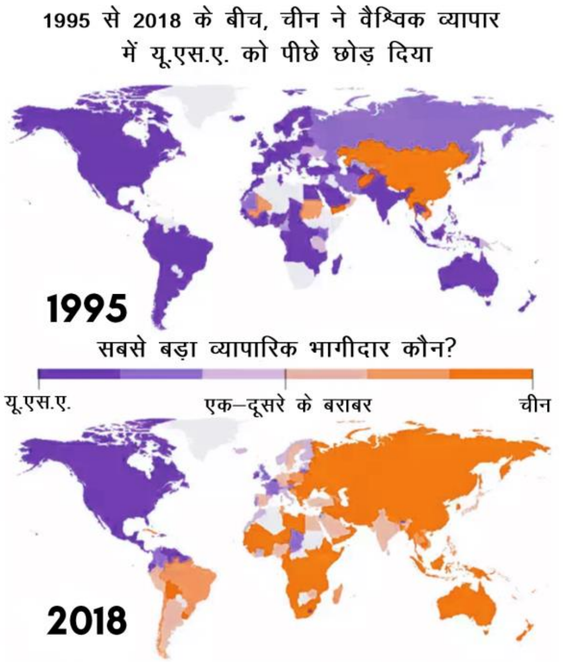
1995 से 2018 के बीच, चीन ने वैश्विक व्यापार में यू.एस.ए. को पीछे छोड़ दिया
1995
सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन?
यू.एस.ए.
एक–दूसरे के बराबर
चीन
2018

भारत-अमेरिका-चीन के त्रिकोण में अभिसरण के क्षेत्र

- **व्यापार और वाणिज्य:** चीन, भारत और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
    - **भारत-चीन व्यापार संबंधों को उनके द्विपक्षीय संबंधों के लिए आधारशिला माना जाता है।**
    - दूसरी ओर चीन के लिए भारत और अमेरिका दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई अन्य देश इसके कारखानों से इतनी अधिक मात्रा में खरीद नहीं कर सकता है।
- **निवेश संबंधी आवश्यकताएं:** भारत को अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। चीन इसमें भारत की मदद कर सकता है।
- **शांति में स्थिरता:** 1962 और 1967 में भारत-चीन युद्ध की दो घटनाओं को छोड़कर, दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में मामूली झड़पों को कम करके इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश की है।
    - इसी तरह, चीन और अमेरिका भी एक-दूसरे के साथ कभी सीधे सैन्य संघर्ष में नहीं रहे हैं।

---

[31] Nuclear Suppliers Group

- **पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना:** तीनों देश संयुक्त रूप से काफी अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। साथ ही, वे अपने उत्सर्जन को धीरे-धीरे कम करने और पेरिस जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।
- **संबंधों का निर्माण:** भारत एवं चीन के बीच वुहान (2018) और मामल्लपुरम (2019) में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन तथा G20 व संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर तीनों देशों के बीच निरंतर वार्ता ने उनके मतभेदों को दूर करने में मदद की है।
    - **भारत-चीन दोनों शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स** में भी शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत को इस त्रिकोणीय संबंध में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग जारी रखना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता पर अत्यधिक निर्भरता भारत के लिए एक उचित विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को कई अवसरों पर यह साबित कर दिया है कि वह भारत का हर समय तैयार मित्र नहीं है। भारत का चीन के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भारत का भौगोलिक पड़ोसी है। हालांकि, भारत की सीमाओं और अन्य क्षेत्रों में इसकी आक्रामकता को कम करने पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.5. सॉफ्ट पॉवर (Soft Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इसका शीर्षक **'भारत की सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति: संभावनाएं एवं सीमाएं[32]' है।**

स्मार्ट पॉवर

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में भारत **विश्व के साथ पारस्परिक अंतर्क्रिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट पॉवर का इस्तेमाल** कर रहा है। यह **हार्ड पॉवर** के अन्य आयामों के साथ सॉफ्ट पॉवर का **विवेकपूर्ण मिश्रण** है।
- इसके तहत, किसी विशेष संदर्भ में संबंधों को स्थापित करने हेतु **शक्ति के सही रूपों का चयन करने में सक्षम होने के लिए क्षमता निर्माण पर बल** दिया जाता है।

सॉफ्ट पॉवर के बारे में

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, सॉफ्ट पॉवर के तहत अनुनय और आकर्षण (Appeal and Attraction) का उपयोग किया जाता है। इससे **प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के बिना दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन** लाया जा सकता है।
    - यह **दूसरों की प्राथमिकताओं को आकार देने की क्षमता पर निर्भर** करती है।
    - यह **हार्ड पॉवर से अलग** है। हार्ड पॉवर **शक्ति के मूर्त संसाधनों (जैसे- सशस्त्र बलों या आर्थिक साधनों)** पर निर्भर करती है।
- रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारत के समृद्ध इतिहास और अद्भुत सांस्कृतिक विविधता के बावजूद, भारत ने अभी तक **व्यापक रूप से अपनी सॉफ्ट पॉवर रणनीति का इस्तेमाल नहीं** किया है।

भारत के लिए सॉफ्ट पॉवर का महत्व

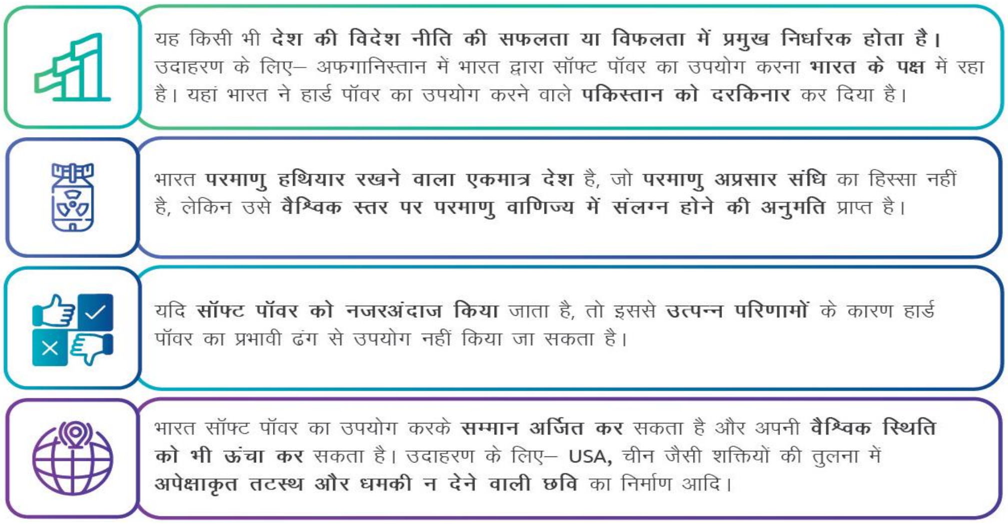

यह किसी भी **देश की विदेश नीति की सफलता या विफलता में प्रमुख निर्धारक होता है।** उदाहरण के लिए– अफगानिस्तान में भारत द्वारा सॉफ्ट पॉवर का उपयोग करना **भारत के पक्ष** में रहा है। यहां भारत ने हार्ड पॉवर का उपयोग करने वाले **पकिस्तान को दरकिनार** कर दिया है।

भारत **परमाणु हथियार रखने वाला एकमात्र देश** है, जो **परमाणु अप्रसार संधि** का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे **वैश्विक स्तर पर परमाणु वाणिज्य में संलग्न होने की अनुमति** प्राप्त है।

यदि **सॉफ्ट पॉवर को नजरअंदाज किया** जाता है, तो इससे **उत्पन्न परिणामों** के कारण हार्ड पॉवर का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

भारत सॉफ्ट पॉवर का उपयोग करके **सम्मान अर्जित कर** सकता है और अपनी **वैश्विक स्थिति को भी ऊंचा कर** सकता है। उदाहरण के लिए– USA, चीन जैसी शक्तियों की तुलना में **अपेक्षाकृत तटस्थ और धमकी न देने वाली छवि** का निर्माण आदि।

सॉफ्ट पॉवर हार्ड पॉवर से कैसे अलग है?

- हार्ड पॉवर एक देश के **सैन्य और आर्थिक संसाधनों पर निर्भर** करती है। वहीं, सॉफ्ट पॉवर अनुनय पर निर्भर करती है, जिसका उद्देश्य **देश के 'आकर्षण' को आगे** बढ़ाना होता है।
- हार्ड पॉवर के माध्यम से **तत्काल परिणाम** प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु **इन परिणामों की अवधि छोटी** होती है। वहीं, सॉफ्ट पॉवर में **लंबी अवधि के बदलाव** लाने की क्षमता होती है।

---

[32] India's Soft Power and Cultural Diplomacy: Prospects and Limitations

- हार्ड पॉवर किसी को स्वयं के **सामान्य व्यवहार से अलग अर्थात् अनैच्छिक** तरीके से कार्य करने के लिए **मजबूर** करती है।
    - इसके विपरीत, सॉफ्ट पॉवर किसी की मनोवृत्ति को इस हद तक बदल देती है कि **वह स्वेच्छा से** अपने सामान्य या पूर्व व्यवहार से अलग तरीके से **कार्य** करता है।

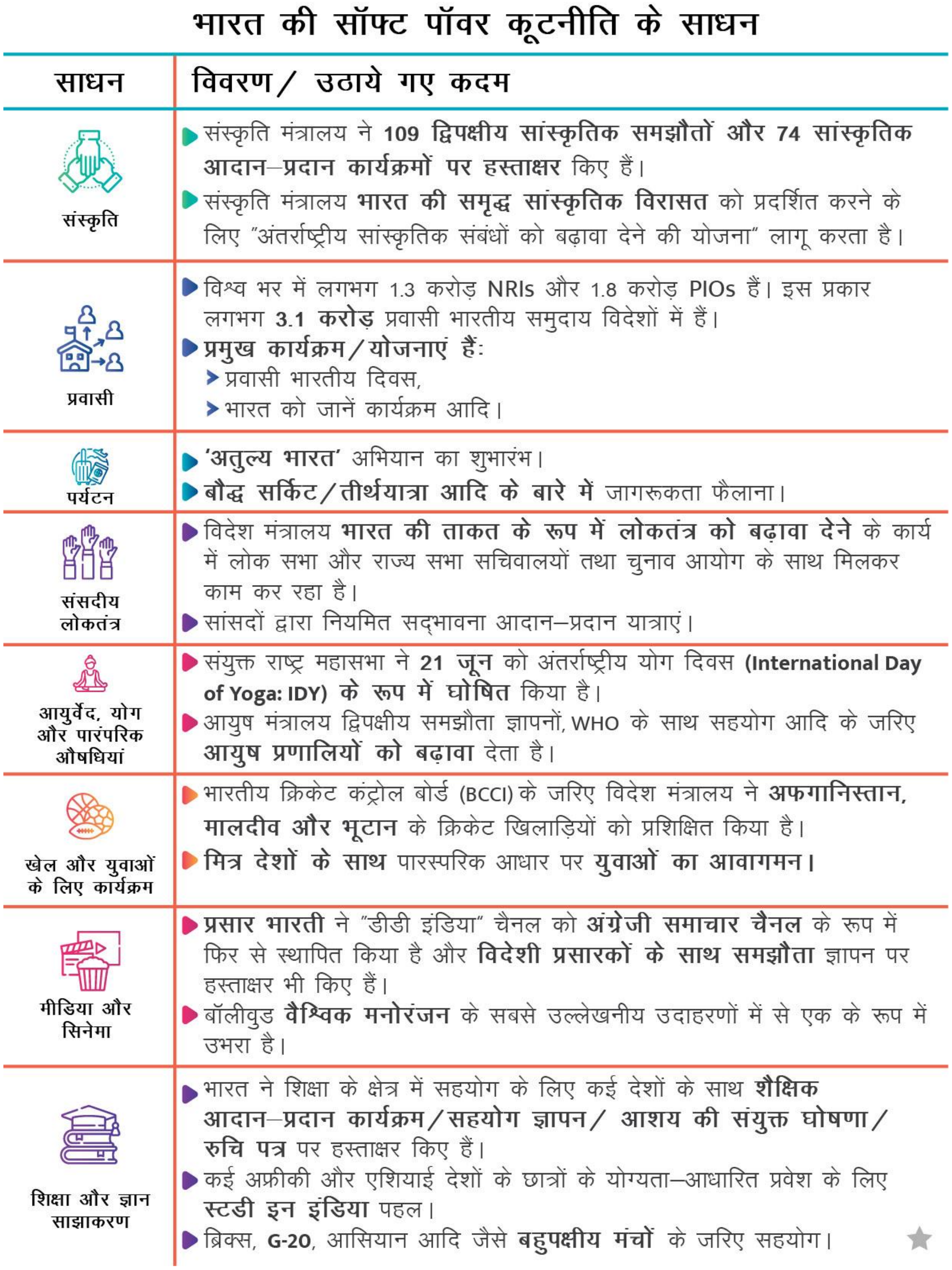

भारत की सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के साधन

साधन	विवरण/ उठाये गए कदम
संस्कृति	▶ संस्कृति मंत्रालय ने **109 द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौतों और 74 सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर** किए हैं। ▶ संस्कृति मंत्रालय **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत** को प्रदर्शित करने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की योजना" लागू करता है।
प्रवासी	▶ विश्व भर में लगभग 1.3 करोड़ NRIs और 1.8 करोड़ PIOs हैं। इस प्रकार लगभग **3.1 करोड़** प्रवासी भारतीय समुदाय विदेशों में हैं। ▶ **प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं हैं:** ➤ प्रवासी भारतीय दिवस, ➤ भारत को जानें कार्यक्रम आदि।
पर्यटन	▶ **'अतुल्य भारत'** अभियान का शुभारंभ। ▶ **बौद्ध सर्किट/तीर्थयात्रा आदि के बारे में** जागरूकता फैलाना।
संसदीय लोकतंत्र	▶ विदेश मंत्रालय **भारत की ताकत के रूप में लोकतंत्र को बढ़ावा देने** के कार्य में लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों तथा चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ▶ सांसदों द्वारा नियमित सद्भावना आदान–प्रदान यात्राएं।
आयुर्वेद, योग और पारंपरिक औषधियां	▶ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **21 जून** को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस **(International Day of Yoga: IDY) के रूप में घोषित** किया है। ▶ आयुष मंत्रालय द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों, WHO के साथ सहयोग आदि के जरिए **आयुष प्रणालियों को बढ़ावा** देता है।
खेल और युवाओं के लिए कार्यक्रम	▶ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के जरिए विदेश मंत्रालय ने **अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान** के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। ▶ **मित्र देशों के साथ** पारस्परिक आधार पर **युवाओं का आवागमन।**
मीडिया और सिनेमा	▶ **प्रसार भारती** ने "डीडी इंडिया" चैनल को **अंग्रेजी समाचार चैनल** के रूप में फिर से स्थापित किया है और **विदेशी प्रसारकों के साथ समझौता** ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ▶ बॉलीवुड **वैश्विक मनोरंजन** के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक के रूप में उभरा है।
शिक्षा और ज्ञान साझाकरण	▶ भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई देशों के साथ **शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/सहयोग ज्ञापन/ आशय की संयुक्त घोषणा/ रुचि पत्र** पर हस्ताक्षर किए हैं। ▶ कई अफ्रीकी और एशियाई देशों के छात्रों के योग्यता–आधारित प्रवेश के लिए **स्टडी इन इंडिया** पहल। ▶ ब्रिक्स, **G-20**, आसियान आदि जैसे **बहुपक्षीय मंचों** के जरिए सहयोग।

भारत की सॉफ्ट पॉवर कूटनीति से जुड़े मुद्दे

- **विदेश मंत्रालय द्वारा उल्लिखित मुद्दे:** विदेश मंत्रालय ने सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति के **प्रभावी संचालन को बाधित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया है:**
    - उचित समय पर और **पर्याप्त बजट आवंटित नहीं हो पाता है।**
    - सरकारी और निजी क्षेत्रक दोनों में कई संस्थानों के बीच **अधिक समन्वय एवं परामर्श की आवश्यकता है।**
        - ▪ वर्तमान में, कई मंत्रालयों और एजेंसियों के कार्य एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में आते हैं। इससे **प्रयासों तथा संसाधनों का दोहराव** होता है।
    - मुख्यालयों के साथ-साथ विदेशों में भी स्थित भारतीय मिशनों/ केंद्रों में **सांस्कृतिक कार्यों में अपेक्षित उत्साह और रुचि रखने वाले कुशल तथा प्रेरित कार्यबल** की कमी है।
    - **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)**[33] के अधिदेश (मैंडेट) और 'संस्कृति' के दायरे के बारे में **स्पष्टता का अभाव** है।
    - विदेशों में सांस्कृतिक सॉफ्ट पॉवर को बढ़ावा देने के लिए **एक राष्ट्रीय नीति का अभाव है।** इसके कारण **अस्थाई तथा असंधारणीय** तरीकों को अपनाया जाता है।
- **घरेलू मुद्दों का प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स में भारत की अनेक समस्याओं, जैसे- **शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, बाल श्रम और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, तस्करी** आदि को उठाया जाता है। इन समस्याओं ने आगंतुकों के मन में भारत के प्रति नकारात्मक भाव पैदा किया है।
- **धार्मिक पर्यटन में औसत दर्जे का प्रदर्शन:** यद्यपि दुनिया के आठ सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से सात वर्तमान में भारत में हैं, परंतु **वैश्विक बौद्ध पर्यटन का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा** भारत को प्राप्त होता है। **थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश इस तरह के पर्यटन के बड़े हिस्सेदार** हैं।

---

[33] Indian Council for Cultural Relations

भारत की सॉफ्ट पॉवर को मजबूत करने के उपाय

- **विदेश मामलों पर संसदीय पैनल द्वारा की गई सिफारिशें:** मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - सॉफ्ट पॉवर के उपयोग पर **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का प्राथमिकता के आधार पर एक औपचारिक अध्ययन** किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत को अपनी सॉफ्ट पॉवर रणनीति तैयार करते समय **ऐसे अध्ययन से प्राप्त सीख को भी ध्यान में रखना** चाहिए।
    - पैनल ने सरकार को एक **"सॉफ्ट पॉवर मैट्रिक्स"** के जरिए सॉफ्ट पॉवर संबंधी परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए **ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स** विकसित करने का सुझाव दिया है।
    - भारत के लिए सॉफ्ट पॉवर के उपयोग और सांस्कृतिक कूटनीति में शामिल विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा विभागों व एजेंसियों के बीच **अधिक समन्वय स्थापित** करने की आवश्यकता है।
    - पैनल ने विदेश मंत्रालय से विदेशों में **पर्यटन कार्यालयों की संख्या बढ़ाने और प्रचार गतिविधियों के लिए देश-विशिष्ट दृष्टिकोण**[34] **अपनाने** का आग्रह किया है।
    - सरकार को भारत की सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग करने के लिए **एक जनसंपर्क रणनीति तैयार करनी चाहिए।**
    - भारतीय प्रवासियों के साथ **सक्रिय संवाद** स्थापित करना चाहिए। साथ ही, मेजबान देश के साथ बेहतर व नियमित जुड़ाव स्थापित करने के लिए **उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव मांगने हेतु** निर्दिष्ट कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) का गठन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1950 में किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत के बाह्य सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण व कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना है। साथ ही, यह भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं आपसी समझ को बढ़ावा देता तथा उन्हें मजबूत करता है।

- **पर्यटन को बढ़ावा:** एक **बहु-आयामी दृष्टिकोण घरेलू पर्यटन के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने** में मदद कर सकता है। इस बहु-आयामी दृष्टिकोण में **उत्पाद वृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी तथा उत्पादों के रचनात्मक प्रचार और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिए।

सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमेसी में भारत और चीन के बीच तुलना

ब्रांड फाइनेंस के **ग्लोबल सॉफ्ट पॉवर इंडेक्स 2022** के अनुसार, सॉफ्ट पॉवर के मामले में **चीन चौथे स्थान** पर है, जबकि **भारत 29वें स्थान** के साथ चीन से काफी पीछे है।

वे क्षेत्र, जिनमें भारत चीन से पीछे है:

- **मौद्रिक संसाधनों की कमी:** एक अनुमान के अनुसार, चीन अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों और सॉफ्ट पॉवर प्रचार पर **प्रति वर्ष लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च** करता है। वहीं दूसरी तरफ, ICCR और अन्य एजेंसियां मिलकर **लगभग 300-400 करोड़ रुपये ही खर्च** करती हैं।
    - भारत का अधिकांश खर्च **संस्थाओं और उनके प्रशासन** में ही चला जाता है।
- **राज्य के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा देना:** विदेशों में अभी भी भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की **संख्या काफी कम** है। इसके अलावा, भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में **प्रवासियों और सरकारी प्रयासों के मिश्रण** का ज्यादा योगदान नहीं है। यह **स्वाभाविक रूप से तथा भारतीय प्रवासियों के मुख्य योगदान** के कारण ही लोकप्रिय बनी है।
- हालांकि, हाल के दिनों में सरकार ने **भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी** आरंभ कर दी है।

चीन के मुकाबले भारत को लाभ

- **लंबी अवधि से लगातार सॉफ्ट पॉवर का उपयोग:** भारत ने आजादी के बाद से चीन के मुकाबले सॉफ्ट पॉवर के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया है।
    - चीन में, यह अवधारणा 2000 के दशक के मध्य में तेजी से लोकप्रिय हुई थी और अब यह इसकी विदेश नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती है।
- **मित्रवत विकास भागीदार:** चीन के विपरीत, भारत का विकास कार्यक्रम अपने भागीदारों की **संप्रभुता या अखंडता में हस्तक्षेप करने अथवा उन्हें असहनीय ऋण जाल** के जरिए आर्थिक रूप से पंगु बना देने जैसे आरोपों से मुक्त रहा है।
- **लोकतांत्रिक साख:** भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और इसका खुलापन इसे अधिक विश्वसनीय भागीदार बनाते हैं।
    - वहीं, चीनी प्राधिकारियों द्वारा **अत्यधिक नियंत्रण, उनके सेंसरशिप तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के कारण** चीन की आलोचना की जाती है।

---

[34] Country-Specific Approach

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.6.1. महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग {United Nations Commission on Status of Women (CSW)}

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)[35] ने **ईरान को CSW की सदस्यता से हटाने के लिए एक संकल्प स्वीकृत** किया है।
- **UNCSW के बारे में:**
    - यह प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है। यह मुख्यतः **लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।**
    - इसकी **स्थापना 1946 में ECOSOC** ने की थी।
    - यह निकाय **'बीजिंग डिक्लेरेशन' और 'प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' के कार्यान्वयन** में अग्रणी भूमिका निभाता है।
    - इसमें संयुक्त राष्ट्र के **45 सदस्य देशों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि** शामिल होता है। प्रतिनिधि का चयन ECOSOC समान भौगोलिक वितरण के आधार पर करता है।
    - **भारत** को चार सालों के लिए **(2021 से 2025 तक)** CWS के सदस्य के रूप चुना गया है।

2.6.2. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता {India Australia Economic and Cooperation Trade Agreement (ECTA)}

- **भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)** लागू हो गया है।
- ECTA दोनों देशों के बीच **व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान** करता है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रभावी **लगभग सभी टैरिफ लाइन्स को** शामिल किया गया है।
    - ECTA भारत के लिए 2022 में प्रभावी होने वाला **दूसरा व्यापार समझौता** है। इससे पहले **भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी प्रभावी** हो चुका है।

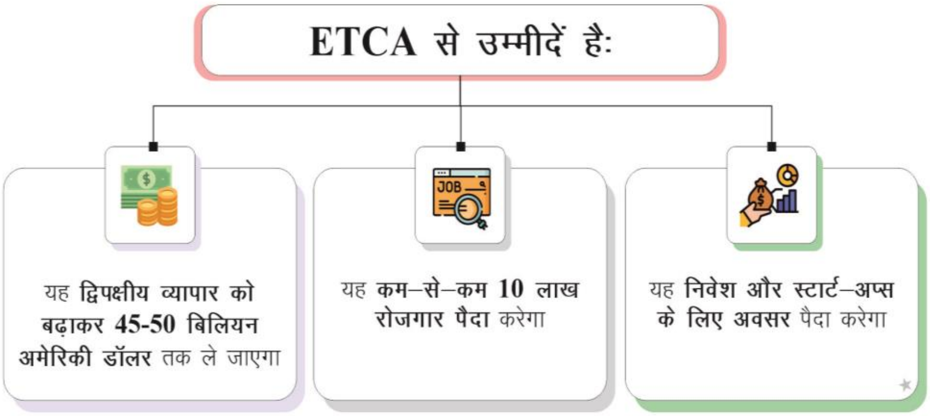
ETCA से उम्मीदें है:
JOB
यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाएगा
यह कम–से–कम 10 लाख रोजगार पैदा करेगा
यह निवेश और स्टार्ट–अप्स के लिए अवसर पैदा करेगा

- **ETCA की मुख्य विशेषताएं:**
    - ऑस्ट्रेलिया अपनी 100% टैरिफ लाइन पर **तरजीही बाजार[36] पहुंच प्रदान करेगा, जिससे भारत को लाभ होगा।** इनमें रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर जैसे **भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्र शामिल हैं।**
    - ऑस्ट्रेलिया ने **कई सेवा उप-क्षेत्रकों में भी बाजार पहुंच देने का वादा किया है।** इनमें IT, ITES, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल हैं।
    - इस समझौते में **फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए एक अलग अनुबंध** किया गया है। इससे पेटेंट युक्त, जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं को त्वरित मंजूरी मिल सकेगी।
    - इस समझौते में **उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय, विवाद निपटान तंत्र, नेचुरल पर्सन्स (पेशेवरों) की आवाजाही** जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

2.6.3. संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल डिफेंस ऑथोराइज़ेशन एक्ट (US' NDAA)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव ने 858 बिलियन अमेरिकी डॉलर का **नेशनल डिफेंस ऑथोराइज़ेशन एक्ट (NDAA)** पारित किया है।
- यह **संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर केंद्रित** है। इनमें चीन और रूस के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा, विघटनकारी प्रौद्योगिकियां (Disruptive Technologies) आदि शामिल हैं।

---

[35] UN Economic and Social Council

[36] Preferential Market

    - यह **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने पर बल** देता है। साथ ही, यह **नई उभरती प्रौद्योगिकियों, तत्परता और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग** का विस्तार करने पर भी बल देता है।
    - यह मानव रहित विमानों, रक्षात्मक साइबर क्षमताओं, ठंड के मौसम का सामना करने से जुड़ी क्षमताओं आदि को कवर करता है।
- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा सहयोग**
    - 2016 में, अमेरिका ने भारत को **'प्रमुख रक्षा भागीदार'** का दर्जा दिया था। यह भारत के लिए विशेष दर्जा है।
    - भारत को विशेष रूप से **2018 में 'सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1'** का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा **असैन्य अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रकों में उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों की बिक्री** के लिए दिया गया था।
- **भारत और अमेरिका ने निम्नलिखित रक्षा समझौते किए हैं:**
    - सैन्य सूचना के आदान-प्रदान पर 2002 में **जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)** किया गया था।
    - 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) संपन्न हुआ था।**
    - दोनों सेनाओं के बीच अंतरसक्रियता और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए 2018 में **कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) किया गया था।**
    - उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, **लॉजिस्टिक्स**और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए 2020 में **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) किया गया था।**

2.6.4. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क (SAARC Currency Swap Framework)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण** के साथ एक **करेंसी स्वैप समझौते (CSA)** पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किया गया है।
    - CSA, दो देशों के बीच **पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन मुद्राओं के विनिमय** के लिए किया गया एक समझौता या अनुबंध है।
- **सार्क करेंसी स्वैप** सुविधा का परिचालन **2012 में शुरू हुआ** था। इसका उद्देश्य अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए एक बैकस्टॉप लाइन ऑफ़ फंडिंग प्रदान करना था।
    - इसके अंतर्गत, **अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये** में आहरण (Withdrawal) किया जा सकता है।

2.6.5. लुसोफोन देश (Lusophone Countries)

- भारत, गोवा में **अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव** की मेजबानी कर रहा है।
    - यह **लुसोफोन देशों** के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
    - वेल्हा गोवा (या ओल्ड गोवा) पर **पुर्तगाली शासन 1510 ई.** में आरंभ हुआ था और यह **1961** तक बना रहा था।
- **लुसोफोन वर्ल्ड (पुर्तगाली भाषी देशों) के बारे में**
    - इसमें **चार महाद्वीपों के नौ देश** शामिल हैं।
    - **पुर्तगाली, दक्षिणी गोलार्ध** में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है **(इन्फोग्राफिक देखें)।**
    - **1996** में पुर्तगाली भाषी देशों के समुदाय (CPLP)[37] का गठन किया गया था। इसे **लुसोफोन कॉमनवेल्थ** भी कहा जाता है।
        - CPLP **9 सदस्य देशों और 32 सहयोगी पर्यवेक्षकों** का एक बहुपक्षीय मंच है। **भारत** इसका सहयोगी पर्यवेक्षक देश है।

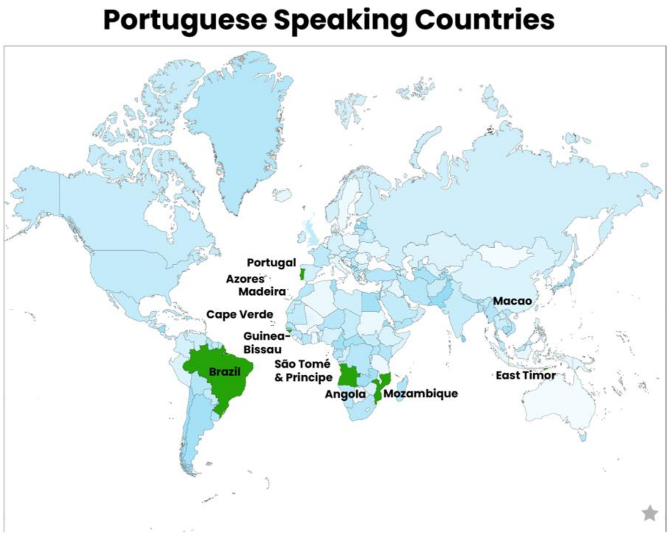
Portuguese Speaking Countries

---

[37] Community of Portuguese Language Countries

    - **इसके सदस्य देशों में शामिल हैं:** अंगोला, ब्राजील, काबो वर्डे, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोम ए प्रिंसिपे, तिमोर लेस्ते और इक्वेटोरियल गिनी।
- **भारत-लुसोफोन संबंध**
  - 2014 में गोवा में **तीसरे लुसोफोनिया खेलों** का आयोजन किया गया था। इसमें **लुसोफोन देशों** के एथलीट शामिल हुए थे।
  - पिछले एक दशक में CPLP देशों के साथ **भारत के व्यापार में छह गुना वृद्धि** हुई है।
  - भारत अपने **ITEC** और **IAFS फ्रेमवर्क** के तहत पुर्तगाल को छोड़कर शेष सभी **CPLP सदस्य देशों** को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **भविष्य में सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रक हैं:**
    - **रणनीतिक क्षेत्रक:** नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा आदि;
    - **स्टार्ट-अप्स;** और
    - **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां:** नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि।

2.6.6. पेरिस क्लब (Paris Club)

- यह **आधिकारिक ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह** है। इसका कार्य ऋणी देशों द्वारा अनुभव की जाने वाली **भुगतान संबंधी कठिनाइयों के समन्वित और स्थायी समाधान खोजना** है।
- पेरिस क्लब की **शुरुआत 1956 में** हुई थी।
- यह **22 स्थायी सदस्यों** का एक समूह है। इसमें **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान** आदि देश शामिल हैं।
  - भारत **इस क्लब का सदस्य नहीं** है। **भारत इसमें एक अनौपचारिक भागीदार के रूप में कार्य** करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **"भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2021-22"**[38] रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों का **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross NPA) अनुपात 2017-18 में अपने शीर्ष (9%)** पर था, जो **घटकर सितंबर 2022 में 5% के स्तर पर** आ गया।

बैंक और उनके NPAs

- बैंक एक वित्तीय संस्थान होता है जो अपनी प्राथमिक भूमिका के तहत धन को **जमा (Deposit)** के रूप में स्वीकार करता है और उसे **ऋण (Loan)** के रूप में वितरित करता है। ऋण बैंकों की प्राथमिक परिसंपत्तियां हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

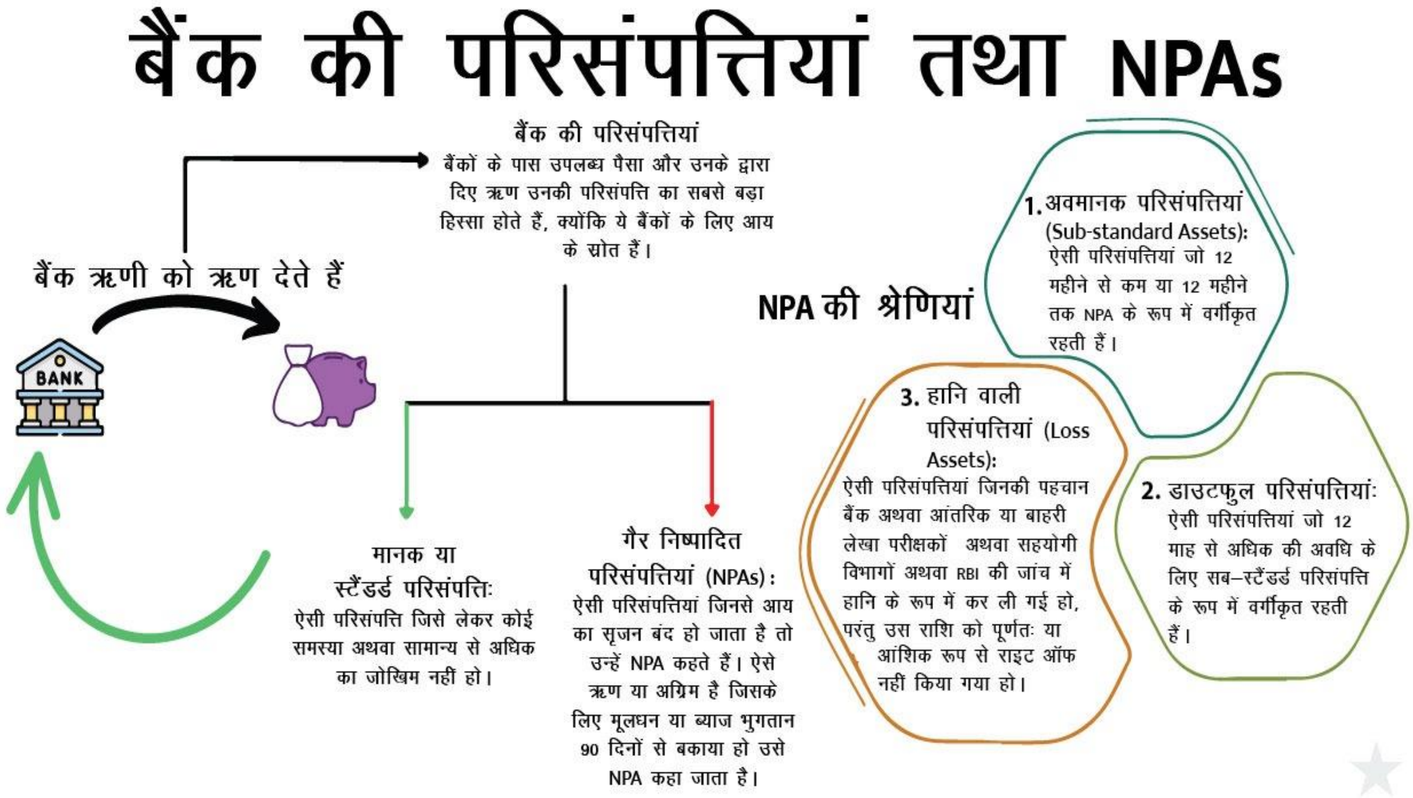
बैंक की परिसंपत्तियां तथा NPAs
बैंक की परिसंपत्तियां
बैंकों के पास उपलब्ध पैसा और उनके द्वारा दिए ऋण उनकी परिसंपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये बैंकों के लिए आय के स्रोत हैं।
बैंक ऋणी को ऋण देते हैं
BANK
मानक या स्टैंडर्ड परिसंपत्ति: ऐसी परिसंपत्ति जिसे लेकर कोई समस्या अथवा सामान्य से अधिक का जोखिम नहीं हो।
गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs): ऐसी परिसंपत्तियां जिनसे आय का सृजन बंद हो जाता है तो उन्हें NPA कहते हैं। ऐसे ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों से बकाया हो उसे NPA कहा जाता है।
NPA की श्रेणियां
1. अवमानक परिसंपत्तियां (Sub-standard Assets): ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से कम या 12 महीने तक NPA के रूप में वर्गीकृत रहती हैं।
2. डाउटफुल परिसंपत्तियां: ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 माह से अधिक की अवधि के लिए सब–स्टैंडर्ड परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत रहती हैं।
3. हानि वाली परिसंपत्तियां (Loss Assets): ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी पहचान बैंक अथवा आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों अथवा सहयोगी विभागों अथवा RBI की जांच में हानि के रूप में कर ली गई हो, परंतु उस राशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से राइट ऑफ नहीं किया गया हो।

- अतिदेय (Overdue) मानदंडों के आधार पर अगर कोई ऋण या अग्रिम (Advance) जिसके लिए **मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों (एक-तिमाही) की अवधि से नहीं** किया गया है, तो उसे **NPA** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतिदेय का अर्थ उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद भी बकाया रह जाता है।
    - **कृषि ऋणों के लिए NPA के निर्धारण के मानदंड अलग हैं।** अल्प अवधि की फसलों के लिए **2 फसल मौसम** एवं लंबी अवधि की फसलों के लिए **1 फसल मौसम** बीत जाने के बाद भी अगर ऋण (किस्त/ ब्याज) का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे NPA माना जाता है।
- NPA की अवधि और उसकी पहचान के आधार पर NPA की श्रेणी में बदलाव होता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

---

[38] Report on Trend and Progress of Banking in India 2021-2022

पुराने NPAs और बैंकिंग NPAs की वर्तमान स्थिति

वित्तीय बाजार किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाजार 2016 में भारत में गंभीर दबाव की स्थिति में थे। वर्ष 2016 तक अलग-अलग कारणों से बैंकिंग NPA 9% के स्तर तक पहुंच गया था (इन्फोग्राफिक देखें)।

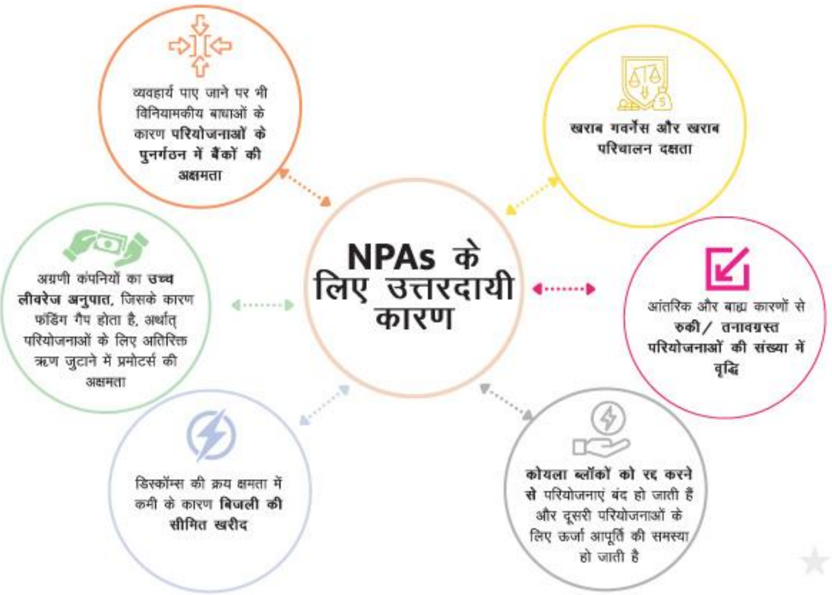
NPAs के लिए उत्तरदायी कारण
व्यवहार्य पाए जाने पर भी विनियामकीय बाधाओं के कारण परियोजनाओं के पुनर्गठन में बैंकों की अक्षमता
खराब गवर्नेंस और खराब परिचालन दक्षता
अग्रणी कंपनियों का उच्च लीवरेज अनुपात, जिसके कारण फंडिंग गैप होता है, अर्थात् परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण जुटाने में प्रमोटर्स की अक्षमता
आंतरिक और बाह्य कारणों से रुकी/ तनावग्रस्त परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि
डिस्कॉम्स की क्रय क्षमता में कमी के कारण बिजली की सीमित खरीद
कोयला ब्लॉकों को रद्द करने से परियोजनाएं बंद हो जाती हैं और दूसरी परियोजनाओं के लिए ऊर्जा आपूर्ति की समस्या हो जाती है

हालांकि पिछले कुछ वर्षों से, भारतीय बैंकिंग क्षेत्रक में निम्नलिखित सुधारों के चलते उनकी बैलेंस शीट में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है:

- **परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।** यह पुराने NPAs में कमी, परिसंपत्ति की पहचान, अपग्रेडेशन तथा राइट ऑफ आदि में अधिक पारदर्शिता के कारण संभव हुआ है। उदाहरण के लिए- पिछले 5 वित्तीय वर्षों में:
    - बैंकों ने **10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बैड लोन को राइट ऑफ कर दिया है।**
    - बैंकों ने **कुल 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वसूली की है।**
- आय में तेजी और व्यय में कमी के कारण लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। यह लाभप्रदता 2014-15 में दर्ज किए गए स्तरों तक पहुंच गई है।
    - **बैंकों की ऋण वृद्धि** 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि ब्याज वसूली वाले खर्च में गिरावट आई है।
- बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण के साथ-साथ बेहतर क्रेडिट निगरानी प्रक्रियाओं के कारण **स्लिपेज (गिरावट) में कमी** आई है।
    - **स्लिपेज** किसी ट्रेड की अपेक्षित कीमत और उस कीमत के बीच के अंतर को संदर्भित करता है जिस पर वास्तव में ट्रेड किया जाता है।
- उच्च प्रोविज़निंग, घटते सकल NPAs आदि के कारण **पूंजीगत बफ़र में भी सुधार देखने को मिला है।**

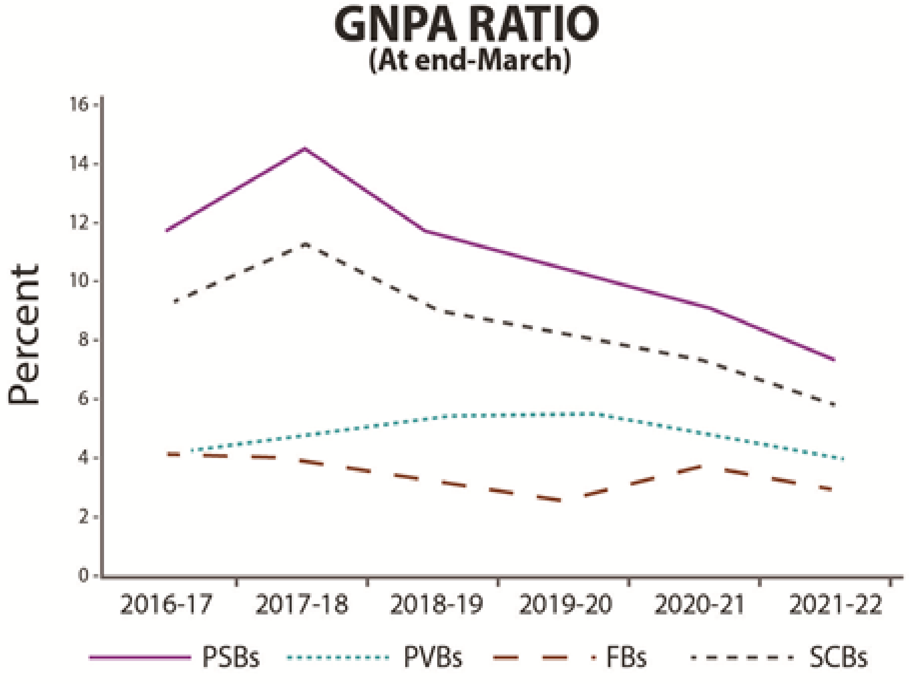

- **अन्य संकेतक भी सुदृढ़ हुए हैं,** उदाहरण के लिए- पर्याप्त तरलता, RBI की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)[39] फ्रेमवर्क के तहत आने वाले बैंकों की संख्या में कमी इत्यादि।

---

[39] Prompt Corrective Action

पुराने NPAs की समस्या को दूर करने के लिए की गई प्रमुख पहलें

- सरकार द्वारा **बैंकों का पुनर्पूंजीकरण या पूंजी के प्रवाह को बढ़ाया** गया है, ताकि **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs)** में पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।
- PSBs की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सात घटकों (ABCDEFG) वाले **इंद्रधनुष योजना** की शुरुआत की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- पिछले कुछ वर्षों में विलय के जरिए **PSBs का समेकन (Consolidation of PSBs)** किया गया है।
- पुराने NPAs का समाधान करने और बैंक बही खातों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए **नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)** तथा **इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL)** की स्थापना की गई है।

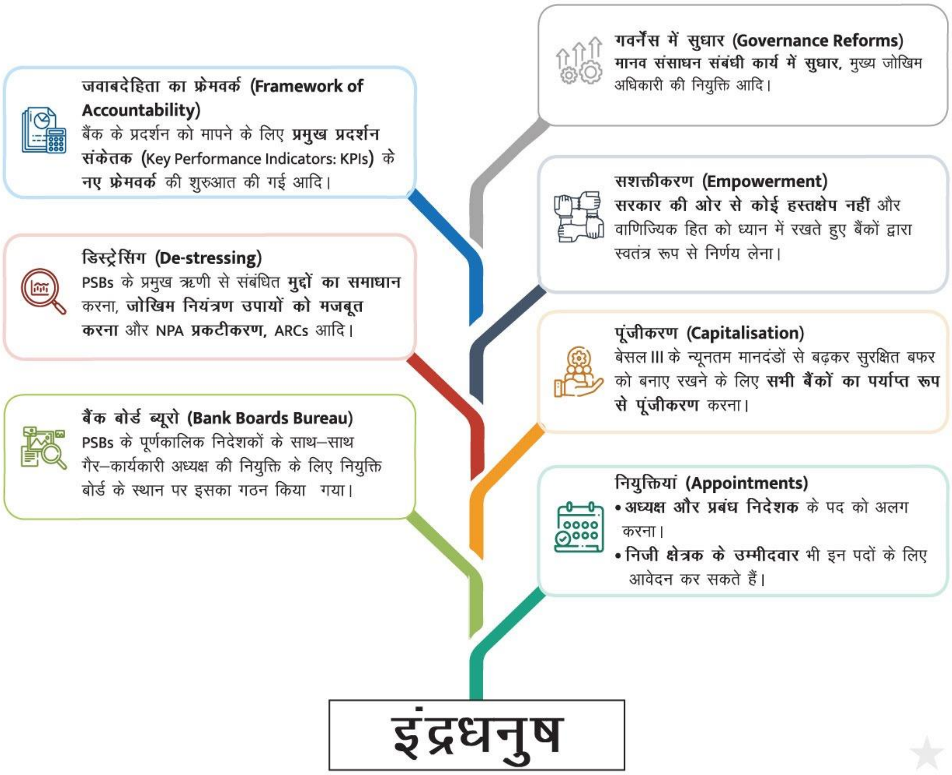

गवर्नेंस में सुधार (Governance Reforms)
मानव संसाधन संबंधी कार्य में सुधार, मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति आदि।

जवाबदेहिता का फ्रेमवर्क (Framework of Accountability)
बैंक के प्रदर्शन को मापने के लिए **प्रमुख प्रदर्शन संकेतक** (Key Performance Indicators: KPIs) के **नए फ्रेमवर्क** की शुरुआत की गई आदि।

सशक्तीकरण (Empowerment)
सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं और वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना।

डिस्ट्रेसिंग (De-stressing)
PSBs के प्रमुख ऋणी से संबंधित **मुद्दों का समाधान** करना, **जोखिम नियंत्रण उपायों को मजबूत करना** और NPA **प्रकटीकरण,** ARCs आदि।

पूंजीकरण (Capitalisation)
बेसल III के न्यूनतम मानदंडों से बढ़कर सुरक्षित बफर को बनाए रखने के लिए **सभी बैंकों का पर्याप्त रूप से पूंजीकरण** करना।

बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank Boards Bureau)
PSBs के पूर्णकालिक निदेशकों के साथ–साथ गैर–कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति बोर्ड के स्थान पर इसका गठन किया गया।

नियुक्तियां (Appointments)
- **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक** के पद को अलग करना।
- **निजी क्षेत्रक के उम्मीदवार** भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इंद्रधनुष

- **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016** के जरिए वित्तीय तनाव वाले कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान[40] के लिए एक समयबद्ध बाजार तंत्र की शुरुआत की गई है।
    - यह ऑपरेशनल ऋणदाताओं को **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया** (CIRP)[41] के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाता है।
    - **प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रॉसेस (PPIRP)** शुरू करने के लिए IBC में संशोधन भी किया गया है। इसका उद्देश्य MSMEs के लिए एक वैकल्पिक और त्वरित समाधान तंत्र उपलब्ध कराना है।
- स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से PSBs के लिए **EASE[42] सुधारों को लॉन्च** किया गया है।
- नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं या बिजनेस मॉडल आदि के लिए RBI की ओर से **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स** की शुरुआत की गई है।

मौजूदा और उभरती हुई चिंताएं

- निरंतर बने हुए भू-राजनीतिक जोखिमों, कोविड-19, आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली समस्याओं आदि के कारण वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति देखी जा रही है।
    - यह **वैश्विक संवृद्धि** और **व्यापार दृष्टिकोण** को विकृत कर रहा है। साथ ही, मंदी से संबंधित चिंताओं में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- समकालिक मौद्रिक नीति के कठोर होने के कारण **उधार लेने की लागत बढ़** रही है।
- **IBC फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता घट रही है।** उदाहरण के लिए-
    - रेज़ोल्यूशन संबंधी आवेदन को स्वीकार करने के साथ-साथ अंतिम रेज़ोल्यूशन (समाधान) और लिक्विडेशन (समापन) में लगने वाले **समय में लगातार वृद्धि** हुई है।

---

[40] Reorganization and Insolvency resolution

[41] Corporate Insolvency Resolution Process

[42] Enhanced Access and Service Excellence / अधिक पहुंच और सेवा उत्कृष्टता

    - स्वीकार किए गए दावों की तुलना में **वसूली (Recovery) की दर में गिरावट** आई है।
    - **संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs)**[43] को की जाने वाली बिक्री पिछले कुछ वर्षों में **धीरे-धीरे कम** हुई है। 2021-22 में, पिछले वर्ष के GNPA का केवल 3.2% हिस्सा ARCs को बेचा गया था।
- **वर्ष 2015** से कुल ऋण में **असुरक्षित ऋण की हिस्सेदारी बढ़ी** है।
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विफलताओं और कमजोरियों का जोखिम** यथावत बना हुआ है।

आगे की राह

चूंकि बैंक, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह होते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि इनकी स्थिति हमेशा बेहतर बनी रहे। हालांकि, भारत जैसी **उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs)**[44] **में पूंजी के बहिर्वाह, मुद्रा अवमूल्यन** और **आरक्षित निधियों में कमी**[45] जैसे मुद्दों को उपर्युक्त चिंताओं के साथ जोड़ कर देखा जाए, तो पता चलता है कि वित्तीय प्रणालियों के लिए नकारात्मक जोखिम अभी भी उच्च बने हुए हैं। इसलिए ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए उचित सावधानी और ऋण मूल्यांकन के मजबूत तंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा, अच्छी परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर काम करना चाहिए:

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (Stressed assets) के समयबद्ध समाधान के लिए **IBC फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता में सुधार** करने की आवश्यकता है। यह परिसंपत्तियों की कीमत में होने वाली कमी को रोकने में भी मदद करता है।
- PSBs और निजी क्षेत्रक के बैंकों के बीच **कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का एकीकरण** आवश्यक है।
    - एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, निजी बैंकों के 3.3% की तुलना में PSBs का GNPA 6.5% था।
- संभावित प्रणालीगत जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए **प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग** करने की आवश्यकता है। इसके लिए बिग डेटा के साथ-साथ पर्यवेक्षी इंटेलिजेंस (Supervisory intelligence) की सहायता ली जा सकती है।
    - उदाहरण के लिए- विनियमित संस्थाओं द्वारा स्वचालित डेटा रिपोर्टिंग के लिए **केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली (CIMS)**[46] का क्रियान्वयन किया जा सकता है।
    - बैंक अपने ऋण हेतु **फ्रॉड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स डैशबोर्ड** जैसे नवाचारों को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI/ ML) का भी उपयोग कर सकते हैं।
- RBI के साथ-साथ अन्य वित्तीय विनियामकों द्वारा समग्र रूप से मजबूत सतर्कता के साथ पुनर्गठित परिसंपत्तियों में **स्लिपेज की निगरानी** की जानी चाहिए। साथ ही, जब भी आवश्यक हो, सामयिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना चाहिए।

NPA के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे “वीकली फोकस” डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) - ‘संकट’ से ‘उत्प्रेरक’ तक

भारत में NPA संकट कई कमजोरियों जैसे कि खराब क्रेडिट निगरानी, शासन के मुद्दों और सीमित पूंजी उपलब्धता के चलते बना रहा है। इस समस्या को ‘4R रणनीति' की सहायता से हल करने का प्रयास किया गया है। साथ ही, NPA समस्या यह भी इंगित करती है कि इसमें बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों का मार्गदर्शन करने वाला एक संकेतक होने की क्षमता है।

---

[43] Asset Reconstruction Companies

[44] Emerging Market Economies

[45] Capital outflows, currency depreciations and reserve losses

[46] Centralized Information and Management System

3.2. डिजिटल ऋण (Digital Lending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डिजिटल ऋण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

RBI ने सितंबर 2022 में डिजिटल ऋण पर दिशा-निर्देश जारी किए थे। RBI ने डिजिटल ऋण प्रदाताओं को मौजूदा ऋणों पर दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए 30 नवंबर, 2022 तक का समय दिया था।

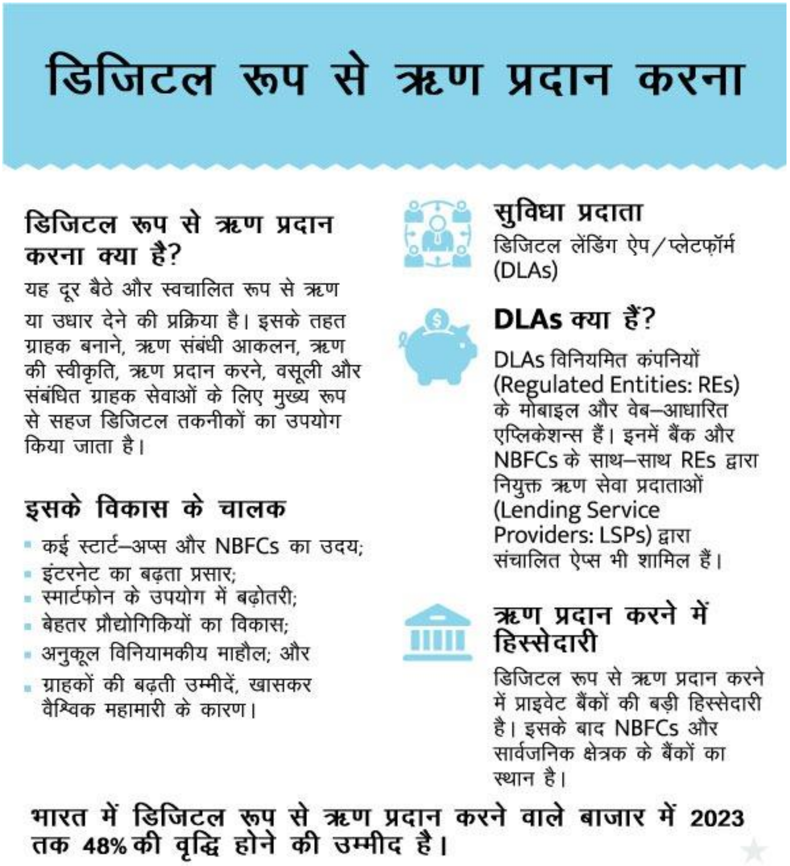

डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करना

डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करना क्या है?

यह दूर बैठे और स्वचालित रूप से ऋण या उधार देने की प्रक्रिया है। इसके तहत ग्राहक बनाने, ऋण संबंधी आकलन, ऋण की स्वीकृति, ऋण प्रदान करने, वसूली और संबंधित ग्राहक सेवाओं के लिए मुख्य रूप से सहज डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

इसके विकास के चालक

- कई स्टार्ट–अप्स और NBFCs का उदय;
- इंटरनेट का बढ़ता प्रसार;
- स्मार्टफोन के उपयोग में बढ़ोतरी;
- बेहतर प्रौद्योगिकियों का विकास;
- अनुकूल विनियामकीय माहौल; और
- ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदें, खासकर वैश्विक महामारी के कारण।

सुविधा प्रदाता

डिजिटल लेंडिंग ऐप/प्लेटफ़ॉर्म (DLAs)

DLAs क्या हैं?

DLAs विनियमित कंपनियों (Regulated Entities: REs) के मोबाइल और वेब–आधारित एप्लिकेशन्स हैं। इनमें बैंक और NBFCs के साथ–साथ REs द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाताओं (Lending Service Providers: LSPs) द्वारा संचालित ऐप्स भी शामिल हैं।

ऋण प्रदान करने में हिस्सेदारी

डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने में प्राइवेट बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद NBFCs और सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों का स्थान है।

भारत में डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने वाले बाजार में 2023 तक 48% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों?

- **अवैध रूप से ऋण देने वाले ऐप की संख्या में वृद्धि:** महामारी के कारण कई लोगों के सामने वित्तीय असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक लोगों की पहुंच सीमित हो गई थी। इसलिए भारतीय ग्राहक अपनी जरूरतों के लिए डिजिटल ऋणदाताओं की ओर रुख करने लगे। इसके परिणामस्वरूप कई फर्जी और अवैध ऋण देने वाले ऐप अस्तित्व में आ गए।
    - RBI ने 2021 में ऋण देने वाले अनेक अवैध ऐप की पहचान की थी। इनकी संख्या 600 से अधिक थी। यह संख्या भारत में ऋण देने वाले कुल ऐप के आधे से अधिक है।
- **डेटा गोपनीयता को लेकर चिंता:** फिनटेक NBFC[47] ऋणदाता **वैकल्पिक क्रेडिट मॉडल** बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे ग्राहकों की खरीदारी और खर्च करने के पैटर्न के विश्लेषण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स आदि तकनीकों को अपना रहे हैं।
- **गैर-विनियमित संस्थाएं:** टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर और मार्केटप्लेस एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म लेंडिंग या 'लोन सर्विस प्रोवाइडर' (LSP) मॉडल अपना रहे हैं। इसमें बैंक और NBFCs बैकेंड में रहते हुए ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। हालांकि, इस 'रेंट-ऐन-NBFC (Rent-an-NBFC)' मॉडल में जोखिम की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये संस्थाएं RBI के नियमन के दायरे में नहीं आती हैं।

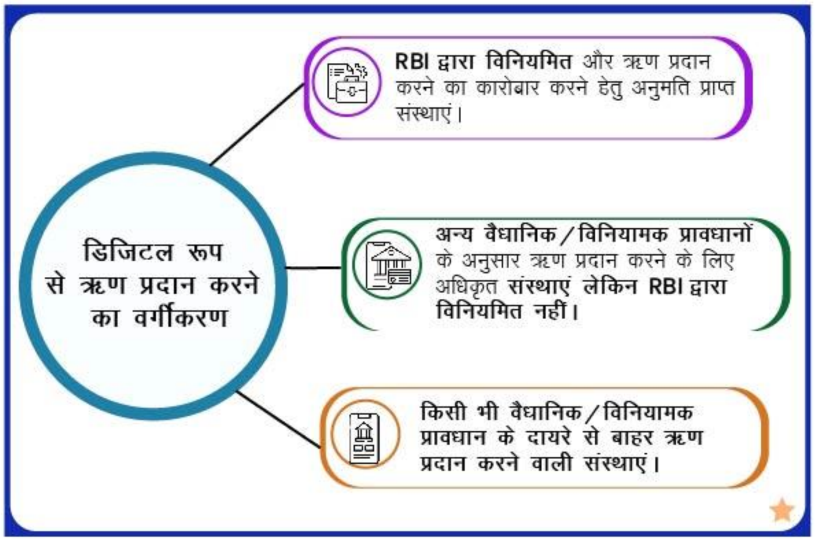

डिजिटल रूप से ऋण प्रदान करने का वर्गीकरण

RBI द्वारा विनियमित और ऋण प्रदान करने का कारोबार करने हेतु अनुमति प्राप्त संस्थाएं।

अन्य वैधानिक/विनियामक प्रावधानों के अनुसार ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत **संस्थाएं लेकिन RBI द्वारा विनियमित नहीं।**

किसी भी वैधानिक/विनियामक प्रावधान के दायरे से बाहर ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं।

- **गैर-सूचीबद्ध उत्पाद (Unreported products):** हाल के दिनों में, कई नए उत्पादों, जैसे- "बाय नाउ पे लेटर (BNPL)" आदि का विकास हुआ है। ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को नहीं दी जाती है, क्योंकि वे 'क्रेडिट' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

---

[47] Non-Banking Financial Company/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

    - BNPL पॉइंट ऑफ़ सेल का एक रूप है जहां उपभोक्ताओं/ खरीदारों को भुगतान करने के लिए आमतौर पर 15-30 दिन की ब्याज मुक्त अवधि प्रदान की जाती है।
- **क्रिप्टो ऋण में वृद्धि:** ऋण देने वाले **DeFi** (Decentralized Finance/ विकेंद्रीकृत वित्त) **प्लेटफॉर्म** क्रिप्टो एसेट्स का उपयोग करके ऋण देने और ऋण लेने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये किसी भी नियामकीय ढांचे की अनुपस्थिति में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

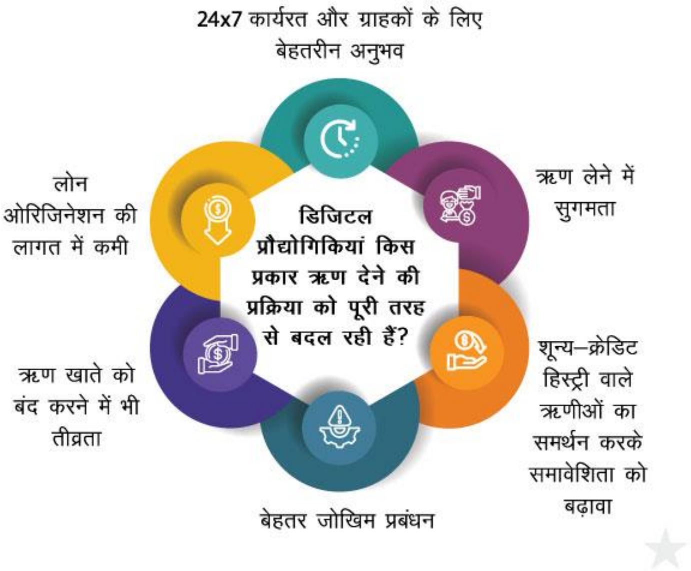
24x7 कार्यरत और ग्राहकों के लिए बेहतरीन अनुभव
ऋण लेने में सुगमता
शून्य–क्रेडिट हिस्ट्री वाले ऋणीओं का समर्थन करके समावेशिता को बढ़ावा
बेहतर जोखिम प्रबंधन
ऋण खाते को बंद करने में भी तीव्रता
लोन ओरिजिनेशन की लागत में कमी
डिजिटल प्रौद्योगिकियां किस प्रकार ऋण देने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल रही हैं?

डिजिटल ऋण से संबंधित दिशा-निर्देश

- **किन संस्थानों पर लागू होंगे:** ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले डिजिटल ऋण पर लागू होंगे:
    - सभी वाणिज्यिक बैंक
    - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
    - राज्य सहकारी बैंक
    - जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
    - NBFCs, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं

मुख्य प्रावधान

मानदंड	दिशा-निर्देश
ग्राहक सुरक्षा और आचरण संबंधी आवश्यकताएं (Customer Protection and Conduct requirements)	• **ऋण देना, सर्विसिंग और पुनर्भुगतान:** सभी ऋण सर्विसिंग, **पुनर्भुगतान** आदि ऋणी (उधारकर्ता) द्वारा सीधे विनियमित संस्थाओं (REs)[48] के बैंक खाते में संपन्न किए जाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष के **पास-थ्रू अकाउंट/ पूल अकाउंट** को शामिल नहीं किया जाएगा। • **क्रेडिट सीमा:** ऋणी की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में कोई भी स्वचालित वृद्धि नहीं हो सकती है। • **फीस, चार्ज आदि का संग्रह:** LSPs को देय किसी भी फीस, चार्ज आदि का भुगतान सीधे REs द्वारा किया जाएगा, न कि ऋणी द्वारा। • **ऋणी के लिए प्रकटीकरण:** REs सभी डिजिटल उत्पादों से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से पहले ऋणी को एक **महत्वपूर्ण तथ्य विवरण (KFS)**[49] प्रदान करेंगे। ○ KFS में डिजिटल ऋणों से संबंधित सभी लागत (All-inclusive Cost) का विवरण शामिल होता है। इसमें वार्षिक प्रतिशत दर (APR)[50], वसूली तंत्र, नामित शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग-ऑफ/ लॉक-अप पीरियड आदि का विवरण होता है। • **शिकायत निवारण:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSPs के पास एक नोडल शिकायत निवारण अधिकारी हो। इस अधिकारी का कार्य फिनटेक/ डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों/ ऋणी द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटना होगा। • बैंक द्वारा 30 दिनों के भीतर ऋणी की शिकायत का समाधान करना होगा। समाधान नहीं होने की स्थिति में, ऋणी RBI की एकीकृत लोकपाल योजना[51] के तहत CMS[52] पोर्टल पर शिकायत कर सकेंगे।
प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएं (Technology and Data	• **डेटा का संग्रह, उपयोग और किसी तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझाकरण:** डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs)[53] द्वारा डेटा का संग्रह आवश्यकता-आधारित होना चाहिए। साथ ही, यह ऑडिट ट्रेल वाले ऋणी की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ किया जाना चाहिए। ○ किसी तीसरे पक्ष के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले ऋणी की स्पष्ट सहमति ली जाएगी।

---

[48] Regulated Entities

[49] Key Fact Statement

[50] Annual Percentage Rate

[51] Integrated Ombudsman Scheme

[52] Complaint Management System / शिकायत प्रबंधन प्रणाली

[53] Digital Lending Apps

Requirement)	• **डेटा का भंडारण:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि: ○ REs से संबद्ध LSPs/ DLAs कुछ बुनियादी न्यूनतम डेटा को छोड़कर ऋणी की व्यक्तिगत जानकारी को भंडारित न करें। उदाहरण के लिए- नाम, पता, ग्राहक का कॉन्टैक्ट डिटेल आदि। ○ DLAs से जुड़े सिस्टम में कोई बायोमेट्रिक डेटा भंडारित/ एकत्रित नहीं किया जाए। ○ संपूर्ण डेटा केवल भारत के भीतर स्थित सर्वरों में भंडारित हो। ○ ऋणी को ग्राहक डेटा के भंडारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। • **व्यापक गोपनीयता नीति:** REs डेटा गोपनीयता और ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। • **प्रौद्योगिकी मानक:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि वे और उनसे संबद्ध LSPs भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा पर अलग-अलग प्रौद्योगिकी मानकों/ आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
विनियामकीय ढांचा (Regulatory Framework)	• **ऋणों की रिपोर्टिंग:** REs को यह सुनिश्चित करना होगा कि DLAs के माध्यम से दिए गए किसी भी ऋण की सूचना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ (CICs) को दी जाए, भले ही इसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो। • 'BNPL' मॉडल के जरिए ऋण देने की सूचना भी CICs को दी जानी चाहिए। • **कूलिंग ऑफ/ लॉक-अप पीरियड:** एक ऋणी को कूलिंग ऑफ पीरियड (RE के बोर्ड द्वारा निर्धारित) के दौरान बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक APR का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का एक स्पष्ट विकल्प दिया जाएगा। • **LSPs के संबंध में उचित सावधानी और अन्य आवश्यकताएं:** REs को डिजिटल ऋण देने के लिए LSP के साथ साझेदारी करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, उनके द्वारा नियुक्त LSP के आचरण की आवधिक समीक्षा भी की जानी चाहिए।

दिशा-निर्देशों से संबंधित मुद्दे

- **व्यावसायिक प्रभाव (Business impact):** डिजिटल ऋण देने संबंधी मानदंडों के कारण कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में फिनटेक के लिए अनुपालन लागत, परिचालन तीव्रता और व्यवधानों[54] में वृद्धि हुई है।
- **फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) पर स्पष्टता का अभाव:** FLDG एक फिनटेक और एक विनियमित इकाई के बीच एक लेंडिंग मॉडल है। इसमें कोई तीसरा पक्ष विनियमित संस्थाओं (REs) के ऋण पोर्टफोलियो में डिफ़ॉल्ट के एक निश्चित प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है।
    - वर्तमान में, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन साझेदारियों के संबंध में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।
- **बैंकों और फिनटेक के बीच सहयोग से जुड़ी चुनौतियां:** तकनीकी आधार पर बैंक, NBFCs और फिनटेक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। साझा-ऋण देने के लिए बैंकों और फिनटेक के सिस्टम को एक-दूसरे के अनुरूप बनाना होगा। इनकी एकीकरण की प्रक्रिया में भी समय लगता है।

संबंधित सुर्खियां

RBI ने अपने प्रतिभूतिकरण दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है

- नए मानदंडों के तहत, RBI ने **ऋणदाताओं को 365 दिनों से कम समय में परिपक्व होने वाले ऋणों का प्रतिभूतिकरण करने से प्रतिबंधित किया है।**
    - इनमें **लघु अवधि के ऋण,** जैसे- MFIs, गोल्ड ऋण और अल्पकालिक व्यक्तिगत एवं कंज्यूमर ड्यूरेबल ऋण शामिल हैं।
- प्रतिभूतिकरण के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों को विपणन-योग्य प्रतिभूतियों (Marketable securities) में बदला जाता है। साथ ही, उसी रूप में उनकी रीपैकेजिंग इस प्रकार से की जाती है कि उन्हें निवेशकों को बेचा जा सके।
- **प्रतिभूतिकरण बाजार का प्राथमिक उद्देश्य:** यह **क्रेडिट जोखिम को इसके प्रवर्तकों (Originators) से स्थानांतरित करके** ऐसे निवेशकों के एक विस्तृत पटल पर पुनर्वितरित करता है जो जोखिम वहन करने में सक्षम हों।
    - इस प्रकार **वित्तीय स्थिरता बनाए रखने** और **फंडिंग का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने** में मदद मिलती है।

आगे की राह

- **यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता** है कि RE और गैर-RE के बीच FLDG व्यवस्था की अनुमति है या नहीं। ये **विशिष्ट दिशा-निर्देश जोखिम साझाकरण की सीमा** के लिए भी आवश्यक होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फिनटेक क्रेडिट मांग को पूरा कर रहे हैं, विशेषरूप से आश्रित उधारकर्ताओं (ऋणी) की ऋण मांग को। ऐसा करते हुए फिनटेक नियामक दिशा-निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। ध्यातव्य है कि सूक्ष्म और लघु व्यवसाय आदि आश्रित ऋणी की श्रेणी में आते हैं।

---

[54] Compliance costs, operational intensity and disruptions

- **फिनटेक और NBFCs** को RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने से बचने के लिए **मजबूत तकनीक, डेटा तथा सुरक्षा अवसंरचना में निवेश करना चाहिए।**
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP)[55] विधेयक लाए जाने के बाद **डेटा विनियम तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल और कठोर हो सकते हैं। इसलिए ऋणदाताओं की ओर से इसका सख्त अनुपालन आवश्यक है।**

निष्कर्ष

उपर्युक्त सिफारिशें निश्चित रूप से आवश्यक विनियामकीय देख-रेख को बढ़ावा देंगी। इससे डिजिटल ऋण के क्षेत्र में ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और अधिक पारदर्शिता लाई जा सकेगी। यह तेजी से बढ़ते डिजिटल ऋण क्षेत्रक के लिए मध्यम-से-दीर्घावधि में एक व्यापक ढांचा और प्रगतिशील नियामकीय वातावरण उपलब्ध कराएगा।

3.3. शहरी सहकारी बैंकों का पुनर्वर्गीकरण (Re-Categorization of Urban Cooperative Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs)[56] के वर्गीकरण के लिए **चार स्तरीय विनियामकीय ढांचे की घोषणा** की है।

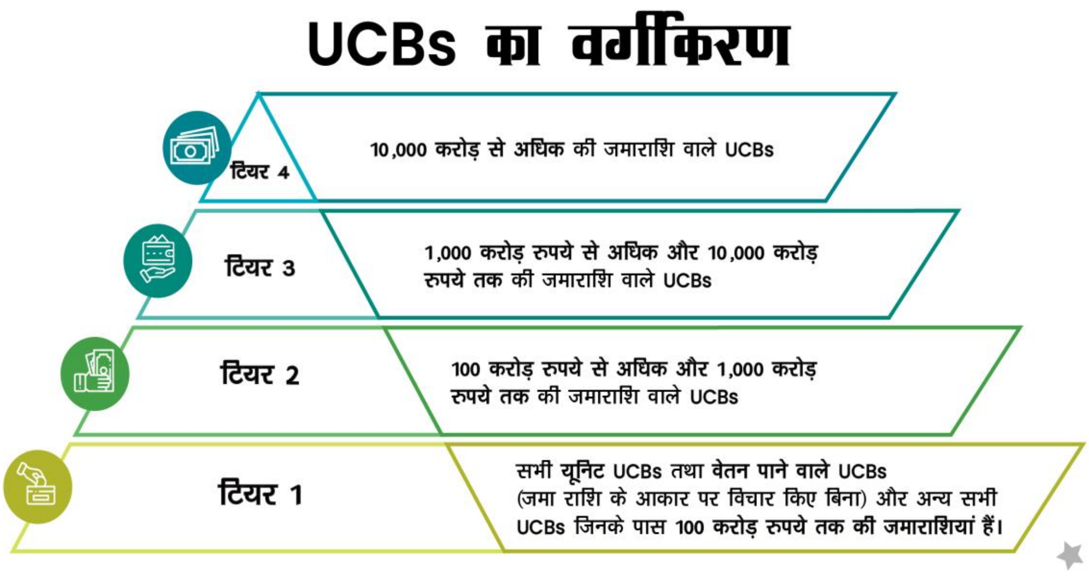

UCBs का वर्गीकरण

टियर 4: 10,000 करोड़ से अधिक की जमाराशि वाले UCBs

टियर 3: 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये तक की जमाराशि वाले UCBs

टियर 2: 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये तक की जमाराशि वाले UCBs

टियर 1: सभी यूनिट UCBs तथा वेतन पाने वाले UCBs (जमा राशि के आकार पर विचार किए बिना) और अन्य सभी UCBs जिनके पास 100 करोड़ रुपये तक की जमाराशियां हैं।

नए विनियामकीय ढांचे से संबंधित तथ्य

- UCBs की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए **UCBs पर गठित विशेषज्ञ समिति** द्वारा इस ढांचे की सिफारिश की गई थी।
    - मौजूदा विनियामकीय ढांचे में UCBs को दो स्तरों- टियर-1 और टियर-2 में वर्गीकृत किया गया है।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2021 में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर **श्री एन. एस. विश्वनाथन** की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था।
    - समिति ने **UCBs क्षेत्रक में समस्याओं की जांच की और इस क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए विनियामकीय/ पर्यवेक्षी दृष्टिकोण[57] की समीक्षा** की।
- चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचा **बैंकों की जमा राशि के आकार पर** आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **संशोधित विनियामकीय ढांचा**

नेट वर्थ (Net Worth)	• **एक ही जिले में संचालित** टियर-1 UCBs की **न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़** रुपये होनी चाहिए। • **अन्य सभी टियर के UCBs की न्यूनतम नेट वर्थ 5 करोड़ रुपये** होनी चाहिए। • जो UCBs वर्तमान में उपर्युक्त **न्यूनतम नेट वर्थ** के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम नेट वर्थ प्राप्त करनी होगी।

---

[55] Personal Data Protection

[56] Urban Cooperative Banks

[57] Regulatory/ Supervisory approach

जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (Capital to Risk Weighted Assets Ratio: CRAR)	• **टियर-1** UCBs के लिए **न्यूनतम CRAR को उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) के 9%** पर बरकरार रखा गया है। • **टियर-2 से टियर-4 के UCBs** के लिए इसे संशोधित कर **12%** कर दिया गया है, ताकि उनकी पूंजी संरचना को मजबूत किया जा सके। • टियर-2 से टियर-4 के UCBs, जो वर्तमान में RWAs के 12 प्रतिशत के संशोधित CRAR मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करना होगा।
आर्थिक रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (Financially Sound and Well Managed: FSWM)	• **FSWM का दर्जा** निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंड निम्नलिखित हैं: ○ **3% से अधिक का निवल NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) नहीं होना चाहिए।** ○ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान **CRR/ SLR मानदंडों के अनुपालन में कोई चूक न** हुई हो। ▪ **CRR- नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)**; तथा ▪ **SLR- सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)।** ○ **आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत** होनी चाहिए और बोर्ड में कम-से-कम दो पेशेवर निदेशक होने चाहिए। ○ **कोर बैंकिंग सौल्यूशन (CBS)** पूरी तरह से लागू होना चाहिए।

- **किस पर लागू होगा:** यह ढांचा **सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों** पर लागू होगा।
- **औचित्य:** यह UCBs के बीच मौजूद विशाल विषमता को दूर करने में सहायक होगा।

UCBs, यूनिवर्सल बैंक (UNBs), लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks: SFBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs) के लिए विनियामकीय ढांचों की तुलना

विवेकपूर्ण मानदंड/ विनियामकीय मंजूरी	**UCBs**	**UNBs**	**SFBs**	**RRBs**
पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy)	**बेसल I** मानदंडों के तहत, पूंजी को बनाए रखने का आधार केवल ऋण जोखिम होना चाहिए।	**बेसल III** मानदंडों के तहत, पूंजी को बनाए रखने का आधार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम होना चाहिए।	**बेसल II** मानदंडों के तहत, पूंजी को बनाए रखने का आधार केवल ऋण जोखिम होना चाहिए।	पूंजी को **बेसल I** मानदंडों के तहत बनाए रखा जाना चाहिए।
नए ब्रांच खोलना और एक्सटेंशन काउंटर	ऐसे UCBs जो FSWM मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें **स्वचालित मार्ग** के तहत नई ब्रांच खोलने की अनुमति है।	स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत, लेकिन शर्तों के अधीन।	स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत, लेकिन शर्तों के अधीन।	स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत, लेकिन शर्तों के अधीन।
संचालन के क्षेत्र का विस्तार (Extension of area of operation)	पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत	लागू नहीं है। संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है।	लागू नहीं है। संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है।	RRBs के संचालन का क्षेत्र निर्धारित है।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (Priority Sector Lending: PSL) हेतु लक्ष्य	31 मार्च, 2024 तक **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का 75 प्रतिशत** हासिल किया जाना है।	ANBC का 40 प्रतिशत	ANBC का 75 प्रतिशत	ANBC का 75 प्रतिशत
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना	पूर्व अनुमोदन मार्ग निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले UCBs आवेदन के लिए पात्र हैं।	पूर्व अनुमोदन मार्ग संचालन शुरू होने के बाद सभी नए SCBs आवेदन के लिए पात्र हैं।	पूर्व अनुमोदन मार्ग संचालन शुरू होने के बाद सभी नए SFBs आवेदन के लिए पात्र हैं।	पूर्व अनुमोदन मार्ग नाबार्ड (NABARD) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर RBI द्वारा नए समामेलित (सम्मिश्रित) RRBs को इसमें शामिल किया जाता है।

सहकारी बैंकों के बारे में

- सहकारी बैंक **सहकारी आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं** हैं। ये **अपने सदस्यों से जुड़े** होते है। इसका अर्थ यह है कि **सहकारी बैंक के ग्राहक उसके मालिक भी** होते हैं।
- **पंजीकरण:** UCBs मुख्य रूप से सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन्हें संबंधित राज्य के **राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम** के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया जाता है। यदि इनके संचालन का क्षेत्र किसी राज्य की सीमाओं से आगे तक फैला हो, तो इन्हें **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत पंजीकृत किया जाता है।
- **UCBs का विनियमन:** इसका विनियमन RBI और केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि, **लघु सहकारी बैंकों** का विनियमन **नाबार्ड (NABARD)**[58] और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- ये RBI के दो कानूनों, अर्थात् **बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949** और **बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1955** के तहत विनियामकीय दायरे में आते हैं।
- शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंक RBI की सीधी निगरानी में होते हैं।

UCBs के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम में हालिया संशोधन ने UCBs के मामले में RBI को अधिक विनियामकीय शक्तियां प्रदान की हैं। इसके द्वारा सहकारी बैंकों के प्रबंधन/ गवर्नेंस, लेखापरीक्षा, पुनर्गठन (Reconstructions)/ समामेलन (Amalgamation), समापन आदि को RBI के दायरे में लाया गया है। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के प्रबंधन की गुणवत्ता और उनके सहकारी गवर्नेंस के मानकों में सुधार करना है।
    - इससे पहले, किसी UCB के बैंकिंग संबंधी कार्यों को RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता था। साथ ही, गठन, प्रबंधन, लेखापरीक्षा और समापन की शक्तियां संबंधित सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा शासित होती थीं।
- **सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF):** इसके तहत कुछ

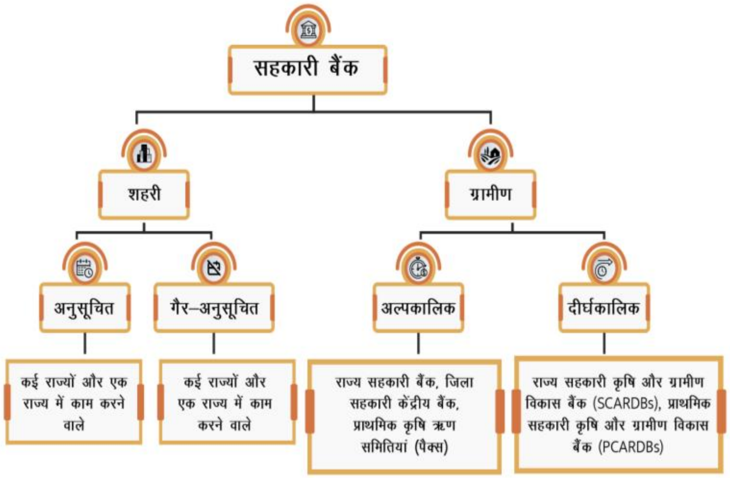
सहकारी बैंक
शहरी
ग्रामीण
अनुसूचित
गैर–अनुसूचित
अल्पकालिक
दीर्घकालिक
कई राज्यों और एक राज्य में काम करने वाले
कई राज्यों और एक राज्य में काम करने वाले
राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs)

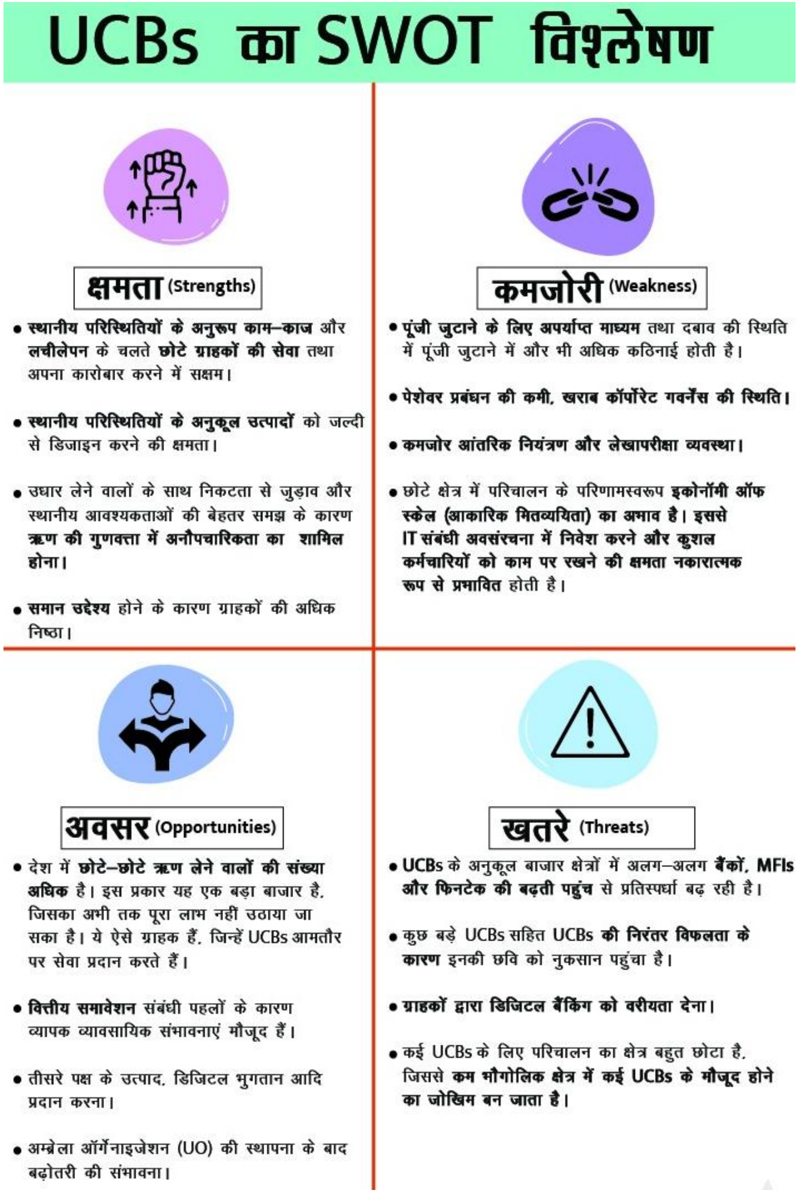
UCBs का SWOT विश्लेषण

क्षमता (Strengths)

- **स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप काम–काज** और **लचीलेपन** के चलते **छोटे ग्राहकों की सेवा** तथा अपना कारोबार करने में सक्षम।
- **स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उत्पादों** को जल्दी से डिजाइन करने की क्षमता।
- उधार लेने वालों के साथ निकटता से जुड़ाव और स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर समझ के कारण **ऋण की गुणवत्ता में अनौपचारिकता का शामिल होना।**
- **समान उद्देश्य** होने के कारण ग्राहकों की अधिक निष्ठा।

कमजोरी (Weakness)

- **पूंजी जुटाने के लिए अपर्याप्त माध्यम** तथा दबाव की स्थिति में पूंजी जुटाने में और भी अधिक कठिनाई होती है।
- **पेशेवर प्रबंधन की कमी, खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति।**
- **कमजोर आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा व्यवस्था।**
- छोटे क्षेत्र में परिचालन के परिणामस्वरूप **इकोनॉमी ऑफ स्केल (आकारिक मितव्ययिता) का अभाव है। इससे IT संबंधी अवसंरचना में निवेश करने और कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित** होती है।

अवसर (Opportunities)

- देश में **छोटे–छोटे ऋण लेने वालों की संख्या अधिक** है। इस प्रकार यह एक बड़ा बाजार है, जिसका अभी तक पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है। ये ऐसे ग्राहक हैं, जिन्हें UCBs आमतौर पर सेवा प्रदान करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन** संबंधी पहलों के कारण व्यापक व्यावसायिक संभावनाएं मौजूद हैं।
- तीसरे पक्ष के उत्पाद, डिजिटल भुगतान आदि प्रदान करना।
- अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन (UO) की स्थापना के बाद बढ़ोतरी की संभावना।

खतरे (Threats)

- UCBs के अनुकूल बाजार क्षेत्रों में अलग–अलग **बैंकों, MFIs और फिनटेक की बढ़ती पहुंच** से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
- कुछ बड़े UCBs सहित UCBs **की निरंतर विफलता के कारण** इनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।
- **ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग को वरीयता देना।**
- कई UCBs के लिए परिचालन का क्षेत्र बहुत छोटा है, जिससे **कम भौगोलिक क्षेत्र में कई UCBs के मौजूद होने का जोखिम बन जाता है।**

---

[58] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ National Bank for Agriculture and Rural Development

UCBs द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय तनाव का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

  - यह कदम **पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक** में कथित अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जिससे 9 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को परेशानी हुई थी।
  - SAF **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)**[59] ढांचे के समान है जिसे वाणिज्यिक बैंकों पर लागू किया जाता है।
- **अम्ब्रेला संगठन (Umbrella Organisation: UO):** RBI ने UCBs क्षेत्रक के लिए एक UO की स्थापना हेतु विनियामकीय अनुमोदन प्रदान किया है।
  - UO लघु UCBs के लिए एक स्व-विनियामक निकाय के रूप में कार्य कर सकता है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये की पेड-अप कैपिटल (प्रदत्त पूंजी) होगी और जरूरत पड़ने पर UCBs को क्रॉस लिक्विडिटी तथा पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी।
- **अन्य महत्वपूर्ण कदम:**
  - विनियामक नीतियों के समन्वय की सुविधा के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है। साथ ही, UCBs के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और क्षमता निर्माण पहलों का एक व्यापक समूह प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए दक्षता प्राप्त करने हेतु उपाय किए गए हैं।
  - प्राथमिक शहरी बैंकों के प्रबंध निदेशकों (MDs) और पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs)[60] के लिए **शैक्षिक योग्यता तथा 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड**[61] निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, सांसदों और विधायकों को इन पदों को प्राप्त करने से रोकने का भी प्रावधान किया गया है।
  - **SFBs में स्वैच्छिक रूपांतरण (Voluntary Transition into SFBs):** पात्र UCBs को स्वेच्छा से SFBs में रूपांतरित होने में सक्षम बनाने के लिए एक योजना आरंभ की गई है। यह योजना UCBs पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (2015) की सिफारिश के आधार पर आरंभ की गई है।
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme for MSMEs):** इसे MSMEs के लिए ब्याज अनुदान योजना-2018 के तहत, UCBs को पात्र ऋणदाता संस्थान के रूप में शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत UCBs को वाणिज्यिक बैंकों के समान ही माना जाएगा।
  - **प्रबंधन बोर्ड का गठन {Constitution of Board of Management (BoM)}:** RBI ने गवर्नेंस की गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि वाले UCBs में BoM के गठन पर दिशा-निर्देश दिए हैं।
  - **ग्राहक संरक्षण:** अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की देयता (Liability) सीमित की गई है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के साथ समता लाई जा सके।

3.4. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 {Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया गया।

सहकारी समितियों के बारे में

- सहकारी समिति समान जरूरतों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ होती है। इसके तहत लोग समान आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं।
- सहकारिता **राज्य-सूची** का एक विषय है। हालांकि, कई समितियों के सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। इसके उदाहरणों में चीनी, दूध, बैंक, मिल्क यूनियन आदि से संबंधित सहकारी समितियां शामिल हैं।

---

[59] Prompt Corrective Action

[60] Whole-Time Directors

[61] Fit and proper criteria

- इन अंतर-राज्यीय सहकारी समितियों को **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002**[62] के तहत शासित किया जाता है। इन समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण **केंद्रीय रजिस्ट्रार** के अंतर्गत आता है।
- **महाराष्ट्र में सबसे अधिक सहकारी समितियां (567) हैं।** इसके बाद उत्तर प्रदेश (147) और नई दिल्ली (133) का स्थान है।

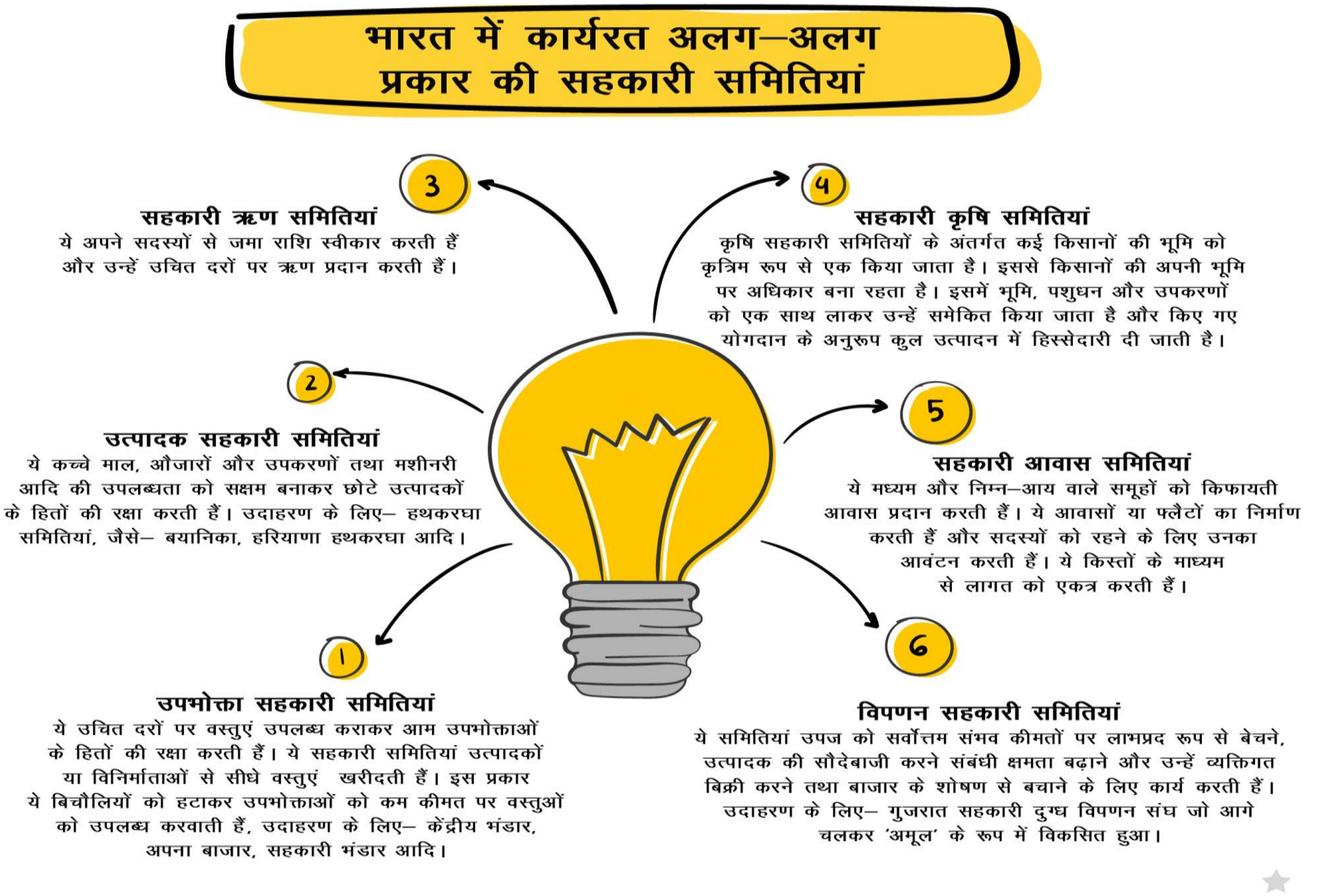

भारत में कार्यरत अलग–अलग प्रकार की सहकारी समितियां

उपभोक्ता सहकारी समितियां
ये उचित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती हैं। ये सहकारी समितियां उत्पादकों या विनिर्माताओं से सीधे वस्तुएं खरीदती हैं। इस प्रकार ये बिचौलियों को हटाकर उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाती हैं, उदाहरण के लिए– केंद्रीय भंडार, अपना बाजार, सहकारी भंडार आदि।

उत्पादक सहकारी समितियां
ये कच्चे माल, औजारों और उपकरणों तथा मशीनरी आदि की उपलब्धता को सक्षम बनाकर छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए– हथकरघा समितियां, जैसे– बयानिका, हरियाणा हथकरघा आदि।

सहकारी ऋण समितियां
ये अपने सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करती हैं और उन्हें उचित दरों पर ऋण प्रदान करती हैं।

सहकारी कृषि समितियां
कृषि सहकारी समितियों के अंतर्गत कई किसानों की भूमि को कृत्रिम रूप से एक किया जाता है। इससे किसानों की अपनी भूमि पर अधिकार बना रहता है। इसमें भूमि, पशुधन और उपकरणों को एक साथ लाकर उन्हें समेकित किया जाता है और किए गए योगदान के अनुरूप कुल उत्पादन में हिस्सेदारी दी जाती है।

सहकारी आवास समितियां
ये मध्यम और निम्न–आय वाले समूहों को किफायती आवास प्रदान करती हैं। ये आवासों या फ्लैटों का निर्माण करती हैं और सदस्यों को रहने के लिए उनका आवंटन करती हैं। ये किस्तों के माध्यम से लागत को एकत्र करती हैं।

विपणन सहकारी समितियां
ये समितियां उपज को सर्वोत्तम संभव कीमतों पर लाभप्रद रूप से बेचने, उत्पादक की सौदेबाजी करने संबंधी क्षमता बढ़ाने और उन्हें व्यक्तिगत बिक्री करने तथा बाजार के शोषण से बचाने के लिए कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए– गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ जो आगे चलकर 'अमूल' के रूप में विकसित हुआ।

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के बारे में

- इसका उद्देश्य **बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002** में संशोधन करना है। यह बहु-राज्य सहकारी समितियों में **पारदर्शिता और जवाबदेही** लाने पर केंद्रित है।
- **मुख्य संशोधन:**
  - **सहकारी चुनाव प्राधिकरण का गठन (Establishment of Co-operative Election Authority):** केंद्र सरकार सहकारी चुनाव प्राधिकरण का गठन करेगी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। इसके कार्य निम्नलिखित होंगे:
    - सहकारी समितियों से संबंधित चुनाव कराना;
    - मतदाता सूची को तैयार करने में पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण नियंत्रण स्थापित करना[63];
    - अन्य निर्धारित कार्य करना।
  - **सहकारी लोकपाल:** केंद्र सरकार शिकायतों के निवारण के लिए क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र वाले एक या अधिक सहकारी लोकपाल नियुक्त करेगी।

---

[62] Multi-State Cooperative Societies Act, 2002

[63] Supervise, direct and control

    - **एकीकरण और विभाजन:** यह विधेयक राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों को एक मौजूदा बहु-राज्य सहकारी समिति में विलय करने की अनुमति देता है।
- एक आम बैठक में **उपस्थित और मतदान करने वाले सहकारी समिति के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों** को इस तरह के विलय की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा।
    - कमजोर बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना करना।

बहु–राज्य सहकारी समितियों का गवर्नेंस

सहकारिता या सहकारी समितियां ***7वीं अनुसूची*** के तहत **राज्य सूची** का विषय है।

97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के तहत सहकारी समिति का गठन करना एक मौलिक अधिकार है।

सहकारी समितियों को बढ़ावा देना भी संविधान के **DPSP** (अनुच्छेद **43-B**) के तहत राज्य के लिए एक संवैधानिक निदेश है।

बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एक से अधिक राज्यों में संचालन करने वाली समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

    - **निदेशक मंडल की संरचना (Composition of Board of Directors):** विधेयक निम्नलिखित को शामिल करने के लिए निदेशक मंडल की संरचना में संशोधन करता है:
        - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य;
        - 2 महिला सदस्य।
    - **अपराधों के लिए अधिक जुर्माना:** इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई भी रिटर्न फाइल करने या सूचना दर्ज करने में विफल रहा तो इसे भी एक अपराध माना जाएगा। इन सभी अपराधों के लिए 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।
    - **समवर्ती लेखापरीक्षा (Concurrent audit):** केंद्र द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि वाली बहु-राज्य समितियों के लिए **एक नई धारा 70A** शामिल की गई है।

इस संशोधन के लाभ

- **समानता और समावेशन को बढ़ावा:** बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- समवर्ती लेखापरीक्षा, सहकारी लोकपाल आदि से **पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।**
- **सहकारी समितियों का लोकतंत्रीकरण:** चुनाव नियमित आधार पर और सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाएंगे।
- कमजोर बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार से वहां कार्यरत कर्मियों की नौकरी बनी रहेगी तथा समितियों का काम-काज भी प्रभावी तरीके से होने लगेगा।
- **अनुशासन को बढ़ावा:** यह विधेयक अधिनियम के उल्लंघन के मामले में उच्च दंड सुनिश्चित करता है। इससे सहकारी समितियों के बीच अनुशासन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002

- इस अधिनियम के **निम्नलिखित उद्देश्य** हैं:
    - **सहकारी समितियों से संबंधित कानून को एकीकृत और संशोधित करना।** इसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। यह एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए लक्षित है।
    - यह **लोगों की संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सुगम** बनाता है। यह स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता पर आधारित होना चाहिए।
    - यह सहकारी समितियों को अपनी **आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने तथा कार्यात्मक स्वायत्तता** प्रदान करने में **सक्षम** बनाता है।

विधेयक से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- इस विधेयक के प्रावधान **राज्य सरकारों के अधिकारों को कम करते हैं और संघीय ढांचे को प्रभावित** करते हैं।
- सहकारी समिति के विलय के मामले में केंद्र **अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सहकारी समितियों के अधिकारों का अतिक्रमण** कर रहा है।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ में रहने वाली **बहु-राज्य सहकारी समितियों पर अतिरिक्त बोझ** बढ़ेगा। उन्हें वार्षिक रूप से सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष में 1 करोड़ रुपये या उनके नेट प्रॉफिट (शुद्ध लाभ) का 1% जमा करना होगा।
- यह विधेयक केंद्र की मंजूरी के बिना बहु-राज्य सहकारी समितियों के शेयरों के मोचन (Redemption) पर रोक लगाता है। यह **सहकारी समितियों के स्वायत्त काम-काज के सिद्धांतों** पर प्रहार करता है। इन सिद्धांतों को **97वें संविधान संशोधन** द्वारा लागू करने की कोशिश की गई थी।

भारत में सहकारी समितियों से संबंधित स्थायी मुद्दे

- **सहकारी समितियों का राजनीतिकरण:** कई सहकारी समितियों पर मजबूत राजनीतिक संबंध रखने वाले समाज के स्थानीय शक्तिशाली सदस्यों या परिवारों का वर्चस्व है।
- **विषम भौगोलिक उपस्थिति:** महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की सहकारी समितियां अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं।
    - सहकारी समितियों ने सफल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए संघर्ष किया है। सहकारी आंदोलन देश में असमान रूप से फैला हुआ है।
- **कार्यात्मक कमजोरी (Functional Weakness):** इकोनॉमी ऑफ़ स्केल का अभाव, कुशल कार्यबल की कमी, सदस्यों के बीच व्यवसाय से संबंधित दक्षता की कमी के कारण कार्यात्मक कमजोरी विद्यमान है।
- निष्पक्ष लेखापरीक्षा तंत्र की कमी और अलग-अलग स्तरों पर मौजूद सहकारी समितियों के बीच समन्वय की कमी के कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां विद्यमान हैं।
- **एकल उद्देश्य वाली समितियों का प्रभुत्व:** सहकारी समितियां मदद मांगने वाले लोगों का समग्र दृष्टिकोण समझने में असमर्थ रहती हैं। अलग-अलग आयामों से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान नहीं हो पाता है।

आगे की राह

- **बहुउद्देशीय समितियों को बढ़ावा देना:** इससे समिति के सदस्यों की जरूरतों के बारे में संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, परिस्थिति के अनुसार जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
- **काम-काज में दक्षता सुनिश्चित करना:** कार्यबल को प्रशिक्षण प्रदान करना और सहकारी समितियों की नियमित लेखापरीक्षा करना आवश्यक है।
- **जागरूकता:** लोगों के बीच सहयोग की अवधारणा को बढ़ावा देने वाली **मजबूत संचार और जनसंपर्क रणनीतियों** को अपनाने की आवश्यकता है।
- नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को अपनाकर सहकारी बैंकों के काम-काज में सुधार के लिए विधायी सुधार किए जाने चाहिए।
- सहकारी समितियों को RTI[64] के दायरे में लाकर काम करने में पूरी पारदर्शिता लाई जाए।
- **सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण:** विशेष रूप से गवर्नेंस, बैंकिंग और व्यवसायों में सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है।

3.5. प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां (Competition Law and Big Technology Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने **"बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं[65]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। साथ ही, समिति ने टेक कंपनियों के लिए एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम** तथा **आचार संहिता** के निर्माण की भी सिफारिश की है।

प्रतिस्पर्धा: अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका आशय, प्रकार और भूमिका

- **प्रतिस्पर्धा** "एक ऐसी बाजार स्थिति है, जिसमें फर्म या विक्रेता किसी विशेष **व्यावसायिक उद्देश्य** को प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रूप से खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।"
    - ऐसा **मुनाफा कमाने, वस्तुओं की बिक्री करने और/ या बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने** के उद्देश्य से किया जाता है।
- **बाजार संरचना** के आधार पर, अर्थशास्त्रियों ने **मुख्य रूप से चार प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं की पहचान की है (इंफोग्राफिक देखें)।**
- किसी भी अर्थव्यवस्था में, प्रतिस्पर्धा को एक **महत्वपूर्ण प्रक्रिया** के रूप में देखा जाता है, क्योंकि:
    - यह प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु **कंपनियों को नवाचार और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित** करती है।
    - यह कम लागत पर अधिक विकल्प और गुणवत्ता प्रदान करके **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती** है।
    - यह कामगारों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए **उच्च वेतन देने और कार्य की बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने हेतु** संगठनों को प्रेरित करती है।
    - प्रतिस्पर्धा **एक स्वस्थ और लाभकारी मार्केटप्लेस** को बनाए रखने में मदद करती है तथा दूसरों को भी निवेश करने के लिए आकर्षित करती है।

---

[64] Right to Information/ सूचना के अधिकार

[65] Anti-competitive practices by Big Tech companies

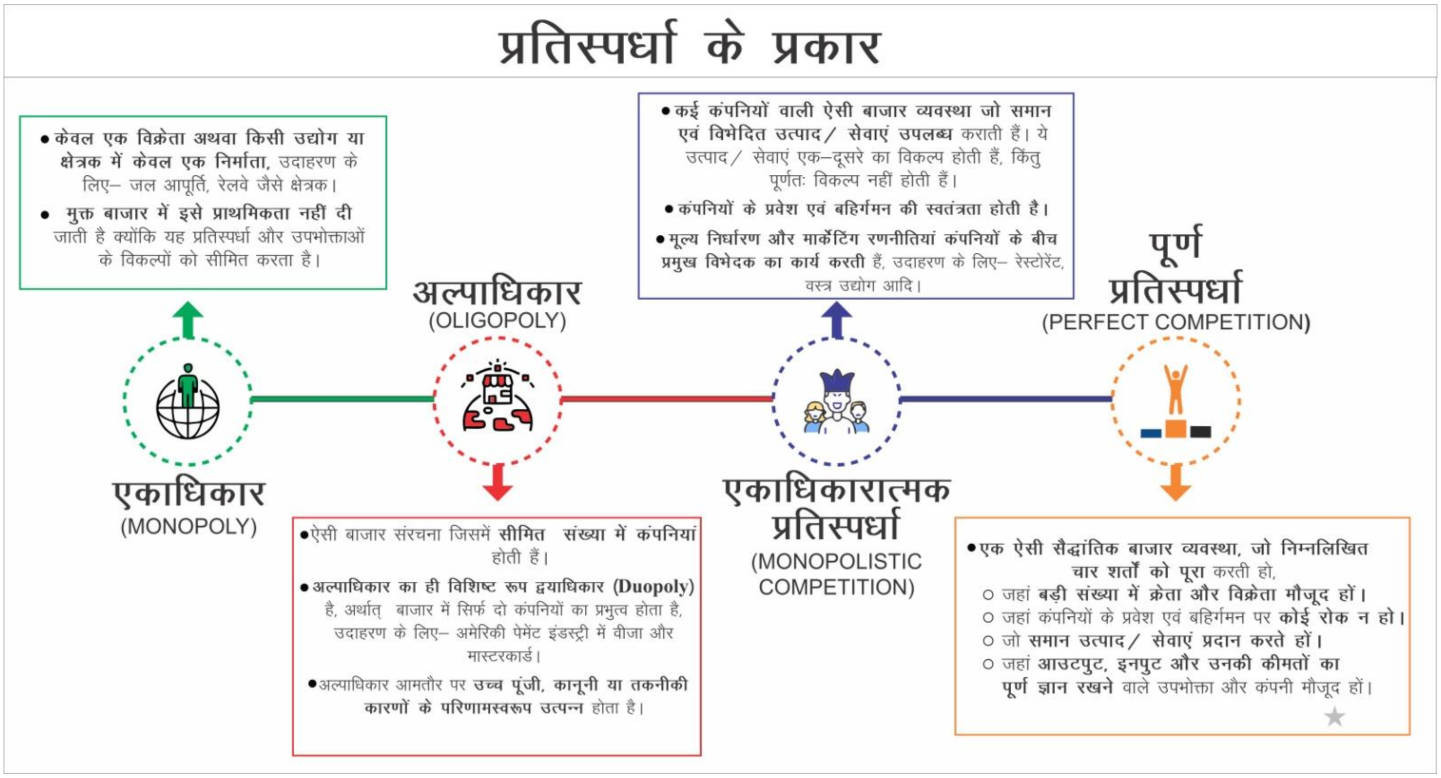

प्रतिस्पर्धा के प्रकार

एकाधिकार
(MONOPOLY)

- **केवल एक विक्रेता अथवा किसी उद्योग या क्षेत्रक में केवल एक निर्माता**, उदाहरण के लिए– जल आपूर्ति, रेलवे जैसे क्षेत्रक।
- **मुक्त बाजार में इसे प्राथमिकता नहीं दी** जाती है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के विकल्पों को सीमित करता है।

अल्पाधिकार
(OLIGOPOLY)

- ऐसी बाजार संरचना जिसमें **सीमित संख्या में कंपनियां** होती हैं।
- **अल्पाधिकार का ही विशिष्ट रूप द्वयाधिकार (Duopoly)** है, अर्थात् बाजार में सिर्फ दो कंपनियों का प्रभुत्व होता है, उदाहरण के लिए– अमेरिकी पेमेंट इंडस्ट्री में वीजा और मास्टरकार्ड।
- अल्पाधिकार आमतौर पर **उच्च पूंजी, कानूनी या तकनीकी कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न** होता है।

एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा
(MONOPOLISTIC COMPETITION)

- **कई कंपनियों वाली ऐसी बाजार व्यवस्था जो समान एवं विभेदित उत्पाद/ सेवाएं उपलब्ध** कराती हैं। ये उत्पाद/ सेवाएं एक–दूसरे का विकल्प होती हैं, किंतु पूर्णतः विकल्प नहीं होती हैं।
- **कंपनियों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है।**
- **मूल्य निर्धारण और मार्केटिंग रणनीतियां कंपनियों के बीच प्रमुख विभेदक का कार्य करती** हैं, उदाहरण के लिए– रेस्टोरेंट, वस्त्र उद्योग आदि।

पूर्ण प्रतिस्पर्धा
(PERFECT COMPETITION)

- **एक ऐसी सैद्धांतिक बाजार व्यवस्था, जो निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा** करती हो,
  - जहां **बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता मौजूद हों।**
  - जहां कंपनियों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर **कोई रोक न हो।**
  - जो **समान उत्पाद/ सेवाएं प्रदान करते हों।**
  - जहां **आउटपुट, इनपुट और उनकी कीमतों का पूर्ण ज्ञान रखने** वाले उपभोक्ता और कंपनी मौजूद हों।

- प्रतिस्पर्धा के अभाव में, बड़ी कंपनियां अपनी बाजार शक्ति का दुरूपयोग करके कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। साथ ही, वे अपनी बाजार शक्ति का उपयोग **उत्पादों/ सेवाओं की गुणवत्ता को कम करने** और/ या **बाजार में संभावित प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को रोकने के लिए** भी कर सकती हैं।

डिजिटल बाजार और समिति द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष

- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)**[66] को व्यापक रूप से अपनाए जाने तथा **कई डिजिटल कंपनियों के उदय** से, विभिन्न क्षेत्रों में **अलग-अलग डिजिटल बाजारों** को बढ़ावा मिल रहा है।
- वर्तमान में, **राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर** महत्वपूर्ण डिजिटल बाजारों वाले क्षेत्रों में **स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, वित्त, शिक्षा** आदि की अग्रणी भूमिका रही है।
- भारत का **समग्र डिजिटल बाजार** बहुत बड़ा है तथा **2023 तक** इससे संबंधित उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग **90.7 करोड़** होने की संभावना है।
- भारत की उपभोक्ता **डिजिटल अर्थव्यवस्था** 2020 से 2030 तक दोगुनी हो सकती है।
- डिजिटल बाजारों के अंतर्निहित आर्थिक चालकों ने अनिवार्य रूप से अपेक्षाकृत कुछ प्रमुख अभिकर्ताओं के उदय में मदद की है, जिन्हें सामूहिक रूप से **बिग टेक कंपनियों** के रूप में जाना जाता है। **समिति ने निम्नलिखित 10 प्रकार की प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं** की पहचान की है जिनका अक्सर बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है:

क्रम संख्या	प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं	विवरण
1.	एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान (Anti-Steering Provisions)	प्रमुख रूप से **'ऐप स्टोर्स'** (गूगल और एप्पल ऐप स्टोर) से जुड़े ऐप पब्लिशर्स अपने **बिजनेस यूजर्स** (ऐप यूजर्स) को प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले लाभों के अलावा अन्य लाभों के बारे में बताने तथा भुगतान के लिए **अन्य विकल्पों** के उपयोग से रोकते हैं।
2.	प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी / सेल्फ प्रिफरेंसिंग (Platform Neutrality/ Self-Preferencing)	आमतौर पर **'मार्केटप्लेस'** से जुड़े कुछ प्लेटफॉर्म अपने उत्पादों को ही प्राथमिकता देते हैं, जैसे- गूगल द्वारा प्ले स्टोर पर गूगल पे को प्राथमिकता देना।

---

[66] Information and Communication Technology

3.	एडजेसेंसी/ बिल्डिंग और टाइंग (Adjacency/ Building and Tying)	इसमें डिजिटल फर्म लोगों को **संबंधित सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर** करती हैं। उदाहरण के लिए- फ़ूड डिलीवरी ऐप द्वारा रेस्टोरेंट के लिए यह अनिवार्य करना कि वे उक्त प्लेटफ़ॉर्म की डिलीवरी सेवाओं का उपयोग करें।
4.	डेटा उपयोग (गैर-सार्वजनिक डेटा का उपयोग) {Data Usage (use of non-public data)}	डिजिटल फर्मों द्वारा **डेटा का एकतरफा उपयोग** करना, विशेष रूप से **डेटा के विशाल भंडार वाले** प्रमुख प्लेटफॉर्म से डेटा को प्रोसेस करना। उदाहरण के लिए- स्विगी और जोमैटो अपने यूजर्स के पिछले ऑर्डर से जुड़े डेटा (Purchase data) का उपयोग कर उन्हें ऐसे विकल्प देते हैं जिससे अन्य अभिकर्ताओं का प्रवेश बाधित होता है।
5.	विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions)	**“अनुचित अधिग्रहण (Killer acquisitions)”** डिजिटल बाजारों में बार-बार घटित होने वाला एक मुद्दा है। इसमें **बिग टेक अत्यधिक मूल्य वाले स्टार्ट-अप का अधिग्रहण** कर लेती हैं या उन्हें खरीद लेती हैं। यह स्थिति छोटी फर्मों को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए- फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप का अधिग्रहण।
6.	मूल्य निर्धारण/ भारी छूट (Pricing/ Deep Discounting)	यह प्रमुख रूप से **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल (बिक्री)** से संबंधित है। होटल बुकिंग, फ़ूड डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में बड़े प्लेटफॉर्म द्वारा भारी छूट अर्थात् डीप डिस्काउंट का उपयोग किया जाता है। यह अंतिम मूल्य पर सेवा प्रदाताओं के नियंत्रण और ऑफ़लाइन अभिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा क्षमता को सीमित करता है, जैसे- अमेज़न, फ्लिपकार्ट।
7.	विशिष्ट अनुबंध (Exclusive Tie-ups)	**एक ब्रांड के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विशेष अनुबंध, अन्य प्लेटफॉर्म के साथ-साथ** ब्रिक-एंड-मोर्टार सेलर्स (Brick-and-Mortar Sellers) के व्यवसाय को भी बाधित करते हैं। इसी तरह, अन्य प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं को कम दरों पर बेचने से रोकने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म **मूल्य समता उपबंध (Price Parity Clause)** का उपयोग करते हैं। • मूल्य समता उपबंध के तहत आपूर्तिकर्ता अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपनी स्वयं की वेबसाइट्स पर कम कीमतों पर वस्तुओं को उपलब्ध न कराने के लिए बाध्य होते हैं।
8.	सर्च एंड रैंकिंग प्रिफरेंसिंग (Search and Ranking Preferencing)	यूज़र सर्च से संबंधित परिणामों को दिखाते समय **प्रायोजित उत्पादों (Sponsored products)** को प्राथमिकता दी जाती है। इस दौरान सर्च रिजल्ट को पक्षपात रहित तरीके से नहीं दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए- अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा **प्रेफरेंशियल लिस्टिंग** करना।
9.	थर्ड-पार्टी एप्लिकेशंस को प्रतिबंधित करना (Restricting Third-Party Applications)	डिजिटल बाजारों में **गेटकीपर्स की उपस्थिति, थर्ड-पार्टी एप्लिकेशंस के इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन को प्रतिबंधित** करती है। उदाहरण के लिए- **ऐप्पल का ऐप स्टोर** एकमात्र चैनल है जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से जुडे उपभोक्ताओं को अपने ऐप वितरित करता है।
10.	विज्ञापन नीतियां (Advertising Policies)	डिजिटल विज्ञापन बाजार को **हितों के टकराव और सेल्फ प्रिफरेंसिंग** से जुडे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। ऐसा **ऐड-टेक सप्लाई चेन के सभी स्तरों पर** प्लेटफॉर्म के **ऑपरेशनल** होने की स्थिति में होता है।

ये प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं **डिजिटल बाजारों को गंभीर रूप से नुकसान** पहुंचाती हैं (इंफोग्राफिक देखें)। इससे अंततः **बाजार की गतिशीलता में गिरावट** आती है तथा **वेतन असमानता और धन संग्रह की प्रवृत्ति में वृद्धि** होती है।

इस संबंध में भारत में कानूनी ढांचा और इससे जुड़े मुद्दे

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** देने और **बनाए रखने** के लिए भारत सरकार ने “प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002” को लागू किया है। इसे **प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए लागू किया गया है।**
- इस अधिनियम के **प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन**[67] के लिए **CCI**[68] की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि CCI को 2009 में स्थापित किया गया था।

---

[67] Administration, implementation, and enforcement

  - CCI **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा** करता है। यह भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों के लिए **व्यापार करने की स्वतंत्रता** सुनिश्चित करता है।

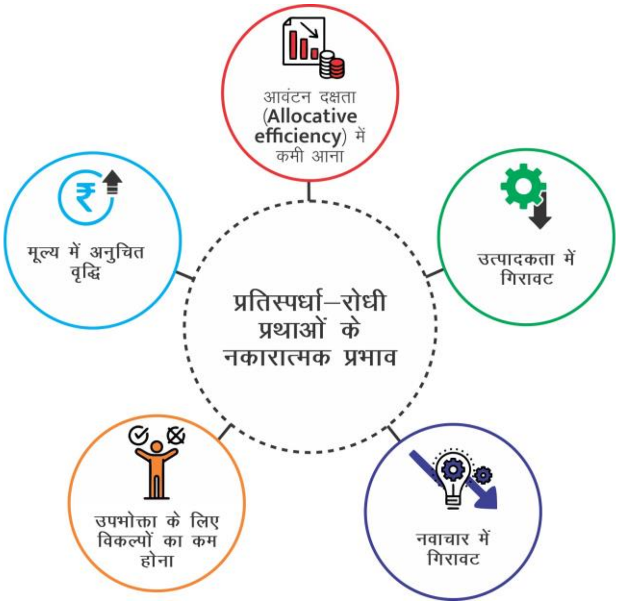
आवंटन दक्षता (Allocative efficiency) में कमी आना
उत्पादकता में गिरावट
मूल्य में अनुचित वृद्धि
प्रतिस्पर्धा–रोधी प्रथाओं के नकारात्मक प्रभाव
उपभोक्ता के लिए विकल्पों का कम होना
नवाचार में गिरावट

- **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT)**[69] का गठन **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत CCI के निर्देशों, आदेशों या निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने और उनका निपटान करने के लिए एक **अपीलीय अधिकरण** के रूप में किया गया है।
  - हालांकि, यह एक **एक्स-पोस्ट एप्रोच** पर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रतिस्पर्धा-रोधी घटना के घटित होने के बाद निर्णय सुनाता है।
  - दूसरी ओर, **बढ़ती आर्थिक गतिविधियों** के कारण डिजिटल बाजार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण **बिग टेक कंपनियां** अन्य प्रतिस्पर्धियों बहुत पहले अपूरणीय क्षति (Irreparable harm) पहुंचा देती हैं। इसे रोकने के लिए एक्स-पोस्ट एप्रोच पर किए जाने वाले प्रयास अपनी देरी के कारण अप्रभावी रह जाते हैं। इसके अलावा:
    - निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी पारंपरिक बाजारों की तुलना में, इससे बाजार एकाधिकार वाली एक या दो बड़ी कंपनियों ही बाजार में रह जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप डिजिटल बाजार में **प्रतिस्पर्धा सीमित** हो सकती है।
    - यह **नेटवर्क इफ़ेक्ट** को भी बढ़ावा देता है, यानी उपयोगकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से प्लेटफॉर्म की उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। इससे बड़े प्लेटफॉर्म **और भी बेहतर व शक्तिशाली** हो जाते हैं।
    - इसके कारण होने वाले अन्य नुकसानों में शामिल हैं- **वैल्युएबल मार्केट इनपुट** (जैसे- प्रतिभाशाली कार्यबल) पर एकाधिकार और **निकटवर्ती बाजारों में भी बेहतर रिटर्न पाने की प्रवृत्ति का प्रभावी होना।**

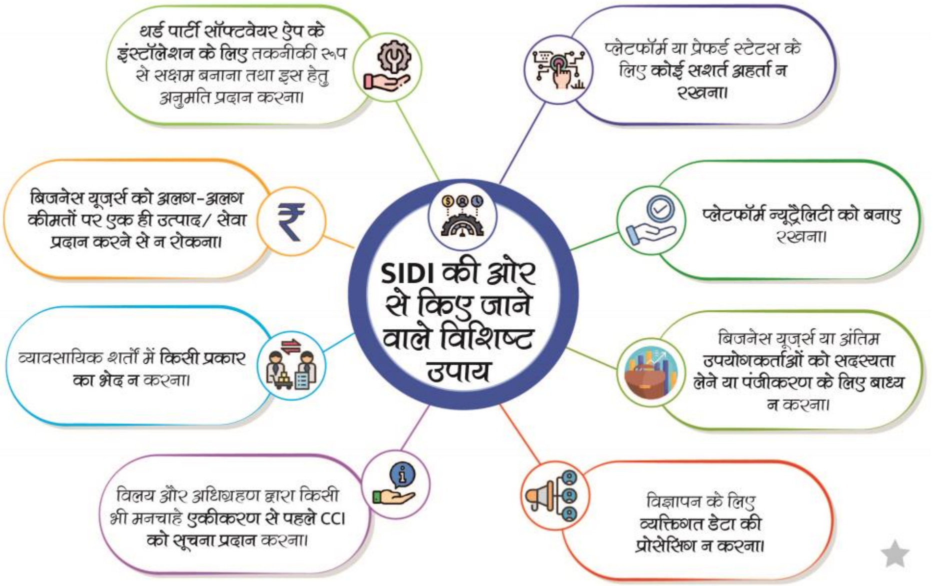
थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐप के इंस्टॉलेशन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाना तथा इस हेतु अनुमति प्रदान करना।
प्लेटफॉर्म या प्रेफर्ड स्टेटस के लिए कोई सशर्त अहर्ता न रखना।
बिजनेस यूजर्स को अलग-अलग कीमतों पर एक ही उत्पाद/ सेवा प्रदान करने से न रोकना।
प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी को बनाए रखना।
SIDI की ओर से किए जाने वाले विशिष्ट उपाय
व्यावसायिक शर्तों में किसी प्रकार का भेद न करना।
बिजनेस यूज़र्स या अंतिम उपयोगकर्ताओं को सदस्यता लेने या पंजीकरण के लिए बाध्य न करना।
विलय और अधिग्रहण द्वारा किसी भी मनचाहे एकीकरण से पहले CCI को सूचना प्रदान करना।
विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग न करना।

आगे की राह: समिति की सिफारिशें और अन्य उपाय

- **निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल इकोसिस्टम** सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम** की आवश्यकता है। ऐसे कानून को डिजिटल बाजारों की विशिष्ट जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। वैश्विक **अनुमान आधारित दृष्टिकोणों (Ex-ante Approaches)** की तर्ज पर, ऐसे डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है:
  - **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्तियों (SIDIs)**[70]**/ डिजिटल गेटकीपर्स** को परिभाषित और उनकी संख्या को निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

---

[68] Competition Commission of India/ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

[69] National Company Law Appellate Tribunal

[70] Systemically Important Digital Intermediaries

  - डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने के लिए भारत में मौजूद SIDIs पर **प्रतिस्पर्धा से पहले ही किए गए पूर्वानुमान पर आधारित (Ex-ante competitive) प्रतिबंध** आरोपित किए जाने चाहिए।
  - कंपनियों के विनियामकीय बोझ को कम करने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **डिजिटल विनियमों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तैयार किया** जाना चाहिए।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2020** और इसके अंतर्गत आने वाले **ई-कॉमर्स नियमों** के अनुरूप प्रतिस्पर्धा कानून को निर्मित किया जाना चाहिए।
  - उपभोक्ताओं के लिए **उचित मुआवजा सुनिश्चित** करने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
  - **CCI में सुधार** किया जाना चाहिए और नई जिम्मेदारियां लेने के लिए **इसे मजबूत बनाया जाना** चाहिए। इसके लिए कुशल विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वकीलों को जोड़कर आयोग के भीतर **स्पेशल डिजिटल मार्केट** विभाग (या प्रकोष्ठ) की स्थापना की जानी चाहिए।
    - इसके अलावा, इसे **SIDIs की बारीकी से निगरानी** करनी चाहिए। साथ ही, **SIDIs को नामित करने, अनुपालन और अधिनिर्णयन (Adjudication) पर सिफारिशें प्रस्तुत** करनी चाहिए।
- SIDIs के लिए **विशिष्ट उपायों के साथ एक आचार संहिता विकसित** की जानी चाहिए ताकि **उन्हें अपने बाजार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका** जा सके (इंफोग्राफिक देखें)।

3.6. कानूनी सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस {Legal Reforms and Ease of Doing Business (EoDB)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने लोक सभा में **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022**[71] पेश किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक के माध्यम से 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित **42 अधिनियमों** में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य **व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम** करना तथा **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुनिश्चित** करना है।
  - इस विधेयक द्वारा संशोधित किए जाने वाले अधिनियमों में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 आदि शामिल हैं।
- यह अदालती हस्तक्षेप के बिना **अधिनिर्णयन (Adjudication) और प्रशासनिक तंत्र द्वारा बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने** में मदद करेगा।
- यह **व्यक्तियों को मामूली उल्लंघनों और डिफॉल्ट जैसे मामलों को अपने स्तर पर सुलझाने में सक्षम** बनाएगा। इससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत होगी।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

विनिर्देश	विवरण
कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (Decriminalizing certain offences)	• इस विधेयक के तहत **कारावास की सजा वाले कई अपराधों में केवल अर्थ दंड निर्धारित कर उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया** गया है। अर्थात्, इसके तहत कुछ मामूली अपराधों को कारावास की सजा से मुक्त कर उनके लिए सिर्फ मौद्रिक दंड का प्रावधान कर दिया गया है। ○ उदाहरण के लिए- **कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937**[72] में जाली ग्रेड डेज़िग्नेशन मार्क बनाने पर तीन साल तक की कैद की सजा और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। ▪ यह विधेयक इस मामले में **आठ लाख रुपये** के जुर्माने का प्रावधान करता है।

---

[71] Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022

[72] Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937

जुर्माने और अर्थदंड में संशोधन (Revision of fines and penalties)	• यह विधेयक **निर्दिष्ट अधिनियमों में अलग-अलग अपराधों के लिए अर्थदंड और जुर्माने में वृद्धि** करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जुर्माने और अर्थदंड को प्रति तीन वर्ष में न्यूनतम राशि के 10% तक बढ़ाया जाएगा।
अधिनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति (Appointing adjudicating officers)	• केंद्र सरकार अर्थदंड निर्धारित करने के लिए **एक या एक से अधिक अधिनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति** कर सकती है। • अधिनिर्णायक अधिकारी, **व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए समन भेज** सकते हैं और **संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जांच कर** सकते हैं।
अपीलीय तंत्र (Appellate mechanisms)	• यह विधेयक **अधिनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट किसी भी व्यक्ति के लिए अपीलीय तंत्र की भी व्यवस्था** करता है। ○ उदाहरण के लिए- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आदेश के 60 दिनों के भीतर NGT[73] में अपील दायर की जा सकती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में

- EoDB एक **सूचकांक** था, जिसे **2003 से विश्व बैंक** द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। गौरतलब है कि **2021 में इसके प्रकाशन को बंद** कर दिया गया।
- **10 संकेतकों** (इन्फोग्राफिक देखें) के आधार पर किसी देश में EoDB के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता था।
    - ○ इसके तहत **190 अर्थव्यवस्थाओं को उनके EoDB प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग** प्रदान की जाती थी। गौरतलब है कि 2020 में, **EoDB में भारत का स्थान 63वां** था।
- हालांकि, इस सूचकांक को बंद कर दिया गया है, फिर भी भारत द्वारा EoDB सुधार के विचार को संवृद्धि और विकास के प्रमुख मापदंड के रूप में महत्व दिया जाता है।

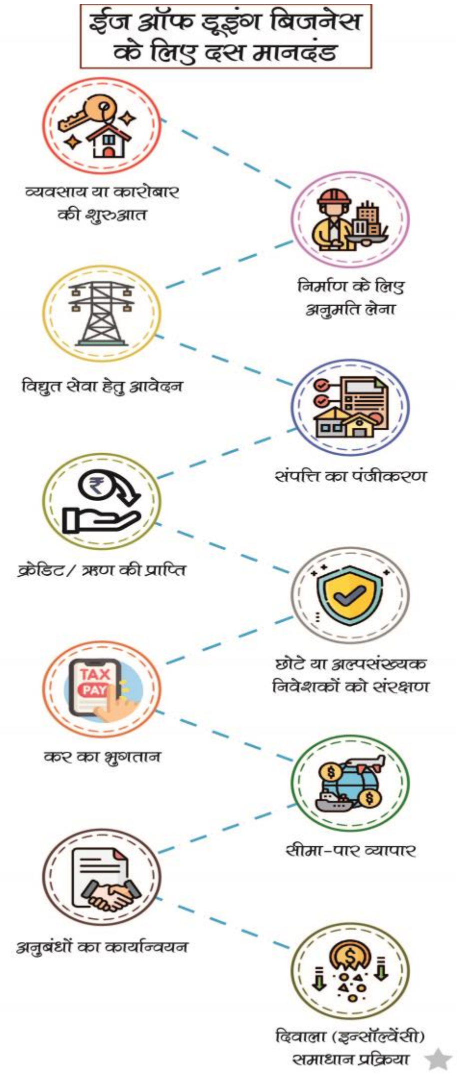
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दस मानदंड
व्यवसाय या कारोबार की शुरुआत
निर्माण के लिए अनुमति लेना
विद्युत सेवा हेतु आवेदन
संपत्ति का पंजीकरण
क्रेडिट/ ऋण की प्राप्ति
छोटे या अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षण
TAX PAY
कर का भुगतान
सीमा-पार व्यापार
अनुबंधों का कार्यान्वयन
दिवाला (इन्सॉल्वेंसी) समाधान प्रक्रिया

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्राप्ति में मौजूद कानूनी बाधाएं

- **एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य कानूनी भिन्नताएं:** भारत में अलग-अलग कानूनी ढांचे मौजूद हैं। अतः ऐसे में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानूनी संरचनाओं की उपस्थिति भारत में कारोबार सुगमता को बाधित करती हैं।
    - ○ उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में शराब की बिक्री की अनुमति है, लेकिन गुजरात में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **जटिल कानूनी प्रक्रियाएं:** कई विभागों की भागीदारी या हस्तक्षेप से कानूनी प्रक्रियाएं अत्यधिक जटिल हो जाती हैं। साथ ही, ऐसे में किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले कई अनुपालन (Compliances) निर्देशों को पूरा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- **आयात/ निर्यात बाधाएं:** भारत में **आयात और निर्यात व्यवसाय में अलग-अलग बाधाएं** मौजूद हैं। उदाहरणार्थ- आयात और निर्यात मदों पर सीमा शुल्क का प्रतिशत अलग-अलग है, अर्थात् यह शून्य से लेकर 150 प्रतिशत तक है। इसके अलावा अलग-अलग शुल्क जैसे कि काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ (प्रतिकारी शुल्क), शिक्षा उपकर आदि भी हैं जो **निवेश और व्यवसाय की स्थापना को हतोत्साहित** करते हैं।
- **भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे:** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम के तहत लाए गए सहमति उपबंध, उचित मुआवजा और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन मुख्यतः भूस्वामियों व खरीदारों के हितों को प्रभावी ढंग से संतुलित करने में विफल रहे हैं। साथ ही, इन प्रावधानों की विफलता से निवेशकों का संकट भी बढ़ा है।

---

[73] National Green Tribunal/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- **श्रम संबंधी मुद्दे:** श्रम कानूनों का एकीकरण न होने से भी श्रम संबंधी मुद्दों को बढ़ावा मिला है। गौरतलब है कि श्रम कानूनों को संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 40 से अधिक केंद्रीय कानून और लगभग 100 राज्य कानून सूचीबद्ध हैं।

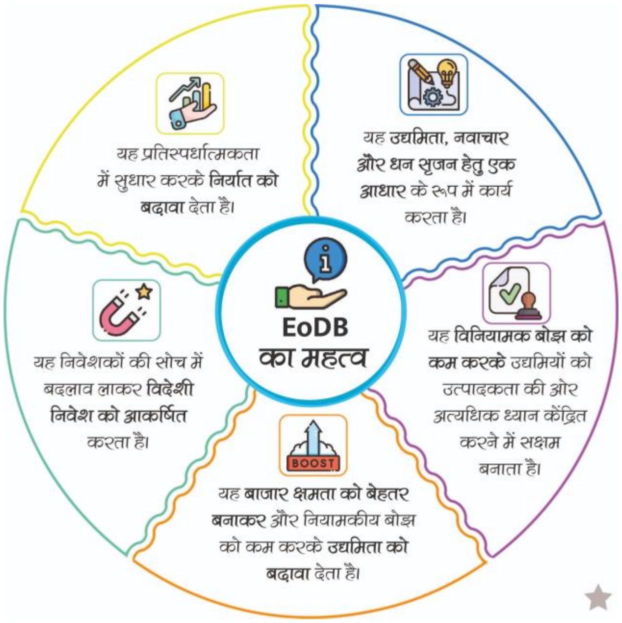
EoDB का महत्व
यह प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके निर्यात को बढ़ावा देता है।
यह उद्यमिता, नवाचार और धन सृजन हेतु एक आधार के रूप में कार्य करता है।
यह विनियामक बोझ को कम करके उद्यमियों को उत्पादकता की ओर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।
BOOST
यह बाजार क्षमता को बेहतर बनाकर और नियामकीय बोझ को कम करके उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
यह निवेशकों की सोच में बदलाव लाकर विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।

- **अधिनिर्णयन (Adjudication) से संबंधित मुद्दे:** कई व्यवसायों को मामूली मुद्दों के समाधान के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा, वाणिज्यिक विवादों के अधिनिर्णयन में होने वाली देरी भी व्यवसायों की वित्तीय लागत को बढ़ा देती है।

हालांकि **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक** के साथ, सरकार ने अधिनिर्णयन संबंधी इन मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है।

EoDB में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें

- **श्रम कानून:** सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाकर उन्हें केवल **4 श्रम संहिताओं** में समाहित कर दिया है।
- **वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019):** इस संहिता में चार श्रम कानूनों को समाहित कर दिया गया है:
  - न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948)
  - मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936)
  - बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965)
  - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976)
    - यह **संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रकों के सभी संगठनों/ प्रतिष्ठानों और सभी कर्मचारियों पर लागू** होता है।
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020):** इसके तहत **300 तक श्रमिकों वाली फर्मों को** सरकार की अनुमति के बिना कामबंदी, छंटनी और परिचालन बंद करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह प्रयास **EoDB में सुधार लाने के उद्देश्य** से किया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020):** यह केंद्र को **स्व-नियोजित, असंगठित श्रमिकों, गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मियों** और उनके परिवार के सदस्यों के लिए **अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिसूचित** करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020):** यह संहिता **न्यूनतम 20 श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू** होती है जहां **विद्युत की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया को संचालित** किया जा रहा है। यह संहिता उन कारखानों पर भी लागू होती है जहां विनिर्माण प्रक्रिया विद्युत की सहायता के बिना संचालित की जा रही है तथा श्रमिकों की संख्या 40 या इससे अधिक है।
- **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय (Dedicated Commercial Courts: DCC):** वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए, **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015** को पारित किया गया था। हालांकि, 2018 में इसे फिर से संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप DCC को समर्पित अवसंरचना तथा अनन्य न्यायिक मानव शक्ति[74] के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में स्थापित किया गया।
- **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016:** इसका उद्देश्य दिवालिया कंपनियों से जुड़े दावों का समाधान करना है, ताकि बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले **अशोध्य ऋणों (Bad loans) का निपटान** किया जा सके।
- **इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा या स्पाइस+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically: SPICE+):** अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तेजी से समावेशन सुनिश्चित करने के लिए इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

---

[74] Exclusive Judicial Human Power

- **श्रम सुविधा पोर्टल (SSP):** श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु इसकी परिकल्पना संपर्क के एकल बिंदु अर्थात् वन-स्टॉप-शॉप के रूप में की गई है। इसे श्रम निरीक्षण रिपोर्टिंग और रिटर्न जमा करने की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।

आगे की राह

- **सुगम अनुपालन:** केंद्र और राज्यों को एक व्यवस्थित प्रणाली को अपनाना चाहिए। इससे व्यवसायों के समय और लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनुपालन संबधी बोझ को समाप्त करने या कम करने में मदद मिलेगी।
- **विवाद समाधान:** त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया के लिए **फास्ट-ट्रैक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** को संस्थागत बनाया जाना चाहिए तथा इसे न्यायपालिका के दायरे से मुक्त किया जाना चाहिए।
- **भूमि अधिग्रहण:** स्पष्ट भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए **लैंड रिकॉर्ड के तीव्र डिजिटलीकरण** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यवसायों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और आसान बनाने हेतु मुकदमेबाजी तथा लैंड पूलिंग से बचा जाना चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना:** स्टार्ट-अप इंडिया पहल के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए- पात्र कंपनियां कर लाभ, आसान अनुपालन, IPR[75] फास्ट-ट्रैकिंग, स्व-प्रमाणन जैसे लाभों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं को DPIIT[76] के साथ पंजीकृत करवा सकती हैं।
- **कर अवकाश (Tax Holidays):** आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निगमित स्टार्ट-अप्स को 2016-2022 के बीच लगातार तीन वर्षों के लिए कर छूट दी गई थी। इसे आगे कुछ समय के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

3.7. भारत में पेंशन प्रणाली (Pension System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पुरानी पेंशन योजना (OPS)**[77] बनाम **नई पेंशन योजना (NPS)**[78] पर मौजूदा चर्चा के कारण पेंशन सुधारों से संबंधित बहस तेज हो गई है।

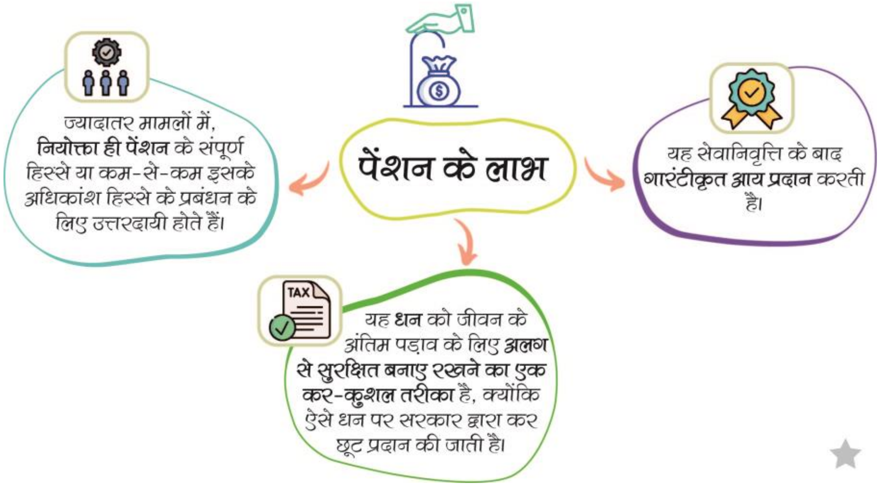

पेंशन के लाभ

ज्यादातर मामलों में, **नियोक्ता ही पेंशन** के संपूर्ण हिस्से या कम-से-कम इसके अधिकांश हिस्से के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

यह सेवानिवृत्ति के बाद **गारंटीकृत आय प्रदान** करती है।

यह **धन** को जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए **अलग से सुरक्षित बनाए रखने का एक कर-कुशल तरीका** है, क्योंकि ऐसे धन पर सरकार द्वारा कर छूट प्रदान की जाती है।

भारतीय पेंशन प्रणाली

- भारतीय पेंशन प्रणाली **अत्यधिक जटिल** है। इस मामले में कई विकल्प उपलब्ध हैं जिससे यह **अत्यधिक बिखरी** हुई है। उदाहरण के लिए-
    - भारत में वर्तमान **सार्वजनिक पेंशन** प्रणाली के तहत पुराने सिविल सेवकों के लिए **OPS** और नए कर्मियों के लिए 1 जनवरी, `2004 से OPS की जगह **NPS** को लागू किया गया है।
        - सिविल सेवकों को **सिविल सेवक भविष्य निधि** और सेवा की एक निश्चित अवधि के बाद **ग्रेच्युटी** की सुविधा प्रदान की जाती है।
        - सशस्त्र बलों (Armed forces) के कर्मियों को NPS के तहत शामिल **नहीं** किया गया है और अभी भी उन्हें OPS का लाभ मिलता है।
    - **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)**[79] द्वारा संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए भी **कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)**[80] की सुविधा प्रदान की जाती है।
    - उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ **सामजिक पेंशन योजनाओं** को भी कार्यान्वित किया जाता है, जैसे-

---

[75] Intellectual Property Right/ बौद्धिक संपदा अधिकार

[76] Department for Promotion of Industry & Internal Trade/ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

[77] Old Pension Scheme

[78] New Pension Scheme

[79] Employees' Provident Fund Organisation

[80] Employee Pension Scheme

    - **अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (PMVVY),**
    - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**[81] आदि।
  - **कई संगठनों द्वारा भी पेंशन योजनाएं** शुरू की गई हैं, जैसे- **LIC की सरल पेंशन** आदि।

NPS और OPS में अंतर

अंतर का आधार	NPS	OPS
प्रकृति	NPS एक **अंशदायी पेंशन (Contribution pension) प्रणाली** है, जहां कर्मचारी अपने रोजगार के वर्षों के दौरान NPS में अंशदान करते हैं।	OPS एक **सुपरिभाषित लाभ योजना** है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके **अंतिम आहरित वेतन (Last drawn salary)** के आधार पर पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता	18 से 70 वर्ष के बीच के **सभी भारतीय नागरिक** इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।	**केवल सरकारी कर्मचारी ही** इसका लाभ उठा सकते हैं।
जोखिम	इसमें जोखिम शामिल है, क्योंकि NPS के जरिए एकत्रित धनराशि को **बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश** किया जाता है।	**कोई जोखिम शामिल नहीं** है।
कर लाभ	इसमें **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C** के तहत **1,50,000 रुपये** तक और **80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये** तक का वार्षिक निवेश **कर-कटौती योग्य (Tax-deductible)** है। अर्थात्, ऐसे निवेश पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।	इसके तहत कर्मचारियों के लिए **कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं** है।
सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि	इसके तहत पेंशन निधि से आहरित **60%** राशि को **कर-मुक्त** रखा गया है, जबकि शेष राशि कर के अधीन है और ऐनुइटीज़ में निवेश के रूप में रहती है।	इसके तहत **अंतिम आहरित वेतन का 50% निश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रदान** किया जाता है।

NPS को क्यों लागू किया गया?

वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा (OASIS)[82] **परियोजना** की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कारणों से 2004 में NPS को शुरू किया गया था:

- सरकार की पेंशन देनदारी बढ़ती जा रही थी लेकिन भुगतान के लिए वृद्धि वाली कोई निधि (Corpus) उपलब्ध नहीं थी।
- OPS को जारी रखना आर्थिक बोझ बनता जा रहा था क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही थी और इसके साथ पेंशन देनदारियां भी बढ़ने लगी थी। उदाहरण के लिए-
  - **2020-21** तक **केंद्र** का पेंशन बिल **1991 के आंकड़े की तुलना में 58 गुना बढ़** गया था। कुछ राज्यों में यह स्थिति अत्यधिक गंभीर बन गई है। उदाहरण के लिए- हिमाचल में राज्य के कर राजस्व का लगभग 80% पेंशन के रूप में भुगतान करना पड़ता है।

दीर्घ-आयु संबंधी जोखिम (Longevity risk): यह एक ऐसे परिदृश्य को रेखांकित करता है जहां बढ़ती जीवन प्रत्याशा के परिणामस्वरूप पेंशन देनदारियां बढ़ जाती हैं। साथ ही, इस स्थिति में बीमा कंपनियों को अधिक नकदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग एक अपेक्षित अवधि से अधिक समय तक जीवित रहते हैं।

---

[81] Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

[82] Old Age Social and Income Security

भारतीय पेंशन प्रणाली में अन्य चुनौतियां

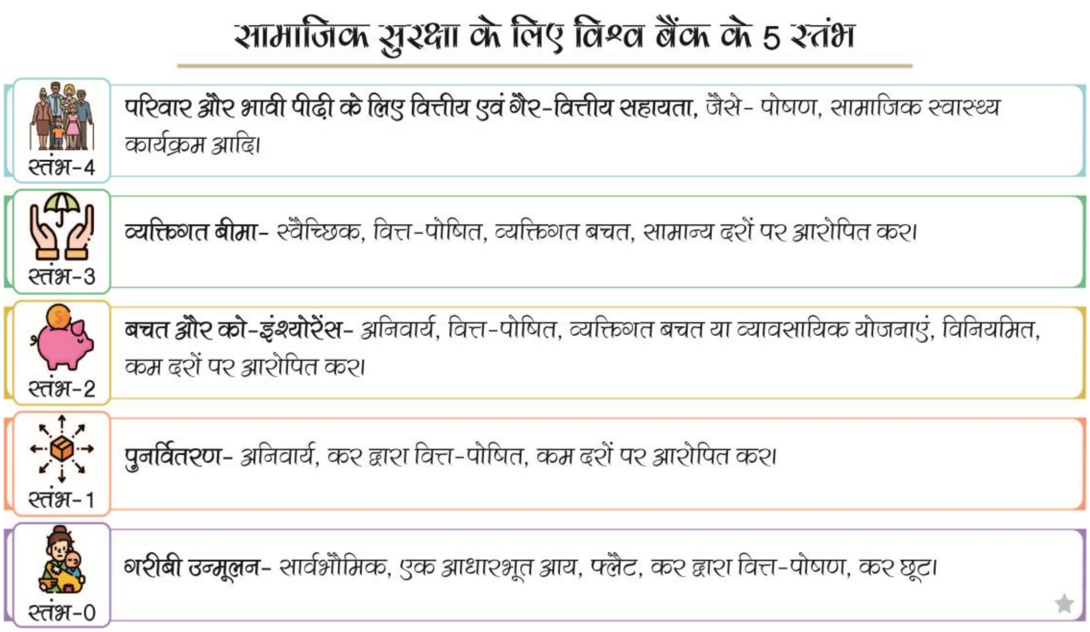

सामाजिक सुरक्षा के लिए विश्व बैंक के 5 स्तंभ

स्तंभ-4: **परिवार और भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता,** जैसे- पोषण, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि।

स्तंभ-3: **व्यक्तिगत बीमा-** स्वैच्छिक, वित्त-पोषित, व्यक्तिगत बचत, सामान्य दरों पर आरोपित कर।

स्तंभ-2: **बचत और को-इंश्योरेंस-** अनिवार्य, वित्त-पोषित, व्यक्तिगत बचत या व्यावसायिक योजनाएं, विनियमित, कम दरों पर आरोपित कर।

स्तंभ-1: **पुनर्वितरण-** अनिवार्य, कर द्वारा वित्त-पोषित, कम दरों पर आरोपित कर।

स्तंभ-0: **गरीबी उन्मूलन-** सार्वभौमिक, एक आधारभूत आय, फ्लैट, कर द्वारा वित्त-पोषण, कर छूट।

बढ़ते वित्तीय बोझ के अलावा, भारतीय पेंशन प्रणाली को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। **राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (NIPFP)**[83] के अनुसार, **भारतीय पेंशन प्रणाली** में निम्नलिखित कमियां हैं:

- औपचारिक पेंशन प्रणाली का **दायरा सीमित और असमान** है। यह मुख्यतः सिविल सेवकों और संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों तक सीमित है। उदाहरण के लिए- **वर्तमान में कुल कर्मचारियों में से कम-से-कम 85%** ऐसे कर्मचारी हैं, जो किसी भी पेंशन योजना से नहीं जुड़े हैं।
- यह निर्धन वृद्ध व्यक्तियों के लिए **सीमित सामाजिक सुरक्षा सुविधा** प्रदान करती है। कुल वृद्ध आबादी में से,
  - **57%** ऐसे हैं जिन्हें **किसी भी प्रकार का आय समर्थन (सार्वजनिक व्यय से) प्राप्त नहीं है।**
  - **26%** ऐसे हैं जिन्हें गरीबी उन्मूलन के हिस्से के रूप में **सामाजिक पेंशन प्रदान** की जाती है।
- बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण **दीर्घ-आयु संबंधी या वृद्ध नागरिकों की पेंशन देनदारियों से जुड़े जोखिम (Longevity Risk) मौजूद हैं।**
- जनसंख्या का एक **बड़ा हिस्सा** अनौपचारिक रोजगार में संलग्न है।
- **उच्च विषमता** और **सरकारी पेंशन का बोझ** बना हुआ है। उदाहरण के लिए-
  - **सरकार के पूर्व कर्मचारियों** (या उनके आश्रित) में से **11.4%** ऐसे हैं जिन्हें पेशन के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इसमें सरकारी व्यय का लगभग 62% खर्च होता है।
  - राज्य सरकारें इन खर्चों का **60%** से अधिक वहन करती हैं।

आगे की राह

उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान के लिए पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा के लिए विश्व बैंक के पांच स्तंभों का अनुसरण किया जा सकता है तथा इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- सबसे निर्धन वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक **न्यूनतम स्तर की सहायता का प्रावधान** किया जाना चाहिए।
- असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए **पेंशन व्यवस्था के दायरे का विस्तार किया** जाना चाहिए।
- सेवानिवृत्ति के लिए एक न्यूनतम प्रवेश आयु को लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके लाभ सेवानिवृत्ति उद्देश्यों से जुड़े हैं।
- निजी पेंशन प्रणाली के लिए **विनियामकीय मानदंडों में सुधार** किया जाना चाहिए।
- बढ़ती आबादी के मुद्दों को दूर करने के लिए **पारंपरिक वृद्धावस्था सहायता तंत्र को पुनः स्थापित** किया जाना चाहिए।
- पेंशन क्षेत्र पर **सरकारी विनियामक नियंत्रण को कम करना** चाहिए जो निजी ऐनुइटी बाजार के विकास को बाधित करता है।
- **सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि:** नागरिक वर्तमान सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक समय तक काम करने में सक्षम हैं। इस तरह सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना नागरिकों के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ सरकार पर पेंशन का बोझ कम कर सकता है।

---

[83] National Institute of Public Finance and Policy study

3.8. लैंड टाइटलिंग या भू-स्वामित्व (Land Titling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **“कन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट”**[84] प्रकाशित किया है। चूंकि, नीति आयोग का काम कानून बनाना नहीं है, इसलिए इसने इसे एक अधिनियम के मसौदे के रूप में प्रकाशित किया है।

मॉडल कन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट में शामिल बिंदुओं पर एक नज़र

- **भूमि प्राधिकरण (Land Authorities):** प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा **भूमि प्राधिकरण** स्थापित किया जाएगा, जो एक स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (TRO) को नियुक्त करेगा।
  - सभी विवादित दावों पर विचार करने एवं उनका समाधान करने के बाद, भूमि प्राधिकरण स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रकाशित करेगा।
- **स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (Title Registration Officer: TRO):** TRO के लिए यह आवश्यक है कि वह मौजूदा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर भू-स्वामित्व के लिए एक मसौदा सूची तैयार करे एवं उसे प्रकाशित करे।
- **भूमि विवाद समाधान अधिकारी (Land Dispute Resolution Officer: LDRO):** TRO को यदि विवादित दावे प्राप्त होते हैं, तो वह सभी संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और समाधान के लिए मामले को LDRO के पास भेजेगा।
- **भू-स्वामित्व अपीलीय ट्रिब्यूनल (Land Titling Appellate Tribunals):** तीन साल की अवधि के अंदर, स्वामित्व और TRO एवं LDRO के निर्णयों को भू-स्वामित्व अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
- **स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण (Conclusive proof of ownership):** तीन वर्षों की अवधि के बाद रिकॉर्ड ऑफ़ टाइटल्स (स्वामित्व के रिकॉर्ड) में दर्ज प्रविष्टियों (Entries) को स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।
- **अपील (Appeal):** सत्यापन के अंतिम चरण के बाद, अपील केवल उच्च न्यायालयों में ही की जा सकती है।

पृष्ठभूमि

- 2008 में, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए एक **डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम** (DILRMP)[85] शुरू किया गया था।
  - इसके तहत भारत में **अनुमान आधारित भूमि स्वामित्व प्रणाली को स्वामित्व गारंटी युक्त निर्णायक स्वामित्व (Conclusive titles) से बदलने का लक्ष्य** रखा गया है।
- 2011 में, सरकार ने एक **मॉडल भू-स्वामित्व कानून, 2011** का मसौदा तैयार किया था। इसका उद्देश्य यह था कि राज्य निर्णायक स्वामित्व स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ें।
  - हालांकि, विधेयक में यह स्पष्ट नहीं था कि वर्तमान प्रणाली नई प्रणाली में कैसे परिवर्तित होगी और उसमें प्राधिकरणों एवं अधिकारियों की क्या भूमिका होगी।
- 2021 में, **निर्णायक भू-स्वामित्व पर एक मॉडल विधेयक**[86] राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया था, जिसमें उनकी टिप्पणियां मांगी गई थी।
  - हालांकि, कई राज्य अपनी प्रतिक्रिया भेजने में विफल रहे हैं।

भू-स्वामित्व (Land Titling) के बारे में

- **भू-स्वामित्व** एक सामान्य पद है। इसका उपयोग:
  - **सरकार द्वारा नागरिकों और सरकारों को भूमि या संपत्ति के अधिकारों के आदान-प्रदान या**
  - **व्यापार के लिए सशक्त बनाने हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों को निरूपित करने के लिए किया जाता है।**
- अधिकांशतः गरीबों विशेषकर समाज के सबसे कमज़ोर समूहों के लिए भूमि तक पहुंच एवं उसका आधिकारिक स्वामित्व उनकी आजीविका का मूल स्रोत है। इन समूहों में हाशिये पर स्थित लोग, किसान, जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आदि शामिल हैं।
- **भारत वर्तमान में अनुमान आधारित भू-स्वामित्व प्रणाली का अनुसरण करता है।**
  - इसका अर्थ यह है कि भूमि रिकॉर्ड को कब्जे की जानकारी के आधार पर बनाए रखा जाता है। कब्जे की जानकारी पिछले लेन-देन के विवरण से तय की जाती है।
  - इसके बाद **वर्तमान कब्जे के आधार पर** ही स्वामित्व की पुष्टि की जाती है।
  - भूमि का पंजीकरण वास्तव में **लेन-देन का पंजीकरण है। बिक्री संबंधी कार्य, विरासत, रेहन और पट्टा आदि के रिकॉर्ड को ऐसे लेन-देन के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है।**
  - पंजीकरण के कागजात रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें सरकार या भूमि के स्वामित्व की गारंटी देने वाला कानूनी ढांचा शामिल है।

---

[84] Model Conclusive Land Titling Act/ निर्णयात्मक भू-स्वामित्व के लिए मॉडल अधिनियम

[85] Digital India Land Record Moderinization Programme

[86] Model Bill on Conclusive Land Titling

- दूसरी ओर, हाल ही में प्रस्तावित **कन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग प्रणाली के तहत दर्ज भूमि रिकॉर्ड भूमि के वास्तविक स्वामी** का विवरण देगा।
    - **राज्य** भू-स्वामित्व पर **गारंटी प्रदान करेगा।** किसी भी विवाद के मामले में मुआवजे के प्रावधान को शामिल किया गया है।
    - एक बार स्वामित्व दिए जाने के बाद, किसी भी अन्य दावेदार को **सरकार के साथ विवादों का निपटारा करना होगा, न कि स्वामित्व धारक के साथ।**
    - इसके अलावा, सरकार **विवादों के मामले में दावेदारों को मुआवजा प्रदान कर सकती है,** लेकिन स्वामित्व धारक को स्वामित्व खोने का कोई खतरा नहीं होगा।
    - इस प्रणाली की शुरुआत दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और बाद में इसे राष्ट्रमंडल के कई देशों द्वारा अपनाया गया था।

कन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग को लागू करने में चुनौतियां

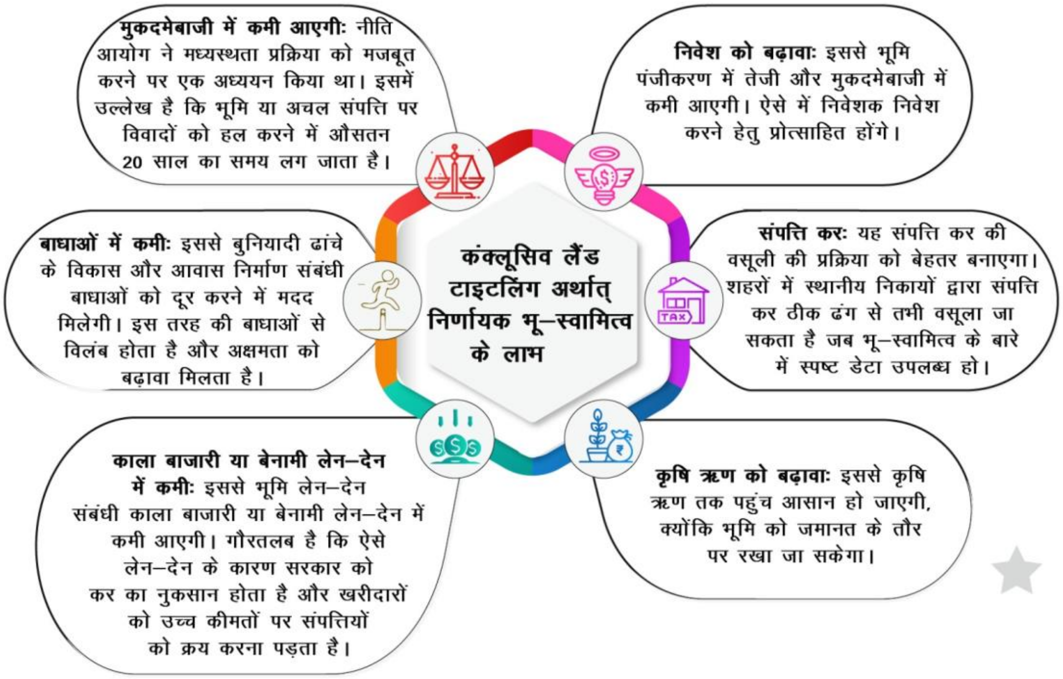

कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग अर्थात् निर्णायक भू–स्वामित्व के लाभ

मुकदमेबाजी में कमी आएगी: नीति आयोग ने मध्यस्थता प्रक्रिया को मजबूत करने पर एक अध्ययन किया था। इसमें उल्लेख है कि भूमि या अचल संपत्ति पर विवादों को हल करने में औसतन 20 साल का समय लग जाता है।

निवेश को बढ़ावा: इससे भूमि पंजीकरण में तेजी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी। ऐसे में निवेशक निवेश करने हेतु प्रोत्साहित होंगे।

बाधाओं में कमी: इससे बुनियादी ढांचे के विकास और आवास निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इस तरह की बाधाओं से विलंब होता है और अक्षमता को बढ़ावा मिलता है।

संपत्ति कर: यह संपत्ति कर की वसूली की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा। शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर ठीक ढंग से तभी वसूला जा सकता है जब भू–स्वामित्व के बारे में स्पष्ट डेटा उपलब्ध हो।

काला बाजारी या बेनामी लेन–देन में कमी: इससे भूमि लेन–देन संबंधी काला बाजारी या बेनामी लेन–देन में कमी आएगी। गौरतलब है कि ऐसे लेन–देन के कारण सरकार को कर का नुकसान होता है और खरीदारों को उच्च कीमतों पर संपत्तियों को क्रय करना पड़ता है।

कृषि ऋण को बढ़ावा: इससे कृषि ऋण तक पहुंच आसान हो जाएगी, क्योंकि भूमि को जमानत के तौर पर रखा जा सकेगा।

- **रिकॉर्ड की खराब स्थिति:** कई स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेजों में दर्ज नहीं होते हैं और भूमि पर किए गए बदलाव भी अक्सर दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं हो पाते हैं।
- **अलग-अलग लिपियां और भाषाएं:** मौजूदा रिकॉर्ड बिखरे हुए हैं। भूमि संबंधी रिकॉर्ड अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लिपियों और भाषाओं में रखे जाते हैं। इससे जमीन का भू-स्वामित्व निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- **राज्यों की कमजोर राजकोषीय क्षमता:** स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में भूमि और संपत्ति के खरीदारों को वास्तव में क्षतिपूर्ति (Underwrite/ हामीदारी) देने के लिए राज्यों के पास आवश्यक राजकोषीय क्षमता नहीं होती है।
- **सरकार पर बोझ:** दावों को लेकर विवाद और बढ़ेंगे, क्योंकि झूठे स्वामित्व के ज़रिए छले गए खरीदारों को मुआवजा देना सरकार का काम बन जाएगा।
    - यह पहले से ही दबाव का सामना कर रही मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर और बोझ डालने जैसा होगा।
- **पंजीकरण प्रणाली के बारे में स्पष्टता का अभाव:** चूंकि, इसमें यह उल्लिखित या परिभाषित नहीं है कि नई स्वामित्व पंजीकरण प्रणाली क्या होगी।
    - यह केवल यह बताता है कि प्राधिकरण इसे एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित करेगा।
- **राज्य की जवाबदेही का अभाव:** नियुक्त TRO एक गैर-राज्य अधिकारी भी हो सकता है, अर्थात् एक निजी व्यक्ति को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। TRO जवाबदेहिता को खतरे में डाल सकता है और निजी हितों से प्रेरित होकर हेरफेर के जरिए पूरी प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष

इससे पहले कि भारत अपनी अनुमान आधारित भू-स्वामित्व प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की योजना बनाए, भारत को अपने भूमि रिकॉर्ड की खराब स्थिति में सुधार करने के लिए ठोस कार्य करने होंगे।

2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अति आवश्यक भूमि सुधारों को लागू करना समय की मांग है। इसके जरिए भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

3.9. मूल्य निगरानी केंद्र (Price Monitoring Centres: PMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** ने भारत के सभी जिलों में महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए **मूल्य निगरानी केंद्र (PMC)** स्थापित करने का सुझाव दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार की कोशिश है कि **31 मार्च, 2023 तक देश भर में 750 PMCs** की स्थापना करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- वर्तमान स्थिति के अनुसार, आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल व्यय का **50% राज्य सरकार द्वारा** और **50% केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित** किया जाएगा।

मूल्य निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था

- **उपभोक्ता मामले विभाग** के तहत **मूल्य निगरानी प्रभाग** (PMD)[88] चयनित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
    - PMD चयनित आवश्यक वस्तुओं की खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। साथ ही, यह दैनिक आधार पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के **मौजूदा मूल्य (Spot price)** और **भविष्य की कीमतों** की निगरानी भी करता है।
    - वेबसाइट पर कीमतों की सूचना को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।
    - संबंधित राज्य सरकारों के **राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग** रोजाना 22 आवश्यक खाद्य उत्पादों के बारे में **PMS ऐप** पर कीमतों की जानकारी देते हैं।
- देश भर में फैले 340 बाजार केंद्रों से लिए गए आंकड़ों के आधार पर **22 आवश्यक खाद्य सामग्रियों** की निगरानी की जाती है।
- राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित केंद्रों द्वारा बताई गई कीमतों की सटीकता की जांच करने के लिए **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** और **नाफेड (NAFED)[89] की सेवाएं ली जाती हैं।**

PMC के लाभ

- PMC के जरिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी की जाएगी और उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे में **मुद्रास्फीति को नियंत्रित** किया जा सकेगा।
- गुणवत्ता, मात्रा, मानक, परीक्षण और बेंचमार्क के मामले में **उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा** की जाएगी। इन सेवाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)[87], नेशनल टेस्ट हाउस (NTH), लीगल मेट्रोलॉजी और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग किया जाएगा।
- **ई-दाखिल (E-Daakhil):** PMC के तेजी से कार्रवाई करने के कारण उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए इस पोर्टल का बेहतर उपयोग होगा।
- **बाजार हस्तक्षेप (Market intervention):** खुदरा मूल्यों की नियमित समीक्षा से बाजार को स्थिर करने हेतु बाजार हस्तक्षेप संबंधी रणनीतियों पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वस्तुओं की कमी उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करे।

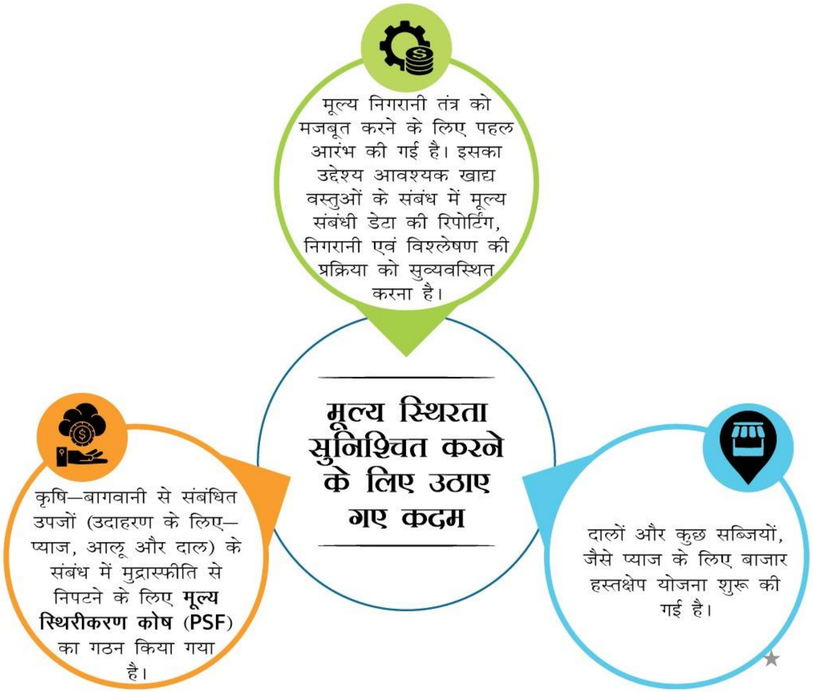

मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए पहल आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के संबंध में मूल्य संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग, निगरानी एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

कृषि—बागवानी से संबंधित उपजों (उदाहरण के लिए—प्याज, आलू और दाल) के संबंध में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए **मूल्य स्थिरीकरण कोष** (PSF) का गठन किया गया है।

दालों और कुछ सब्जियों, जैसे प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की गई है।

---

[87] Bureau of Indian Standards

[88] Price Monitoring Division

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.10.1. भारत कौशल रिपोर्ट 2023 (India Skills Report 2023)

- यह रिपोर्ट **व्हीबॉक्स (Wheebox) ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)**[90]**, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)**[91] और **अन्य के सहयोग** से जारी की है।
    - यह रिपोर्ट 2030 तक भारत की कौशल और प्रतिभा अर्थव्यवस्था के रणनीतिक परिदृश्य की जांच करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
    - भारत का नियोजन योग्य कार्यबल **46.2% से बढ़कर 50.3%** हो गया है।
    - **महिला कार्यबल का 52.8% नियोजन योग्य** है। यह नियोजन योग्य पुरुषों के प्रतिशत से अधिक है। पुरुष कार्यबल का 47.2% नियोजन योग्य है।
    - हालांकि, **33% से कुछ अधिक महिलाएं कामकाजी हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं का अनुपात** यह दर्शाता है कि महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष कार्यरत हैं।
    - डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्त के क्षेत्र में **कौशल की अधिक कमी** है।
    - अनुकूलन और लचीलापन (Adaptability & Flexibility), समस्या-समाधान, तनाव प्रबंधन जैसे सॉफ्ट-स्किल्स सभी प्रकार के रोजगार के लिए अपरिहार्य हो जाएंगे।

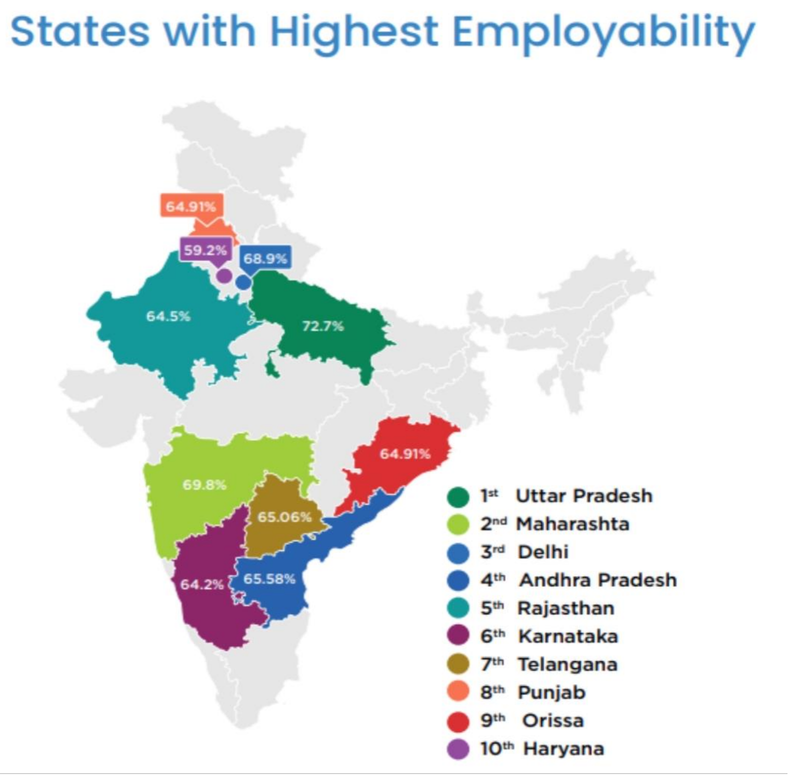
States with Highest Employability
64.91%
59.2%
68.9%
64.5%
72.7%
64.91%
69.8%
65.06%
64.2%
65.58%
● 1st Uttar Pradesh
● 2nd Maharashta
● 3rd Delhi
● 4th Andhra Pradesh
● 5th Rajasthan
● 6th Karnataka
● 7th Telangana
● 8th Punjab
● 9th Orissa
● 10th Haryana

- रिपोर्ट में देश की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तरीय शिक्षा में आवश्यक **व्यावसायिक एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करने की सिफारिश** की गई है।
- **कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें**
    - **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015** घोषित की गई है।
    - **स्किल इंडिया मिशन 2015** शुरू किया गया है।
    - कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना** चलाई जा रही है।
    - **स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प (SANKALP) और स्ट्राइव (STRIVE)** जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

3.10.2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System: PFMS)

- हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC)[92] ने PFMS को लागू करने में राजकोषीय विवेक (Fiscal prudence) पर बल दिया है
- PFMS, एक **वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन** है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (CGA)[93] के कार्यालय ने विकसित और कार्यान्वित किया है।

---

[89] National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.

[90] All India Council for Technical Education

[91] Confederation of Indian Industry

[92] Public Accounts Committee

  - PFMS की शुरुआत 2009 में की गई थी। इसे भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी निधियों पर नज़र रखने और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की रियल टाइम रिपोर्टिंग के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - बाद में, **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं को भी इस प्रणाली के दायरे में** लाया गया था।
- **PAC द्वारा रेखांकित प्रमुख चिंताएं**
  - PFMS का कार्यान्वयन अनौपचारिक तरीके से किया गया था। साथ ही, इस प्रक्रिया की कोई समुचित वित्तीय योजना भी नहीं बनाई गई थी।
  - इसके कार्यान्वयन के लिए **न तो पर्याप्त कर्मी नियुक्त किए गए थे, न ही अवसंरचना** स्थापित की गई थी और न ही आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई थी।
  - इसके दायरे में सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं को नहीं लाया गया है।
- **इसकी प्रमुख सिफारिशें:**
  - योजना का **बजट बनाने, अनुमान लगाने और आवंटित निधि के उपयोग में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया** जाना चाहिए। इससे राजकोषीय विवेक सुनिश्चित किया जा सकता है।
  - **भौतिक और तकनीकी अवसंरचना का आकलन करने** के साथ-साथ बैक-अप व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता है।
  - **पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व बचत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का तेजी से समावेशन** तथा निश्चित समय-सीमा के भीतर भुगतान-अंतरण सॉफ्टवेयर का एकीकरण करना चाहिए।
  - **DBT योजना को** PFMS में शामिल करने से पहले **योजना की प्रकृति और इसके घटकों का गहन मूल्यांकन** करना चाहिए।

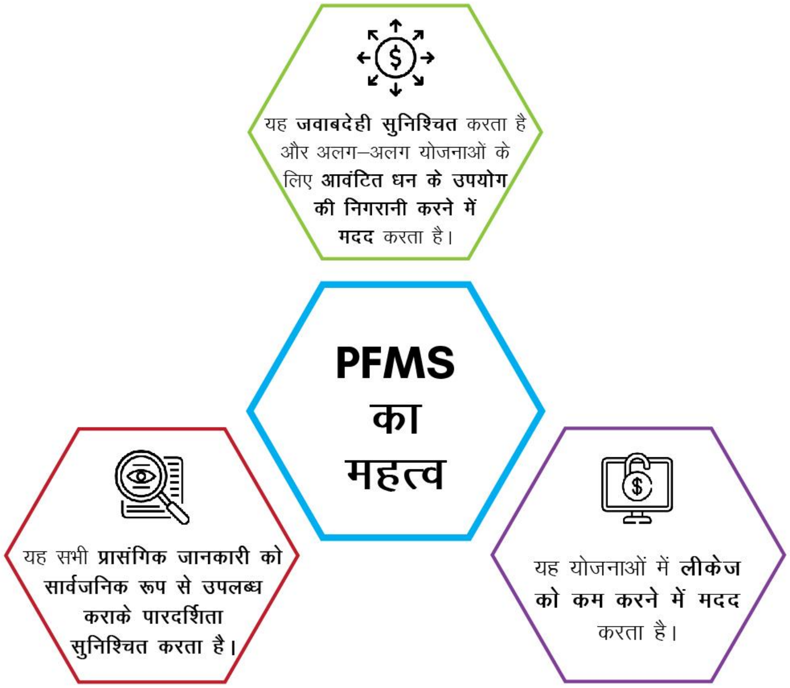
यह **जवाबदेही सुनिश्चित** करता है और अलग–अलग योजनाओं के लिए **आवंटित धन के उपयोग की निगरानी करने में मदद** करता है।
PFMS का महत्व
यह सभी **प्रासंगिक जानकारी** को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराके पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
यह योजनाओं में **लीकेज को कम करने में मदद** करता है।

PFMS का महत्व

- यह जवाबदेही सुनिश्चित करती है और अलग-अलग योजनाओं के लिए आवंटित धन के उपयोग की निगरानी में मदद भी करती है।
- योजनाओं में **रिसाव (Leakages) को कम करने में मदद** करती है।
- सभी **प्रासंगिक जानकारियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करके पारदर्शिता सुनिश्चित** करती है।

3.10.3. वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी./ GST) परिषद की 48वीं बैठक {48th Meeting of Goods and Services Tax (GST) Council}

- **GST परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय**
  - **व्यापार को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:**
    - **केंद्रीय जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 132** के तहत उल्लिखित कुछ अपराधों को गैर-अपराध घोषित करने की सिफारिश की गई है। इन अपराधों में **किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकना या उसमें बाधा डालना,** महत्वपूर्ण साक्ष्य को जानबूझकर विकृत करना, जानकारी प्रदान करने में विफलता आदि शामिल हैं।
    - **अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ा कर दो करोड़ रुपये** की गई है।

---

[93] Controller General of Accounts

        - कंपाउंडिंग राशि को कर राशि के 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से घटाकर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच कर दिया गया है। अपराध की कंपाउंडिंग का अर्थ है अभियोजन का सामना करने की बजाय मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करना।
    - दाल के छिलके पर GST को **शून्य** कर दिया गया है। पहले इस पर **5 प्रतिशत** जीएसटी लगता था।
    - **एथिल अल्कोहल (जैव ईंधन) पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत** कर दिया गया है।
    - **निम्नलिखित मामलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया-**
        - तंबाकू और गुटखा पर कोई नया कर लगाना;
        - ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को GST के दायरे में लाना;
        - करदाताओं के साथ विवादों के निपटान हेतु अधिकरण की स्थापना करना आदि।
- **GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है।** इसकी स्थापना **101वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 279A(1)** जोड़कर की गई है। इसका उद्देश्य **GST से संबंधित अलग-अलग मुद्दों को हल** करना है।
    - **GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:**
        - केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष);
        - केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री (सदस्य);
        - प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री (सदस्य)।

3.10.4. केंद्र सरकार द्वारा उपकर निधियों का कम हस्तांतरण (Short-Transfers of Cess Funds by Centre)

- "वित्त वर्ष 2021 के लिए केंद्र सरकार के लेखाओं पर CAG की रिपोर्ट" में **उपकर और लेवी का उपयोग नहीं किए जाने को रेखांकित** किया गया है।
- उपकर (Cess) **पहले से मौजूद कर के अलावा अतिरिक्त कर** के रूप में लगाया जाता है। यह वास्तव में **कर के ऊपर कर** लगाना है। उपकर किसी **विशेष कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य** से लगाया जाता है।
    - **अधिभार** (Surcharge) भी **कर के ऊपर आरोपित कर** होता है। हालांकि, इसे **किसी विशेष उद्देश्य से संग्रह नहीं** किया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेकानुसार **किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिभार की आय का उपयोग** कर सकती है।
- उपकर सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं होता है। वांछित उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे **समाप्त** कर दिया जाता है।
    - यह **अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, दोनों तरह के करों** पर लगाया जा सकता है।
    - संविधान के **अनुच्छेद 270** के अनुसार केंद्र सरकार उपकर को **राज्यों के साथ करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर** कर सकती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**

उपकर	उपकर की विशेषताएं	CAG की टिप्पणी
यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (UAL)	• यह **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF, 2002)**[94] **के तहत राजस्व सृजन** करने वाला एक तंत्र है। ○ इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में **गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती मोबाइल व डिजिटल सेवाएं** उपलब्ध कराना है। • इससे **भारतनेट परियोजना को लागू** किया जाता है।	**USO फंड में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (UAL) का कम हस्तांतरण किया गया है।**
राष्ट्रीय खनिज न्यास लेवी	• न्यास को **खनन पट्टा धारक रॉयल्टी प्रतिशत के रूप में किए गए भुगतान** के माध्यम से **वित्त-पोषित** करते हैं।	**राष्ट्रीय खनिज न्यास लेवी का कम हस्तांतरण किया गया है।**
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष	• **वित्त अधिनियम, 2018 के प्रावधान के अनुसार 4% की दर से** स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (HEC) लगाया जाता है। • इससे संग्रहित राजस्व का **75% हिस्सा शिक्षा क्षेत्रक की योजनाओं के लिए** उपयोग किया जाता है।	**माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष का उपयोग नहीं किया जा रहा है।**

---

[94] Universal Service Obligation Fund

3.10.5. बैंकएश्योरेंस (Bancassurance)

- सरकार ने **बैंकएश्योरेंस पर नए मानदंड** अधिसूचित किए हैं।
- बैंकएश्योरेंस **किसी बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था बीमा कंपनी को अपने उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को बेचने की अनुमति देती है।**
- **बैंक** बीमा उत्पाद बेचकर **अतिरिक्त राजस्व अर्जित करते हैं तथा बीमा कंपनियां अपने उत्पादों की** बिक्री के लिए कार्यबल बढ़ाए बिना **अपने ग्राहक आधार का विस्तार करती हैं।**

3.10.6. विश्व बैंक की "माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ (World Bank Migration and Development Brief)

- **विश्व बैंक की "माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ"** रिपोर्ट प्रवासन से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (SDG) संकेतकों में रुझानों का विश्लेषण करती है।
- **रिपोर्ट में विश्व संबंधी निष्कर्ष:**
    - सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाले पांच देश हैं: **भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र।**
    - **यूक्रेन में युद्ध का और गंभीर होना, तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता तथा प्रमुख उच्च-आय वाले देशों में मंदी, भविष्य में विप्रेषण में गिरावट की वजहें** हो सकती हैं।
- **भारत से संबंधित मुख्य निष्कर्ष:**
    - इस वर्ष **विप्रेषण प्रवाह 12% बढ़कर 100 बिलियन डॉलर** तक पहुंच जाएगा। यह भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3%** हो सकता है।
    - भारत में आने वाले **विप्रेषण का सर्वाधिक हिस्सा अब संयुक्त राज्य अमेरिका** से आता है। इससे **पहले संयुक्त अरब अमीरात इसका सबसे बड़ा स्रोत था।**
    - **विप्रेषण प्रवाह बढ़ने के कारण हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)[95] के अन्य देशों में वेतन वृद्धि और मजबूत श्रम बाजार।
    - भारत में विप्रेषण में **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर की हिस्सेदारी बढ़ी है।** इसके विपरीत, **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)[96] के 5 देशों** (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और कतर) की **हिस्सेदारी कम हुई** है।

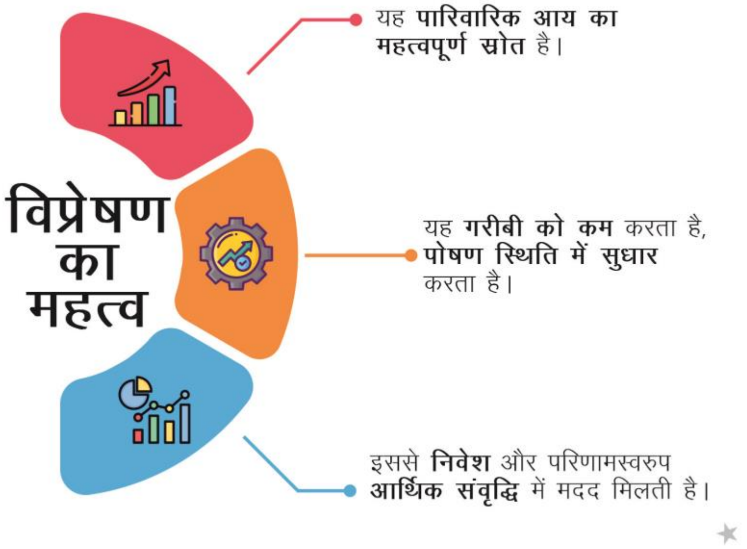
विप्रेषण का महत्व
यह पारिवारिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।
यह गरीबी को कम करता है, पोषण स्थिति में सुधार करता है।
इससे निवेश और परिणामस्वरुप आर्थिक संवृद्धि में मदद मिलती है।

3.10.7. ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 (Global Wage Report 2022-23)

- यह रिपोर्ट **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)[97]** ने जारी की है। रिपोर्ट में इस बात का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद जीवन-यापन के संकट ने **देशों और क्षेत्रों में वेतन/ मजदूरी तथा क्रय शक्ति को कैसे प्रभावित किया है।**
- **इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **बढ़ती मुद्रास्फीति** से कई देशों में **वास्तविक मजदूरी/ वेतन वृद्धि दर नकारात्मक** रही है। इसके परिणामस्वरूप, क्रय शक्ति कम हुई है।
    - **कोविड-19 संकट के कारण वेतनभोगी कर्मचारियों को औसतन छह सप्ताह के वेतन का नुकसान** उठाना पड़ा है।
    - **कम वेतन प्राप्त करने वाले तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले समूहों और मजदूरी पर काम करने वाली महिलाओं को** सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है।

---

[95] Organization for Economic Cooperation and Development

[96] Gulf Cooperation Council

[97] International Labor Organization

3.10.8. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ)

- **रक्षा व अंतरिक्ष एजेंसियों ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अधीन 99% निषिद्ध घोषित क्षेत्र को तेल की खोज और उत्पादन (E&P)[98] के लिए सरकार को सौंप दिया है।**

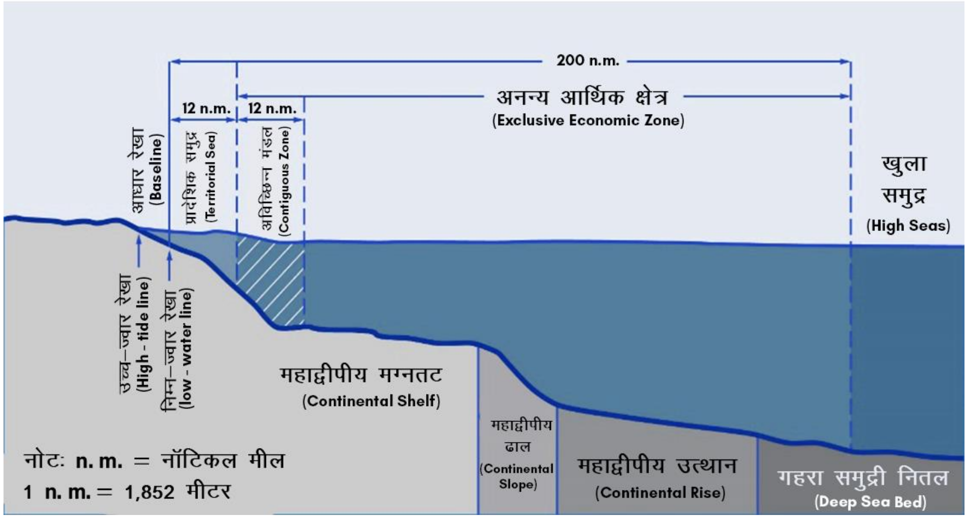
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone:EEZ)
200 n.m.
12 n.m.
12 n.m.
अनन्य आर्थिक क्षेत्र
(Exclusive Economic Zone)
आधार रेखा (Baseline)
प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea)
अविच्छिन्न मंडल (Contiguous Zone)
खुला समुद्र (High Seas)
उच्च-ज्वार रेखा (High - tide line)
निम्न-ज्वार रेखा (low - water line)
महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf)
महाद्वीपीय ढाल (Continental Slope)
महाद्वीपीय उत्थान (Continental Rise)
गहरा समुद्री नितल (Deep Sea Bed)
नोट: n. m. = नॉटिकल मील
1 n. m. = 1,852 मीटर

- सुरक्षा कारणों से निषिद्ध घोषित किए गए इन क्षेत्रों में तेल की खोज व उत्पादन की अनुमति देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य **भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता** देना है।
    - इस कदम से भारत के **EEZ का लगभग 2.37 मिलियन वर्ग कि.मी. का 'नो-गो' क्षेत्र 42% से कम होकर केवल 1%** रह जाएगा।
- **संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय (UNCLOS)[99]** के अनुसार, EEZ **प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) सीमा** से परे निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र है। इसका विस्तार आमतौर पर **समुद्र तट से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील** तक होता है।
    - इस क्षेत्र के भीतर तटवर्ती देश को **संसाधनों के अन्वेषण और दोहन का संप्रभु अधिकार** प्राप्त होता है। साथ ही, **इस क्षेत्र के सजीव और निर्जीव, दोनों संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी** भी उसी देश की होती है।
    - **7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा** के साथ भारत के पास दुनिया का **12वां सबसे बड़ा EEZ** क्षेत्र है।
- **तेल की खोज व उत्पादन के लिए EEZ के उपयोग का महत्व**
    - भारत के **3.4 मिलियन वर्ग कि.मी. लंबे तलछट बेसिनों** में से 51% अपतटीय हैं। इनमें से **40% हिस्सा निषिद्ध क्षेत्रों** में स्थित है।
        - इससे **EEZ में सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियां** सीमित हो जाती हैं। इस कारण **खोज और उत्पादन कार्यों में कमी** आती है।
    - भारत, दुनिया के **सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक** है। निषिद्ध क्षेत्र में तेल संबंधी गतिविधियों को अनुमति मिलने से **तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम करने** आदि में मदद मिलेगी।

3.10.9. गैस मूल्य निर्धारण पर गठित किरिट पारेख समिति (Kirit Parekh Panel on Gas Prices)

- **समिति ने निम्नलिखित उद्देश्यों से गैस मूल्य निर्धारण की सिफारिशें की हैं:**
    - **उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस** उपलब्ध कराना;
    - 2030 तक भारत के **एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15%** करना आदि।
- वर्तमान में, **गैस मूल्य निर्धारण की कई प्रणालियां** हैं। प्रशासित मूल्य प्रणाली (APM)[100] और गैर-प्रशासित मूल्य प्रणाली इसके कुछ उदाहरण हैं।
    - ये प्रणालियां **फार्मूला आधारित** हैं। साथ ही, गैस मूल्य निर्धारण के लिए हेनरी हब, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, अलबर्टा और रूस जैसे **अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में** रखती हैं।
    - गैस कीमतें **प्रत्येक छह महीने के बाद अधिसूचित** की जाती हैं।

---

[98] Exploration and Production

[99] United Nations Convention on the Law of the Sea

[100] Administered Price Mechanism

- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - **पुराने (लेगेसी) गैस क्षेत्रों से निकाली जा रही प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण** को नियंत्रण मुक्त कर देना चाहिए तथा इसे **बाजार द्वारा निर्धारित** होने देना चाहिए। प्राकृतिक गैस के लिए सभी अधिकतम मूल्य सीमाओं को 1 जनवरी, 2027 तक समाप्त कर देना चाहिए।
    - **पुराने गैस क्षेत्र** ONGC और आयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को **लाभ साझा करने की शर्त के बिना नामित आधार** पर दिए गए हैं। इस कारण, सरकार इसकी कीमत को नियंत्रित करती है।
  - राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा **उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत को आयातित कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप** किया जाना चाहिए।
  - **प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में शामिल** किया जाना चाहिए।
- प्राकृतिक गैस के महत्व को देखते हुए **भारत ने गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की दिशा में कई कदम** उठाए हैं। **प्राकृतिक गैस के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:**
  - **आर्थिक लाभ:** CNG, पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ती है।
  - **पर्यावरणीय लाभ:** इसके दहन से पार्टिकुलेट मैटर का बहुत कम उत्सर्जन होता है और इस वजह से यह पर्यावरण के अनुकूल है।
  - **जलवायु परिवर्तन शमन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद** करती है।

प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए **प्राकृतिक गैस विपणन में सुधारों की घोषणा** की गई है।
- गैस अवसंरचना स्थापित करने के लिए **2024 तक 60 अरब डॉलर के निवेश की योजना** बनाई गई है। इसमें गैस पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क स्थापित करने की योजना भी शामिल है।
- प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना विकसित करके **देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर हिस्सों को गैस ग्रिड से जोड़ा गया है।**

3.10.10. शहरी कायाकल्प के लिए पहल (Initiatives for Urban Rejuvenation)

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने शहरी क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की है:

सिटी फाइनेंस रैंकिंग	• **उद्देश्य:** शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)[101] की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन करना, उन्हें मान्यता देना और पुरस्कृत करना। • **रैंकिंग मानदंड:** शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय मूल्यांकन **तीन मानदंडों के आधार** पर किया जाएगा- **(i) संसाधन जुटाना (ii) व्यय प्रदर्शन और (iii) राजकोषीय गवर्नेंस प्रणालियां।** • **रैंकिंग:** शहरों को **निम्नलिखित 4 जनसंख्या श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग प्रदान की जाएगी:** (i) 4 मिलियन से अधिक (ii) 1-4 मिलियन के बीच (iii) 100 हजार से 1 मिलियन (iv) 100,000 से कम। ○ प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/ राज्य क्लस्टर के भीतर मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा। • सिटी फाइनेंस रैंकिंग **ULBs को उनके वित्तीय प्रदर्शन में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने का एक प्रयास है,** जहां वे अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना व सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने के लिए और सुधार कर सकते हैं।
सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन	• **उद्देश्य:** भारत में **शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थल** बनाने के लिए किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और मान्यता देना। • **प्रतिस्पर्धा मानदंड:** शहरों के वार्डों और सार्वजनिक स्थलों को पांच व्यापक स्तंभों के आधार पर आंकलित किया जाएगा। ये स्तंभ हैं- **(i) पहुंच (ii) सुविधाएं (iii) गतिविधियां (iv) सौंदर्य और (v) पारिस्थितिकी।** • **पुरस्कार:** सबसे सुंदर वार्डों और आकर्षक सार्वजनिक स्थलों को शॉर्टलिस्ट करके क्रमिक तौर पर शहर, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ○ **इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना स्वैच्छिक है।** • यह पहल वार्डों और शहरों को **अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत** को संरक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

---

[101] Urban Local Bodies

3.10.11. अर्बन-20 (Urban-20: U20)

- भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 'U20 कार्यक्रम' आयोजित कर रहा है।**
- U20, G20 में शामिल देशों के शहरों को जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन आदि सहित **शहरी विकास के अलग-अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने तथा सामूहिक समाधान प्रस्तावित** करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह **राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच लाभकारी संवाद को सुगम** बनाता है। साथ ही, यह G20 एजेंडे में शहरी विकास के मुद्दों के महत्व को बढ़ावा देने में मदद भी करता है।

3.10.12. किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (SWAMIH/स्वामी) कोष {Special Window For Affordable & Mid-Income Housing (SWAMIH) Fund}

- केंद्र सरकार ने 'स्वामी' निवेश कोष के लिए **लगभग 5,000 करोड़ रुपये** की राशि जारी की है।
- स्वामी कोष का उद्देश्य **दबाव ग्रस्त, ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA/ रेरा) द्वारा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त-पोषण** प्रदान करना है।
  - यह **श्रेणी II का एक वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)**[102] है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी।
    - AIF का आशय भारत में स्थापित या निगमित किसी भी कोष से है, जो एक निजी रूप से संचित किया गया निवेश साधन है। यह निवेशकों से धन एकत्र करता है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। यह एक ट्रस्ट या एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट निकाय या एक सीमित देयता भागीदारी (LLP)[103] के रूप में होता है।
- यह कोष **वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। भारतीय स्टेट बैंक की इकाई SBICAP वेंचर्स** इसका प्रबंधन करती है।

3.10.13. कृषि निवेश पोर्टल (Agriculture Investment Portal)

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने एकीकृत **'कृषि निवेश पोर्टल'** का उद्घाटन किया है।
- यह कृषि-निवेशकों के लिए एक **केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल** होगा। इस पोर्टल की मदद से कृषि-निवेशक कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों से जुड़े अलग-अलग विभागों द्वारा कार्यान्वित **कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।**
- **इस पोर्टल के निम्नलिखित उद्देश्य है:**
  - **निवेश को बढ़ावा** देना,
  - निवेशकों के लिए **आरंभिक समर्थन प्रक्रिया को आसान** बनाना,
  - **कृषि में सभी उप-क्षेत्रकों की क्षमता का दोहन** करना आदि।
- **निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रमुख क्षेत्रकों में** कृषि मशीनरी, बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, परिशुद्ध कृषि, लॉजिस्टिक्स, भंडारण और शीत श्रृंखला आदि शामिल हैं।

3.10.14. स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) की सुविधा के लिए योजना {Scheme For Facilitating Startups Intellectual Property Protection (SIPP)}

- SIPP योजना में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से **सुविधा शुल्क में कम से कम 100% की वृद्धि** की गई है।
  - स्टार्ट-अप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। **इनकी संख्या वर्ष 2016-17 में 179 थी, जो वर्ष 2021-22 में 1500 हो गई है।**
- **SIPP के बारे में -**
  - इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा व संवर्धन करना और उनके बीच नवाचार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है।

---

[102] Alternative Investment Fund

[103] Limited Liability Partnership

    - इस योजना को **पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM)**[104] कार्यान्वित करता है।
    - यह योजना पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए **स्टार्ट-अप्स को अपने आवेदनों को दाखिल करने तथा प्रोसेसिंग करने के लिए सुविधा प्रदाता उपलब्ध** करवाती है।
        - सुविधा प्रदाताओं के **पेशेवर शुल्क की प्रतिपूर्ति CGPDTM करता है।**

3.10.15. विमानन सुरक्षा रैंकिंग (Aviation Safety Rankings)

- इस नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, **भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2018 में भारत 102वें स्थान** पर था।
- **रैंकिंग के बारे में:**
    - इसे **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन** ने जारी किया है।
    - इसमें 187 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में **सिंगापुर** शीर्ष पर है।
    - यह सूचकांक **सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली के आठ महत्वपूर्ण घटकों** को मापता है। इनमें प्राथमिक विमानन कानून, सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान आदि शामिल हैं।

QUIZ

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

ENGLISH MEDIUM
17 Feb | 5 PM

हिन्दी माध्यम
27 Feb | 5 PM

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स
प्रीलिम्स 2023 के लिए मात्र 60 घंटे में

---

[104] Controller General of the Patents, Designs and Trademarks

4. सुरक्षा (Security)

4.1. समुद्री पायरेसी-रोधी विधेयक (Anti-Maritime Piracy Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, समुद्री पायरेसी-रोधी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। गौरतलब है कि स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर विशेयक को दुबारा सदन में प्रस्तुत किया गया था।

विधेयक में शामिल मुख्य बिंदु

- **पायरेसी या जलदस्युता की परिभाषा:** यह विधेयक **"किसी व्यक्ति या किसी निजी पोत के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी अन्य पोत, किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध खुले समुद्र में की गई हिंसा, बंधक बनाने या किसी प्रकार की लूट-पाट के किसी भी गैर-कानूनी कृत्य को पायरेसी के रूप में परिभाषित करता है।"**
    - उकसाना या जान-बूझकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने में सहायता करना तथा पायरेसी में संलग्न जहाज़ या विमान के संचालन में की गई स्वैच्छिक भागीदारी को भी पायरेसी के कृत्य में शामिल किया गया है।
- **दंड:** पायरेसी को अंजाम देने या ऐसे कृत्य के लिए प्रयास करने के **दोषी पाए जाने पर या तो कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना या मृत्युदंड** की सजा दी जाएगी।
- **कानून का भौगोलिक दायरा:** विधेयक के प्रावधान खुले समुद्री क्षेत्र (High seas) पर लागू होंगे। इसमें भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र और किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित सभी समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।
    - खुले समुद्री क्षेत्र को स्थायी समिति की सिफारिश के बाद इस कानून के दायरे में शामिल किया गया है।
- **पायरेसी को प्रत्यर्पण-योग्य अपराध (Extraditable offence) माना जाएगा:** इसका अर्थ है कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए उसे किसी भी ऐसे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - जिन देशों के साथ ऐसी संधियों का अभाव है, उन्हें पारस्परिकता (Reciprocity) के आधार पर आरोपी का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।
- **नामित न्यायालय:** केंद्र सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, कुछ न्यायालयों को पायरेसी संबंधी अपराधों के शीघ्र ट्रायल के लिए नामित न्यायालयों के रूप में निर्धारित कर सकती है।

21वीं सदी में पायरेसी या समुद्री डकैती की घटनाएं

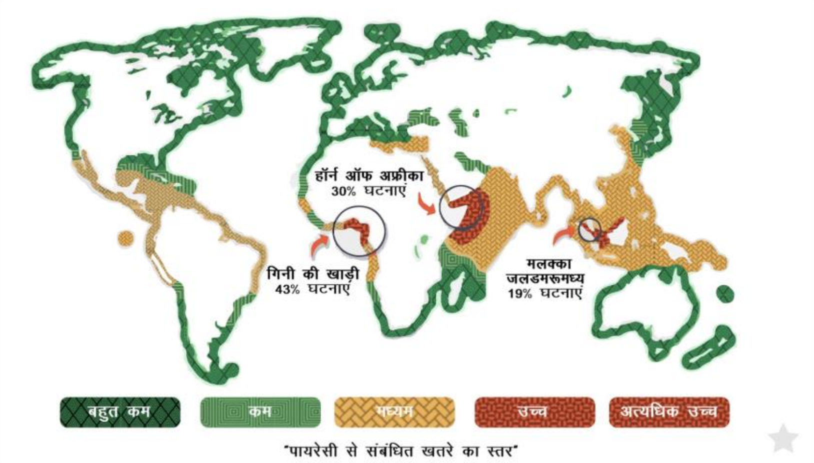

"पायरेसी से संबंधित खतरे का स्तर"

समुद्री पायरेसी-रोधी विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- भारत **UNCLOS का हस्ताक्षरकर्ता** है। इस कारण उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुनिया भर में पायरेसी से जुड़े खतरों को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करे।
- **अदन की खाड़ी में बढ़ते पायरेसी संबंधी जोखिम** ने भी इस तरह के कानूनी उपायों को अपनाने हेतु प्रेरित किया है। गौरतलब है कि अदन की खाड़ी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पूर्वी तट को जोड़ने वाले एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है।
- **पायरेसी के लिए भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता में कोई विशेष कानून या कानूनी प्रावधान नहीं** है। अतः ऐसे में पायरेसी से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी तंत्र की आवश्यकता है।
    - मौजूदा स्थिति में समुद्री सुरक्षा हेतु कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि **भारत का 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से संपन्न होता है। इसके अलावा, देश की 80 प्रतिशत से अधिक हाइड्रोकार्बन आवश्यकताएं समुद्री मार्ग से ही पूरी होती हैं।**
- भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा पकड़े गए समुद्री सशस्त्र लुटेरों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं (जैसे कि धारा 392) और विशेष न्यायालयों के नौवहन क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है।
- भारत की **संप्रभुता इसके प्रादेशिक जल क्षेत्र (Territorial waters) अर्थात् समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक सीमित** है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी घरेलू कानून इस क्षेत्र तक ही लागू होते हैं।
    - **कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के बाहर पायरेसी संबंधी कार्रवाई में शामिल विदेशियों को छोड़ना पड़ा है।**

- **अधिकृत कार्मिक (Authorized Personnel):** केवल अधिकृत कार्मिकों को ही पायरेसी में लिप्त जहाजों को पकड़ने और उनकी जब्ती की अनुमति दी जाएगी।

- **जब्त की गई संपत्ति का निपटान:** समिति ने सुझाव दिया था कि जब्त की गई संपत्ति के निपटान हेतु एक उपयुक्त एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि, अब जब्त जहाज या संपत्ति का निपटान न्यायालय के आदेश के अनुसार ही किया जाएगा।

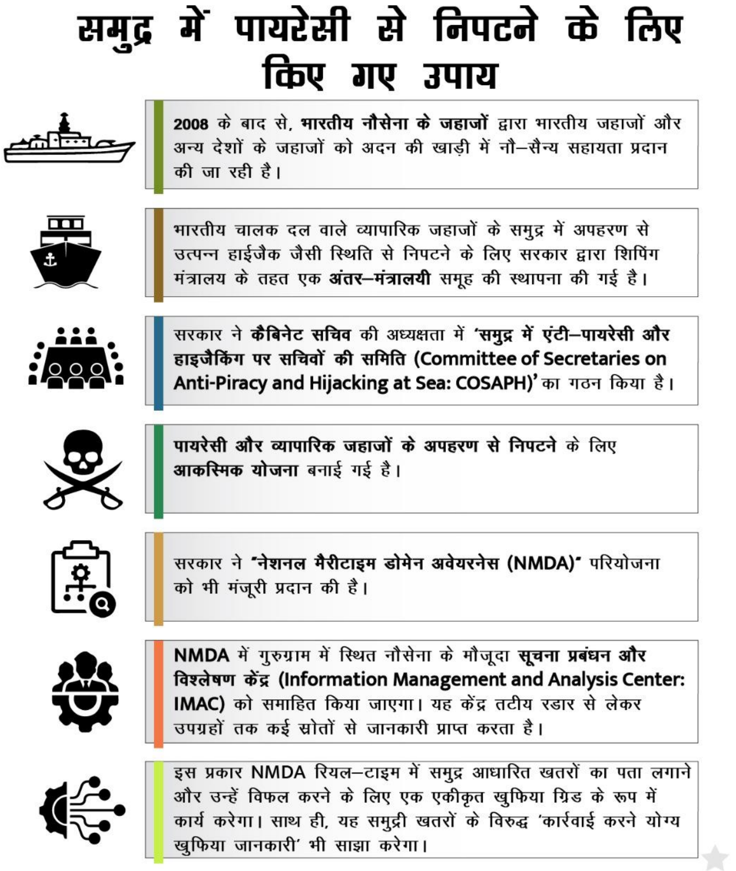

समुद्र में पायरेसी से निपटने के लिए किए गए उपाय

2008 के बाद से, **भारतीय नौसेना के जहाजों** द्वारा भारतीय जहाजों और अन्य देशों के जहाजों को अदन की खाड़ी में नौ–सैन्य सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय चालक दल वाले व्यापारिक जहाजों के समुद्र में अपहरण से उत्पन्न हाईजैक जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा शिपिंग मंत्रालय के तहत एक **अंतर–मंत्रालयी** समूह की स्थापना की गई है।

सरकार ने **कैबिनेट सचिव** की अध्यक्षता में **'समुद्र में एंटी–पायरेसी और हाइजैकिंग पर सचिवों की समिति (Committee of Secretaries on Anti-Piracy and Hijacking at Sea: COSAPH)'** का गठन किया है।

पायरेसी और व्यापारिक जहाजों के अपहरण से निपटने के लिए **आकस्मिक योजना** बनाई गई है।

सरकार ने **"नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (NMDA)"** परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है।

NMDA में गुरुग्राम में स्थित नौसेना के मौजूदा **सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management and Analysis Center: IMAC)** को समाहित किया जाएगा। यह केंद्र तटीय रडार से लेकर उपग्रहों तक कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है।

इस प्रकार NMDA रियल–टाइम में समुद्र आधारित खतरों का पता लगाने और उन्हें विफल करने के लिए एक एकीकृत खुफिया ग्रिड के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह समुद्री खतरों के विरुद्ध 'कार्रवाई करने योग्य खुफिया जानकारी' भी साझा करेगा।

विधेयक से जुड़ी चिंताएं

- **मृत्युदंड:** विधेयक के तहत किसी व्यक्ति द्वारा पायरेसी कार्रवाई या ऐसा करने के प्रयास में लिप्त पाए जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान, "दुर्लभतम में से भी दुर्लभ" (Rarest of rare) मामलों में ही मौत की सजा देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है।
- **स्पष्टता का अभाव:** इस **बात पर भी स्पष्टता का अभाव है कि किन गतिविधियों को पायरेसी की कार्रवाई में मदद** करने वाला माना जाएगा।
    - साथ ही, ऐसे व्यक्ति को कैसे परिभाषित किया जाएगा और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
    - इसके अलावा, पायरेसी को अंजाम देने और पायरेसी के कृत्य में भाग लेने के बीच **अतिव्यापन (Overlapping) की स्थिति** उत्पन्न हो सकती है, लेकिन विधेयक में दोनों के लिए अलग-अलग वर्षों के कारावास का प्रावधान है।
- **प्रत्यर्पण संबंधी बाधाएं:** विधेयक के अनुसार, कुछ शर्तों के पूरा होने की स्थिति में ही **अभियुक्त को दोषी समझा जाएगा।**
    - यदि अभियुक्त को किसी तीसरे देश से भारत में प्रत्यर्पित किया जाना है, तो **वह देश उस अभियुक्त को प्रत्यर्पित नहीं करेगा, जो पहले से ही दोषी साबित** हो चुका है। इसके अलावा, वह देश आरोपी को तब तक प्रत्यर्पित नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं को निर्दोष साबित नहीं करता है।
- **साइबर हमले: पोतों/ जहाजों पर संभावित साइबर हमलों के संबंध में इस विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं** किया गया है।

निष्कर्ष

भारत की सुरक्षा और आर्थिक बेहतरी के मद्देनजर समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार के विकास के लिए इस क्षेत्र को पायरेसी से मुक्त किया जाना भी आवश्यक है। इससे भारत को अपना क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने **पायरेसी को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्र वाले अपराध के रूप में मान्यता** प्रदान की है।
- **UNCLOS अभिसमय को पहली बार 10 दिसंबर, 1982 को जमैका के मोंटेगो बे में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत** किया गया था। भारत ने इसे 1982 में अपनाया था और 1995 में इसकी अभिपुष्टि (Ratification) की थी।
- UNCLOS **महासागरीय क्षेत्रों के विनियमन और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए निर्धारित नियमों का एक समूह** है।
- UNCLOS **महासागरीय क्षेत्र से जुड़े सभी पहलुओं को विनियमित** करता है। इसके कार्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **परिसीमन, पर्यावरण नियंत्रण, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान;**
    - **आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां;**
    - **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; तथा**
    - **महासागर से संबंधित विवादों का निपटान।**
- **खुले समुद्री क्षेत्रों में पायरेसी से निपटने के लिए, UNCLOS सदस्य देशों को यह अधिकार प्रदान** करता है कि वे समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जा किए गए जहाज या विमान या पोत को अपने अधिकार में रख लें।

4.2. तस्करी और जालसाजी (Smuggling and Counterfeiting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)**[105] ने एक वर्किंग-पेपर (कार्य-पत्र) जारी किया था। इस वर्किंग-पेपर का शीर्षक **"तस्करी और जालसाजी: रणनीतियों पर पुनर्विचार"[106] था।**

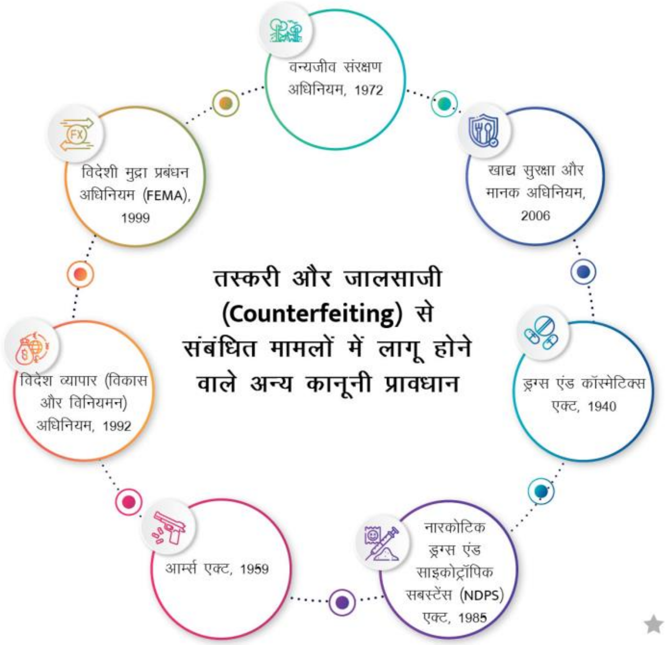
तस्करी और जालसाजी (Counterfeiting) से संबंधित मामलों में लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधान
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (NDPS) एक्ट, 1985
आर्म्स एक्ट, 1959
विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999

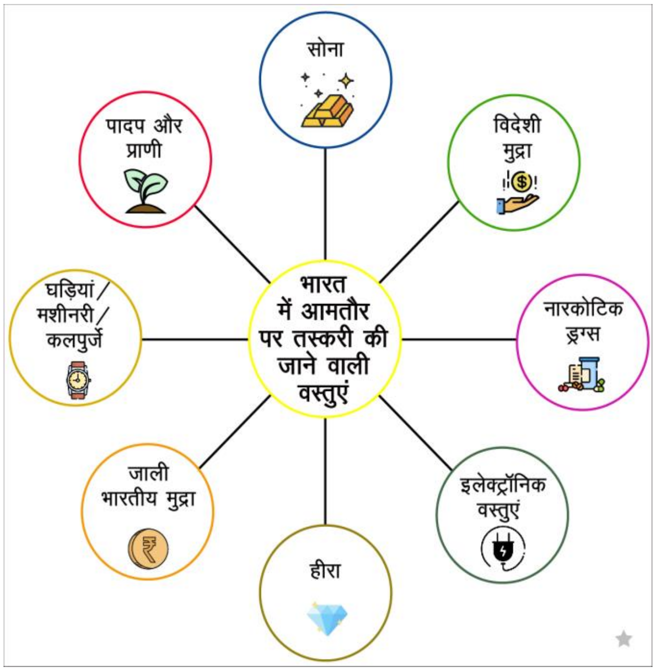
भारत में आमतौर पर तस्करी की जाने वाली वस्तुएं
सोना
विदेशी मुद्रा
नारकोटिक ड्रग्स
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं
हीरा
जाली भारतीय मुद्रा
घड़ियां/ मशीनरी/ कलपुर्जे
पादप और प्राणी

तस्करी और जालसाजी के बारे में

- **तस्करी:** विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)[107] ने तस्करी को **सीमा शुल्क अपराध** के रूप में परिभाषित किया है। इसमें **सीमा शुल्क अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी गैर-कानूनी या निषेधात्मक तरीके से वस्तुओं का व्यापार** शामिल है। यह आमतौर पर शुल्क निगरानी से बचकर संचालित किया जाता है। भारत में, ऐसी तस्करियों से **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962** के तहत निपटा जाता है।
- **जालसाजी: भारतीय दंड संहिता (IPC)**[108] **की धारा 28** के तहत जालसाजी (या कूटकरण) को अग्रलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: **"यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की नकल कर उसी के समान कोई दूसरी वस्तु बनाता है, जो असल जैसी प्रतीत होती है तथा ऐसे कृत्य को वह जानबूझकर करता है या ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य किसी को धोखा देना या छल-कपट करना है, तो उसे जालसाजी कहा जाता है"।**

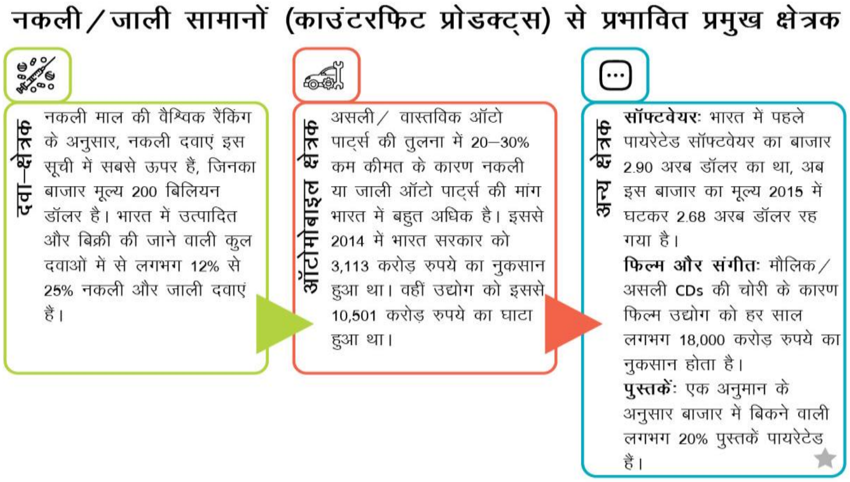

नकली/जाली सामानों (काउंटरफिट प्रोडक्ट्स) से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रक

दवा–क्षेत्रक: नकली माल की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, नकली दवाएं इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जिनका बाजार मूल्य 200 बिलियन डॉलर है। भारत में उत्पादित और बिक्री की जाने वाली कुल दवाओं में से लगभग 12% से 25% नकली और जाली दवाएं हैं।

ऑटोमोबाइल क्षेत्रक: असली/ वास्तविक ऑटो पार्ट्स की तुलना में 20–30% कम कीमत के कारण नकली या जाली ऑटो पार्ट्स की मांग भारत में बहुत अधिक है। इससे 2014 में भारत सरकार को 3,113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं उद्योग को इससे 10,501 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

अन्य क्षेत्रक:

सॉफ्टवेयर: भारत में पहले पायरेटेड सॉफ्टवेयर का बाजार 2.90 अरब डॉलर का था, अब इस बाजार का मूल्य 2015 में घटकर 2.68 अरब डॉलर रह गया है।

फिल्म और संगीत: मौलिक/ असली CDs की चोरी के कारण फिल्म उद्योग को हर साल लगभग 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

पुस्तकें: एक अनुमान के अनुसार बाजार में बिकने वाली लगभग 20% पुस्तकें पायरेटेड हैं।

---

[105] Economic Advisory Council to the Prime Minister

[106] SMUGGLING AND COUNTERFEITING A Relook at Strategies

[107] World Customs Organization

[108] Indian Penal Code

तस्करी और जालसाजी को बढ़ावा देने वाले कारक

व्यापक घरेलू मांग	• **आर्थिक लाभ** के अलावा, तस्करी की जाने वाली वस्तुओं (जैसे- मादक पदार्थ) की **प्रकृति व्यसनकारी (Addictive)** होती है। इस कारण उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसी वस्तुओं की **लगातार मांग बनी** रहती है।
आपूर्ति को बाधित करने में व्याप्त खामियां	• **राजनीतिक इच्छाशक्ति** का अभाव, • अपर्याप्त **अवसंरचना या वित्तीय संसाधन,** • **कठोर अनुपालन** का अभाव, • कुछ लोगों का यह मानना है कि जालसाजी और तस्करी **अन्य अपराधों की तुलना में अल्प गंभीर अपराध (Victimless crime)** हैं, क्योंकि इनसे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित नहीं होता है। • तस्करी सिंडिकेट्स बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से तस्करी करते हैं तथा वे इसे इस प्रकार गोपनीय रखते हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पारंपरिक तरीकों से इनका पता लगाना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन और विदेश व्यापार समझौतों का दुरुपयोग	• इसके चलते **भारत से वस्तु निर्यात योजना / भारत से सेवा निर्यात योजना, अग्रिम प्राधिकरण योजना**[109] आदि का दुरुपयोग होता है। • मुक्त व्यापार समझौते के तहत लाभ के लिए पात्र CTH[110] की श्रेणियों में गलत तरीके से आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग	• इसके लिए डार्क नेट वेबसाइट्स का भी उपयोग होता है। यहां क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन-देन होता है तथा खरीदार/ विक्रेता दोनों **अपनी पहचान छुपा सकते हैं।** • ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया साइट्स ने बड़े संगठनों से जुड़े बिना ही, **कई छोटे फुटकर जालसाजों को अपना प्रसार करने** का अवसर प्रदान किया है।

तस्करी और जालसाजी के प्रभाव

- **भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान:** फिक्की (FICCI)[111] की एक रिपोर्ट के अनुसार, जालसाजी और तस्करी ने 2017-18 में **भारतीय अर्थव्यवस्था को 1.17 लाख करोड़ रुपये** का नुकसान पहुंचाया था। यह आर्थिक नुकसान मुख्यतः निम्नलिखित **पांच प्रमुख उद्योगों** में हुआ था:
    - ○ वस्त्र;
    - ○ तंबाकू उत्पाद (सिगरेट);
    - ○ रेडीमेड कपड़े;
    - ○ पूंजीगत वस्तुएं (मशीनरी एवं कलपुर्जे); तथा
    - ○ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (इलेक्ट्रॉनिक्स)।
- **अतिरिक्त व्यय:** सरकार को **जालसाजी-रोधी उपायों तथा अपराध की रोकथाम, पता लगाने, नियंत्रण और निवारण उपायों** को लागू करने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।
    - ○ **पुलिस द्वारा छापेमारी, सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्ती, व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियानों का संचालन** आदि सरकार के सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करते हैं।
- **कर राजस्व की हानि:** सरकार के राजस्व को होने वाली क्षति का **कल्याणकारी व्यय** (जैसे- स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि पर खर्च) पर **सीधा प्रभाव** पड़ता है।

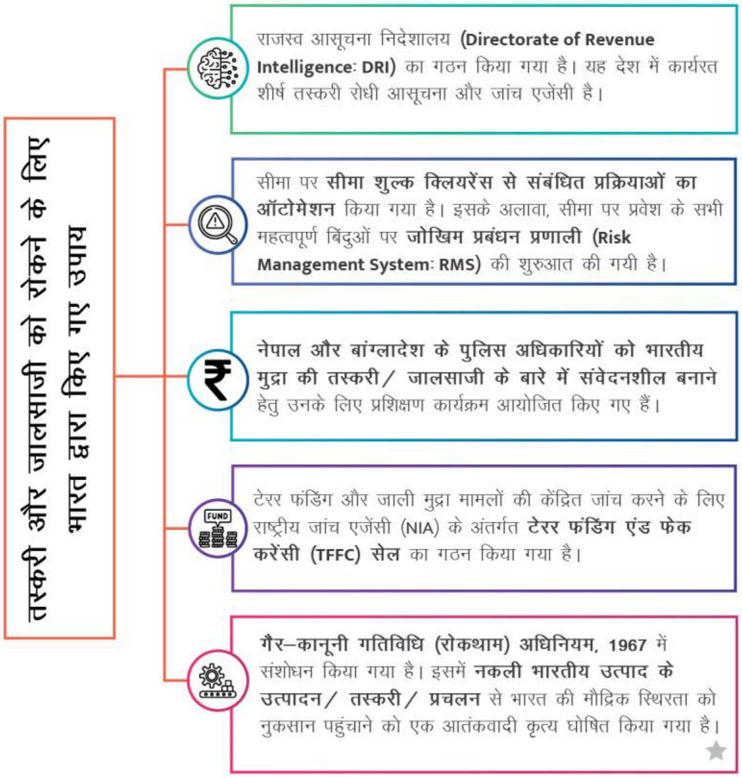

तस्करी और जालसाजी को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय

राजस्व आसूचना निदेशालय **(Directorate of Revenue Intelligence: DRI)** का गठन किया गया है। यह देश में कार्यरत शीर्ष तस्करी रोधी आसूचना और जांच एजेंसी है।

सीमा पर **सीमा शुल्क क्लियरेंस से संबंधित प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन** किया गया है। इसके अलावा, सीमा पर प्रवेश के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर **जोखिम प्रबंधन प्रणाली (Risk Management System: RMS)** की शुरुआत की गयी है।

नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों को भारतीय मुद्रा की तस्करी/ जालसाजी के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

टेरर फंडिंग और जाली मुद्रा मामलों की केंद्रित जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अंतर्गत **टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल** का गठन किया गया है।

गैर–कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया गया है। इसमें **नकली भारतीय उत्पाद के उत्पादन/ तस्करी/ प्रचलन** से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने को एक आतंकवादी कृत्य घोषित किया गया है।

---

[109] Merchandise Exports from India Scheme / Service Exports from India Scheme, Advance Authorisation scheme

[110] चेंज इन टैरिफ हैडिंग/ Change in Tariff Heading

[111] Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry

- **रोजगार और व्यवसाय का नुकसान:** फिक्की के 2019 के एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था कि पांच प्रमुख उद्योगों में तस्करी संबंधी गतिविधियों के उन्मूलन से **भारत में रोजगार में बढ़ोतरी** हो सकती है। इससे **16.36 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा** हो सकती हैं।
- **पर्यावरण को नुकसान:** प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता या **अपशिष्ट के निपटान** के लिए जालसाज शायद ही कभी **सुरक्षा मानकों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन** करते हैं।
    - **जब्त की गई सामग्रियों/ वस्तुओं के सुरक्षित रखरखाव या उन्हें नष्ट करने (Destruction) के लिए कोई सुविधा** उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, **उन्हें नष्ट करने में आने वाली लागत के लिए** जालसाज को उत्तरदायी ठहराने हेतु भी कोई तंत्र मौजूद नहीं है।
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** तस्करी और जालसाजी देश पर स्वास्थ्य संबंधी बोझ को भी बढ़ाती हैं। इसका कारण यह है कि **प्रायः लोग (विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) निम्नस्तरीय सामग्रियों, एक्स्पायर्ड या खतरनाक वस्तुओं का उपयोग** कर लेते हैं।
- **दुष्चक्र:** अवैध व्यापार **अत्यधिक लाभ प्रदान** करता है। इस लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा इन अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले क्राइम सिंडिकेट को प्राप्त होता है।

तस्करी और जालसाजी से निपटने हेतु आगे की राह

- **आंतरिक मांग को रोकना:** ऐसी वस्तुओं/ सामग्रियों की आंतरिक घरेलू मांग को देखते हुए, **उन स्थानों को विनियमित किया जाना चाहिए,** जो ऐसी अवैध वस्तुओं/ सामग्रियों के प्रसार के लिए आधार बन सकते हैं। ऐसे बाजारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ऐसी **संस्था का निर्माण** किया जाना चाहिए, जो ऐसे कार्य में विशेषज्ञता रखते हों।
    - मादक पदार्थों के लिए **सीमा शुल्क/ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो/ पुलिस आदि के फ्लाइंग स्क्वाड्स** का गठन किया जाना चाहिए। इनकी सहायता से **होटल और रेस्टोरेंट** में नशीले पदार्थों के उपयोग की जांच की जा सकेगी।
    - **सरकारी अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों, उद्योग और उपभोक्ताओं** को जालसाजी एवं तस्करी के **गंभीर प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने** के लिए अधिक सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाहिए।
- **जालसाजी से निर्मित वस्तुओं पर व्यापक कानून और नीति:** एक समान कानूनी संरचना और समर्पित निवारण ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, एक समयबद्ध निपटान व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए।
    - हालांकि, जालसाजी कंपनियों के **राजस्व और लाभ पर सीधा प्रभाव** डालती है, इसलिए इस प्रभाव के निवारण हेतु कंपनियों के लिए **उचित मुआवजे व त्वरित निपटान** का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता में वृद्धि करना:** मादक पदार्थ विशेषज्ञ, वन्यजीव विशेषज्ञ, पुरातत्व विशेषज्ञ जैसे क्षेत्र विशेषज्ञों, सीमा शुल्क अधिकारियों तथा सीमा पर तैनात अधिकारियों के मध्य डोमेन विशेषज्ञों के साथ समन्वय का एक द्विस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण प्रभावी कानून प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- **जालसाजी से निर्मित और नकली उत्पादों के प्रचलन को रोकना:** इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
    - सक्षम उत्पादकों द्वारा **"अपने आपूर्तिकर्ता/ ग्राहक को जानें"** कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह आपूर्ति श्रृंखला में **जालसाजी/ नकली उत्पादों के प्रवेश संबंधी जोखिमों** को दूर करेगा।
    - **तृतीय-पक्ष प्रत्यायन तंत्र[112] के लिए मानक और दिशा-निर्देश** विकसित किए जाने चाहिए।
- **अपराधियों को ब्लैकलिस्ट करना और सुलभ डेटाबेस विकसित करना: अपराधियों की प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्र स्तरीय डेटाबेस** तैयार किया जाना चाहिए। समग्र **सहयोग** के लिए ऐसे डेटाबेस तक प्रत्येक एजेंसी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **जीरो टॉलरेंस की नीति:** कुछ वस्तुओं से संबंधित अपराधों के लिए **जीरो टॉलरेंस की नीति** को अपनाया जाना चाहिए। ये अपराध राष्ट्रीय या सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से **अत्यधिक हानिकारक** होते हैं, उदाहरण के लिए- हथियार और गोला-बारूद, मादक पदार्थ, परमाणु सामग्री का अवैध व्यापार आदि।

4.3. लोन वुल्फ आतंकवाद (Lone-wolf Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कई विशेषज्ञों ने भारत में **लोन वुल्फ आतंकवाद** के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है।

---

[112] Third-party accreditation mechanisms

लोन वुल्फ आतंकवाद के बारे में

- **कट्टरपंथी व्यक्तियों** द्वारा अपने **कट्टर विचारों** से प्रेरित होकर किए जाने वाले हिंसक आतंकवादी हमलों को 'लोन-वुल्फ़ आतंकवाद' कहा जाता है। ऐसे लोग इस तरह के हमलों को खुद अंजाम देते हैं। इसे वे किसी विशेष आतंकवादी संगठन और विचारधारा से **प्रेरित या प्रभावित** होकर अंजाम देते हैं। साथ ही, ऐसे हिंसक हमले एक विशेष सामाजिक परिवेश के भीतर संचालित किए जाते हैं।
- ये **संगठित प्रकृति वाले या नेटवर्क आधारित आतंकी हमलों से अलग** होते हैं। उदाहरण के लिए- 9/11 का अमेरिकी आतंकी हमला या 26/11 का मुंबई आतंकी हमला संगठित आतंकी हमले थे।
    - हालांकि, **मुंबई आतंकी हमला कई वर्षों की योजना, संचार व धन हस्तांतरण** पर आधारित था, जबकि **अमेरिकी आतंकी हमले को बिना किसी ठोस सहायता व संचार के** केवल कुछ आतंकियों ने अंजाम दिया था।
    - लोगों को **धमकाने और भयभीत करने से लेकर अंधाधुंध गोलीबारी, वाहन को टकराने, धारदार हथियार से प्रहार करने और आत्मघाती बम विस्फोट** जैसी घटनाओं के रूप में लोन वुल्फ आतंकी हमला एक गंभीर चुनौती बन गया है।

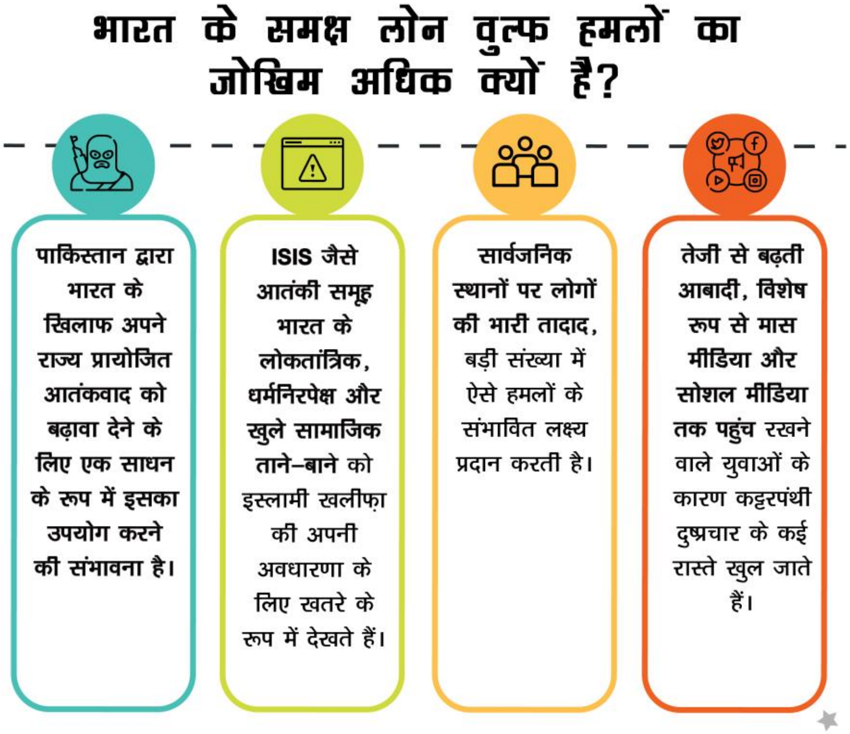

भारत के समक्ष लोन वुल्फ हमलों का जोखिम अधिक क्यों है?

पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अपने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में इसका उपयोग करने की संभावना है।

ISIS जैसे आतंकी समूह भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और खुले सामाजिक ताने–बाने को इस्लामी खलीफ़ा की अपनी अवधारणा के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भारी तादाद, बड़ी संख्या में ऐसे हमलों के संभावित लक्ष्य प्रदान करती है।

तेजी से बढ़ती आबादी, विशेष रूप से मास मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच रखने वाले युवाओं के कारण कट्टरपंथी दुष्प्रचार के कई रास्ते खुल जाते हैं।

लोन वुल्फ आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **अप्रत्याशित प्रकृति:** लोन-वुल्फ आतंकी गतिविधियों और उनके द्वारा किए जाने वाले हमलों को **अप्रत्याशित तरीके से अंजाम** दिया जाता है। इसके कारण आतंकवाद-रोधी एजेंसियों, पुलिस और खुफिया संगठनों के लिए इस तरह की गतिविधियों व हमलों से निपटना **चुनौतीपूर्ण** हो जाता है।
- **इंटरनेट का उपयोग:** कट्टरता, लोन-वुल्फ आतंकवादी को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कट्टरता को **ज्यादातर ऑनलाइन माध्यम से प्रचारित** किया जाता है। इसके अलावा, इंटरनेट लोन-वुल्फ को **अपनी पहचान गुप्त बनाए रखते हुए संवाद स्थापित करने में भी सक्षम** बनाता है।
- **लोन-वुल्फ हमलों का आसानी से संचालन:** लॉजिस्टिक की दृष्टि से इस तरह के हमलों का संचालन सरल होता जा रहा है।
    - लोन-वुल्फ **कॉपी-कैट (नकल करना) व्यवहार** को प्रोत्साहित करते हैं। ये अन्य अलग-थलग युवाओं के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। इससे बैंड वैगन हमलों को बढ़ावा मिलता है।

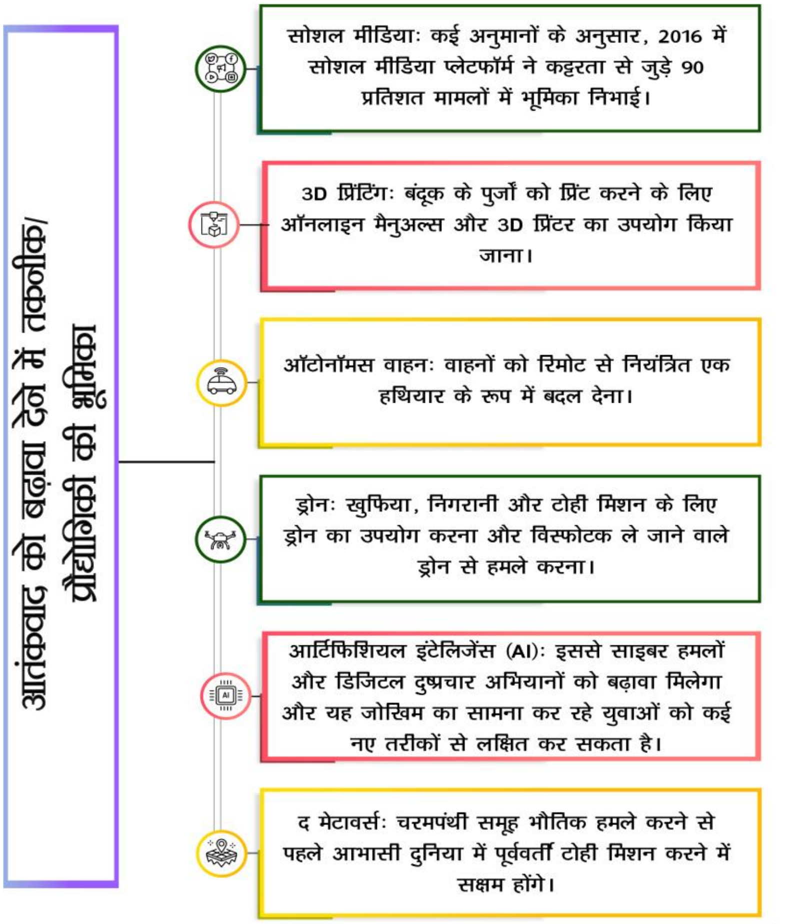

आतंकवाद को बढ़ावा देने में तकनीक/ प्रौद्योगिकी की भूमिका

सोशल मीडियाः कई अनुमानों के अनुसार, 2016 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कट्टरता से जुड़े 90 प्रतिशत मामलों में भूमिका निभाई।

3D प्रिंटिंगः बंदूक के पुर्जों को प्रिंट करने के लिए ऑनलाइन मैनुअल्स और 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाना।

ऑटोनॉमस वाहनः वाहनों को रिमोट से नियंत्रित एक हथियार के रूप में बदल देना।

ड्रोनः खुफिया, निगरानी और टोही मिशन के लिए ड्रोन का उपयोग करना और विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन से हमले करना।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): इससे साइबर हमलों और डिजिटल दुष्प्रचार अभियानों को बढ़ावा मिलेगा और यह जोखिम का सामना कर रहे युवाओं को कई नए तरीकों से लक्षित कर सकता है।

द मेटावर्सः चरमपंथी समूह भौतिक हमले करने से पहले आभासी दुनिया में पूर्ववर्ती टोही मिशन करने में सक्षम होंगे।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **गैर-कानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967}:** यह अधिनियम अन्य विषयों के साथ-साथ **आतंकवादी गतिविधियों से निपटने** के लिए विशेष उपबंध करता है।
- सरकार ने **नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA)** का गठन किया है। यह एजेंसी देश में एक प्रमुख **आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी** के रूप में कार्य कर रही है।
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेटग्रिड**[113] का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य देश की **आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक** प्रदान करना है।
- गृह मंत्रालय के अंतर्गत **आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद-रोधी प्रभाग तथा साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग** की स्थापना की गई है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को कट्टरता से निपटने हेतु नए कार्यक्रम विकसित करने के लिए **संवैधानिक और कानूनी अधिकार** प्रदान किए गए हैं।
- **हथियार प्राप्त कर पाना कठिन:** अमेरिका में **परिष्कृत हथियारों को आम नागरिकों द्वारा आसानी से खरीदा जा** सकता है। इसके विपरीत, भारत में इस तरह के हथियारों तक पहुंच प्राप्त कर पाना उतना ही **जटिल/ मुश्किल है, क्योंकि यह लाइसेंस प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है।**
- राज्य सरकारों की ओर से **परामर्श पहलें** संचालित की जा रही हैं, जैसे- **केरल का ऑपरेशन-पिजन।**

लोन वुल्फ आतंकवाद से निपटने हेतु किए जाने वाले उपाय

नीतिगत उपाय	• भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को विविधतापूर्ण बनाया जाना चाहिए। साथ ही, आतंकवाद की अलग-अलग बारीकियों से निपटने वाला एक **मजबूत राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सिद्धांत** विकसित किया जाना चाहिए। • **प्रौद्योगिकी, राष्ट्रवाद और आतंकवाद-रोधी उपायों के आपसी गठजोड़ (Intersection) से उत्पन्न होने वाले नव विकसित खतरों** को समझने के लिए नीतिगत स्तर पर निवेश किया जाना चाहिए।
क्षमता निर्माण हेतु उपायों को अपनाना	• **तकनीकी खुफिया क्षमताओं (जैसे- सोशल मीडिया और साइबर स्पेस की निगरानी)** को मजबूत किया जाना चाहिए। • **खुफिया और आतंकवाद-रोधी संरचनाओं द्वारा आकस्मिक योजनाएं** विकसित की जानी चाहिए। • प्रत्येक राज्य में **विशेष पुलिस टीमों को प्रशिक्षित, सुसज्जित और संगठित** किया जाना चाहिए, ताकि वे **प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता** के रूप में कार्य कर सकें।
कट्टरवाद से मुक्ति और कट्टरवाद से निपटने की रणनीति	• भारत को अपने कानूनों में **नियमित संशोधन करने चाहिए तथा इन्हें युक्तिसंगत बनाना** चाहिए। • **घोर कट्टर विचारकों** पर राज्य के आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। • कट्टरवाद से मुक्ति और कट्टरवाद से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु **सामुदायिक जुड़ाव के प्रयासों का विस्तार** किया जाना चाहिए। • हेल्पलाइनों का गठन किया जाना चाहिए तथा इन पर **पेशेवर परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों** को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये राज्य द्वारा समर्थित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रयासों के एक भाग के रूप में कट्टरता की भावना को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति)	• **खुफिया साझाकरण तंत्र** में सुधार करने के लिए "कोएलिशन ऑफ़ द विलिंग" (सैन्य सहयोग में राष्ट्रों का समूह) को मजबूत करना चाहिए। • सूचना संबंधी अनुरोधों की प्रोसेसिंग में लगने वाले **समय को कम** किया जाना चाहिए। • आतंकवाद के **वित्त-पोषण के साधनों से निपटने के लिए** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. अग्नि-5 (AGNI-5)

- **सामरिक बल कमान (SFC)**[114] ने ओडिशा तट पर स्थित **ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप** से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
  - SFC **तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संरचना** है। यह सभी सामरिक परिसंपत्तियों का **प्रबंधन और प्रशासन** करती है।
  - यह **परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA)** के दायरे में आती है।
    - NCA की **दो परिषदें हैं- एक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक परिषद तथा दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद।**

---

[113] National Intelligence Grid or NATGRID

[114] Strategic Forces Command

- अग्नि-5 **सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल** है। इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित** किया है। इसका विकास **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)** के तहत किया गया है।
    - **IGMDP** के अंतर्गत **पांच मिसाइलों** का विकास किया गया है। ये मिसाइलें हैं- **पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश।**
    - अग्नि-V में **तीन चरणों वाले ठोस ईंधन युक्त इंजन** का उपयोग किया गया है।
- **अग्नि-V और K-4 न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्रायड** का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये मिसाइलें भारत की रक्षा के लिए बहुत महत्व रखती हैं। **K-4 की रेंज 3,500 कि.मी. है।**
    - ये मिसाइलें भारत के **विश्वसनीय न्यूनतम निवारक (Credible Minimum Deterrence)** परमाणु सिद्धांत के अनुरूप हैं। यह सिद्धांत **'नो फर्स्ट यूज'** की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

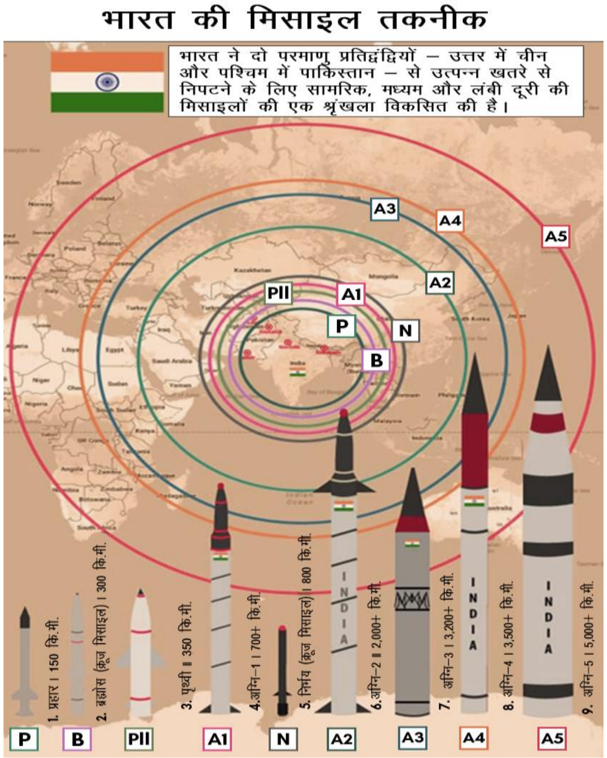
भारत की मिसाइल तकनीक
भारत ने दो परमाणु प्रतिद्वंद्वियों – उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान – से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए सामरिक, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित की है।
A3
A4
A5
A2
PII
A1
P
N
B
1. प्रहार | 150 कि.मी.
2. ब्रह्मोस (क्रूज मिसाइल) | 300 कि.मी.
3. पृथ्वी || 350 कि.मी.
4. अग्नि–1 | 700+ कि.मी.
5. निर्भय (क्रूज मिसाइल) | 800 कि.मी.
6. अग्नि–2 || 2,000+ कि.मी.
7. अग्नि–3 | 3,200+ कि.मी.
8. अग्नि–4 | 3,500+ कि.मी.
9. अग्नि–5 | 5,000+ कि.मी.
INDIA
P
B
PII
A1
N
A2
A3
A4
A5

4.4.2. ब्रह्मोस (BRAHMOS)

- **भारतीय वायु सेना** ने वायु से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के **विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण** किया है।
- **ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में**
    - यह **भारत और रूस** का एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम **ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम** पर रखा गया है।
    - इसे **जमीन, वायु, समुद्र और जल के अंदर से लॉन्च** किया जा सकता है।
    - **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)** के नियमों के अनुसार प्रारंभ में इसकी **रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित थी।**
    - MTCR में भारत के प्रवेश के पश्चात्, बाद के चरण में इसकी रेंज को **450 कि.मी. और 600 कि.मी. तक बढ़ाने का निर्णय** लिया गया है।

4.4.3. स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बी वागीर (Scorpène-Class Submarine VAGIR)

- स्कॉर्पीन श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी वागीर (Vagir) नौसेना को सौंपी गई
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) **प्रोजेक्ट-75 के तहत स्वदेशी रूप से छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों** का निर्माण कर रहा है। इन पनडुब्बियों का निर्माण **फ्रांस के नेवल ग्रुप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम** से किया जा रहा है।
    - **इस श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियां हैं:** कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वाग्शीर।
- ये पनडुब्बियां **नौसैनिक युद्ध की व्यापक श्रृंखला में** परिचालित होने में सक्षम हैं। इनमें युद्धपोत-रोधी व पनडुब्बी-रोधी अभियान चलाने, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी करने और नौ-सैन्य माइंस बिछाना शामिल हैं।
- **पनडुब्बियों का वर्गीकरण**

सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर (SSBN)	न्यूक्लियर-पॉवर अटैक सबमरीन (SSN)	डीज़ल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन (SSK)
• यह अंतर-महाद्वीपीय मिसाइलों के लिए ऐसे **लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करता है, जिसका **पता नहीं**	• यह **गैर-परमाणु हथियारों से लैस** किन्तु परमाणु-संचालित लड़ाकू पनडुब्बी है। • इसे **माइंस युद्ध** में शामिल होने, **दुश्मनों के**	• इसमें **डीजल इंजन** का प्रयोग होता है। • इसकी बैटरी की एक निश्चित क्षमता के कारण यह **सीमित समय के लिए ही जल के भीतर रह सकती है।**

लगाया जा सकता। • **इसे विशेष रूप से स्टील्थ बनने** और परमाणु हथियारों की **सटीक डिलीवरी के लिए डिज़ाइन** किया गया है। • **INS अरिहंत** भारत का SSBN है।	**जहाजों की खोज करके उन्हें नष्ट करने और युद्धक समूह (Battle group) के परिचालनों** का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • वर्तमान में केवल **छह देशों** के पास **परमाणु ऊर्जा से चलने वाली** पनडुब्बियां हैं। ये देश हैं- **यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस।**	इस कारण इसे बार-बार जल की सतह पर आना पड़ता है। • **भारत के SSK में शिशुमार क्लास** (जर्मनी से); **किलो क्लास या सिंधुघोष क्लास** (रूस से) तथा **कलवरी क्लास** की स्कॉर्पीन पनडुब्बियां शामिल हैं।

- एक अन्य रक्षा उपलब्धि के तहत, **स्वदेश निर्मित आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) में से पहले पोत 'अर्णाला' का जलावतरण** किया गया।

4.4.4. आईएनएस मोरमुगाओ (INS Mormugao)

- भारतीय नौसेना पोत (INS) मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।
- मोरमुगाओ **स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है।** यह **P15B वर्ग का दूसरा विध्वंसक युद्धपोत है।**
    - यह सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। इसमें एक आधुनिक निगरानी रडार लगा है, जो हथियार प्रणालियों को लक्षित डेटा प्रदान करता है।
    - यह **परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों में लड़ने** में सक्षम है।
    - इसका संचालन **चार शक्तिशाली गैस टर्बाइन** करते हैं। यह **30 समुद्री मील से अधिक की गति** प्राप्त करने में सक्षम है।
    - **P15B श्रेणी के विध्वंसक पोत में 72% पुर्जे स्वदेशी स्तर पर निर्मित किए गए हैं।** यह उनके पूर्ववर्तियों P15A (59%) और P15 (42%) से अधिक है।

4.4.5. मरीन कमांडो फोर्स (मार्कोस) {Marine Commando Force (MARCOS)}

- **भारतीय नौसेना ने अपने विशिष्ट बलों** में महिलाओं को शामिल करने का **ऐतिहासिक कदम उठाया** है।
    - अब महिला सैनिक भी **समुद्री कमांडो बनने** का विकल्प चुन सकती हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
    - यह विकल्प 2023 में अग्निवीरों के रूप में सेवा में शामिल होने वाले **नौसैनिकों और महिला अधिकारियों दोनों के लिए उपलब्ध होगा।**
- मार्कोस का गठन **1987** में किया गया था।
    - यह बल समुद्र, वायु और भूमि तीनों पर कार्य करने की क्षमता से युक्त है।
    - **मार्कोस की उपलब्धियां:** ऑपरेशन पवन, 1987; ऑपरेशन कैक्टस, 1988; ऑपरेशन रक्षक, 1995; ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो, 2008 आदि। ऑपरेशन रक्षक अभी भी परिचालन में है।

4.4.6. सुर्ख़ियों रहे में अभ्यास (Exercises in News)

- **काजिंद- 2022:** यह **भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास** है। इसे 2016 में अभ्यास **प्रबल दोस्तिक** के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर **अभ्यास काजिंद** कर दिया गया था।
- **सूर्य किरण:** यह **भारत और नेपाल** के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। हाल ही में, इसके **16वें संस्करण** का आयोजन किया जा रहा है।
- **अग्नि वॉरीअर:** यह **सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास** है।
- **समन्वित गश्त (CORPAT/ कॉर्पैट):** भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों के साथ कॉर्पैट का आयोजन करती है। हाल ही में, भारतीय नौसेना ने **इंडोनेशियाई नौसेना** के साथ यह अभ्यास किया है।

4.4.7. अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (Crime and Criminal Tracking Network System: CCTNS)

- **हरियाणा पुलिस** को CCTNS के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्यों की पुलिस में **प्रथम रैंक** से सम्मानित किया गया है।
- CCTNS **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)**[115] के तहत एक मिशन मोड परियोजना है।
  - इसका उद्देश्य पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक **व्यापक तथा एकीकृत प्रणाली** तैयार करना है। यह प्रणाली ई-गवर्नेंस के सिद्धांत पर आधारित होगी।
  - **CCTNS को 99 फीसदी थानों में लागू** कर दिया गया है। CCTNS में शत प्रतिशत प्राथमिकी प्रत्यक्ष रूप से दर्ज की जा रही है।
  - इस प्रणाली को 2009 में **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमोदित** किया था।

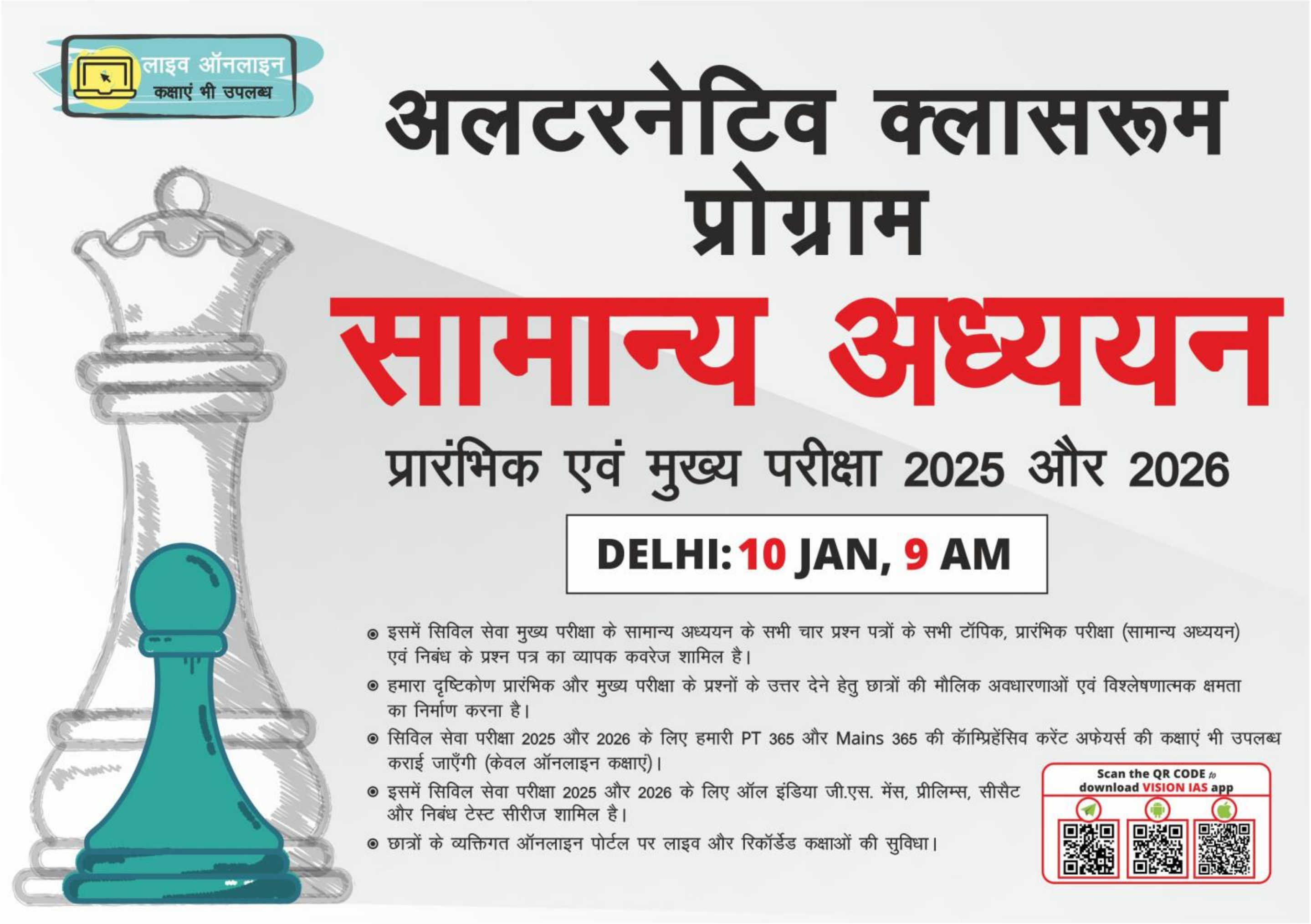
लाइव ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

अलटरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025 और 2026

DELHI: 10 JAN, 9 AM

- इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी चार प्रश्न पत्रों के सभी टॉपिक, प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) एवं निबंध के प्रश्न पत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।
- हमारा दृष्टिकोण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु छात्रों की मौलिक अवधारणाओं एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
- सिविल सेवा परीक्षा 2025 और 2026 के लिए हमारी PT 365 और Mains 365 की कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएँगी (केवल ऑनलाइन कक्षाएं)।
- इसमें सिविल सेवा परीक्षा 2025 और 2026 के लिए ऑल इंडिया जी.एस. मेंस, प्रीलिम्स, सीसैट और निबंध टेस्ट सीरीज शामिल है।
- छात्रों के व्यक्तिगत ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

---

[115] National e-Governance Plan

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन {COP15 to the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन (COP15) कनाडा के मांट्रियल में संपन्न हुआ।

COP15 के बारे में

- COP15 की **अध्यक्षता चीन द्वारा की गई थी। इसका आयोजन कनाडा में किया गया था।**
- COP15 को **दो चरणों में आयोजित** किया गया था:
    - पहला चरण अक्टूबर 2021 में चीन के **कुनमिंग** में आभासी रूप से आयोजित किया गया था, और;
    - दूसरा चरण, हाल ही में **कनाडा के मांट्रियल** में आयोजित किया गया।
- COP15 का मुख्य उद्देश्य **वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF)**[116] को अपनाना था। यह फ्रेमवर्क **2020 में समाप्त हो चुके आईची जैव विविधता लक्ष्य**[117] **का स्थान** लेगा।
    - GBF और इसके आधारभूत दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी **नहीं** हैं।

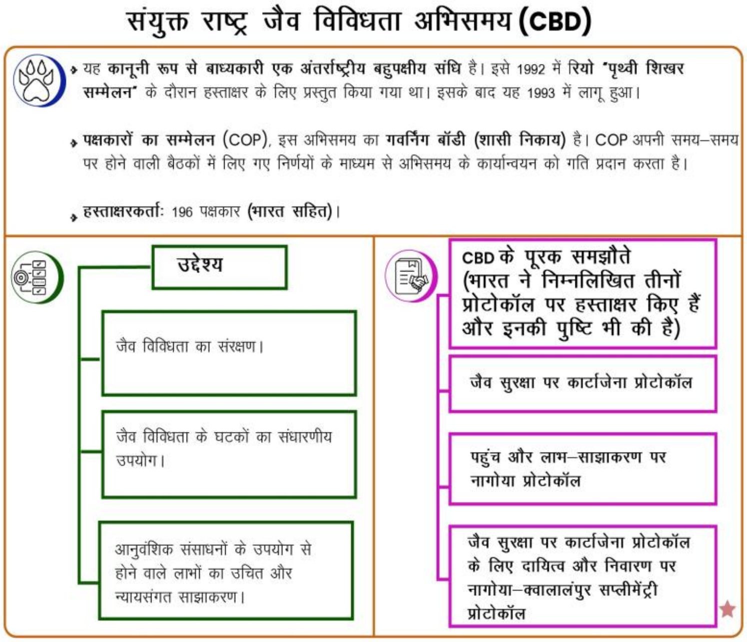

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (CBD)

- यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि** है। इसे 1992 में **रियो "पृथ्वी शिखर सम्मेलन"** के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद यह 1993 में लागू हुआ।
- **पक्षकारों का सम्मेलन** (COP), इस अभिसमय का **गवर्निंग बॉडी (शासी निकाय)** है। COP अपनी समय–समय पर होने वाली बैठकों में लिए गए निर्णयों के माध्यम से अभिसमय के कार्यान्वयन को गति प्रदान करता है।
- **हस्ताक्षरकर्ता**: 196 पक्षकार **(भारत सहित)**।

उद्देश्य

- जैव विविधता का संरक्षण।
- जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग।
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।

CBD के पूरक समझौते (भारत ने निम्नलिखित तीनों प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और इनकी पुष्टि भी की है)

- **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल**
- **पहुंच और लाभ–साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल**
- **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए दायित्व और निवारण पर नागोया–क्वालालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल**

COP15 के प्रमुख परिणाम (Major outcomes of COP15)

- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) को अपनाना:** GBF का उद्देश्य जैव विविधता की हानि का समाधान, पारितंत्र का पुनरुद्धार और देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है।
    - इस फ्रेमवर्क में 2050 के लिए **'2050 विजन फॉर बायोडायवर्सिटी' से संबंधित चार दीर्घकालिक 'गोल्स'** निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, इसमें 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिए **23 कार्रवाई-केंद्रित वैश्विक 'टार्गेट्स'** भी शामिल हैं।
- **समर्पित और सुलभ GBF निधि: वैश्विक पर्यावरण सुविधा** से 2023-2030 तक के लिए एक **स्पेशल ट्रस्ट फंड** स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। यह फंड **GBF** के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा।

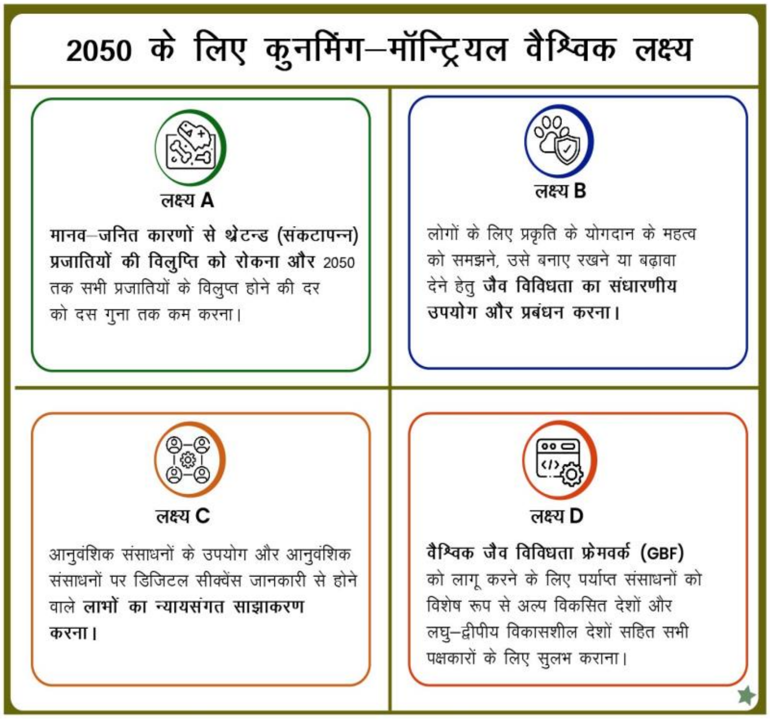

2050 के लिए कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक लक्ष्य

लक्ष्य A

मानव–जनित कारणों से थ्रेटन्ड (संकटापन्न) प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना और 2050 तक सभी प्रजातियों के विलुप्त होने की दर को दस गुना तक कम करना।

लक्ष्य B

लोगों के लिए प्रकृति के योगदान के महत्व को समझने, उसे बनाए रखने या बढ़ावा देने हेतु **जैव विविधता का संधारणीय उपयोग और प्रबंधन करना।**

लक्ष्य C

आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल सीक्वेंस जानकारी से होने वाले **लाभों का न्यायसंगत साझाकरण करना।**

लक्ष्य D

वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और लघु–द्वीपीय विकासशील देशों सहित सभी पक्षकारों के लिए सुलभ कराना।

---

[116] Global Biodiversity Framework

[117] Aichi Biodiversity Targets

  - इस फंड का अपना **“न्यायसंगत शासी निकाय[118]”** होगा। यह GBF के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समर्पित होगा। साथ ही, इसे आधिकारिक विकास सहायता (ODA)[119] के साथ-साथ **“सभी स्रोतों से वित्त-पोषण”** प्राप्त करने में भी सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा।
    - ODA वस्तुतः समृद्ध देशों की ओर से मिलने वाला सरकारी सहायता होता है। इससे विकासशील देशों में आर्थिक संवृद्धि, विकास और कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है।
- **नियोजन, निगरानी, रिपोर्टिंग और समीक्षा के लिए प्रभावी तंत्र:** इसके तहत प्रगति को मापने हेतु स्पष्ट संकेतक निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs)[120], राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, सामूहिक प्रगति की वैश्विक समीक्षा, स्वैच्छिक रूप से परस्पर समीक्षा आदि के आधार पर एक आम सहमति वाली समन्वित और चक्रीय प्रणाली तैयार करना है।
  - प्रत्येक पक्षकार अपने-अपने NBSAPs को **KMGBF** तथा इसके **गोल्स** एवं **टार्गेट्स** के अनुरूप अपडेटे करेंगे। इस अपडेटेड NBSAPs को 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 तक एक मानकीकृत प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
  - इसके अलावा, पक्षकारों को स्वीकृत मुख्य संकेतकों (Headline Indicators) को शामिल करते हुए 2026 और 2029 में राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- **आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित डिजिटल अनुक्रम जानकारी (बॉक्स देखें) के उपयोग से प्राप्त लाभ को साझा करने के लिए बहुपक्षीय तंत्र:** इसके तहत राजस्व सृजन के नवीन उपायों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही, एक ग्लोबल फंड को भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- **जेंडर प्लान ऑफ एक्शन को अपनाना:** इसका उद्देश्य KMGBF और इससे जुड़े तंत्रों के लैंगिक रूप से जवाबदेह (Gender Responsive) कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टार्गेट्स (Kunming-Montreal 2030 Global Targets)		
1.	2030 तक स्थलीय और समुद्री उपयोग में बदलाव का प्रभावी प्रबंधन करना, अत्यधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों के नुकसान को शून्य के करीब लाना।	**जैव विविधता के समक्ष खतरों को कम करना**
2.	2030 तक कम-से-कम 30% निम्नीकृत पारितंत्र का प्रभावी रूप से पुनरुद्धार करना।	
3.	2030 तक कम-से-कम 30% भूमि और 30% महासागरों का प्रभावी संरक्षण तथा प्रबंधन करना।	
4.	मानवीय कारणों से होने वाली विलुप्ति को रोकना और अनुवांशिक विविधता को बनाए रखना तथा उसे पुनः स्थापित करना।	
5.	वन्य प्रजातियों का संधारणीय उपयोग, हार्वेस्टिंग और व्यापार करना।	
6.	2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को कम करना या समाप्त करना, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की दरों को 50% तक कम करना।	
7.	2030 तक सभी स्रोतों से प्रदूषण के जोखिम तथा प्रभावों को कम करना, पर्यावरण में पहुंचने वाले अतिरिक्त पोषक तत्वों और कीटनाशकों से संबंधी समग्र जोखिम को कम-से-कम आधा करना।	
8.	जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण के प्रभावों को कम करना।	
9.	देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की परंपरागत संधारणीय उपयोग पद्धतियों का संरक्षण एवं उनका प्रोत्साहन करते हुए वन्य प्रजातियों के संधारणीय उपयोग तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना।	**संधारणीय उपयोग और लाभ-साझाकरण के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना**
10.	कृषि, जलीय कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के तहत क्षेत्रों का संधारणीय प्रबंधन करना।	
11.	प्रकृति-आधारित समाधानों और पारितंत्र-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से पारितंत्र की कार्यप्रणाली का पुनरुद्धार करना तथा उसमें सुधार करना।	
12.	शहरी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरित और जलीय (Green and Blue) क्षेत्रों के क्षेत्रफल एवं उनकी गुणवत्ता को संधारणीय रूप से बढ़ाना।	

---

[118] Equitable Governing Body

[119] Official Development Assistance

[120] National Biodiversity Strategies and Action Plans

13.	आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग और डिजिटल अनुक्रम जानकारी तथा आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान से मिलने वाले लाभों को उचित एवं न्यायसंगत रूप से साझा करना।	
14.	सभी क्षेत्रकों की नीतियों और विकास संबंधी पहलों में जैव विविधता के महत्व को शामिल करना।	**कार्यान्वयन और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए साधन तथा समाधान**
15.	बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों को जैव विविधता पर उनके प्रभावों की निगरानी, आकलन तथा प्रकटीकरण करने हेतु सक्षम करना।	
16.	2030 तक खाद्य पदार्थों की बर्बादी को आधा करते हुए संधारणीय खपत को बढ़ावा देना।	
17.	जैव-सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए क्षमता को मजबूत करना और जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त होने वाले लाभों का साझाकरण सुनिश्चित करना।	
18.	2030 तक प्रति वर्ष 500 बिलियन डॉलर की कमी करते हुए जैव-सुरक्षा के लिए हानिकारक सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना या उसमें सुधार करना।	
19.	प्रति वर्ष कम-से-कम 200 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाते हुए 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों के स्तर में पर्याप्त और उत्तरोत्तर वृद्धि करना। इसमें विकसित देशों द्वारा निम्नलिखित देशों के लिए 2025 तक कम-से-कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष और 2030 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जुटाना शामिल है: • अल्प विकसित देश और छोटे द्वीपीय विकासशील देश; • संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देश; और • विकासशील देश।	
20.	क्षमता-निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करना।	
21.	पारंपरिक ज्ञान के उपयोग सहित एकीकृत और सहभागी प्रबंधन करना।	
22.	देशज लोगों और स्थानीय समुदायों का समान प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी।	
23.	इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना।	

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के मुद्दे

- **टारगेट्स में महत्वाकांक्षा का अभाव (Lack of ambition in targets):** KMGBF के तहत 2030 तक स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री क्षेत्रों[122] के कम-से-कम 30% का संरक्षण करने का टारगेट रखा गया है। यह 30×30 टारगेट की दिशा में उठाए गए किसी महत्वपूर्ण प्रयास को नहीं दर्शाता है। 30×30 टारगेट के तहत 2030 तक "30% भूमि और 30% समुद्री क्षेत्र" के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था।
  - इस संबंध में विशेषज्ञों के समूह का मानना है कि **यदि पक्षकार जैव विविधता की हानि का पुनरुद्धार करना चाहते हैं तो इस फ्रेमवर्क के तहत 50% भूमि और महासागर को संरक्षित किया जाना चाहिए।**

डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI)[121] के बारे में

- DSI आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त या उससे संबंधित डेटा होता है।
- यह **आनुवंशिक जानकारी, जैव जानकारी, अनुक्रम जानकारी, प्राकृतिक जानकारी,** आनुवंशिक अनुक्रम डेटा, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डेटा या आनुवंशिक संसाधनों को संदर्भित करता है।

- **वित्त की कमी:** इस दशक में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रति वर्ष लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी विद्यमान है। इसलिए इस फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक प्रति वर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य काफी नहीं है।
- **प्राथमिकता:** GBF में ऐसे **दिशा-निर्देशों का अभाव है जो यह बताए कि किन स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों** के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।
- **DSI तंत्र के संबंध में स्पष्टता का अभाव:** DSI के उपयोग से मिलने वाले लाभों से संबंधित साझाकरण तंत्र के बारे में कई मुद्दों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इन मुद्दों में शामिल है:
  - ग्लोबल फंड का संचालन कौन करेगा?

---

[121] Digital Sequencing Information

[122] Terrestrial, inland water, and of coastal and marine areas

  - वित्तीय योगदान कहां से आएगा? और
  - मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक लाभ को कैसे साझा किया जाएगा?
- **USA की अनुपस्थिति: USA एकमात्र ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो GBF का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है,** क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय (UNCBD)[123] का सदस्य नहीं है। इस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक की गैरमौजूदगी में, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की GBF की क्षमता सीमित हो सकती है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1993 में ही UNCBD पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन उसने अभी तक इसकी अभिपुष्टि (Ratification) नहीं की है।**
- **ग्रीनवाशिंग:** कुछ समीक्षकों ने ऐसी आशंका जाहिर की थी कि प्रकृति के लिए हानिकारक उद्योगों के प्रतिनिधि जैसे कि बड़े फार्मास्युटिकल्स और जीवाश्म-ईंधन संबंधी कंपनियां इस शिखर सम्मेलन और इसकी वार्ताओं पर अनुचित प्रभाव डाल रही थीं।

आगे की राह

- **पर्याप्त वित्त जुटाना:** इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु विकासशील देशों के लिए साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके तहत विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त को शामिल करते हुए नए टार्गेट्स और महत्वाकांक्षाओं हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- **न्याय-संगतता के सिद्धांत का पालन (Following principle of equity):** इस फ्रेमवर्क के तहत विज्ञान और न्याय-संगतता का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही, इसके तहत देशों के अपने-अपने संसाधनों पर संप्रभु अधिकार का भी सम्मान किया जाना चाहिए जैसा कि CBD में उल्लिखित है।
- आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित DSI के उपयोग से मिलने वाले लाभों को साझा करने के लिए **एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने के संबंध में सकारात्मक उपायों को अपनाया जाना चाहिए।**
- **ग्रीनवाशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपनाना चाहिए।**

भारत और जैविक विविधता अभिसमय (CBD)

- भारत 1994 में इस अभिसमय का पक्षकार बना। साथ ही, इस अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता कानून पारित किया था।

‘पोस्ट-2020 GBF’ वार्ता में भारत का रुख

- **30x30 टारगेट का समर्थन:** भारत **प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन** में शामिल है। इसलिए भारत 30x30 टारगेट का समर्थन करता है। साथ ही, भारत का मत है कि इसमें अन्य क्षेत्र-आधारित प्रभावी संरक्षण उपायों (OECMs)[124] को व्यापक रूप से स्थलीय तथा समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रयासों के साथ एकीकृत करना चाहिए।

प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन {The High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People}

यह **100 से अधिक देशों** का एक अंतर-सरकारी समूह है। इसकी सह-अध्यक्षता कोस्टा रिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा महासागर सह-अध्यक्ष के रूप में की जाती है। यह प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है। इसका केंद्रीय लक्ष्य 2030 तक विश्व के कम-से-कम 30% भूमि और महासागर का संरक्षण करना है।

- **न्याय-संगतता का सिद्धांत (Principle of equity):** भारत के अनुसार, जैव विविधता का संरक्षण भी **“साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं” (CBDR–RC)**[125] पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है।
  - इसके अलावा, विकासशील देश जैव विविधता के संरक्षण संबंधी टार्गेट्स को लागू करने में अधिकांश बोझ का वहन करते हैं। इसलिए विकसित देशों द्वारा अनिवार्य रूप से विकासशील देशों को पर्याप्त धन और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना चाहिए।
- **अव्यावहारिक संख्यात्मक टार्गेट्स:** भारत सैद्धांतिक रूप से कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग और अत्यधिक खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करने जैसे टार्गेट्स का समर्थन करता है।
  - हालांकि, आवश्यक आधार और प्रासंगिक वैज्ञानिक साक्ष्यों के बिना भारत कई संख्यात्मक टार्गेट्स का समर्थन नहीं करता है।
  - **संधारणीय खपत:** भारत अपनी LiFE पहल के जरिए पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए विवेकपूर्ण तथा सार्थक उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह इस फ्रेमवर्क के टारगेट 16 से संबंधित संधारणीय खपत के अनुरूप है।

---

[123] UN Convention on Biological Diversity

[124] Other Effective area-based Conservation Measures

[125] Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities

- **डिजिटल अनुक्रमण जानकारी:** भारत की मंशा है कि DSI के संबंध में पहुंच और लाभ साझाकरण को न्यायसंगत एवं निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
    - ऐसा करने से, स्वदेशी समुदायों की सहायता के लिए जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे उपयोगकर्ताओं से धन का प्रवाह सुनिश्चित होगा। ऐसी कंपनियों को जैव विविधता और संबंधित आनुवंशिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है।
- **सब्सिडी को समाप्त करने का विरोध:** भारत के अनुसार, कृषि, ग्रामीण समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। इसलिए सब्सिडी को समाप्त करने की दिशा में कृषि क्षेत्रक को दी जा रही सहायता को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
    - इसलिए प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने वाली सब्सिडी को जारी रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- प्राकृतिक कृषि जैसी कृषि-पारिस्थितिकी संबंधी पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए।

5.1.1. वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स (World Restoration Flagships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आयोजित यू.एन. CBD के COP15 के दौरान **प्रथम 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स** की घोषणा की गई है। यह घोषणा **संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनरुद्धार दशक**[128] के तहत की गई है।

वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स के बारे में

- वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स की सहायता से **'संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनरुद्धार दशक'** किसी भी देश या क्षेत्र में व्यापक और दीर्घकालिक पारितंत्र पुनरुद्धार के सर्वोत्तम कार्यों को सम्मानित कर रहा है। साथ ही, इस दौरान **पारितंत्र पुनरुद्धार के 10 सिद्धांतों को भी मूर्त रूप दिया गया है।**
- ये 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स अब **संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रोत्साहन, सलाह या फंड प्राप्त करने के लिए पात्र हो गए हैं।**
- सभी 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स की प्रगति की निगरानी **पारितंत्र पुनरुद्धार निगरानी फ्रेमवर्क**[129] के माध्यम से पारदर्शी रूप से की जाएगी। यह फ्रेमवर्क वैश्विक पुनरुद्धार प्रयासों पर नज़र रखने के लिए **संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनरुद्धार दशक** का एक प्लेटफॉर्म है।
- **फ्लैगशिप पहलों के चयन हेतु मानदंड:**
    - पारितंत्र भौगोलिक आधार पर स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने योग्य हो।
    - नामांकित क्षेत्र में पारितंत्र पुनरुद्धार सफल हो, मापने-योग्य हो और उसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया हो।
    - उसके पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य व लक्ष्य बेहतर रूप से निर्धारित होने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनरुद्धार दशक के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021-2030 को **संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनरुद्धार दशक** घोषित किया है।
- भागीदारों के समर्थन से इसका नेतृत्व **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)**[126] तथा संयुक्त राष्ट्र के **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)**[127] द्वारा किया जा रहा है। इसे दुनिया भर में पारितंत्र की हानि और गिरावट का निवारण करने, उसे रोकने एवं उसका पुनरुद्धार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य स्थलीय और जलीय पारितंत्र को शामिल करते हुए **अरबों हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है।**

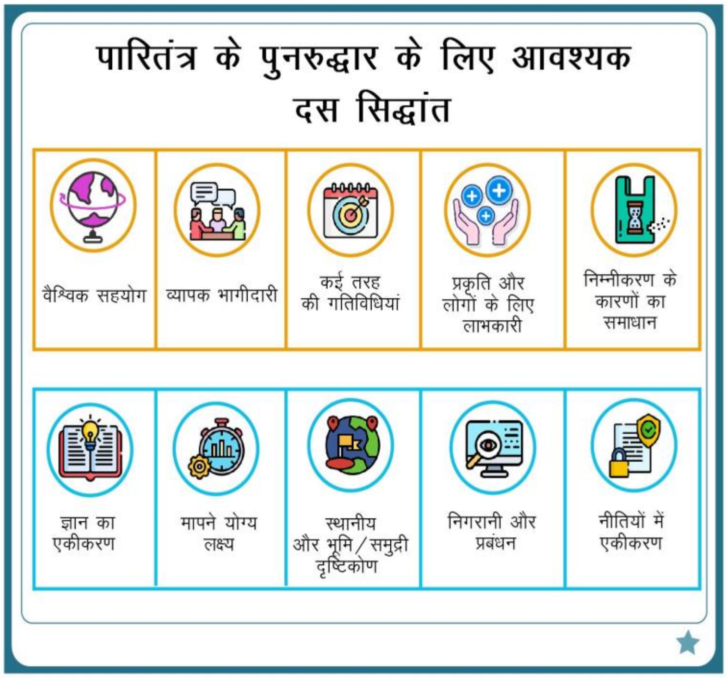
पारितंत्र के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक दस सिद्धांत
वैश्विक सहयोग
व्यापक भागीदारी
कई तरह की गतिविधियां
प्रकृति और लोगों के लिए लाभकारी
निम्नीकरण के कारणों का समाधान
ज्ञान का एकीकरण
मापने योग्य लक्ष्य
स्थानीय और भूमि/समुद्री दृष्टिकोण
निगरानी और प्रबंधन
नीतियों में एकीकरण

---

[126] UN Environment Programme

[127] Food and Agriculture Organization

[128] The UN Decade on Ecosystem Restoration या पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक

[129] Framework for Ecosystem Restoration Monitoring

- पहले 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स 23 देशों और सभी पारितंत्रों में फैले हुए हैं।
    - संयुक्त रूप से इन 10 फ्लैगशिप्स का लक्ष्य **60 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का पुनरुद्धार करना है।** इसका क्षेत्रफल लगभग पूरे मेडागास्कर या यूक्रेन के बराबर है। साथ ही, इससे **13 मिलियन से अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी।**

10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स की सूची

फ्लैगशिप पहल	**देश**	**विवरण**
त्रि-राष्ट्रीय अटलांटिक वन संधि (Trinational Atlantic Forest Pact)	अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे	**उद्देश्य:** 2050 तक दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण अटलांटिक वन को सुधारना और 15 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत वन का पुनरुद्धार करना। **संचालन (Coordinated by):** अटलांटिक वन पुनरुद्धार संधि और त्रि-राष्ट्रीय अटलांटिक वन पुनरुद्धार नेटवर्क द्वारा।
अबू धाबी समुद्री पुनरुद्धार (Abu Dhabi Marine Restoration)	संयुक्त अरब अमीरात	**उद्देश्य:** अबू धाबी में **प्रवाल, मैंग्रोव और समुद्री घास का पुनरुद्धार करना, जलीय स्तनपायी डुगोंग** की तेजी से घट रही **आबादी के लिए एक शरणस्थली बनाना।** **संचालन:** द एनवायरनमेंट एजेंसी- अबू धाबी।
पुनरुद्धार और शांति के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल (Great Green Wall for Restoration and Peace)	बुर्किना फासो, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सेनेगल, सूडान, चाड	**उद्देश्य:** अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में 8,000 कि.मी. की पट्टी में **सवाना, घास के मैदानों और कृषि-भूमियों का पुनरुद्धार करना।** **संचालन:** पैन-अफ्रीकी ग्रेट ग्रीन वॉल एजेंसी; इनिशिएटिव ऑफ द ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर सहारा एंड साहेल बुर्किना फासो; UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव आदि द्वारा।
नमामि गंगे (Namami Gange)	भारत	**उद्देश्य: भारत की पवित्र गंगा नदी और उसके आस-पास के बेसिन का कायाकल्प करना।** प्रदूषण को कम करते हुए एवं निर्वनीकरण में कमी लाते हुए नदी से लोगों के जुड़ाव को फिर से बहाल करना। **संचालन:** भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा, जिसमें **विश्व बैंक**, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी का सहयोग होगा।
मल्टी-कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप (Multi-country Mountain Flagship)	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा	**उद्देश्य:** किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया और युगांडा में **पर्वतीय क्षेत्र का संरक्षण करना।** पर्वतीय गोरिल्ला एवं हिम तेंदुओं के साथ-साथ **विलुप्ति का खतरा झेल रही कई प्रजातियों का संरक्षण करना।** **संचालन:** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कार्पेथियन कन्वेंशन और माउंटेन पार्टनरशिप द्वारा।
लघु द्वीपीय विकासशील देश (Small Island Developing States)	वानुआतु, कोमोरोस, सेंट लूसिया	**उद्देश्य:** वानुआतु, सेंट लूसिया और कोमोरोस में **संवेदनशील पारितंत्र का पुनरुद्धार करना।** द्वीपीय राष्ट्रों को **वन्यजीवों का संरक्षण करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति तैयार होने एवं अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद करना।** **संचालन:** कोमोरोस, सेंट लूसिया और वानुआतु की सरकारें; द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कोएलिशन फ़ॉर नेचर; संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग[130]; FAO और UNEP
ऐटलिन डाला संरक्षण पहल (Atlyn Dala Conservation Initiative)	कजाकिस्तान	**उद्देश्य:** साइगा एंटीलोप (Saiga Antelope) के ऐतिहासिक प्राकृतिक सीमा अर्थात् **कजाकिस्तान के स्टेपी, अर्ध-मरुस्थलीय और मरुस्थलीय पारितंत्र का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना।** **संचालन:** एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ़ बायोडायवर्सिटी ऑफ़ कजाकिस्तान; फ़्रैंकफ़र्ट जूलॉजिकल सोसाइटी आदि।

---

[130] The United Nations Department of Economic and Social Affairs

सेन्ट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर (Central American Dry Corridor)	कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा	**उद्देश्य: 3,00,000 हेक्टेयर सूखाग्रस्त सेंट्रल अमेरिकन कृषि भूमि और वनों का पुनरुद्धार करना।** **संचालन:** सेन्ट्रल अमेरिकन कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट; ग्रीन क्लाइमेट फंड; IUCN आदि द्वारा।
बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया (Building with Nature in Indonesia)	इंडोनेशिया	**उद्देश्य:** मैंग्रोव को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करना और **इंडोनेशिया के तट की बाढ़ से रक्षा करना।** **संचालन:** इंडोनेशियाई मिनिस्ट्री ऑफ मरीन अफेयर; वेटलैंड्स इंटरनेशनल आदि द्वारा।
चीन में शान-शुई पहल (Shan-Shui Initiative in China)	चीन	**उद्देश्य:** वनों, घास के मैदानों और जलमार्गों सहित संपूर्ण **चीन में 10 मिलियन हेक्टेयर पारितंत्र का पुनरुद्धार करना।** **संचालन:** पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा।

5.1.2. रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट, 2022 (Restoration Barometer Report 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आयोजित यू.एन. CBD के COP15 के दौरान **IUCN**[131] ने अपनी पहली **रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट** जारी की है।

रिपोर्ट के बारे में

इस रिपोर्ट में **18 देशों में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय निवेश और 14 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत क्षेत्रों को शामिल किया गया है।**

- रिस्टोरेशन बैरोमीटर को **2016 में बॉन चैलेंज बैरोमीटर के रूप में लॉन्च** किया गया था।
- **बैरोमीटर तटीय और अंतर्देशीय जल सहित स्थलीय पारितंत्रों**[132] **में पुनरुद्धार की प्रगति को ट्रैक करता है।** ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां इनके उपयोग या प्रबंधन से संबंधित किसी देश के अधिकारों की पहचान की जा सकती है। इसमें उच्च समुद्र (High Seas) के क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं। समुद्र का वह हिस्सा, जो प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के अंतर्देशीय जल का हिस्सा नहीं है, उच्च समुद्र कहलाता है।
    - बैरोमीटर में आठ संकेतक शामिल हैं, जो किसी देश में पुनरुद्धार की प्रगति की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
- इसमें पुनरुद्धार के तहत शामिल क्षेत्र के आकार के साथ-साथ **संबंधित जलवायु, जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक लाभों को रिकॉर्ड किया जाता है।** साथ ही, इसमें सफल पुनरुद्धार के प्रमुख घटकों में सक्षमकारी नीतियों और वित्त-पोषण व्यवस्था को भी शामिल किया जाता है।

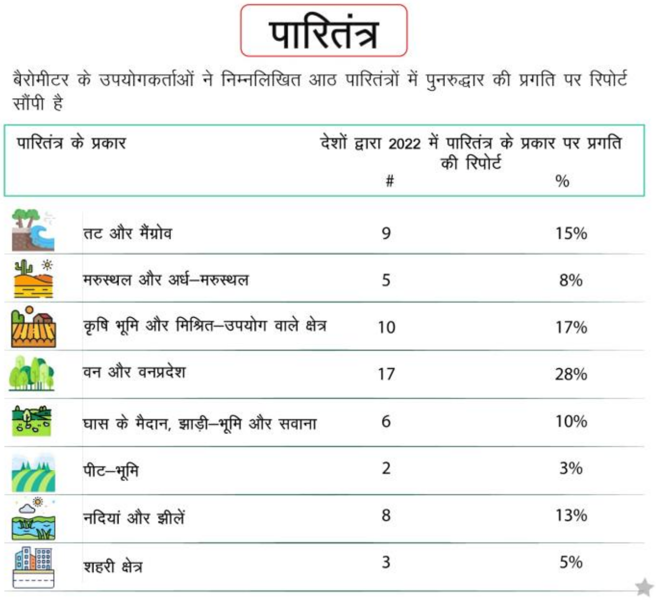

पारितंत्र

बैरोमीटर के उपयोगकर्ताओं ने निम्नलिखित आठ पारितंत्रों में पुनरुद्धार की प्रगति पर रिपोर्ट सौंपी है

पारितंत्र के प्रकार	देशों द्वारा 2022 में पारितंत्र के प्रकार पर प्रगति की रिपोर्ट	
	#	%
तट और मैंग्रोव	9	15%
मरुस्थल और अर्ध–मरुस्थल	5	8%
कृषि भूमि और मिश्रित–उपयोग वाले क्षेत्र	10	17%
वन और वनप्रदेश	17	28%
घास के मैदान, झाड़ी–भूमि और सवाना	6	10%
पीट–भूमि	2	3%
नदियां और झीलें	8	13%
शहरी क्षेत्र	3	5%

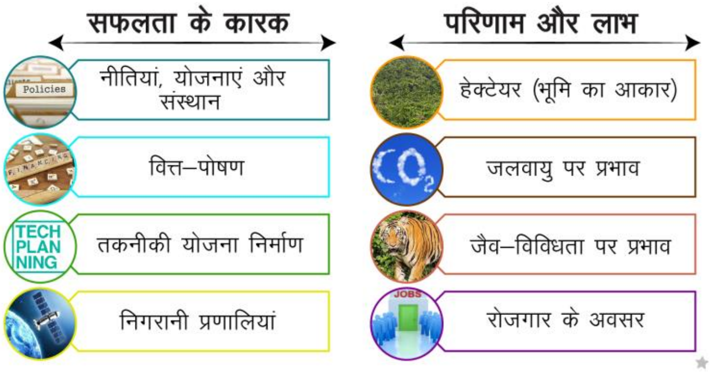

---

[131] International Union for Conservation of Nature/ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ

[132] Terrestrial ecosystems including coastal and inland waters

- बैरोमीटर **राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों को अपनी पुनरुद्धार संबंधी प्रतिबद्धताओं पर रिपोर्टिंग को सरल एवं व्यवस्थित करने का अवसर प्रदान करता है।** साथ ही, यह वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक और रिकॉर्ड करने में भी मदद कर सकता है। इसमें शामिल है:
    - बॉन चैलेंज
    - पोस्ट-2020 वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत 30x30 टारगेट
    - पेरिस समझौता
    - भू-निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य
    - 1 ट्रिलियन वृक्ष
- वर्तमान में, **22 देश पुनरुद्धार संबंधी अपने लक्ष्यों की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग कर रहे हैं।** 50 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है।
    - हालांकि, 2022 में 22 देशों ने रिस्टोरेशन बैरोमीटर संबंधी डेटा प्रस्तुत किया था।
    - **इक्वाडोर, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के डेटा को अंतिम रूप दिया जा रहा है** और इसे बाद में प्रकाशित किया जाएगा।

5.1.3. अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज (Updated Red List of Threatened Species)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में आयोजित यू.एन. CBD के COP15 के दौरान IUCN ने **थ्रेटेन्ड स्पीशीज की अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की है।**

मुख्य निष्कर्ष

- IUCN की रेड लिस्ट या लाल सूची में अब 1,50,388 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें से 42,108 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा[133] है।
- आकलन किए गए 17,903 समुद्री प्राणियों और पादपों में से 1,550 से अधिक पर विलुप्त होने का खतरा है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन से कम-से-कम 41% थ्रेटेन्ड समुद्री प्रजातियां भी प्रभावित हो रही हैं।

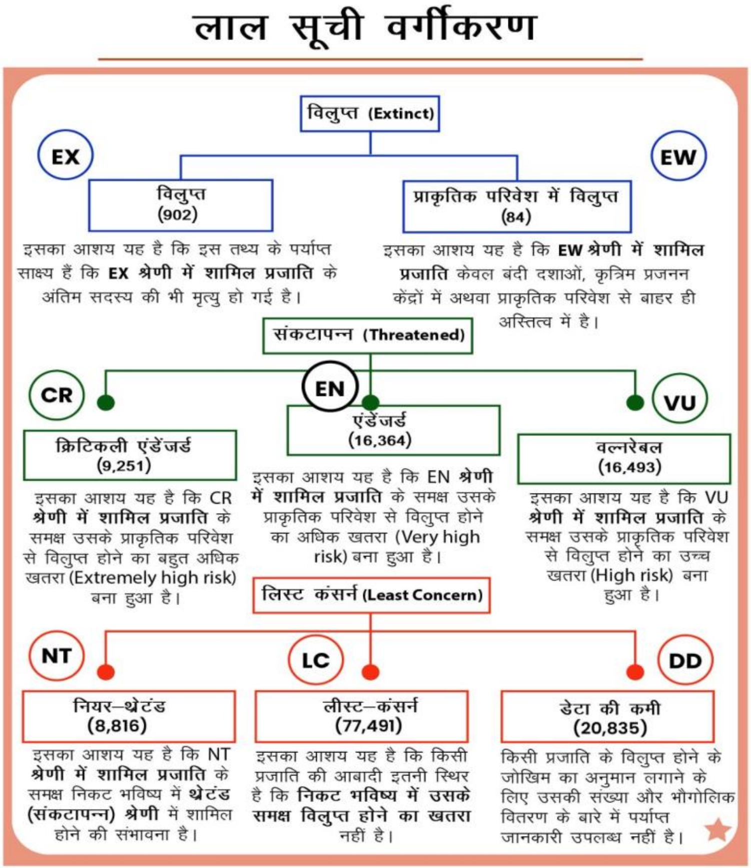

लाल सूची वर्गीकरण

इसका आशय यह है कि इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि **EX श्रेणी में शामिल प्रजाति** के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है।

इसका आशय यह है कि **EW श्रेणी में शामिल प्रजाति** केवल बंदी दशाओं, कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में अथवा प्राकृतिक परिवेश से बाहर ही अस्तित्व में है।

इसका आशय यह है कि CR **श्रेणी में शामिल प्रजाति** के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा (Extremely high risk) बना हुआ है।

इसका आशय यह है कि EN **श्रेणी में शामिल प्रजाति** के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक खतरा (Very high risk) बना हुआ है।

इसका आशय यह है कि VU **श्रेणी में शामिल प्रजाति** के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा (High risk) बना हुआ है।

इसका आशय यह है कि NT **श्रेणी में शामिल प्रजाति** के समक्ष निकट भविष्य में **थ्रेटंड (संकटापन्न) श्रेणी** में शामिल होने की संभावना है।

इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि **निकट भविष्य में उसके समक्ष विलुप्त होने का खतरा** नहीं है।

किसी प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए उसकी संख्या और भौगोलिक वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रभावित समुद्री प्रजातियां	
डुगोंग 	- **पूर्वी अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया में डुगोंग की आबादी** क्रमशः **क्रिटिकली एंडेंज़र्ड (CR) तथा एंडेंज़र्ड (EN)** के रूप में IUCN की लाल सूची में शामिल हो गई है। ○ यह प्रजाति वैश्विक स्तर पर **वल्नरेबल (VU)** बनी हुई है। 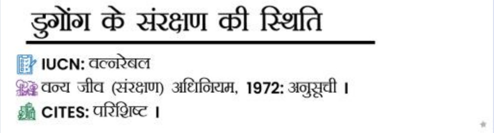 डुगोंग के संरक्षण की स्थिति IUCN: वल्नरेबल वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I CITES: परिशिष्ट I - इस प्रजाति के समक्ष खतरों में पूर्वी अफ्रीका में **मछली पकड़ने वाले बड़े जालों में अनजाने में फंसना** और न्यू कैलेडोनिया में **अवैध शिकार** शामिल है। साथ ही, अन्य खतरों में बड़ी नावों से घायल होना और समुद्री घास के पर्यावासों का विनाश भी शामिल है। - **डुगोंग की विशेषताएं:**

---

[133] Threatened With Extinction

	○ इसे **समुद्री गाय** के रूप में भी जाना जाता है। यह **एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है** और इसका आहार समुद्री घास है। 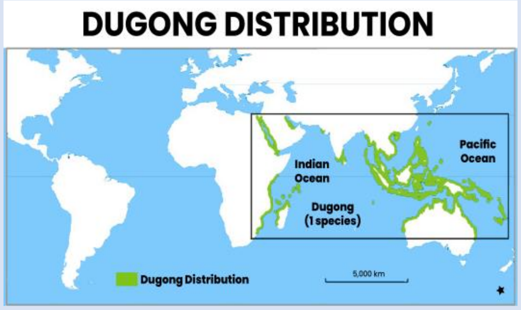 DUGONG DISTRIBUTION Indian Ocean Pacific Ocean Dugong (1 species) Dugong Distribution 5,000 km ○ यह साइरेनिया समूह (Order Sirenia) का एकमात्र सदस्य है जो भारत में पाया जाता है। ○ **ये समूहों में रहते हैं।** ये अपनी डॉल्फिन जैसी पूंछ की सहायता से तैरते हुए **सांस लेने के लिए जल की सतह पर आते हैं।** इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। • **पर्यावास और वितरण:** ये हिन्द और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के उथले तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ○ ये भारत में **मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी** तथा **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** में पाए जाते हैं। • **भारत में इसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:** ○ यह भारत के **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme)** के तहत सूचीबद्ध है। ○ यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। • तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए **भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है।**
पिलर कोरल्स *(Dendrogyra cylindrus)*	• ये यूकाटन प्रायद्वीप और फ्लोरिडा से त्रिनिदाद एवं टोबैगो तक पूरे कैरिबियन में पाए जाते हैं। 1990 के बाद से प्राकृतिक दशाओं में इनकी आबादी के 80% से अधिक घटने के कारण इन्हें **वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंज़र्ड की श्रेणी शामिल किया गया** है। • इनके समक्ष खतरों में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ **स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिज़ीज़,** ○ समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण विरंजन, और ○ समुद्र के जल में एंटीबायोटिक दवाओं, उर्वरकों और सीवरेज की अत्यधिक मात्रा का मिलना।
ऐबालोन	• सभी ऐबालोन सेलफिश प्रजातियों में से **44% को विलुप्त होने के खतरे से युक्त प्रजाति के रूप में IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है।** ○ अवैध शिकार के कारण **दक्षिण अफ्रीका के एंडेंज़र्ड पर्लमोन एबालोन के समक्ष खतरा बढ़ गया है।** ○ समुद्री हीट वेव के कारण दुनिया भर में ऐबालोन को प्रभावित करने वाले रोगों को बढ़ावा मिला है। इससे कैलिफोर्निया और मैक्सिको में **क्रिटिकली एंडेंज़र्ड ब्लैक ऐबालोन** प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही, इससे इंग्लिश चैनल से उत्तर-पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले **वल्नरेबल ग्रीन ऑर्मर (H.Tuberculata)** भी प्रभावित हो रहे हैं।

भारत से संबंधित निष्कर्ष: भारत में विश्लेषण की गई 239 नई प्रजातियों को लाल सूची में शामिल किया गया है। इनमें से 29 प्रजातियों को थ्रेटेन्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

भारत में कुछ नई थ्रेटेन्ड प्रजातियों का विवरण

प्रजातियां	लाल सूची श्रेणी	विशेषताएं
वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग *(Micrixalus Candidus)*	**एंडेंज़र्ड**	• यह **कर्नाटक के पश्चिमी घाट** में केवल 167 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है। गौरतलब है कि **पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।** • **पर्यावास के नष्ट होने, प्रदूषण, तापमान में परिवर्तन, रोगों, कीटनाशकों और आक्रामक प्रजातियों** से इस प्रजाति को खतरा है।
अंडमान स्मूथहाउंड शार्क	**वल्नरेबल**	• यह शार्क म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के तट के पास **पूर्वी हिंद महासागर में अंडमान**

(Mustelus Andamanensis) 		सागर में पाई जाती है। • **यह प्रजाति अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ने** और ट्रॉवल, लॉन्गलाइन एवं गिलनेट जैसे मछली पकड़ने वाले उपकरणों में फंसने के कारण खतरे का सामना कर रही है।
येलो हिमालयन फ्रिटिलरी *(Fritillaria Cirrhosa*) 	वल्नरेबल	• यह पौधा ज्यादातर भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के **हिमालयी क्षेत्रों में** पाया जाता है। • यह प्रजाति **अकुशल हार्वेस्ट, अत्यधिक दोहन, कंदों (Bulbs) की असंधारणीय और समय से पहले प्राप्ति तथा अवैध बाजारों में बिक्री** के कारण खतरे का सामना कर रही है। • **औषधीय उपयोग:** ऐसा माना जाता है कि यह दमा-रोधी, एंटीह्यूमेटिक, ज्वरनाशक, गैलेक्टागॉग, हेमोस्टैटिक, ऑप्थेल्मिक और ऑक्सीटोसिक है।

5.2. प्रकृति आधारित समाधान (Nature Based Solutions: NbS)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **"स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर (SFN) 2022"**[134] शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि प्रकृति-आधारित समाधान के लिए बहुत कम धन आवंटित किया जाता है।

SFN-2022 रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** और BMZ द्वारा वित्त-पोषित **इकॉनोमी ऑफ लैंड डिग्रेडेशन (ELD) पहल** द्वारा 'विविड इकोनॉमिक्स बाई मैकेंजी' के सहयोग से जारी की गई है।
    - ELD एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य **निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भूमि के वास्तविक महत्व को शामिल करना और संधारणीय भू-उपयोग को बढ़ावा देना है।**
    - यह पहल 2011 में **जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (BMZ), संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) और यूरोपीय आयोग** द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी।

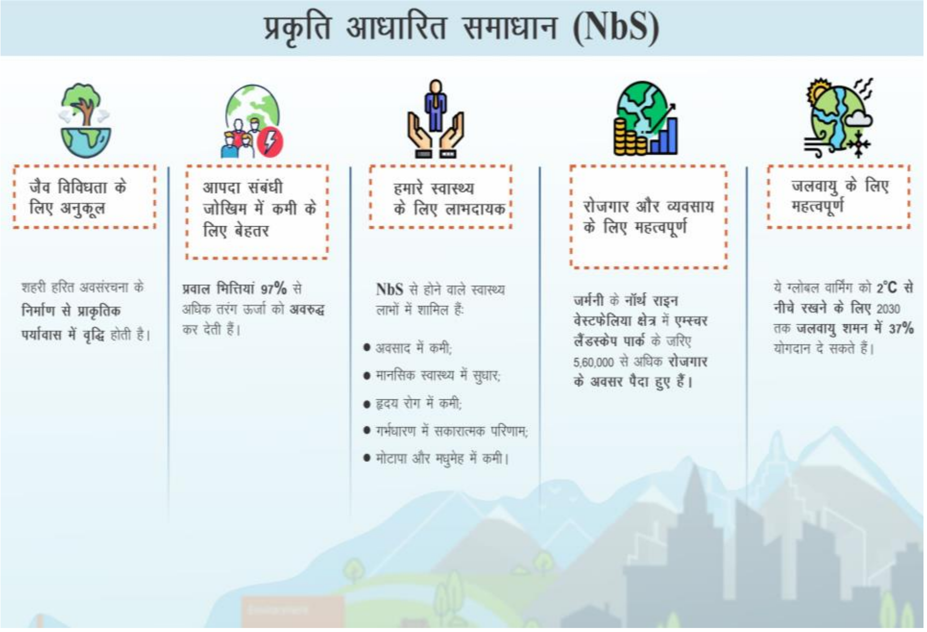

प्रकृति आधारित समाधान (NbS)

जैव विविधता के लिए अनुकूल

शहरी हरित अवसंरचना के **निर्माण से प्राकृतिक पर्यावास में वृद्धि** होती है।

आपदा संबंधी जोखिम में कमी के लिए बेहतर

प्रवाल भित्तियां 97% से अधिक तरंग ऊर्जा को **अवरुद्ध** कर देती हैं।

हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

NbS से होने वाले स्वास्थ्य लाभों में शामिल हैं:

- अवसाद में कमी;
- मानसिक स्वास्थ्य में सुधार;
- हृदय रोग में कमी;
- गर्भधारण में सकारात्मक परिणाम;
- मोटापा और मधुमेह में कमी।

रोजगार और व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण

जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया क्षेत्र में **एम्स्चर लैंडस्केप पार्क** के जरिए 5,60,000 से अधिक **रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।**

जलवायु के लिए महत्वपूर्ण

ये ग्लोबल वार्मिंग को **2°C से नीचे रखने के लिए** 2030 तक **जलवायु शमन में 37%** योगदान दे सकते हैं।

- इसमें प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त के प्रवाह को दर्शाया गया है। NbS का उद्देश्य जैव विविधता की हानि, भू-क्षरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना है।

प्रकृति आधारित समाधान (NbS) के बारे में

- NbS एक व्यापक पद है। इसका उद्देश्य **महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक या संशोधित पारितंत्र का संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन और पुनरुद्धार करना** है। इसमें दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक लचीलेपन का निर्माण भी शामिल है।

---

[134] State of Finance for Nature (SFN) 2022/ प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति (SFN) 2022

- **NbS प्रकृति का उपयोग करते हुए काम करता है।** इसे सामान्य तौर पर **परिरक्षण, संरक्षण, पुनरुद्धार, प्रबंधन एवं संधारणीय उपयोग** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
    - NbS में स्थलीय और समुद्री प्राकृतिक एवं अर्ध-प्राकृतिक पारितंत्र की विस्तृत श्रृंखला का संरक्षण, पुनरुद्धार और/ या प्रबंधन करना शामिल है।
- **NbS समाधान पर केंद्रित होता है।** इस प्रकार इसका उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों की श्रृंखला का समाधान करने के लिए किया जा सकता है।

NbS से संबंधित चुनौतियां

- **निवेश की कमी:** 2022 में NbS के लिए वित्त का प्रवाह काफी कम था। यह 2025 तक NbS के लिए आवश्यक निवेश के आधे हिस्से से भी कम था। साथ ही, यह 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने और भू-क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने हेतु आवश्यक निवेश का केवल एक तिहाई हिस्सा था।
    - इसके अलावा, वित्त के इन प्रवाहों में निजी क्षेत्रक के निवेश की हिस्सेदारी भी बहुत कम (17%) थी।
- **नेचर-नेगेटिव वित्तीय प्रवाह:** मत्स्य पालन, कृषि और जीवाश्म ईंधन पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रकों की सब्सिडी पर सरकारी व्यय प्रति वर्ष लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह NbS में सार्वजनिक और निजी निवेश से तीन-सात गुना अधिक है।
    - NbS में निवेश की तुलना में **नेचर-नेगेटिव** व्यय कहीं अधिक है।
- **NbS की प्रभावशीलता:** NbS वस्तुतः संदर्भ-विशिष्ट होता है। इसलिए जलवायु संबंधी बदलती परिस्थितियों के तहत NbS की प्रभावशीलता के बारे में अनिश्चितता प्रकट की जाती है।
- **देशज लोगों और स्थानीय समुदायों (IPLCs)[135] के अधिकारों का हनन:** NbS से संबंधित अकुशल पद्धतियां IPLCs के भू-अधिकारों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुंच से संबंधित चिंताओं को बढ़ा सकती हैं। साथ ही, ये पारितंत्र के संधारणीय प्रबंधन में IPLCs के महत्व को नज़रअंदाज़ कर सकती हैं।

SFN 2022 के मुख्य निष्कर्ष

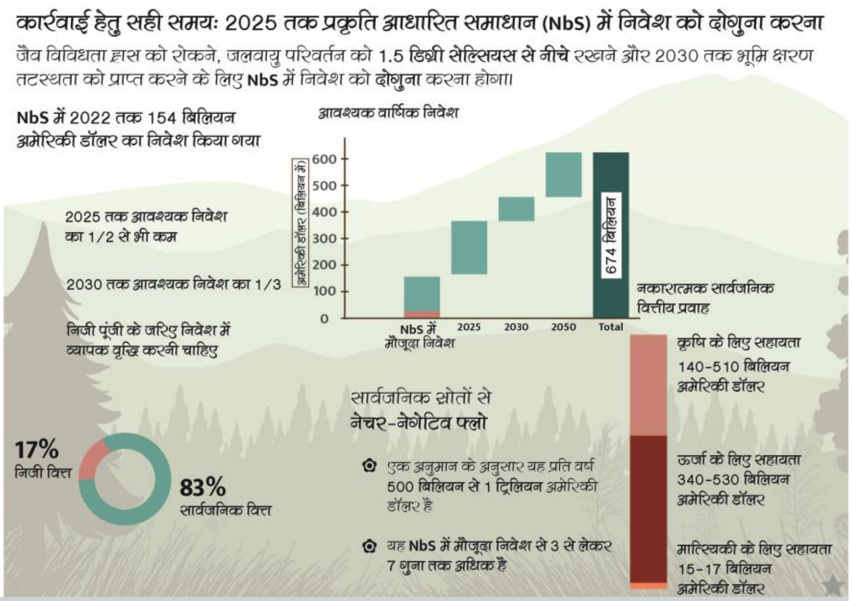

NbS अलग-अलग खतरों के प्रति अनुकूलित होने में कैसे सहायक हो सकते हैं

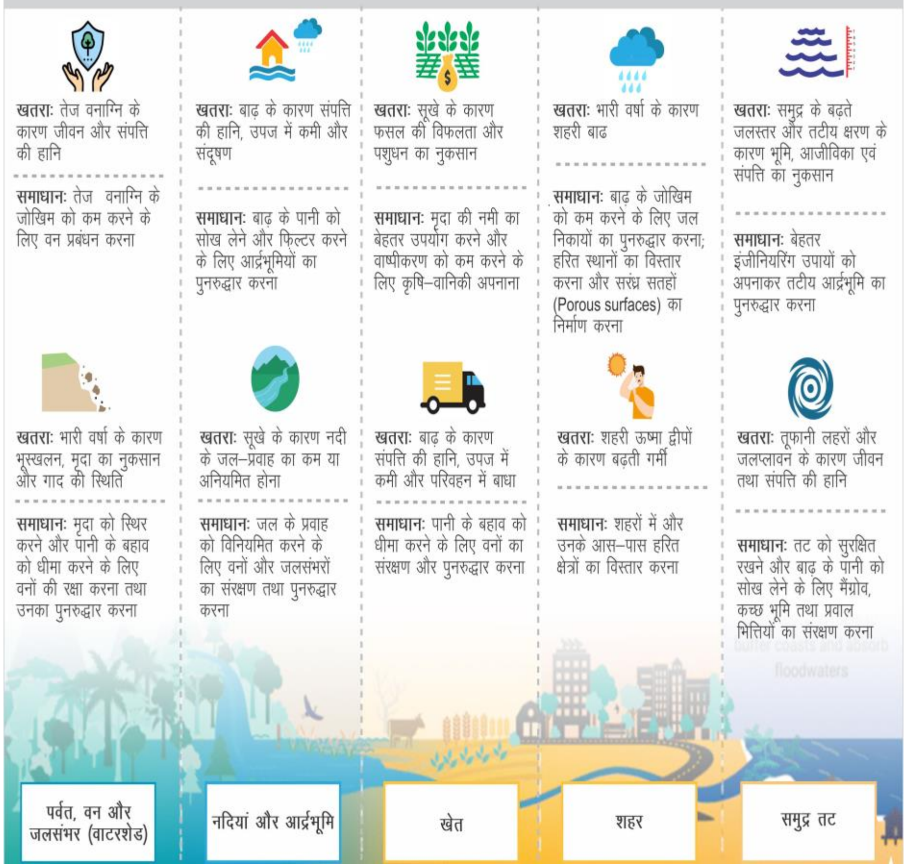

पर्वत, वन और जलसंभर (वाटरशेड)	नदियां और आर्द्रभूमि	खेत	शहर	समुद्र तट
खतराः तेज वनाग्नि के कारण जीवन और संपत्ति की हानि	**खतराः** बाढ़ के कारण संपत्ति की हानि, उपज में कमी और संदूषण	**खतराः** सूखे के कारण फसल की विफलता और पशुधन का नुकसान	**खतराः** भारी वर्षा के कारण शहरी बाढ	**खतराः** समुद्र के बढ़ते जलस्तर और तटीय क्षरण के कारण भूमि, आजीविका एवं संपत्ति का नुकसान
समाधानः तेज वनाग्नि के जोखिम को कम करने के लिए वन प्रबंधन करना	**समाधानः** बाढ़ के पानी को सोख लेने और फ़िल्टर करने के लिए आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार करना	**समाधानः** मृदा की नमी का बेहतर उपयोग करने और वाष्पीकरण को कम करने के लिए कृषि-वानिकी अपनाना	**समाधानः** बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए जल निकायों का पुनरुद्धार करना; हरित स्थानों का विस्तार करना और सरंध्र सतहों (Porous surfaces) का निर्माण करना	**समाधानः** बेहतर इंजीनियरिंग उपायों को अपनाकर तटीय आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार करना
खतराः भारी वर्षा के कारण भूस्खलन, मृदा का नुकसान और गाद की स्थिति	**खतराः** सूखे के कारण नदी के जल-प्रवाह का कम या अनियमित होना	**खतराः** बाढ़ के कारण संपत्ति की हानि, उपज में कमी और परिवहन में बाधा	**खतराः** शहरी ऊष्मा द्वीपों के कारण बढ़ती गर्मी	**खतराः** तूफानी लहरों और जलप्लावन के कारण जीवन तथा संपत्ति की हानि
समाधानः मृदा को स्थिर करने और पानी के बहाव को धीमा करने के लिए वनों की रक्षा करना तथा उनका पुनरुद्धार करना	**समाधानः** जल के प्रवाह को विनियमित करने के लिए वनों और जलसंभरों का संरक्षण तथा पुनरुद्धार करना	**समाधानः** पानी के बहाव को धीमा करने के लिए वनों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना	**समाधानः** शहरों में और उनके आस-पास हरित क्षेत्रों का विस्तार करना	**समाधानः** तट को सुरक्षित रखने और बाढ़ के पानी को सोख लेने के लिए मैंग्रोव, कच्छ भूमि तथा प्रवाल भित्तियों का संरक्षण करना

- **दुरुपयोग:** निर्णय लेने वालों और हितधारकों द्वारा NbS की गलत व्याख्या तथा दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रकृति और लोगों को नुकसान भी हो सकता है। साथ ही,

---

[135] Indigenous Peoples and Local Communities

इससे NbS का उपयोग हतोत्साहित हो सकता है। इसके अलावा, इससे दानकर्ताओं का विश्वास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और अंततः संबंधित प्रयास गलत दिशा में जा सकते हैं।

  - **उदाहरण के लिए-** विदेशज प्रजाति के वृक्षारोपण के परिणामस्वरूप मृदा की जैव विविधता विकृत हो सकती है। इससे भविष्य में विविधता से युक्त वनों के अस्तित्व को बनाए रखना अधिक महंगा या असंभव भी हो जाता है।
- **निगरानी और गवर्नेंस संबंधी कठिनाइयां:** NbS के तहत प्रायः विशाल स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों पर कार्रवाइयां की जाती हैं। यदि ये क्षेत्र एक से अधिक देशों में विस्तृत हैं तो ऐसे में संबंधित देशों के मध्य सक्रिय सहयोग और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

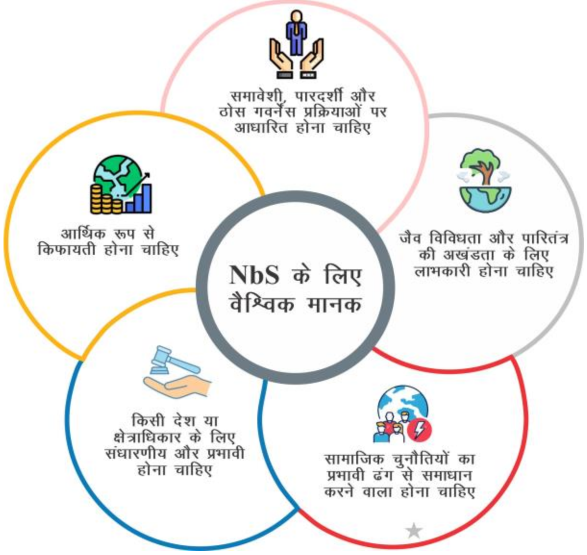
समावेशी, पारदर्शी और ठोस गवर्नेंस प्रक्रियाओं पर आधारित होना चाहिए
आर्थिक रूप से किफायती होना चाहिए
NbS के लिए वैश्विक मानक
जैव विविधता और पारितंत्र की अखंडता के लिए लाभकारी होना चाहिए
किसी देश या क्षेत्राधिकार के लिए संधारणीय और प्रभावी होना चाहिए
सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने वाला होना चाहिए

आगे की राह

- **NbS में निवेश संबंधी लक्ष्य को बढ़ाना और सुधारना:** इस संबंध में SFN-2022 के तहत निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं:
  - **NbS संबंधी प्रत्यक्ष वित्त प्रवाह में वृद्धि करना चाहिए।** इसके लिए बहुपक्षीय विकास बैंक **(MDBs)**[136] और विकास वित्त संस्थानों **(DFIs)**[137] द्वारा हरित वित्त को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही, निजी क्षेत्रक से निवेश को बढ़ाने के लिए विनियमन और प्रोत्साहन संबंधी प्रयास भी किए जा सकते हैं।
  - **कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को समयबद्ध तरीके से "नेट जीरो, नेट पॉजिटिव" और न्यायसंगत व्यापार मॉडल को अपनाना चाहिए।** यह कार्य जलवायु और प्रकृति से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रकटीकरण जैसे उपायों की सहायता से अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करके किया जा सकता है।
  - NbS संबंधी निवेशों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के प्रयासों में मानवाधिकारों का संरक्षण करते हुए, न्यायसंगत ट्रांजिशन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस,** जलवायु कार्रवाई और जलवायु नीति से संबंधित प्रयासों में **मुख्य रूप से NbS** के विचार को शामिल करना चाहिए। इन प्रयासों में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, एडॉप्टेशन कम्युनिकेशन आदि शामिल हैं।
- **NbS का प्रभावी रूप से मूल्यांकन और निगरानी करनी चाहिए।** इससे NbS के प्रभावों, लागतों और लाभों एवं उसके वितरण पर अप-टू-डेट जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, इससे अनुकूलनीय प्रबंधन भी संभव हो पाएगा।
- **NbS के संबंध में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को मजबूती प्रदान करना चाहिए।** यह कार्य IPLCs को धन और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए उनके अधिकारों को सम्मान और महत्व देकर किया जा सकता है।
- महिलाओं, देशज लोगों, बुजुर्गों और युवाओं जैसे सुभेद्य समूह जलवायु संबंधी प्रभावों और पारितंत्र में गिरावट का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए **सुभेद्य समूहों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले NbS प्रभावों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।** इससे अनुकूलन संबंधी लाभों के लिए प्रकृति आधारित समाधानों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।** यह सहयोग महत्वाकांक्षी, पारदर्शी और पर्यावरण संबंधी अखंडता को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। साथ ही, यह लोकप्रिय लामबंदी और अभियानों द्वारा समर्थित होगा।
- **NbS के लिए IUCN के वैश्विक मानकों पर आधारित** NbS परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

5.3. भारत में सौर ऊर्जा को अपनाना (Adoption of Solar Energy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **57 सौर पार्कों को मंजूरी** प्रदान की गई है। इन सौर पार्कों की **कुल क्षमता 39 गीगावाट से अधिक** होगी। यह मंजूरी **सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना**[138] के तहत प्रदान की गई है।

---

[136] Multilateral Development Banks

[137] Development Finance Institutions

[138] Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects

अन्य संबंधित तथ्य

- मंजूरी के बावजूद, इन सौर पार्कों में **लगभग 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं ही चालू की गई हैं।**
    - **सौर पार्क** ऐसे क्षेत्र हैं जो सभी मंजूरियों, ट्रांसमिशन सिस्टम, जल की उपलब्धता, सड़क कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क आदि के साथ **उपयुक्त विकसित भूमि** प्रदान करते हैं।

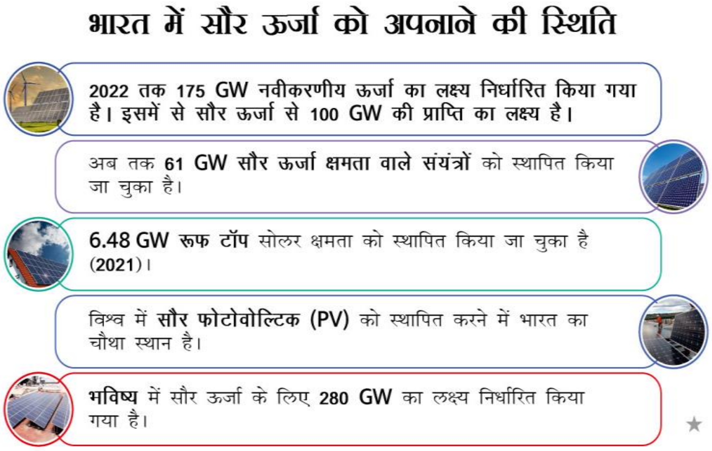

भारत में सौर ऊर्जा को अपनाने की स्थिति

2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से सौर ऊर्जा से 100 GW की प्राप्ति का लक्ष्य है।

अब तक **61 GW सौर ऊर्जा क्षमता वाले संयंत्रों** को स्थापित किया जा चुका है।

6.48 GW रूफ टॉप सोलर क्षमता को स्थापित किया जा चुका है (2021)।

विश्व में **सौर फोटोवोल्टिक (PV)** को स्थापित करने में भारत का चौथा स्थान है।

भविष्य में सौर ऊर्जा के लिए **280 GW** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)**[139] ने 2014 में **सौर पार्कों तथा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना** शुरू की थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजना का विकास करने वालों को प्लग-एंड-प्ले मॉडल में परियोजनाएं स्थापित करने में मदद करना था।
    - इस योजना के अंतर्गत, 2014-15 से 5 वर्षों की अवधि के भीतर 20 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए **कम-से-कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था।**
    - इस योजना के तहत सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 2017 में **20 गीगावाट से बढ़ाकर 40 गीगावाट** कर दिया गया था।
    - **सोलर पावर पार्क डेवलपर (SPPD)**[140] इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
    - यह योजना वृहद स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए **ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाएगी और उन्हें त्वरित करेगी।**

Solar Estimated State-wise Potential & Cumulative Installed Capacity

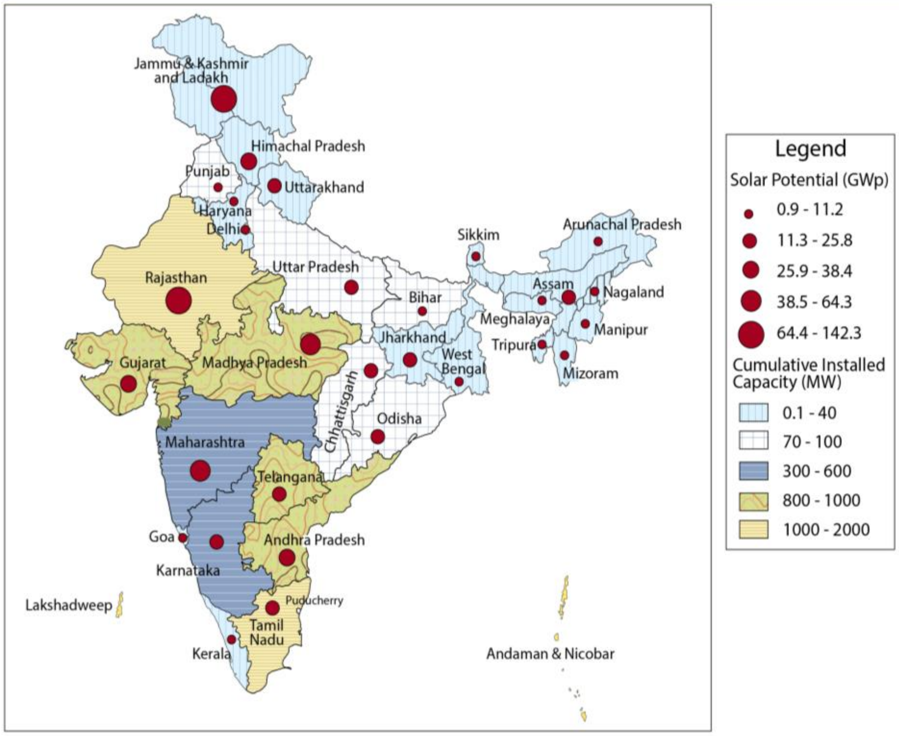
Jammu & Kashmir and Ladakh
Himachal Pradesh
Punjab
Uttarakhand
Haryana
Delhi
Rajasthan
Uttar Pradesh
Sikkim
Arunachal Pradesh
Assam
Nagaland
Bihar
Meghalaya
Manipur
Jharkhand
West Bengal
Tripura
Mizoram
Gujarat
Madhya Pradesh
Chhattisgarh
Odisha
Maharashtra
Telangana
Goa
Andhra Pradesh
Karnataka
Lakshadweep
Puducherry
Tamil Nadu
Kerala
Andaman & Nicobar
Legend
Solar Potential (GWp)
● 0.9 - 11.2
● 11.3 - 25.8
● 25.9 - 38.4
● 38.5 - 64.3
● 64.4 - 142.3
Cumulative Installed Capacity (MW)
▨ 0.1 - 40
☐ 70 - 100
▨ 300 - 600
▨ 800 - 1000
▨ 1000 - 2000

भारत में सौर ऊर्जा को अपनाने के समक्ष क्या चुनौतियां है?

- उत्पादन से जुड़े मुद्दे:
    - **भूमि की कमी:** बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए **ग्राउंड-माउंट सौर प्रणाली** स्थापित करने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। हालांकि, बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण भूमि की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
        - आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत 2050 तक दुनिया के उन देशों में शामिल हो सकता है जहां भूमि का सर्वाधिक अभाव होगा।
    - **उच्च लागत:** भारत **सौर पैनलों,** उपकरणों और इन्वर्टर के लिए **चीन, जर्मनी आदि देशों पर निर्भर है।** इसके अलावा, भारत में सौर टैरिफ तुलनात्मक रूप से कम है। इससे सौर पार्कों का विकास बाधित होता है।

---

[139] Ministry for New and Renewable Energy

[140] Solar Power Park Developer

    - **घरेलू विनिर्माण:** भारत में, **अवसंरचना की कमी, कुशल कार्यबल की कमी,** उत्पादन की उच्च लागत और कोविड-19 के कारण विनिर्माण में समस्याएं आ रही हैं। इसके परिणामस्वरूप सौर फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल्स का घरेलू विनिर्माण उद्योग गंभीर बाधाओं का सामना कर रहा है।
- **ट्रांसमिशन से जुड़ी समस्याएं:**
    - **ग्रिड संबंधी चुनौतियां:** सौर ऊर्जा का उत्पादन **अत्यधिक परिवर्तनशील, अनिश्चित और स्थान विशिष्ट** होता है। इसलिए ट्रांसमिशन ग्रिड को संचालित करने हेतु उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि **ग्रिड को निरंतर आपूर्ति** की आवश्यकता होती है जिसे मांग के अनुसार बढ़ाया/ घटाया जा सके।
    - **डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति:** विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की खराब वित्तीय स्थिति के कारण भुगतान में देरी और बकाया बढ़ता जाता है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भुगतान में 6-8 महीनों का विलंब होता है, जिससे उनका उत्पादन बाधित होता है।
- **पारितंत्र पर प्रभाव:**
    - **अपशिष्ट प्रबंधन:** भारत के सौर अपशिष्ट में **2050 तक 1.8 मिलियन टन की वृद्धि का अनुमान है।** वर्तमान में, भारत के **ई-अपशिष्ट नियमों को सौर सेल विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया है।** इसलिए ये प्रतिवर्ष विशाल मात्रा में सौर अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।
    - **जैव विविधता का नुकसान:** सौर ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास का अतिक्रमण किया गया है। इसके कारण इस पक्षी का अस्तित्व खतरे में है।

सौर ऊर्जा के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA):** यह **सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए** भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है। इसे सौर वित्त, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा क्षमता निर्माण की सहायता से प्राप्त किया जाना है।
- **वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG):** इसका उद्देश्य **एक साझा ग्रिड की सहायता से अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ना है।** इसका उपयोग **नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत को ट्रांसफर** करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार **विशेष रूप से सौर ऊर्जा सहित** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को साकार किया जा सकेगा।
- **उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए PLI[141] योजना:** इसका उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के विनिर्माण के लिए एक उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना है। इस प्रकार इससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित **आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।**
- **किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम):** इसका उद्देश्य ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, कृषि क्षेत्रक को डीज़ल मुक्त करना और सौर ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission: NSM):** यह मिशन 2010 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को दूर करते हुए पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

- **भूमि की आवश्यकताएं:** फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक प्लांट और **बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स (BIPV)[142]** के उपयोग से भूमि की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है। गौरतलब है कि BIPV पारंपरिक सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में पतले और लचीले होते हैं।
- **वित्त-पोषण:** बैंकों को **छोटे और मध्यम उद्यमों एवं आवासीय उपभोक्ताओं के लिए फोटोवोल्टिक प्रणाली लगाने हेतु ऋण के संबंध में अधिक लचीला** होने की आवश्यकता है। साथ ही, फोटोवोल्टिक संयंत्रों से संबंधित उच्च पूंजी लागत को कम करने के लिए पैनलों के आयात पर लगने वाले शुल्क को भी हटाने की आवश्यकता है।
- **रूफटॉप जेनरेशन:** आवासीय उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, रूफटॉप जेनरेशन से जुड़े घटकों, जैसे- फोटोवोल्टिक के लिए बाजार, उपलब्धता, सेवा और रख-रखाव, नेट मीटरिंग लाभ आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान और विकास: लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने**, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा सौर पैनलों, उपकरणों एवं **बैटरी के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने** के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाना चाहिए।
- **ऊर्जा का भंडारण करने संबंधी समाधान:** ग्रिड ऑपरेटर कम मांग वाली स्थितियों में नवीकरणीय परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को बड़ी बैटरी प्रणालियों में भंडारित कर सकते हैं। इसके पश्चात, मांग बढ़ने पर ग्रिड इंटीग्रेशन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए उस विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर सकते हैं।

---

[141] Production Linked Incentive/ उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन

[142] Building Integrated Photovoltaics

5.4. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 {Energy Conservation (Amendment) Act, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022** लागू हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के बारे में

- यह **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** में संशोधन करता है। ध्यातव्य है कि **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ऊर्जा की खपत को विनियमित करने एवं ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा** प्रदान करता है।
- **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** ऊर्जा की बचत से संबंधित है। 2022 का संशोधन **पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने** से संबंधित है। इस प्रकार नवीनतम संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मूल अधिनियम के **कार्यक्षेत्र और लक्ष्य को व्यापक** बनाना है।

वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ECA), 2001 में किए गए संशोधन

ECA, 2001 में **पहली बार 2010 में संशोधन किया गया** था। इस संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के **कार्यक्षेत्र का विस्तार** करना एवं **निम्नलिखित विषयों को इसके दायरे** में लाना था:

- **भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानक;** एप्लायंसेज और उपकरणों के लिए उन्नत ऊर्जा दक्षता मानदंड लागू करना।
- ऊर्जा-गहन नामित उपभोक्ताओं (Designated Consumers: DCs) के बीच **ऊर्जा बचत के व्यापार** के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।
- **दक्षता और खपत संबंधी मानदंडों** के उल्लंघन तथा अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए **जुर्माने में वृद्धि करना।**
- **विद्युत अपीलीय अधिकरण (APTEL)[143] द्वारा अपील की सुनवाई** का प्रावधान करना।

नए अधिनियम में शामिल मुख्य बिंदु:

- **कार्बन क्रेडिट व्यापार:** यह केंद्र सरकार को **कार्बन क्रेडिट व्यापार संबंधी योजनाएं** बनाने का अधिकार देता है।
    - कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट होता है। यह इसके खरीदार या धारक को एक निश्चित मात्रा में CO2 का उत्पादन या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने का अधिकार प्रदान करता है।
    - **केंद्र सरकार** या अन्य **अधिकृत एजेंसियां** कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत पंजीकृत संस्थाओं एवं अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकती हैं।
- **गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी बाध्यता:** 2001 के अधिनियम ने केंद्र सरकार को **ऊर्जा खपत मानक निर्धारित** करने का अधिकार प्रदान किया था।
    - इस संशोधन के माध्यम से सरकार नामित उपभोक्ताओं (DCs) के लिए उनकी ऊर्जा आवश्यकता के निर्धारित हिस्से की पूर्ति गैर-जीवाश्म स्रोतों से करना अनिवार्य कर सकती है। गैर-जीवाश्म स्रोतों में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया आदि शामिल हैं।
    - उपर्युक्त दायित्व को पूरा करने में विफलता को दंडनीय बनाया गया है। इसके लिए 10 लाख रुपये तक के **जुर्माने का प्रावधान किया गया है।**

कार्बन बाजार के बारे में

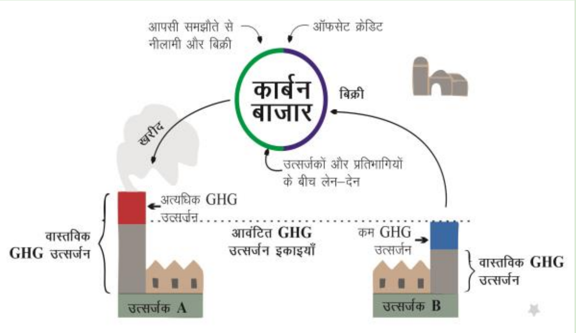

- कार्बन बाजार मूलतः **कार्बन उत्सर्जन के संबंध में कीमतों** को तय करने का एक मंच है। इससे एक **व्यापारिक प्रणाली** स्थापित होती है जहां कार्बन क्रेडिट या उत्सर्जन परमिट **खरीदे और बेचे** जा सकते हैं।
- ये मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं अर्थात् स्वैच्छिक (Voluntary) और अनुपालन बाजार (Compliance Market)।
    - **स्वैच्छिक बाजार:** इसके तहत उत्सर्जक 1 टन CO_2 या इसके बराबर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई के लिए **कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं।** कार्बन क्रेडिट में **एक यूनिट 1 टन CO_2 के बराबर** होता है।
        - **वायुमंडल से CO_2 को कम करने वाली गतिविधियों** (जैसे- वनीकरण) **के बदले भी कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जाता है।**
    - **अनुपालन बाजार:** इन्हें **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों द्वारा स्थापित किया जाता है।** ये आधिकारिक रूप से विनियमित होते हैं। ये ज्यादातर **"कैप-एंड-ट्रेड"** सिद्धांत के तहत काम करते हैं।
        - **कैप एंड ट्रेड एक अवधारणा है। इसके तहत ग्रीनहाउस गैसों की उत्सर्जन की कुल मात्रा संबंधी सीमा, नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही, उत्सर्जन के स्तर के अनुरूप उत्सर्जन परमिट या अलाउंस (Allowance) का मुक्त रूप से व्यापार किया जाता है।**

---

[143] Appellate Tribunal for Electricity

- **भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता:** 2001 के अधिनियम ने केंद्र सरकार को भवनों के लिए **ऊर्जा संरक्षण संहिता**[144]बनाने का अधिकार दिया था। संशोधन के माध्यम से इसके स्थान पर **"ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता"**[145] का प्रावधान किया गया है।
  - यह नई संहिता **ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग** एवं हरित भवनों के लिए **अन्य अनिवार्यताओं** हेतु मानदंड तैयार करेगी।
  - 2022 के संशोधन के तहत, 100 किलोवॉट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले **कार्यालयों और आवासीय भवनों** पर भी नई संहिता लागू होगी। यह राज्य सरकारों को इस **लोड की सीमा (Load thresholds) को कम करने का अधिकार** भी देता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 का महत्व

- इससे कार्बन बाजारों के लिए NDCs-विधायी फ्रेमवर्क को साकार करने में सहायता मिलेगी।
- इसके तहत बड़े आवासीय भवनों, वाहनों को शामिल करते हुए **ऊर्जा दक्षता के कवरेज का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार इससे ऊर्जा दक्षता और संधारणीय आवासों को बढ़ावा मिलेगा।**
- इससे **ऊर्जा दक्षता संबंधी पहलों के एकीकरण की दिशा में प्रगति सुनिश्चित होगी।** इसके तहत अब MoEF&CC, MoHUA, इस्पात मंत्रालय आदि के सचिव BEE की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) का हिस्सा होंगे।
- इसके तहत गैर–जीवाश्म स्रोतों के निर्धारित सीमा तक उपयोग को अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार इससे **हरित ऊर्जा की मांग पैदा होगी।**

- **वाहनों और जलयानों के लिए मानक:** 2001 के अधिनियम के तहत ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, ट्रांसमिशन या आपूर्ति करने वाले उपकरणों और यंत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानक निर्धारित किए जा सकते थे।
  - यह संशोधन वाहनों और जलयानों (जहाजों और नावों सहित) को शामिल करके इस अधिनियम के दायरे का विस्तार करता है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिभाषित वाहन भी शामिल होंगे।
- **SERCs की विनियामक शक्तियां:** 2001 का अधिनियम राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs)[146] को अधिनियम के तहत जुर्माने के संबंध में निर्णय देने का अधिकार देता था।
  - 2022 का संशोधन SERCs को यह अधिकार देता है कि वे **अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विनियम भी बना** सकते हैं।
- **राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष (State Energy Conservation Fund):** संशोधन के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने हेतु **ऊर्जा संरक्षण कोष का गठन** करें। इस कोष में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होगा।
- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE) की गवर्निंग काउंसिल की संरचना:** 2022 का संशोधन BEE की गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) में **विविधता लाते हुए सदस्यों और सचिवों की संख्या में वृद्धि करता है।**

2022 के संशोधन से जुड़ी चिंताएं

- **एक अवधारणा के रूप में कार्बन बाजार:** आलोचकों का तर्क है कि कार्बन बाजार, **यथास्थिति को बनाए रखने** में सहायक होते हैं।
  - हितधारक समूह कार्बन का मूल्य निर्धारण करने वाली कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, ताकि **उन योजनाओं को अप्रभावी या यहां तक कि प्रतिकूल बनाया** जा सके।
  - **काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW)** के उद्योग संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय उद्योगों से जुड़े हितधारकों के पास **कैप-एंड-ट्रेड मार्केट का ज्यादा अनुभव नहीं है।**

---

[144] Energy Conservation Code

[145] Energy Conservation and Sustainable Building Code

[146] State Electricity Regulatory Commissions

- **कार्बन क्रेडिट बाजार विनियमन:** सामान्यतः ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संबंधित **क्षेत्रक विशिष्ट विनियामकों** द्वारा विनियमित किया जाता है। उदाहरण के लिए- शेयर और कमोडिटी ट्रेडिंग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है। साथ ही, कार्बन व्यापार के लिए विनियामकीय संस्थाओं को **संबंधित अधिनियमों में निर्दिष्ट** किया गया है।
    - हालांकि, 2022 का संशोधन यह स्पष्ट नहीं करता है कि **कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों का व्यापार कैसे किया जाएगा** या ऐसे **व्यापार को कौन विनियमित** करेगा।
    - मूल अधिनियम के अनुसार, विद्युत मंत्रालय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के विनियमन के लिए नोडल मंत्रालय होगा। BEE **विद्युत मंत्रालय** के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
        - **संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के. और स्विट्ज़रलैंड** जैसे देशों में उनके संबंधित पर्यावरण मंत्रालय/ विनियामक 2022 के संशोधन द्वारा प्रस्तावित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के समान स्कीम को लागू करते हैं।
    - विशेषज्ञों ने मौजूदा नीतियों के बीच ओवरलैपिंग से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चिंता जताई है। उदाहरण के लिए- **ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र** तथा नई नीति **(कार्बन क्रेडिट व्यापार प्रमाण-पत्र)** के बीच ओवरलैपिंग हो सकती है।
        - **2022 का संशोधन** इनके विनियमन के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है।
- **दायित्वों को पूरा करने में चुनौतियां:** उपभोक्ता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ स्रोतों से विद्युत् का **पर्याप्त मात्रा में उत्पादन** करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए- **अगस्त 2022 तक** भारत की कुल स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता में बायोमास ऊर्जा की हिस्सेदारी मात्र **2.5%** थी।
    - ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया जैसी प्रौद्योगिकियां अभी भी **विकास की प्रारंभिक अवस्था** में हैं। वर्तमान में, इनसे ऊर्जा का किफायती उत्पादन **संभव नहीं हो सकता है।** ऊर्जा औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण चालक है। इसलिए ऐसे दायित्वों की बाध्यता उद्योगों की **प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव** डाल सकती है।
- **राज्यों के अधिकार में कमी:** कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि **संशोधन एक केंद्रीकृत संरचना को बढ़ावा देता है** जबकि प्रत्येक राज्य में ऊर्जा उत्पादन और खपत की अपनी एक अलग व्यवस्था है। 2022 के संशोधन के तहत BEE की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों से **केवल पांच प्रतिनिधियों का प्रस्ताव** आया है।
    - इसका अर्थ यह है कि अधिकांश राज्य BEE में **अपनी राय दर्ज नहीं करा पाएंगे।**

निष्कर्ष

आशा है कि ऊपर चर्चा किए गए कुछ पहलुओं पर **अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक** विवरण जल्द ही सामने आएंगे। **उद्योगों के प्रतिभागियों** को कार्बन बाजार के **परिचालन संबंधी पहलुओं** पर **प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता** है, ताकि भारतीय परिवेश में इस **हस्तक्षेप की सफलता सुनिश्चित** की जा सके और इसे **संस्थागत रूप प्रदान किया** जा सके।

ऊर्जा संरक्षण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे “वीकली फोकस” डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

संधारणीय ऊर्जा पारितंत्र की ओर संक्रमण

ऊर्जा वह इंजन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था और आधुनिक मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देता है। कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों ने राष्ट्रों को “बिल्ड बैक बैटर” (बेहतर पुनर्बहाली) हेतु तथा अर्थव्यवस्थाओं को अधिक संधारणीय प्रक्षेपवक्र की ओर ले जाने का आह्वान किया है। यह दस्तावेज़ एक संधारणीय ऊर्जा प्रणाली में निवेश के विकासात्मक लाभों और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति का विश्लेषण करता है। यह हरित और अधिक समावेशी ऊर्जा प्रणालियों को विकसित करने के लिए **एनर्जी ट्रिलेमा** जैसे मॉडलों पर भी चर्चा करता है जो भविष्य के संकटों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं।

5.5. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)

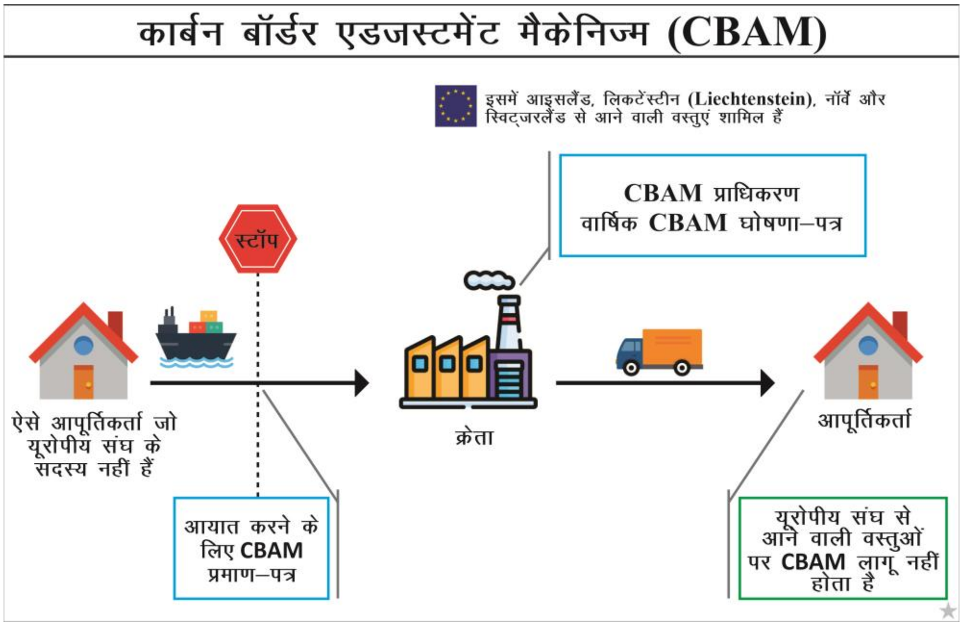
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
इसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन (Liechtenstein), नॉर्वे और स्विट्जरलैंड से आने वाली वस्तुएं शामिल हैं
CBAM प्राधिकरण वार्षिक CBAM घोषणा–पत्र
स्टॉप
ऐसे आपूर्तिकर्ता जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं
क्रेता
आपूर्तिकर्ता
आयात करने के लिए CBAM प्रमाण–पत्र
यूरोपीय संघ से आने वाली वस्तुओं पर CBAM लागू नहीं होता है

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत** ने शर्म अल शेख में आयोजित 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP27) में **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) या कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध** किया है। गौरतलब है कि CBAM का प्रस्ताव यूरोपीय संघ (EU) द्वारा लाया गया है।

CBAM के बारे में

- यह **यूरोपीय संघ (EU) की एक योजना** है। इसके तहत 2026 से लौह-इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम, बिजली और हाइड्रोजन जैसे **कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगाया जाएगा।**
    - यूरोपीय संघ ने **CBAM का विचार 2021 में प्रस्तुत** किया था।
- CBAM के तहत, यूरोपीय संघ के आयातकों द्वारा कार्बन-गहन उत्पादों के आयात पर **उक्त उत्पाद के कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन प्रमाण-पत्र खरीदना होगा।** इस प्रमाण-पत्र का मूल्य यूरोपीय संघ में कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले नियमों के तहत उस उत्पाद का उत्पादन करने पर देय भुगतान के बराबर होगा।
    - यदि किसी गैर-यूरोपीय संघ के उत्पादक ने उत्पाद के उत्पादन वाले देश में कार्बन उत्सर्जन के लिए पहले से ही भुगतान कर दिया हो, तो **यूरोपीय संघ के आयातक अपनी CBAM देयता में इस भुगतान की कटौती का दावा कर सकते हैं।**

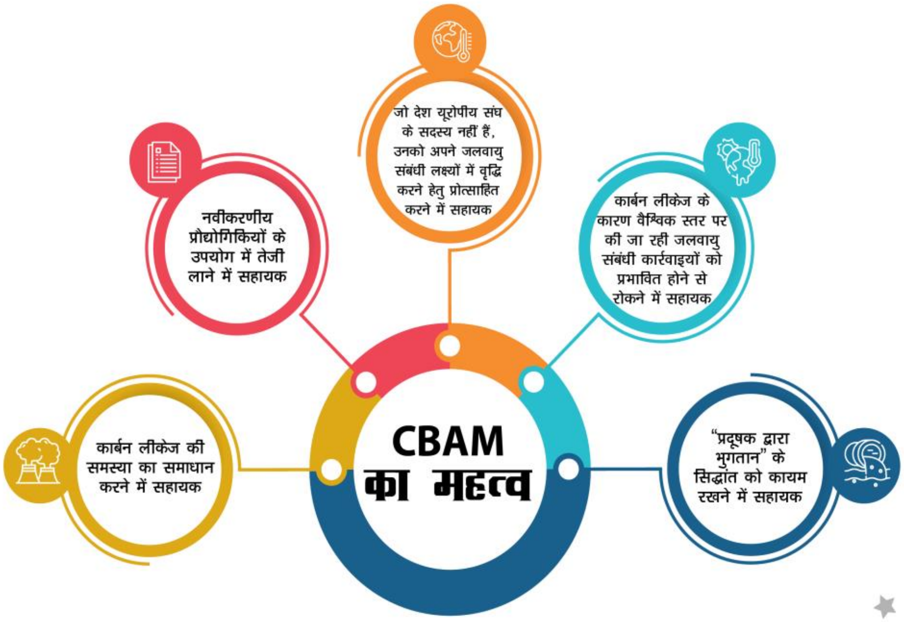
जो देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, उनको अपने जलवायु संबंधी लक्ष्यों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने में सहायक
नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग में तेजी लाने में सहायक
कार्बन लीकेज के कारण वैश्विक स्तर पर की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को प्रभावित होने से रोकने में सहायक
CBAM का महत्व
कार्बन लीकेज की समस्या का समाधान करने में सहायक
"प्रदूषक द्वारा भुगतान" के सिद्धांत को कायम रखने में सहायक

- CBAM **"फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज"** का हिस्सा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम-से-कम 55% तक कम करने की योजना बनाई है। यह कदम यूरोपीय जलवायु कानून[147] के अनुरूप उठाया गया है।
- इसका उद्देश्य **कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए कार्बन मूल्य और कंपनियों द्वारा अन्यत्र भुगतान की गई कीमत में अंतर को समाप्त** करना है। गौरतलब है कि यह **EU की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)[148] या इसके घरेलू अनुपालन-आधारित कार्बन बाजार के अधीन आने वाली कंपनियों से संबंधित है।**

---

[147] European Climate Law

[148] Emission Trading System

- CBAM को **कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट** के रूप में भी जाना जाता है।
  - **कार्बन बॉर्डर टैक्स** एक प्रकार का **कार्बन उत्सर्जन कर** है। यह जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों से **आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।**
    - इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच **समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना** है।
  - कंपनियों द्वारा जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों में अपनी उत्पादन गतिविधियों को स्थानांतरित करने को **"कार्बन लीकेज"** कहहा जाता है। इससे जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी वैश्विक प्रयास नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

BASIC समूह (2009)

- यह चार बड़े नव औद्योगीकृत देशों का एक समूह है। ये देश हैं- ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत और चीन।
- कोपेनहेगन एकॉर्ड में एक पक्षकार के रूप में इन BASIC देशों ने भी हिस्सा लिया था।

भारत का विरोध और अन्य मुद्दे

- **भेदभावपूर्ण:** भारत ने CBAM को 'भेदभावपूर्ण' बताते हुए इसका विरोध किया है, क्योंकि इससे यूरोप में भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और मांग घटेगी।
- **भारत पर अत्यधिक प्रभाव:** भारत यूरोपीय संघ को इस प्रकार के **लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पादों का सालाना निर्यात** करता है। इसमें से अधिकांश हिस्सा लौह-इस्पात और एल्यूमीनियम का है। इसलिए ये CBAM के दायरे में आ जाएंगे।
- **यह संयुक्त राष्ट्र के "साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत" के खिलाफ है:** इस सिद्धांत के अनुसार, समृद्ध देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील और कमजोर देशों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- **बाजार पर नकारात्मक प्रभाव:** BASIC देशों ने इस कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया है क्योंकि इससे पक्षकारों के बीच पहले से ही व्याप्त परस्पर अविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही, इससे बाजार भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- **अन्य चिंताएं:**
  - **इससे ग्लोबल साउथ के लिए संभावित आर्थिक जोखिम पैदा हो सकता है।** साथ ही, विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक गति से **विकार्बनीकरण करने में संघर्ष** का सामना करना पड़ सकता है।
  - अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपना सकती हैं। यह अल्पावधि में **विकासशील देशों के उद्योगों के लिए हानिकारक** होगा।
  - इससे संबंधी अतिरिक्त लागत का बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
  - यह भी आशंका जाहिर की गई है कि **CBAM विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन कर सकता है।**
    - इसके तहत शामिल क्षेत्रकों में कंपनियों को एक निश्चित **संख्या में ही मुफ्त उत्सर्जन परमिट की अनुमति होती है।** इससे अधिक उत्सर्जन हेतु उन्हें परमिट के लिए भुगतान करना होता है।

आगे की राह

- **विकासशील देशों को आर्थिक समर्थन देना:** CBAM के तहत कार्बन मूल्य का भुगतान करने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक रूप से समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जानी चाहिए। इससे CBAM के प्रति अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हो सकता है।
- **समन्वय पर ध्यान देना:** कार्बन बॉर्डर टैक्स आरोपित करने के बजाय कार्बन करों और संबंधित जलवायु परिवर्तन रोकथाम उपायों को समन्वित रूप से लागू करने को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **द्विपक्षीय संबंध:** भारत के लिए एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय रूप से इसका समाधान किया जाए। साथ ही, भारत को अपनी कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली स्थापित करने की तैयारी करनी चाहिए।
  - **वर्तमान में, भारत में स्पष्ट रूप से कार्बन मूल्य लागू नहीं है।** हालांकि, इसे कोयला उपकर जैसे तंत्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में लागू किया गया है।

निष्कर्ष

CBAM के प्रस्ताव ने कार्बन आधारित व्यापार नीतियों पर साझा समझ विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। यदि देशों का यह मानना है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स ही आगे की राह है, तो इस पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए CBAM पर लागू होने वाले प्रमुख मापदंडों के साथ-साथ उत्पादों के उत्पादन से उत्सर्जित होने वाले कार्बन को मापने के लिए स्वीकृत मानकों को अपनाया जाना चाहिए।

5.6. भारत के शीतलन क्षेत्रक में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर (Climate Investment Opportunities in India’s Cooling Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक** ने “भारत के शीतलन क्षेत्रक में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर[150]” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **हीटवेव की घटनाओं में वृद्धि:** 2030 तक, भारत में **16-20 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष जानलेवा लू (हीटवेव) का सामना** करना पड़ सकता है।
- **गर्मी से होने वाले तनाव के कारण लोगों की उत्पादकता में गिरावट:** इस वजह से 2030 तक लगभग **3.4 करोड़ भारतीय लोगों को रोजगार खोने के खतरे का सामना** करना पड़ेगा।
- **शीतलन (कूलिंग) की बढ़ती मांग:** 2037 तक, **शीतलन (कूलिंग) की मांग वर्तमान स्तर से आठ गुना** अधिक होने की संभावना है।
- **स्पेस कूलिंग में निवेश:** एक अध्ययन के अनुसार, 2040 तक स्पेस कूलिंग बाजार और उसमें **निवेश 1.6 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुंच जाएगा। इस बाजार के माध्यम से 37 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, संधारणीय स्पेस कूलिंग पद्धतियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।
    - कूलिंग की बढ़ती मांग से **प्रत्येक 15 सेकंड में एक नए एयर-कंडीशनर की मांग पैदा होगी।**
    - इस वजह से अगले दो दशकों में **वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि** हो सकती है।
- ऐसे में, **स्पेस कूलिंग हेतु वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी नवीन तकनीकों का उपयोग करना भारत के लिए अनिवार्य हो जाएगा।**
- **रिपोर्ट में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का विश्लेषण किया गया है।** इसके तहत शीतलन क्षेत्रक में सरकारी निवेश के अवसरों को प्राथमिकता देने के सुझाव दिए गए हैं।

हीटवेव (लू) के बारे में

- यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में **कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है,** तो उसे हीटवेव की स्थिति कहा जाता है।
- **सामान्य से अधिक तापमान के आधार पर-**
    - **हीट वेव:** इसमें तापमान **सामान्य से 4.50-6.40 डिग्री सेल्सियस अधिक** होता है।
    - **गंभीर हीटवेव:** इसमें तापमान **सामान्य से 6.40 डिग्री सेल्सियस अधिक** होता है।
- **अधिकतम वास्तविक तापमान के आधार पर:**
    - **हीट वेव:** जब अधिकतम वास्तविक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो।
    - **गंभीर हीटवेव:** जब अधिकतम वास्तविक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो।
    - यदि उपर्युक्त मानदंड **लगातार कम-से-कम दो दिनों तक** मौसम विज्ञान उपखंड[149] में **कम-से-कम 2 स्टेशनों पर** पाए जाते हैं, तो **दूसरे दिन** हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है।

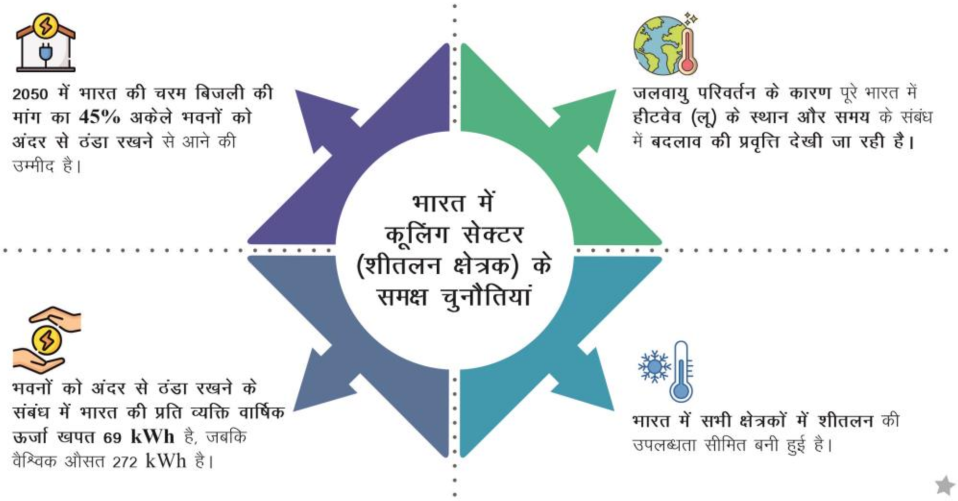

भारत में कूलिंग सेक्टर (शीतलन क्षेत्रक) के समक्ष चुनौतियां

2050 में भारत की चरम बिजली की मांग का 45% अकेले भवनों को अंदर से ठंडा रखने से आने की उम्मीद है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे भारत में **हीटवेव (लू) के स्थान और समय** के संबंध **में बदलाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है।**

भवनों को अंदर से ठंडा रखने के संबंध में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत 69 kWh है, जबकि वैश्विक औसत 272 kWh है।

भारत में सभी क्षेत्रकों में शीतलन की उपलब्धता सीमित बनी हुई है।

भारत की शीतलन (कूलिंग) संबंधी रणनीति क्या है?

- भारत एक **व्यापक कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) को बनाने वाले दुनिया के शीर्ष देशों में से एक** है। इस रणनीति में सभी क्षेत्रकों में शीतलन (कूलिंग) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक विजन शामिल है।

---

[149] Meteorological Sub-division

[150] Climate Investment Opportunities in India’s Cooling Sector

- कूलिंग की आवश्यकता कई क्षेत्रकों में होती है। साथ ही, यह **आर्थिक संवृद्धि के लिए एक अनिवार्य घटक है।**
    - यह **अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए भी आवश्यक है।** उदाहरण के लिए- यह आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, कोल्ड-चेन, प्रशीतन (Refrigeration), परिवहन और उद्योगों में आवश्यक है।
- **ICAP को 2019 में लॉन्च किया गया था।** इसका उद्देश्य **अलग-अलग क्षेत्रकों में संधारणीय शीतलन समाधान प्रस्तुत करना** है। उदाहरण के लिए- इमारतों में इनडोर कूलिंग, कृषि और औषध क्षेत्रक में कोल्ड-चेन व प्रशीतन, यात्री परिवहन प्रणाली में वातानुकूलन आदि।
- **इसका लक्ष्य है:**
    - 2037-38 तक **सभी क्षेत्रकों में शीतलन की मांग को 20% से 25% तक कम करना।**
    - 2037-38 तक **प्रशीतन या रेफ्रिजरेंट की मांग को 25% से 30% तक कम करना।**
    - राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में **"शीतलन और संबंधित क्षेत्रों" की पहचान करना।**

बढ़ते तापमान के प्रति लोगों को अनुकूलित बनाने में मदद करने के लिए सरकार की नीतिगत पहलें

- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, 2019
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
- पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) अभियान
- भारत 2047 तक ओजोन–क्षयकारी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन व खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करेगा

मुख्य सिफारिशें

- **संधारणीय स्पेस कूलिंग:** संधारणीय स्पेस कूलिंग समाधानों के द्वारा 2040 तक **213 मीट्रिक टन** कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर **वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।**
    - **इसके लक्ष्य को शीतलन (कूलिंग) तकनीकों,** जैसे- एयर कंडीशनर, पंखे और चिलर (Chiller) **की दक्षता में वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है। इससे 2037-38 तक 30% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।**
- **पैसिव कूलिंग रणनीतियां:** इससे **2038 तक** शहरों के ऊर्जा उपयोग को **20-30% तक कम** किया जा सकता है। गौरतलब है कि पैसिव कूलिंग के तहत भवनों का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है वे ऊष्मा को कम-से-कम अवशोषित करें और अवशोषित ऊष्मा को वितरित करते हुए भवनों के अंदर के तापमान को संतुलित रखें। इससे ऊर्जा की खपत में कमी आती है।
    - डिजाइन के माध्यम से किसी भवन के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी से कूलिंग के लिए विद्युत की मांग दो-चार प्रतिशत तक कम हो सकती है।
- **डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स (DCS):** DCS किसी एक भवन के बजाय भवनों के समूहों के लिए केंद्रीकृत शीतलन तकनीक है। यह तकनीक बहुत अधिक कुशल होती है।
    - अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले रियल एस्टेट परिसरों के लिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
    - DCS के तहत अत्यधिक ठंडे जल को भूमिगत इन्सुलेटेड पाइपों के माध्यम से **कई भवनों तक पहुंचाया जा सकता** है।
- **कोल्ड चेन और प्रशीतन:** कोल्ड चेन अवसंरचना में व्याप्त कमी की आने वाले दशकों में पूर्ति करने की आवश्यकता होगी, जिससे कूलिंग और प्रशीतन की मांग बढ़ने का अनुमान है। इसके लिए विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों से रियायती दरों पर वित्त-पोषण का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, **कोल्ड चेन वितरण नेटवर्क में अभिनव तकनीकों और संधारणीय कूलिंग उपायों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
    - कोल्ड चेन और प्रशीतन में निवेश करने से खाद्य नुकसान को लगभग 76% तक और कार्बन उत्सर्जन को 16% तक कम करने में मदद मिल सकती है।
- **थर्मल कम्फर्ट:** सरकार द्वारा **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)** जैसे अपने किफायती आवास कार्यक्रम में थर्मल कम्फर्ट प्रोग्राम को शामिल किया जाना चाहिए।
    - सरकार PMAY के अंतर्गत घर बना रही है। **थर्मल कम्फर्ट** के तहत इन घरों में पैसिव कूलिंग तकनीकों का उपयोग करके **1.1 करोड़ से अधिक शहरी परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.9 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है।**
    - इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि **बढ़ते तापमान से सबसे अधिक प्रभावित लोगों पर इसका असर तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक न हो।**

निष्कर्ष

नीतिगत कार्रवाइयों और सार्वजनिक निवेश से संबंधित बेहतर प्रयासों से शीतलन क्षेत्रक में बड़े पैमाने पर निजी निवेश का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। बढ़ते तापमान की चुनौतियों के समाधान और संबंधित अवसरों के लिए भारत में **सरकार द्वारा प्रमुख मिशन** तैयार करने की आवश्यकता है।

5.7. प्रदूषित नदी खंडों पर जल-गुणवत्ता की बहाली- 2022 रिपोर्ट (Polluted River Stretches For Restoration Of Water Quality - 2022 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)**[151] ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की नदियों में **"नदी के प्रदूषित खंडों" (PRS)** की संख्या में कमी आई है। हालांकि, सर्वाधिक प्रदूषित खंडों की संख्या में व्यावहारिक रूप से कमी नहीं आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CPCB राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम[152] के तहत नदियों, झीलों, क्रीक, जल वाहिकाओं (Drains), नहरों आदि की जल संबंधी गुणवत्ता की निगरानी करता है।
    - जल की गुणवत्ता का प्रबंधन **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
- CPCB ने 2009 से देश में PRS की पहचान करने की शुरूआत की थी।
- **वर्तमान आकलन 2019 और 2021 के नदी जल की गुणवत्ता संबंधी डेटा पर आधारित है।** 2020 से संबंधित डेटा महामारी के कारण उपलब्ध नहीं है।

CPCB के बारे में

- यह एक **वैधानिक संगठन** है जिसका गठन 1974 में **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था।
- इसे **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत भी **शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए हैं।**
- **CPCB नेटवर्क** के तहत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 4,484 स्थानों पर **जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।**
- **मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD)

- जल में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा एक निर्धारित तापमान पर **वायवीय (ऑक्सीजन की उपस्थिति में) दशाओं में** कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को BOD कहते हैं।
- **जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक** (जैसे- सीवेज और प्रदूषित निकायों में) होती है, उसी अनुपात में BOD का स्तर भी बढ़ जाता है।
- BOD का स्तर अधिक होने से **जलीय प्राणियों के लिए उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उसी अनुपात में कम हो जाती है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **प्रदूषित नदी खंडों की संख्या में गिरावट:** भारत की नदियों में प्रदूषित खंडों की संख्या 2018 में 351 थी, जो घटकर 2022 में 311 हो गई है।
- **अपरिवर्तित प्रदूषित नदी खंड (Unchanged polluted stretches): "प्राथमिकता I और II"** में वर्गीकृत प्रदूषित नदी खंडों की संख्या लगभग अपरिवर्तित रही है।
    - **महाराष्ट्र** में PRS की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद **मध्य प्रदेश का स्थान** आता है।
- **बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD):** 3.0 mg/L (मिलीग्राम प्रति लीटर) से अधिक BOD के स्तर वाले स्थान को प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है।
    - 2019 और 2021 के दौरान नदियों से जुड़े जिन 1,920 स्थलों की निगरानी की गई

प्रदूषित जल खंडों के लिए निर्धारित मानदंड

- **3.0 mg/L से अधिक BOD** वाले स्थान को प्रदूषित स्थल माना जाता है।
- किसी नदी, जल वाहिका या जलधारा में **एक ही स्थान** से लिए गए नमूने BOD मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो उसे **प्रदूषित स्थान** मान लिया जाता है।
- यदि किसी नदी में क्रमशः दो या दो से अधिक प्रदूषित स्थान पाए जाते हैं तो उसे **PRS** माना जाता है।
- **3mg/L से कम BOD** का अर्थ है कि नदी **स्नान** के लिए उपयुक्त है।

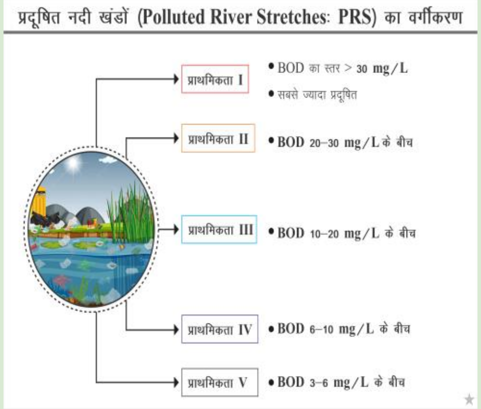

---

[151] Central Pollution Control Board

[152] National Water Quality Monitoring Programme

उनमें से **1,103 स्थानों (57%) पर BOD का स्तर 3.0 mg/L की सीमा से कम पाया** गया। ये स्थल स्नान करने के लिए उपयुक्त होते हैं।

- **PRS की संख्या में गिरावट:** प्राथमिकता-V वाले क्षेत्रों में PRS की संख्या में काफी गिरावट देखी गई है।
    - PRS की संख्या में इस गिरावट के लिए निम्नलिखित को उत्तरदायी माना जा सकता है:
        - **सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक बहिस्राव प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवसंरचना का विकास, विनियमों को बेहतर रूप से लागू करना आदि।**

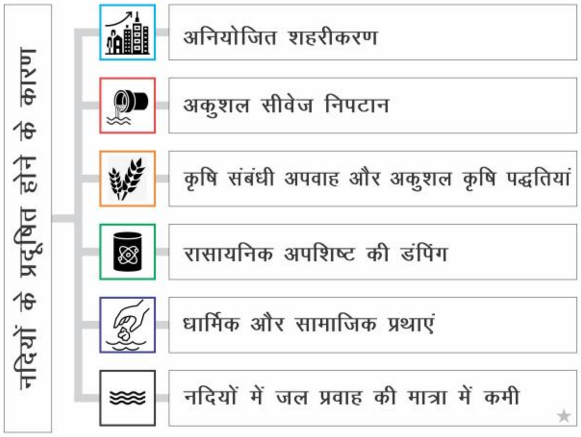
नदियों के प्रदूषित होने के कारण
अनियोजित शहरीकरण
अकुशल सीवेज निपटान
कृषि संबंधी अपवाह और अकुशल कृषि पद्धतियां
रासायनिक अपशिष्ट की डंपिंग
धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं
नदियों में जल प्रवाह की मात्रा में कमी

प्रमुख सिफारिशें

- प्रदूषण के अलग-अलग बिंदु स्रोतों (Point sources) से जैविक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए **कड़े कदम उठाने** की आवश्यकता है।
- **अपशिष्ट जल** को जल निकायों में प्रवाहित करने से पूर्व **उपचारित** किया जाना चाहिए।
- भारत में प्रभावी जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए **व्यापक जन-भागीदारी** की आवश्यकता है।
- संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में **सीवरेज प्रणाली** के निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही, उत्पन्न होने वाले संपूर्ण अपशिष्ट जल का उपचार भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सभी खंडों में जल के **पारिस्थितिक प्रवाह** (Ecological flow) को बनाए रखना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य प्राधिकरणों की होनी चाहिए।

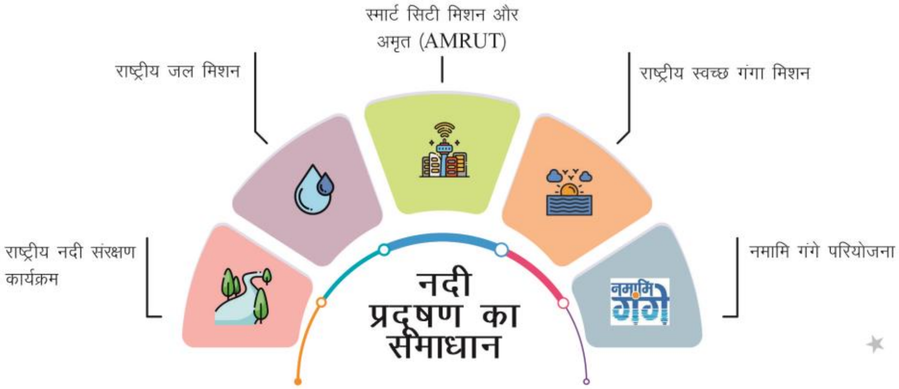
स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (AMRUT)
राष्ट्रीय जल मिशन
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम
नमामि गंगे परियोजना
नमामि गंगे
नदी प्रदूषण का समाधान

- **राज्य सरकार** को अलग-अलग बिंदु और गैर-बिंदु प्रदूषण स्रोतों (Non-point sources) के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए गहन निगरानी के साथ-साथ निषिद्ध गतिविधियों और **प्रतिबंधित गतिविधियों** की सूची को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- **व्यवहार संबंधी परिवर्तन और नागरिक भागीदारी** से जल संसाधनों की बहाली तथा उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे जल की कमी से संबंधित समस्या का समाधान हो सकेगा।

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.8.1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने “काली मृदा की वैश्विक स्थिति” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की (Global Status of Black Soil: Report of Food and Agriculture Organization)

- रिपोर्ट के अनुसार, **काली मृदा खनिजों से समृद्ध** होती है। इसकी **ऊपरी सतह काली** और यह **जैविक कार्बन से समृद्ध** होती है। मृदा में यह कार्बन **कम-से-कम 25 से.मी. की गहराई** तक होती है।
    - इस मृदा का काला रंग कार्बनिक पदार्थ के संचय का परिणाम है, जो कि घास वाली वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न होता है। काला रंग बनने की इस प्रक्रिया को **मेलेनाइजेशन** कहा जाता है।

- **काली मृदा की स्थिति-** विश्व भर में काली मृदा का विस्तार **725 मिलियन हेक्टेयर** भूमि पर है, जो वैश्विक मृदाओं का **5.6 प्रतिशत है।** साथ ही, इसमें विश्व की **मृदा जैविक कार्बन (SOC)[153] का 8.2 प्रतिशत** हिस्सा मौजूद है।
    - भारत में काली मृदा का विस्तार अधिकतर **दक्कन के लावा पठार एवं मालवा के पठार** पर है। देश में यह मृदा **गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश** में पाई जाती है।
- **काली मृदा के समक्ष खतरे:**
    - काली मृदा में **कार्बनिक पदार्थों का ह्रास** हो रहा है। ऐसा प्राकृतिक भू-खंडों को कृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं काली मृदा पर की जाने वाली कृषि संबंधी गतिविधियों के निरंतर कुप्रबंधन की वजहों से हो रहा है।
    - पूर्ववर्ती घास भूमियों की काली मृदा में **वायु अपरदन एक विशेष समस्या है।** ऐसा इसलिए, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में शुष्क जलवायु वायु अपरदन की उच्च दर के प्रति स्वाभाविक रूप से अतिसंवेदनशील होती है।
- **सुझाव:**
    - घास के मैदान, वन और आर्द्रभूमि वनस्पति के अंतर्गत **काली मृदा पर प्राकृतिक वनस्पति आवरण का संरक्षण किया जाना चाहिए।**
    - कृषि के अंतर्गत आने वाली काली मृदा के लिए **संधारणीय मृदा प्रबंधन प्रणाली को अपनाने की जरूरत है।**

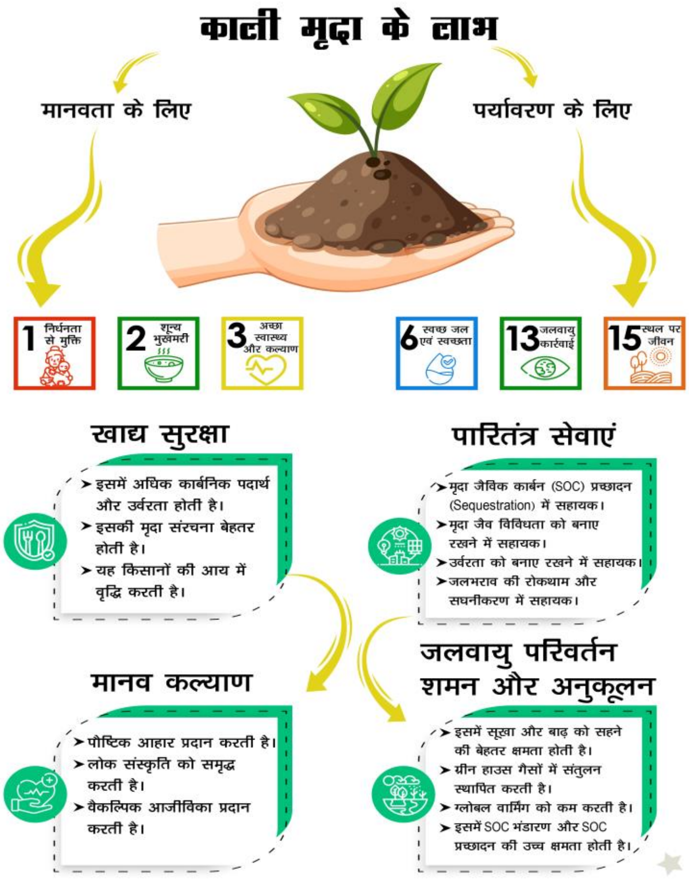

खाद्य सुरक्षा

- ➤ इसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता होती है।
- ➤ इसकी मृदा संरचना बेहतर होती है।
- ➤ यह किसानों की आय में वृद्धि करती है।

पारितंत्र सेवाएं

- ➤ मृदा जैविक कार्बन (SOC) प्रच्छादन (Sequestration) में सहायक।
- ➤ मृदा जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक।
- ➤ उर्वरता को बनाए रखने में सहायक।
- ➤ जलभराव की रोकथाम और सघनीकरण में सहायक।

मानव कल्याण

- ➤ पौष्टिक आहार प्रदान करती है।
- ➤ लोक संस्कृति को समृद्ध करती है।
- ➤ वैकल्पिक आजीविका प्रदान करती है।

जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन

- ➤ इसमें सूखा और बाढ़ को सहने की बेहतर क्षमता होती है।
- ➤ ग्रीन हाउस गैसों में संतुलन स्थापित करती है।
- ➤ ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है।
- ➤ इसमें SOC भंडारण और SOC प्रच्छादन की उच्च क्षमता होती है।

5.8.2. आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड-2022 (Arctic Report Card 2022)

- यू.एस. नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड-2022 जारी किया है।
- यह रिपोर्ट 2006 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। यह एक विशेषज्ञ समूह **(पीयर-रिव्यू) के अध्ययन** पर आधारित रिपोर्ट है। यह **आर्कटिक पर नवीनतम पर्यावरणीय जानकारियां** प्रदान करती है।
    - पीयर-रिव्यू प्रक्रिया के तहत एक विशेषज्ञ के विद्वतापूर्ण कार्य, शोध या विचारों की समान क्षेत्रक के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया को अकादमिक वैज्ञानिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
    - पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में **आर्कटिक दोगुने से भी ज्यादा तेजी से गर्म** हो रहा है।
    - 2022 में समुद्री हिमावरण का विस्तार दीर्घकालिक औसत से काफी कम है। इससे क्षेत्र का एल्बिडो भी प्रभावित हो रहा है, जिससे यहां मौजूद हिमावरण ज्यादा तेजी से पिघल रहा है।
    - **समुद्री सतह के औसत तापमान (SST)[154] में लगातार वृद्धि** हो रही है। इससे महासागरों में पादपप्लवक (phytoplankton) आधारित कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में तेजी आई है।
    - **चुकची सागर** (Chukchi Sea) में ठंडे सतही जल और उत्तरी पवनों के कारण **गर्मियों में भी समुद्री हिमावरण देखा जा रहा है।**
    - आर्कटिक में **समुद्री पोतों की आवाजाही बढ़ रही है।**
    - 1950 के दशक से इस क्षेत्र में **सभी मौसमों में वर्षण (Precipitation) में वृद्धि दर्ज की गई है।**
    - संभवतः वनाग्नि और चरम मौसमी घटनाओं की वजह से **टुंड्रा प्रदेश की हरियाली में क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नता देखी गई है।**

---

[153] Soil Organic Carbon

[154] Sea Surface Temperature

- **आर्कटिक का महत्व**
  - यह वैश्विक महाशक्तियों के **भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक एवं भू-पारिस्थितिकीय हितों** से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
    - जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। इससे यह क्षेत्र **आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है।** यह क्षेत्र तेल एवं गैस के भंडार, धातु तथा खनिजों से समृद्ध है।
    - **उत्तरी समुद्री (Northern Sea) मार्ग को एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में खोलने** की संभावना बढ़ रही है।
  - यह **विश्व की महासागरीय धाराओं के परिसंचरण** में मदद करता है।
  - यह **वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए "बैरोमीटर"** के रूप में कार्य करता है।

आर्कटिक में भारत

- भारत ने 2007 से **आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू** किया था। इसके तहत अब तक कई अभियान चलाए जा चुके हैं।
- भारत ने अपनी **पहली आर्कटिक नीति घोषित** की है।
- भारत **आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों** में शामिल है।

ARCTIC REGION

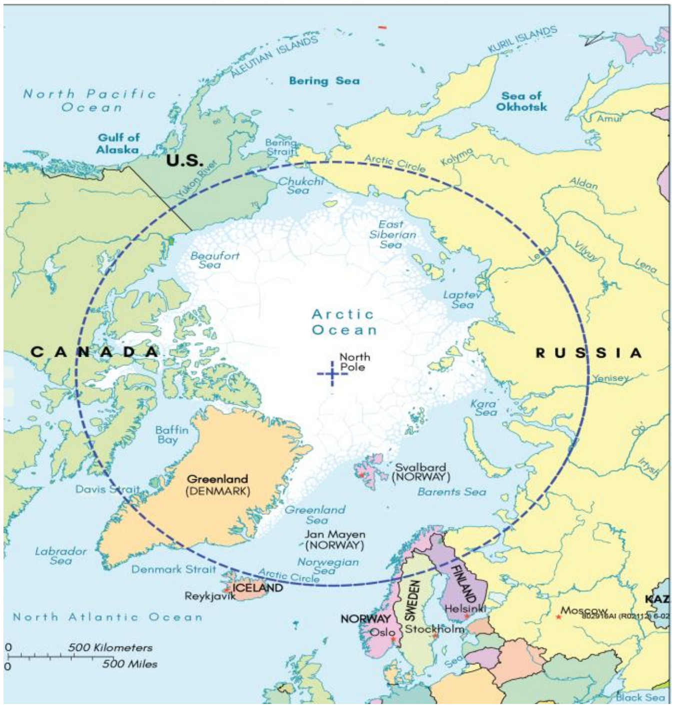

North Pacific Ocean
Bering Sea
Sea of Okhotsk
Gulf of Alaska
U.S.
Bering Strait
Chukchi Sea
Arctic Circle
East Siberian Sea
Beaufort Sea
Laptev Sea
Arctic Ocean
North Pole
CANADA
RUSSIA
Kara Sea
Baffin Bay
Greenland (DENMARK)
Svalbard (NORWAY)
Barents Sea
Davis Strait
Greenland Sea
Jan Mayen (NORWAY)
Norwegian Sea
Labrador Sea
Denmark Strait
Reykjavik
ICELAND
FINLAND
SWEDEN
NORWAY
Helsinki
Oslo
Stockholm
Moscow
North Atlantic Ocean
500 Kilometers
500 Miles
Black Sea

5.8.3. यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंडवाटर, 2022 {United Nations (UN) Water Summit On Groundwater (GW) 2022}

- यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट ऑन ग्राउंडवाटर, 2022 पेरिस में संपन्न हुआ।
- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन **यू.एन.-वाटर, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र (IGRAC)**[155] ने किया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भू-जल पर ध्यान आकर्षित करना था।
  - शिखर सम्मेलन में, 2022 में यू.एन.-वाटर द्वारा चलाए जा रहे **"ग्राउंडवाटर: मेकिंग द इनविजिबल विजिबल"** अभियान का समापन किया गया।
- शिखर सम्मेलन में जल के अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और संधारणीय उपयोग तथा संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में **SDG-6 GAF**[156] का इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त, भू-जल की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2022** का आधार रेखा के रूप में उपयोग किया गया था।
  - 2020 में **SDG-6 GAF के पांच स्तंभ** जारी किए गए थे। इनके नाम हैं- **डेटा और सूचना, क्षमता विकास, नवाचार, वित्त तथा गवर्नेंस।**
- **भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में दिए गए सुझाव:**
  - हम कितना भू-जल कहां से और कब निकाल सकते हैं, इसकी पहचान करने के लिए **भू-जल संसाधनों के अन्वेषण, निगरानी और विश्लेषण में सुधार** करना चाहिए।
  - **जलभृत (Aquifers) पुनर्भरण क्षेत्रों को** प्रदूषण से बचाना चाहिए।
  - सभी लोगों तक भू-जल की पहुंच सुनिश्चित करके SDG लक्ष्य को हासिल करने में मदद करनी चाहिए।
- भू-जल **शैलों और मृदा की परतों में भंडारित जल** है। पृथ्वी पर **तरल अवस्था में ताजे जल का 99%** हिस्सा भू-जल के रूप में मौजूद है।
  - भारत, विश्व में **भू-जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश** है। भारत विश्व का **एक चौथाई भू-जल दोहन** करता है।
  - **भू-जल से जुड़ी चिंताएं:**
    - भू-जल स्तर में गिरावट हो रही है,
    - भू-जल के क्षेत्रों में खारे जल का प्रवेश हो रहा है,

---

[155] International Groundwater Resources Assessment Centre

[156] Sustainable Development Goal 6 Global Acceleration Framework/ सतत विकास लक्ष्य 6 ग्लोबल एक्सीलेरेशन फ्रेमवर्क

        - जलभृत सूख रहे हैं,
        - जल के जमाव और लवणता संबंधी समस्याएं हैं।
- **यू.एन-वाटर:** यह **मीठे पानी और स्वच्छता से संबंधित सभी मामलों** के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र है।
- **IGRAC:** यह **यूनेस्को का एक केंद्र** है। यह **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** के अधीन कार्य करता है। इसे **नीदरलैंड** वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
    - यह भू-जल संसाधनों के क्षेत्रीय और सीमा-पारीय स्तर के आकलन एवं निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ संगठन है।
    - IGRAC के प्रमुख उत्पादों में से एक **वैश्विक भू-जल सूचना प्रणाली (GGIS)**[157] है।

5.8.4. 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल (Right To Repair' Portal)

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल लॉन्च किया है।
- राइट टू रिपेयर' पोर्टल, **राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसंबर)** के अवसर पर लॉन्च किया गया है।
- पोर्टल पर **उत्पादक या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण के मैनुअल को साझा** करेंगे। इससे ग्राहक किसी उत्पाद को मूल विनिर्माताओं पर निर्भर रहने की बजाय तीसरे पक्ष द्वारा या स्वयं रिपेयर कर सकेंगे।
    - प्रारंभ में **मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरणों** को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- 'राइट टू रिपेयर' आंदोलन के समर्थक कंपनियों को **उपभोक्ताओं तथा मरम्मत करने वाली दुकानों के साथ स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पाद की मरम्मत के लिए आवश्यक जानकारियां साझा** करने की मांग करते रहे हैं। इससे **इन उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जा सकता है** और इन्हें अपशिष्ट में जाने से बचाया जा सकता है।
    - राइट टू रिपेयर को **अमेरिका व ब्रिटेन सहित यूरोपीय संघ** में भी मान्यता दी गई है।

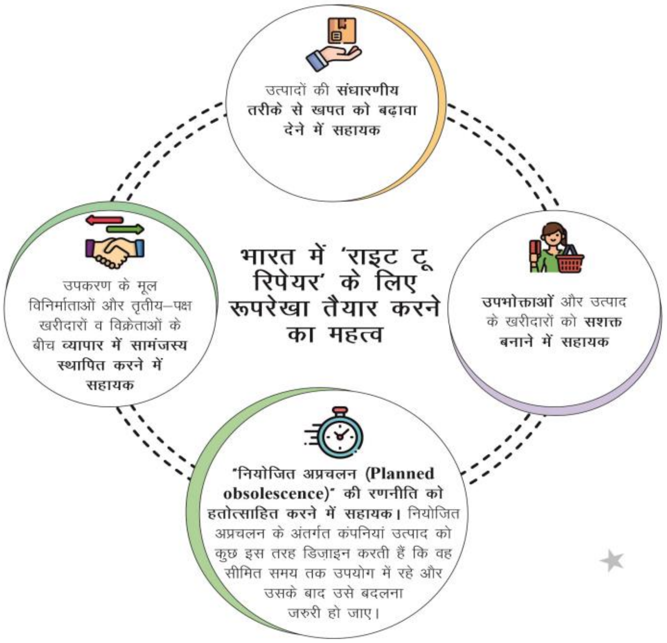
भारत में 'राइट टू रिपेयर' के लिए रूपरेखा तैयार करने का महत्व
उत्पादों की संधारणीय तरीके से खपत को बढ़ावा देने में सहायक
उपभोक्ताओं और उत्पाद के खरीदारों को सशक्त बनाने में सहायक
"नियोजित अप्रचलन (Planned obsolescence)" की रणनीति को हतोत्साहित करने में सहायक। नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत कंपनियां उत्पाद को कुछ इस तरह डिज़ाइन करती हैं कि वह सीमित समय तक उपयोग में रहे और उसके बाद उसे बदलना जरुरी हो जाए।
उपकरण के मूल विनिर्माताओं और तृतीय–पक्ष खरीदारों व विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक

5.8.5. 'पर्यावरणीय प्रभाव की स्व-रिपोर्टिंग हेतु कंपनियों के लिए मानकों का संशोधित मसौदा' (Revised Draft of Standards for Firms to Self-Report Environmental Impact)

- **ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड (GSSB)** ने जनता के सुझाव लेने के लिए यह मसौदा जारी किया है। **GSSB, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) बायोडायवर्सिटी स्टैंडर्ड** की स्वतंत्र मानक-निर्धारण संस्था है।
    - GRI एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है। यह **व्यवसायों को उनकी गतिविधियों से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति उत्तरदायी बनाने** में मदद करती है।
    - GRI मानकों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि **संगठन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर उनके (संगठनों) द्वारा डाले गए प्रभाव** की रिपोर्टिंग कर सकें।
    - जैव विविधता पर **GRI प्रकटीकरणों (Disclosure) को अंतिम बार 2006 में संशोधित** किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन ने **"2020 के बाद वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क**[158] को अपनाया है। यह सभी संबंधित हितधारकों के लिए जैव विविधता के पुनरुद्धार हेतु सामूहिक प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करेगा। ये मानक इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- **प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:**
    - **जैव विविधता पर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावों की रिपोर्टिंग** होनी चाहिए।
    - संगठनों को **उनकी गतिविधियों के सबसे बड़े प्रभावों की ओर ध्यान देने** में सहायता करनी चाहिए।
    - जैव विविधता के नुकसान के लिए उत्तरदायी कारकों को सामने लाने के लिए **नए प्रकटीकरणों को शामिल किया जाना चाहिए।**

---

[157] Global Ground Water Information System

[158] (Post-2020 Global Biodiversity Framework)"

  - **जैव विविधता से संबंधित मानवाधिकारों के प्रभावों को सामने लाने हेतु अनिवार्यताओं को जोड़ा जाना चाहिए।**
  - **स्थान-विशेष डेटा प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए।** इससे जैव-विविधता को प्रभावित करने वाले उस स्थान विशेष के संबंध में व्यवसायों को पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

5.8.6. नवीकरणीय ऊर्जा (RE) रिपोर्ट 2022 {Renewable Energy (RE) Report 2022}

- इस रिपोर्ट को **इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन (IEA)** ने जारी किया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - **अगले पांच वर्षों में होने वाले वैश्विक विद्युत क्षमता विस्तार में 90 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा (RE) का होगा।** इसका अधिकांश हिस्सा भारत में होगा।
  - RE की स्थापित विद्युत क्षमता **2022 और 2027 के बीच बढ़कर 2,400 गीगावाट (GW)** हो जाएगी।
  - इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि **2022-2027 की अवधि में 145 GW की अतिरिक्त क्षमता** के साथ, भारत **अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लगभग दोगुना** कर लेगा।
    - इस वृद्धि में तीन-चौथाई हिस्सा सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा का होगा। इसके बाद **अपतटीय (Onshore) पवन ऊर्जा का 15 प्रतिशत हिस्सा और शेष हिस्सा जल विद्युत का होगा।**

5.8.7. सिंधुजा-I (Sindhuja-I)

- IIT-मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए 'ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर' का विकास किया है।
- इस ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को **सिंधुजा-I** नाम दिया गया है। इस कन्वर्टर में **तैरता हुआ बोया (Buoy), स्पर (Spar) और इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल** होता है ।
  - इसमें गुब्बारे जैसे तैरते हुए बोये के मध्य भाग में एक छिद्र होता है जिससे होकर स्पार (छड़) गुजराती है। इस स्पार को समुद्र तल में स्थापित किया जाता है। लहरों की हलचल के साथ तैरता बोया ऊपर-नीचे गति करता है और स्पार स्थिर रहती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल तैरते बोये और स्पार के मध्य सापेक्ष गति द्वारा बिजली पैदा करता है।
  - इससे भारत को अपने **द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों** को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, 2030 तक 500 GW (गीगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने के **जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहायता मिल** सकती है।
- समुद्री जल में **ज्वारीय, तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा** का भंडार है। इससे भारत में 40 GW तरंग ऊर्जा का उत्पादन संभव हो सकेगा।
  - **ज्वारीय ऊर्जा** पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच **गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न** होती है।
  - **तरंगीय ऊर्जा समुद्र की सतह पर बहने वाली पवन** के कारण पैदा होती है।
  - **महासागरीय तापीय ऊर्जा समुद्र की सतह के जल और गहरे समुद्र के जल के बीच तापमान के अंतर** (तापीय प्रवणता) के कारण उत्पन्न होती है।
- **प्रमुख लाभ:**
  - इससे प्रदूषण नहीं होता है,
  - यह नवीकरणीय ऊर्जा है,
  - उपलब्ध ऊर्जा का घनत्व अधिक होता है,
  - कुछ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इससे अधिक ऊर्जा उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही, इससे ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव की भी कम संभावना रहती है आदि।
- **प्रमुख चुनौतियां:**
  - शुरुआत में लागत काफी अधिक आती है,
  - इससे समुद्री जीवन और नौवहन के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है,
  - यह स्थान विशेष तक सीमित है और
  - प्राकृतिक आपदाओं से ऊर्जा उपकरणों को क्षति पहुंचने का खतरा रहता है।

5.8.8. स्पंज विरंजन (Sponge Bleaching)

- इस साल, **न्यूज़ीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर अब तक की सबसे बड़ी स्पंज विरंजन की घटना** देखी गई है।
- **स्पंज के बारे में:** ये घने, सरंध्रयुक्त (Porous) व कंकाल वाले साधारण जलीय जीव हैं।

  - **पर्यावास:** ये दुनिया भर में मौजूद प्रवाल भित्तियों में पाए जाते हैं।
  - **प्रमुख विशेषताएं:**
    - स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं।
    - ये भोजन के लिए छोटे खाद्य कणों पर निर्भर होते हैं।
    - ये कार्बन को जल-स्तंभ (Water column) के जरिए समुद्र के नितल तक ले जाते हैं। जहां इस कार्बन को वहां पाए जाने वाले अकशेरूकीय जीव ग्रहण कर लेते हैं।
    - स्पंज केकड़ों, झींगों और स्टारफिश जैसी प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं।
  - **खतरा-** प्रवाल की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है।

5.8.9. रेन बैबलर (Wren Babbler)

- पक्षी प्रेमियों ने **अरुणाचल प्रदेश में एक नए सॉन्गबर्ड** की खोज की है। इसका नाम उन्होंने राज्य के **लिसु समुदाय के नाम पर 'लिसु रेन बैबलर'** रखा है।
  - इस पक्षी का उदर (Belly) भाग सफेद रंग का होता है। **इसका स्वर नागा रेन बैबलर के समान** है।
- **रेन बैबलर के बारे में:**
  - छोटे एशियाई पक्षियों की लगभग 20 प्रजातियां बैबलर परिवार से संबंधित हैं।
  - प्रमुख उदाहरणों में **धूसर रंग के उदर वाला रेन बैबलर, लंबी पूंछ वाला रेन-बैबलर** आदि शामिल हैं।
  - यह पक्षी **10-15 सेंटीमीटर लंबा** और छोटी पूंछ वाला होता है। इसकी चोंच छोटी और सीधी होती है।
  - यह मुख्यतः **दक्षिण एशिया** में पाया जाता है।

5.8.10. सबसे पुराना ज्ञात डी.एन.ए. (Oldest Known DNA)

- **ग्रीनलैंड के उत्तरी छोर की पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र में, वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने ज्ञात डी.एन.ए. के खंडों की खोज** की है। यह खोज एक **असाधारण प्राचीन पारितंत्र के बारे में अभूतपूर्व जानकारी** प्रदान करेगी।
- यह डी.एन.ए. कम-से-कम **दो मिलियन वर्ष पुराना** है। यह साइबेरिया में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन मैमथ के डी.एन.ए. से भी लगभग **दोगुना** पुराना है। यह इस बात का खुलासा करता है कि उच्च अक्षांशीय आर्कटिक क्षेत्र कभी वर्तमान की तुलना में गर्म और हरित स्थान था। यह वर्तमान में पृथ्वी के कई हरित स्थानों की तुलना में बहुत अधिक हरा भरा था।
- जीवाश्म विज्ञानियों को **अत्यंत उत्तरी अक्षांशों में भालू, बीवर और ऊँट जैसे जीवों के हरे-भरे वन-अधिवासों के प्रमाण** मिले हैं।

5.8.11. बम चक्रवात (Bomb Cyclone)

- बम चक्रवात को विस्फोटक उत्पत्ति वाले चक्रवात (Cyclogenesis) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **मौसमी परिघटना** है, जो तब घटित होती है जब:
  - **निम्न दाब वाली प्रणाली के तहत वायुमंडलीय दाब में तीव्र और अत्यधिक गिरावट होती है।**
  - दाब में इस तीव्र गिरावट के दौरान **तेज पवन-प्रवाह होता** है। इससे भारी हिमपात, तीव्र पवन-प्रवाह और तूफ़ान सहित विनाशकारी मौसम हो सकता है।
- बम चक्रवातों की उत्पत्ति **आम तौर पर सर्दियों के महीनों** में होती है। हालांकि, इनकी उत्पत्ति अन्य मौसमों के दौरान भी हो सकती है।
  - बम चक्रवात अधिकतर **मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं,** जैसे- पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया।

5.8.12. चक्रवात 'मंडौस' (Cyclone Mandous)

- **चक्रवात 'मंडौस' के आने की आशंका** के कारण, तमिलनाडु और इसके आस-पास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।
  - इस चक्रवात का **नाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** ने रखा है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात **अत्यधिक विनाशकारी तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के समीप गर्म सागरीय सतह** पर होती है।
- **अनुकूल परिस्थितियां:**
  - **27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली** व्यापक समुद्री सतह।
  - **कोरिओलिस बल** की उपस्थिति।
  - **ऊर्ध्वाधर वायु की गति में कम परिवर्तन।**
  - पहले से मौजूद एक **कमजोर निम्न-दाब वाला क्षेत्र** या निम्न-स्तर का चक्रवाती परिसंचरण।

  - समुद्री जल-स्तर प्रणाली के ऊपर, ऊपरी वायुमंडल में अपसारी परिसंचरण।

5.8.13. कलासा-बंडूरी परियोजना (Kalasa-Banduri Project)

- केंद्र ने **कलासा-बंडूरी नहर निर्माण परियोजना** के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।
- **कलासा-बंडूरी परियोजना के बारे में:**
  - इसके तहत, **महादयी नदी की दो सहायक नदियों कलासा और बंडूरी से जल मालप्रभा नदी** में स्थानांतरित किया जाएगा। महादयी नदी को **मंडोवी** के नाम से भी जाना जाता है। मंडोवी **गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र** से होकर बहती है।
  - इस परियोजना का लक्ष्य **मंडोवी नदी पर कई बांधों** का निर्माण करना है।
  - इन बांधों के निर्माण का उद्देश्य **उत्तरी कर्नाटक के सूखा प्रभावित शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना है।**

5.8.14. शुद्धिपत्र (Errata)

- अक्टूबर 2022 के मासिक समसामयिकी में (टॉपिक 7.5 फ्लेक्स फ्यूल) टाइपिंग संबंधी त्रुटि के कारण, यह उल्लेख किया गया था कि "मिश्रण के लिए 302 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने हेतु लगभग 2.4 मिलियन टन चीनी का उपयोग किया गया है"।
  - सही कथन है "मिश्रण के लिए 302 **करोड़** लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 2.4 मिलियन टन चीनी का उपयोग किया गया है।
- नवंबर 2022 के मासिक समसामयिकी के टॉपिक 5.9. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 उत्तरदायित्वों की तालिका के तहत गलत तरीके से उल्लेख किया गया था कि "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को प्राप्त करना और लागू करना। वर्ष 2023 तक उत्पादनकर्ता द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का कम-से-कम 60% एकत्रित और पुनर्चक्रित किया जाना है। वर्ष 2024 और 2025 में इसे बढ़ाकर क्रमशः 70% और 80% तक करना है।
  - सही कथन है "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति और क्रियान्वयन को 2 वर्षों की क्रमवार अवधि के लिए स्थिर बनाया जा सकता है। इसके तहत 2023-2024 और 2024-25 के लिए 60% से शुरू करके 2025-26 और 2026-27 के लिए 70% और 2027-28 तथा 2028-29 एवं उसके बाद के लिए 80% तक का लक्ष्य रखा जाए। ये नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

QUIZ ? SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

CSAT
क्लासेस
2023
प्रवेश प्रारम्भ
लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार **पी.एम. गति शक्ति पहल का दायरा बढ़ाकर सामाजिक अवसंरचना को भी इसमें शामिल** करने की योजना बना रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने **सामाजिक क्षेत्रक से संबंधित पांच विभागों के साथ चर्चा शुरू कर दी है।** इस चर्चा का लक्ष्य यह पता करना है कि इन क्षेत्रकों की कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए पी.एम. गति शक्ति योजना का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसमें **निम्नलिखित विभाग शामिल हैं;**
    - स्वास्थ्य विभाग;
    - महिला एवं बाल विकास विभाग;
    - ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग;
    - शिक्षा विभाग; तथा
    - शहरी विकास विभाग।
- इसका उद्देश्य **नियोजन, प्रक्रिया और कार्यान्वयन के मामले में अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों/ योजनाओं के मध्य समन्वय** स्थापित करना है।

पी.एम. (प्रधान मंत्री) गति शक्ति

- पी.एम. गति शक्ति मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। यह एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है। यह प्लेटफॉर्म **भारत में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और एकल कार्यान्वयन के लिए** 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है।
- इस पहल के तहत **अलग-अलग विभागों के अलग-थलग रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति को समाप्त** करना और **समग्र नियोजन को संस्थागत** बनाना तय किया गया है। इससे **लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में** मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में **हितधारकों को भारी आर्थिक लाभ** प्रदान करेगी।
- इस नीति का लक्ष्य लगभग **पांच वर्षों के भीतर देश की लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8% तक कम** करना है, जो वर्तमान में 13-14% है। साथ ही, भारत को 2030 तक **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में शीर्ष 25 देशों के समूह में शामिल** करना भी इसका लक्ष्य है।
- **विश्व बैंक के नवीनतम लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत 44वें स्थान** पर है।
- पी.एम. गति शक्ति पहल के तहत एक **नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) गठित** किया गया है। इस ग्रुप के माध्यम से उन सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संचालित किया जाएगा, जिनका निवेश 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

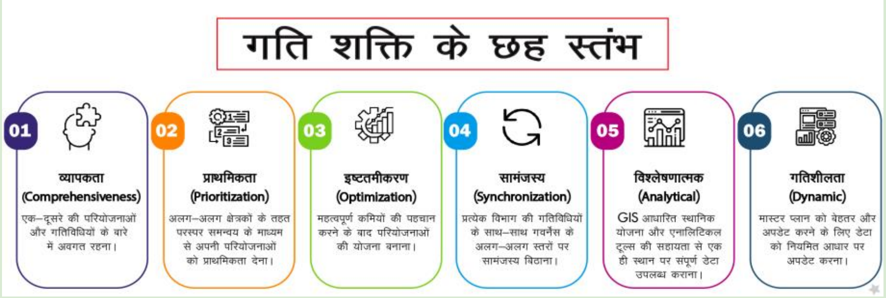

व्यापकता (Comprehensiveness): एक–दूसरे की परियोजनाओं और गतिविधियों के बारे में अवगत रहना।

प्राथमिकता (Prioritization): अलग–अलग क्षेत्रकों के तहत परस्पर समन्वय के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।

इष्टतमीकरण (Optimization): महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने के बाद परियोजनाओं की योजना बनाना।

सामंजस्य (Synchronization): प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ–साथ गवर्नेंस के अलग–अलग स्तरों पर सामंजस्य बिठाना।

विश्लेषणात्मक (Analytical): GIS आधारित स्थानिक योजना और एनालिटिकल टूल्स की सहायता से एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा उपलब्ध कराना।

गतिशीलता (Dynamic): मास्टर प्लान को बेहतर और अपडेट करने के लिए डेटा को नियमित आधार पर अपडेट करना।

सामाजिक अवसंरचना के बारे में

- सामाजिक अवसंरचना की कोई **सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।**
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)[159] के अनुसार, सामाजिक अवसंरचना पद का उपयोग आमतौर पर **उन प्रणालियों** को संबोधित करने के लिए किया जाता है, **जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाली सेवाएं प्रदान करती हैं।**
- भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) के अनुसार, 'सामाजिक सेवाओं' में **मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति और स्वच्छता, आवासन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण व पोषण शामिल हैं।**

सामाजिक अवसंरचना में निवेश का महत्त्व

- **समावेशी संवृद्धि:** उच्च गुणवत्ता वाली सामाजिक अवसंरचना तक बेहतर पहुंच समाज में

क्या आप जानते हैं?

- **दुनिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड** इंग्लैंड के पीटरबरो में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य फिर से अपराध में **शामिल होने की दर को कम करना** था।
- भारत में विश्व बैंक, यू.एन. वीमेन और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने मिलकर पांच साल की अवधि वाले **'महिला आजीविका बॉण्ड** (Women's Livelihood Bond: WLB)' जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने या उसका विस्तार करने में मदद करना है।

---

[159] United Nations Environment Programme

सभी के लिए भागीदार बनने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे सभी के लिए आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार होगा।

- **गरीबी उन्मूलन:** काफी हद तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की कमी से संबंधित कारकों की वजह से गरीबी उत्पन्न होती है। इसलिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने के लिए सामाजिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऊर्जा के गैर-प्रदूषणकारी स्रोत, ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान आदि सभी वर्गों के लोगों को पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं।
- **संधारणीय संवृद्धि:** कुशल सामाजिक अवसंरचना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह तीव्र शहरीकरण द्वारा पैदा हो रही चुनौतियों को हल करने तथा शहरों के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी अति आवश्यक है।
- **आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण:** किसी भी संकट की स्थिति में सामाजिक अशांति से बचने के लिए लचीली सामाजिक अवसंरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए- हाल ही में, कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी, जो व्यवस्था के खिलाफ सार्वजनिक विरोध और लोक अशांति का प्रमुख कारण था।
- **उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि:** यह उत्तम सामाजिक सेवाओं की सहायता से प्राप्त बेहतर जीवन गुणवत्ता श्रम उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान करती है। साथ ही, यह नवाचार को प्रोत्साहित करती है तथा नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता का विकास करती है।

'आर्थिक' और 'सामाजिक' अवसंरचना के बीच मुख्य अंतर

मापदंड	आर्थिक अवसंरचना	सामाजिक अवसंरचना
आर्थिक परिवर्तन बनाम सामाजिक परिवर्तन	**आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना और मांग को प्रोत्साहित करना।** उदाहरण के लिए- विद्युत, परिवहन और संचार क्षेत्रक में निवेश **संवृद्धि** को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में कार्य करता है।	विद्यालयों, अस्पतालों, जल और स्वच्छता आदि में निवेश **सामाजिक परिवर्तन के कारक** के रूप में कार्य करता है।
वाणिज्यिक पहलू बनाम सामाजिक महत्त्व	**निजी क्षेत्रक की भागीदारी** को प्रोत्साहित करने हेतु **"यूजर पे" सिद्धांत** या मांग-आधारित राजस्व द्वारा निर्देशित है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्रक की भागीदारी लाभ प्राप्ति पर निर्भर होती है।	सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं से कम वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होता है। ये **मुख्य रूप से सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा समर्थित और वित्त-पोषित** होती हैं।
जोखिम आवंटन	**साझा जोखिम ढांचा**, जिसमें कुछ जोखिम निजी क्षेत्रक को हस्तांतरित किए जाते हैं।	जोखिम बड़े पैमाने पर **सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा वहन किए जाते हैं।**
जीवन स्तर बनाम जीवन की गुणवत्ता	यह **बेहतर जीवन स्तर** प्रदान करने में योगदान देने वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।	यह ऐसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थन करती है, जो **नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।**
आर्थिक संवृद्धि बनाम मानव पूंजी	यह देशों के संवृद्धि संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और भौतिक पूंजी का निर्माण करती है।	यह मानव संसाधन विकास को समाहित करने वाले आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **निजी क्षेत्रक को शामिल करना:** सामाजिक क्षेत्रक की परियोजनाओं को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए **नवीन वित्त-पोषण मॉडल विकसित** करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से **जोखिम-प्रतिफल ढांचे में सुधार करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और निजी भागीदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।**
- **सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे साधनों का उपयोग:** सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (SIB)[160] सार्वजनिक क्षेत्रक या शासी प्राधिकरण के साथ किया गया एक अनुबंध होता है। इसके तहत कुछ क्षेत्रकों में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान किया जाता है और प्राप्त बचत का हिस्सा निवेशकों को दिया जाता है।

---

[160] Social Impact Bond

- **प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना:** पिछड़े और सेवा से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क में सुधार करते हुए डिजिटल विभाजन को कम किया जाना चाहिए। इस कदम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - वहनीय और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करना,
    - इंटरनेट सक्षम उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाना,
    - डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना,
    - सामाजिक सेवाओं तक सार्वभौमिक एवं वहनीय पहुंच सुनिश्चित करना, तथा
    - लोक सेवा वितरण की दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना।
- सेवाओं की विश्वसनीयता, वहनीयता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **मानदंडों की स्थापना एवं उनकी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।**
- कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **मंत्रालयों के बीच बेहतर अभिसरण और समन्वय** स्थापित करना बहुत जरूरी है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** कुछ राज्यों ने सामाजिक सेवाओं के वितरण को मजबूत करने के लिए नवाचारी पहलों की शुरुआत की है। इन योजनाओं को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए।

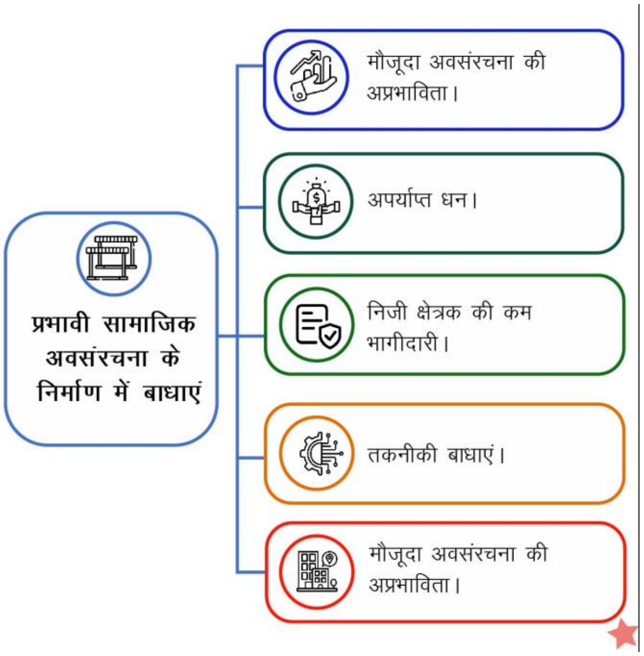
प्रभावी सामाजिक अवसंरचना के निर्माण में बाधाएं
मौजूदा अवसंरचना की अप्रभाविता।
अपर्याप्त धन।
निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी।
तकनीकी बाधाएं।
मौजूदा अवसंरचना की अप्रभाविता।

सामाजिक अवसंरचना में निवेश कैसे लाभदायक हो सकता है, यह जानने के लिए कुछ सर्वोत्तम पहलें निम्नलिखित हैं-

पहल	विवरण
पोर्टा/ पोटा केबिन्स, छत्तीसगढ़	यह एक **अभिनव शैक्षिक पहल** है। इस पहल ने दंतेवाड़ा जिले के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांवों में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी करने तथा बच्चों के नामांकन में सुधार करने और स्कूलों में उपस्थिति को बनाए रखने में मदद की है। यहां अधिकतर स्कूल बांस और प्लाईवुड जैसी अस्थायी सामग्री से बनाए जाते हैं।
धारा विकास, सिक्किम	यह सिक्किम में **सूख रहे स्प्रिंग (Springs) को पुनर्जीवित करने और उनका प्रबंधन करने का एक अभिनव कार्यक्रम** है। यह वर्षा जल के सतही अपवाह को कम करती है। यह भूमिगत जलभृतों का पुनर्भरण करने के लिए भूमि में अधिक जल रिसाव को सक्षम बनाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या को समाप्त करने में मदद मिल रही है। इसके परिणामस्वरूप जल सोतों से अधिक जल स्राव सुनिश्चित होता है।
सतत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन योजना, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश ने **प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा** दिया है। यह **प्लास्टिक के निपटान और सड़क निर्माण में इसके उपयोग** की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने में प्रभावी तथा सफल साबित हुआ है। इससे हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक मुक्त राज्य बन गया है।
आरोग्यकेरलम परियोजना, केरल	यह परियोजना **उपशामक (Palliative) स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए एक समुदाय-आधारित दृष्टिकोण** पर बल देती है। इसके अंतर्गत घर पर ही चिकित्सा देखभाल को उपशामक देखभाल सेवाओं का आधार माना जाता है।

6.2. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण {Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि राज्य सरकारें PMAY-G को **ठीक तरह से कार्यान्वित करने में असमर्थ** रहती हैं, तो केंद्र सरकार **अपने हिस्से की आवंटित राशि वापस** ले सकती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा और बिहार** जैसे राज्य PMAY-G योजना के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।

- केंद्र सरकार ने उल्लेख किया है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे राज्यों के लक्ष्य अन्य राज्यों को पुनर्वितरित किए जा सकते हैं।
- इससे पहले, केंद्र सरकार ने योजना के धीमे कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के खिलाफ दंड का प्रावधान भी किया था।

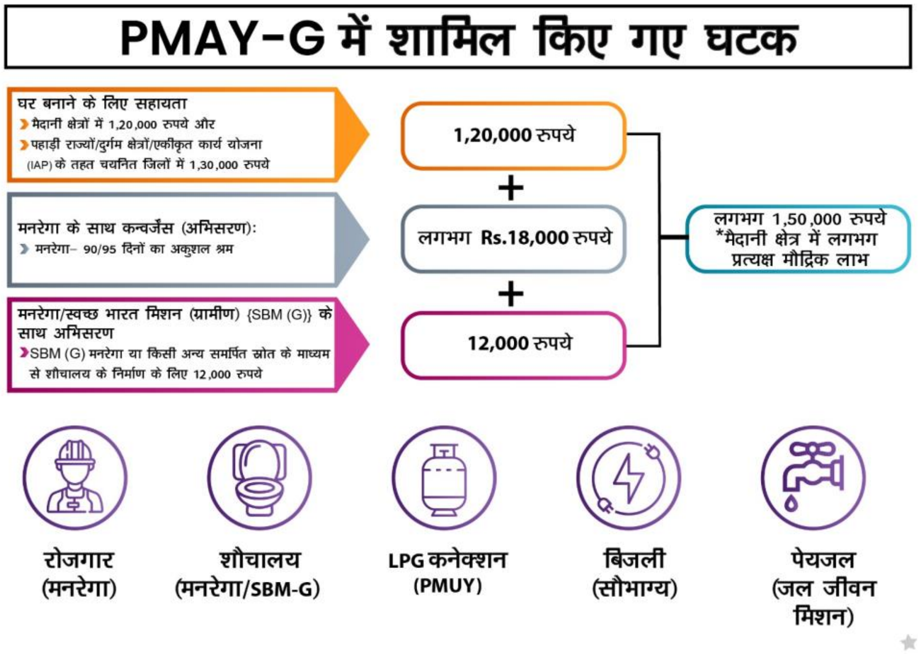
PMAY-G में शामिल किए गए घटक
घर बनाने के लिए सहायता
मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और
पहाड़ी राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/एकीकृत कार्य योजना (IAP) के तहत चयनित जिलों में 1,30,000 रुपये
मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस (अभिसरण):
मनरेगा– 90/95 दिनों का अकुशल श्रम
मनरेगा/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) {SBM (G)} के साथ अभिसरण
SBM (G) मनरेगा या किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये
1,20,000 रुपये
+
लगभग Rs.18,000 रुपये
+
12,000 रुपये
लगभग 1,50,000 रुपये *मैदानी क्षेत्र में लगभग प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ
रोजगार (मनरेगा)
शौचालय (मनरेगा/SBM-G)
LPG कनेक्शन (PMUY)
बिजली (सौभाग्य)
पेयजल (जल जीवन मिशन)

PMAY-G के बारे में

- PMAY-G एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। **ग्रामीण विकास मंत्रालय** ने इस योजना को **अप्रैल 2016** में शुरू किया था।
- **उद्देश्य: 2022 तक सभी के लिए आवास।**
  - इसके तहत 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों और कच्चे व टूटे-फूटे घरों में रहने वालों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जानी है। उल्लेखनीय है कि **कोविड महामारी के कारण इस लक्ष्य को अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है।**

योजना की विशेषताएं

- **लाभार्थी: सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)[161], 2011** के आंकड़ों के आधार पर सभी बेघर तथा जर्जर और कच्चे घरों में रहने वाले लोग इस योजना के पात्र हैं।

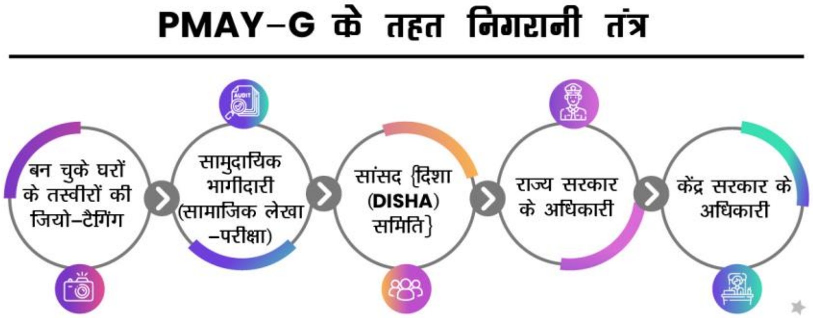
PMAY-G के तहत निगरानी तंत्र
बन चुके घरों के तस्वीरों की जियो-टैगिंग
सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक लेखा-परीक्षा)
सांसद {दिशा (DISHA) समिति}
राज्य सरकार के अधिकारी
केंद्र सरकार के अधिकारी
AUDIT

  - **आवास+ सर्वेक्षण** उन पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो PMAY-G की SECC 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची में छूट गए हैं।
- **ग्राम सभा के पास शक्तियां:** लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की जाती है।
- **आवास इकाई का आकार:** आवास इकाई का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है। इसमें स्वच्छता के साथ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र शामिल है।
- **लाभार्थियों को वित्तीय सहायता:**
  - **मैदानी क्षेत्रों में:** प्रत्येक लाभार्थी को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में 1.20 लाख रुपये; और
  - **पर्वतीय राज्यों/ पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम क्षेत्रों/ संघ शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख/ एकीकृत कार्य योजना (IAP)[162] जिलों/ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में:** प्रत्येक लाभार्थी को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में 1.30 लाख रुपये।
    - आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं या उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में किया जाना चाहिए।
    - लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से **70,000 रुपये तक का ऋण** भी प्राप्त कर सकते हैं।
- **केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात:**
  - मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40;

---

[161] Socio Economic and Caste Census

[162] Integrated Action Plan

  - पूर्वोत्तर राज्यों, दो हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 90:10 के अनुपात में; तथा
  - अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% वित्त-पोषण।
- **भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि:** PMAY-G के जिन लाभार्थियों के पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें योजना के तहत उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
  - **भूमिहीन लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।** उन्हें ऐसे लाभार्थियों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के लिए सुझाव/ प्रोत्साहन दिया जाता है।
  - **भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई समर्पित वित्तीय सहायता नहीं** दी जाती है।
- आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए **समान सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण/ समन्वय** स्थापित किया जाता है।

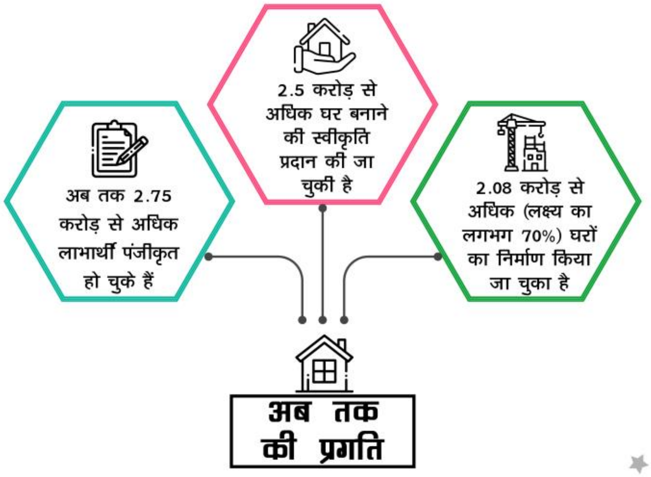
2.5 करोड़ से अधिक घर बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है
अब तक 2.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं
2.08 करोड़ से अधिक (लक्ष्य का लगभग 70%) घरों का निर्माण किया जा चुका है
अब तक की प्रगति

- PMAY-G स्थानीय संस्कृति और भू-जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूल **हरित डिजाइन तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित** करती है। इसमें कई विपदाओं को ध्यान में रखना भी शामिल है।
  - यह योजना स्थानीय सामग्री के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है।
- योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA)[163] का गठन** किया गया है।

लक्ष्य को पूरा करने और योजना के सफल कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **कुछ राज्यों में अनुपयुक्त कार्यान्वयन:** ऐसा केंद्र और राज्यों द्वारा निधि जारी करने में हो रही देरी के कारण हो रहा है। वर्ष 2020 में 9 राज्यों ने लाभार्थियों को भुगतान करने में देरी की थी।
- **वित्त तक पहुंच:** PMAY-G के तहत अधिकांश लाभार्थी 70,000 रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे समाज के बहुत ही कमजोर आर्थिक वर्ग से संबंधित हैं। साथ ही, वे उच्च ब्याज दर, उच्च प्रशासनिक लागत और बैंक की संपार्श्विक (Collateral) आवश्यकताओं को वहन नहीं कर सकते हैं।
- **भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं करना:** PMAY-G के तहत लाभार्थी के रूप में पात्र होने के लिए एक भूखंड (Plot) का स्वामी होना आवश्यक है। 50% से अधिक भूमिहीन लाभार्थियों को अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

हाल के दिनों में किए गए प्रमुख सुधार

- **इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस:** इस योजना का शुरू से अंत तक का क्रियान्वयन **MIS-AwaasSoft** के जरिए किया जाता है। इसमें लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण, भवन निर्माण की प्रगति का सत्यापन, धन जारी करना आदि शामिल हैं।
  - **MIS-AwaasSoft** वस्तुतः योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित विविध आंकड़ों की डाटा एंट्री तथा निगरानी के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है।
- **मोबाइल गवर्नेंस:** घरों के निरीक्षण के लिए **'आवास ऐप'** को लॉन्च किया गया है। PMAY-G योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता जारी करने के लिए आवास ऐप का उपयोग करके **जियो-रेफेरेंस तस्वीरें लेना और AwaasSoft पर अपलोड करना अनिवार्य** कर दिया गया है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** PMAY-G के तहत, लाभार्थियों को AwaasSoft-PFMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहायता हस्तांतरित की जाती है।
- **मकान का आवंटन:** पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से या केवल महिला के नाम पर ही आवंटन किया जाता है। यह नियम विधवा/ अविवाहित/ तलाकशुदा व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
- **राजमिस्त्री का कौशल विकास:** राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में **'अखिल भारतीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम'** शुरू किया गया है।
- **अलग-अलग अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** NREGASoft के साथ रियल टाइम वेब लिंक विकसित किया गया है, ताकि प्रत्येक स्वीकृत PMAY-G आवास के लिए नरेगा कार्य तैयार किया जा सके।

---

[163] National Technical Support Agency

- **आवास की गुणवत्ता:** लाभार्थियों द्वारा निर्मित आवासों की गुणवत्ता कैसी है, इसका उचित पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।
- **लाभार्थियों की पहचान में समस्याएं:** ग्राम पंचायत पक्षपात करती है। इसके अतिरिक्त, SECC-2011 डेटा में भी विसंगतियां हैं।
- **डेटा का अभाव:** अलग-अलग योजनाओं के तहत प्रदान किए गए लाभों के संबंध में रियल-टाइम डेटा **आवास ऐप** पर उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस डेटा को **आवास ऐप** पर समेकित नहीं किया गया है। साथ ही, संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय की भी कमी है।

आगे की राह

- **भूमि प्रदान करना:** सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मौजूदा तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। इससे भूमिहीन गरीबों की समस्या से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जा सकेगा।
- **बजट बढ़ाना:** इस कार्यक्रम में सुधार के लिए उपलब्ध बजट को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **ऋण तक आसान पहुंच:** ऋण देने के लिए कम संपार्श्विक, कम प्रशासनिक लागत और निम्न ब्याज दर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही, इन सुविधाओं की जानकारी PMAY-G लाभार्थियों के बीच उनकी स्थानीय भाषा में व्यापक रूप से प्रसारित की जानी चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना:** आवास ऐप के संचालन के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण आबादी के बीच इसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर और सहायता समूह बनाकर किया जा सकता है।
- **अन्य योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण:** संबंधित मंत्रालयों व विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके अंतरालों और कमियों को दूर करना चाहिए।
- **यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारें समय पर धन जारी करें।**

निष्कर्ष

विशेष रूप से गरीबों के लिए, ग्रामीण आवास की कमी को दूर करने और आवास की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। यह गरीबी उन्मूलन और देश के समावेशी विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, PMAY-G के तहत केवल नए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मौजूदा घरों की मरम्मत या सुधार को भी इस योजना के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। इस कदम से PMAY-G योजना का लाभ अधिक परिवारों को मिल सकता है।

6.3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **'पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)'** की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **NFSA, 2013 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त अनाज** प्रदान करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस नई PMGKAY में NFSA की **धारा 3 के तहत सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त** में प्रदान किए जाएंगे। इसे **1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023** तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। पात्र परिवारों में **प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार** शामिल होंगे।

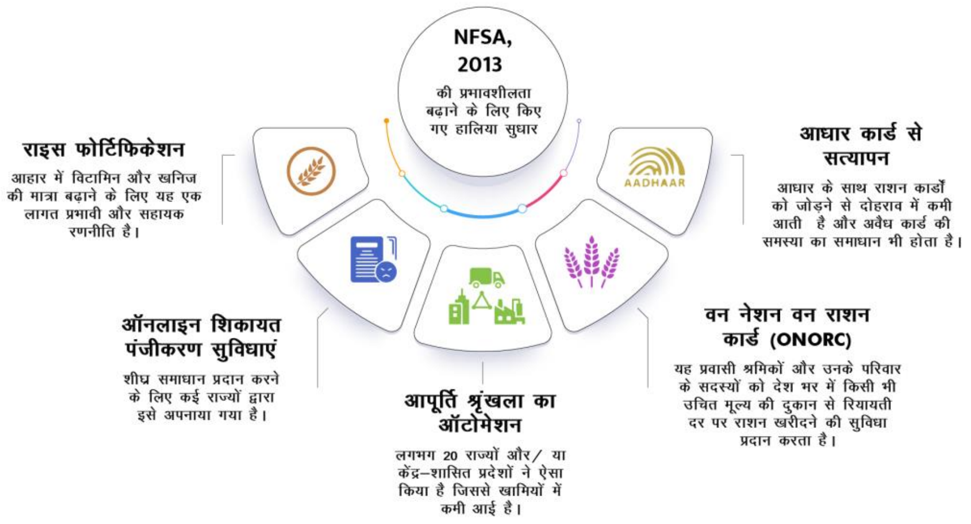

NFSA, 2013 की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए गए हालिया सुधार

राइस फोर्टिफिकेशन

आहार में विटामिन और खनिज की मात्रा बढ़ाने के लिए यह एक लागत प्रभावी और सहायक रणनीति है।

आधार कार्ड से सत्यापन

आधार के साथ राशन कार्डों को जोड़ने से दोहराव में कमी आती है और अवैध कार्ड की समस्या का समाधान भी होता है।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधाएं

शीघ्र समाधान प्रदान करने के लिए कई राज्यों द्वारा इसे अपनाया गया है।

आपूर्ति श्रृंखला का ऑटोमेशन

लगभग 20 राज्यों और/ या केंद्र–शासित प्रदेशों ने ऐसा किया है जिससे खामियों में कमी आई है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)

यह प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर राशन खरीदने की सुविधा प्रदान करता है।

  - अब तक लाभार्थियों को **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)[166] के रूप में मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये** का भुगतान करना पड़ता था। CIP सब्सिडी युक्त वह मूल्य है, जिस पर सरकार राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
  - **सब्सिडी युक्त मूल्यों** का उल्लेख NFSA, 2013 की अनुसूची-1 में किया गया है। हालांकि, **सरकार इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से परिवर्तित** कर सकती है।
- **PMGKAY के अंतर्गत निम्नलिखित दो सब्सिडी योजनाओं का विलय कर दिया गया है (बॉक्स देखिए)।**
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के लिए खाद्य सब्सिडी।
  - **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP)** के लिए खाद्य सब्सिडी।
- हालांकि, मध्याह्न भोजन (MDMs)[167] योजना जैसे **अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न के निर्गम मूल्यों (Issue Prices) में कोई परिवर्तन नहीं** किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि नई 'पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) **2020 में शुरू की गई पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) से अलग है।** PMGKAY को 2020 में **महामारी राहत उपाय** के रूप में शुरू किया गया था।
  - PMGKAY को **NFSA के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान** प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। यह खाद्यान्न **NFSA अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की लाभार्थियों की मासिक पात्रता के अतिरिक्त** था। इस मासिक पात्रता के अंतर्गत **अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज** प्रदान करना शामिल है।
  - अब, **यह योजना बंद** कर दी गई है।

खाद्यान्नों की खरीद के लिए तंत्र: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दो प्रकार की खरीद नीति लागू की है।

- **केंद्रीकृत खरीद:** खाद्यान्नों की खरीद प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI)[164] द्वारा की जाती है। FCI यह खरीद, भंडारण और बाद के मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से करता है।
  - आर्थिक लागत और CIP के बीच के अंतर की **प्रतिपूर्ति FCI को खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है।**
- **विकेंद्रीकृत खरीद (DCP)[165]:** इस योजना के तहत राज्य सरकारें स्वयं धान/ चावल और गेहूं की सीधी खरीद करती हैं। साथ ही, राज्य सरकारें NFSA और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत इन खाद्यान्नों का भंडारण एवं वितरण भी करती हैं।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का विकास–क्रम

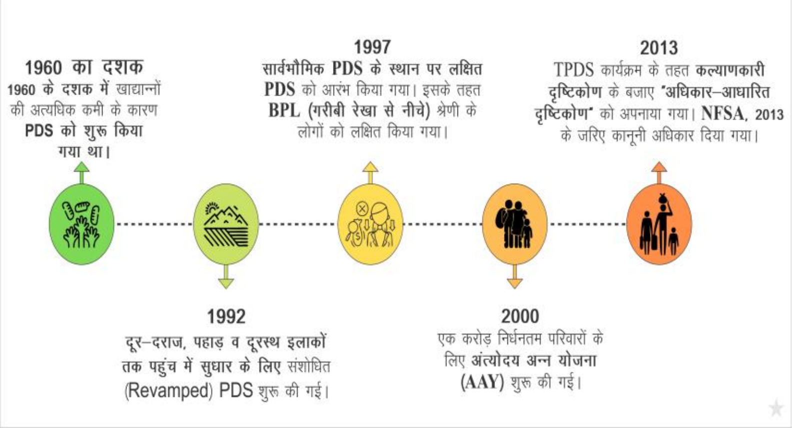

1960 का दशक
1960 के दशक में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी के कारण **PDS को शुरू किया गया था।**

1992
दूर–दराज, पहाड़ व दूरस्थ इलाकों तक पहुंच में सुधार के लिए संशोधित (Revamped) PDS शुरू की गई।

1997
सार्वभौमिक PDS के स्थान पर लक्षित PDS को आरंभ किया गया। इसके तहत **BPL (गरीबी रेखा से नीचे)** श्रेणी के लोगों को लक्षित किया गया।

2000
एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए **अंत्योदय अन्न योजना (AAY)** शुरू की गई।

2013
TPDS कार्यक्रम के तहत **कल्याणकारी दृष्टिकोण** के बजाए **"अधिकार–आधारित दृष्टिकोण"** को अपनाया गया। **NFSA, 2013** के जरिए कानूनी अधिकार दिया गया।

NFSA से संबंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **पोषण सुरक्षा का प्रभावहीन होना:** ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2022 में **भारत 121 देशों में से 107वें स्थान** पर था। रिपोर्ट के अनुसार, **चावल-गेहूं की पक्षपाती नीतियों के कारण भारत** में कुपोषण का स्तर उच्च है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को निर्धारित संख्या के भीतर प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH)[168] की पहचान करने और उनका चयन करने के लिए मानदंड विकसित करना होता है।
  - राज्यों द्वारा अलग-अलग मानदंडों के उपयोग से त्रुटियां पैदा होती हैं।

---

[164] Food Corporation of India

[165] Decentralized Procurement

[166] Central Issue Price

[167] Mid Day Meals

[168] Priority Households

- उदाहरण के लिए- **पात्रता के मानदंड के रूप में अभावग्रस्तता को मान्यता दी जा रही है। केवल 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** ही **इस मानदंड का** पालन कर रहे हैं।

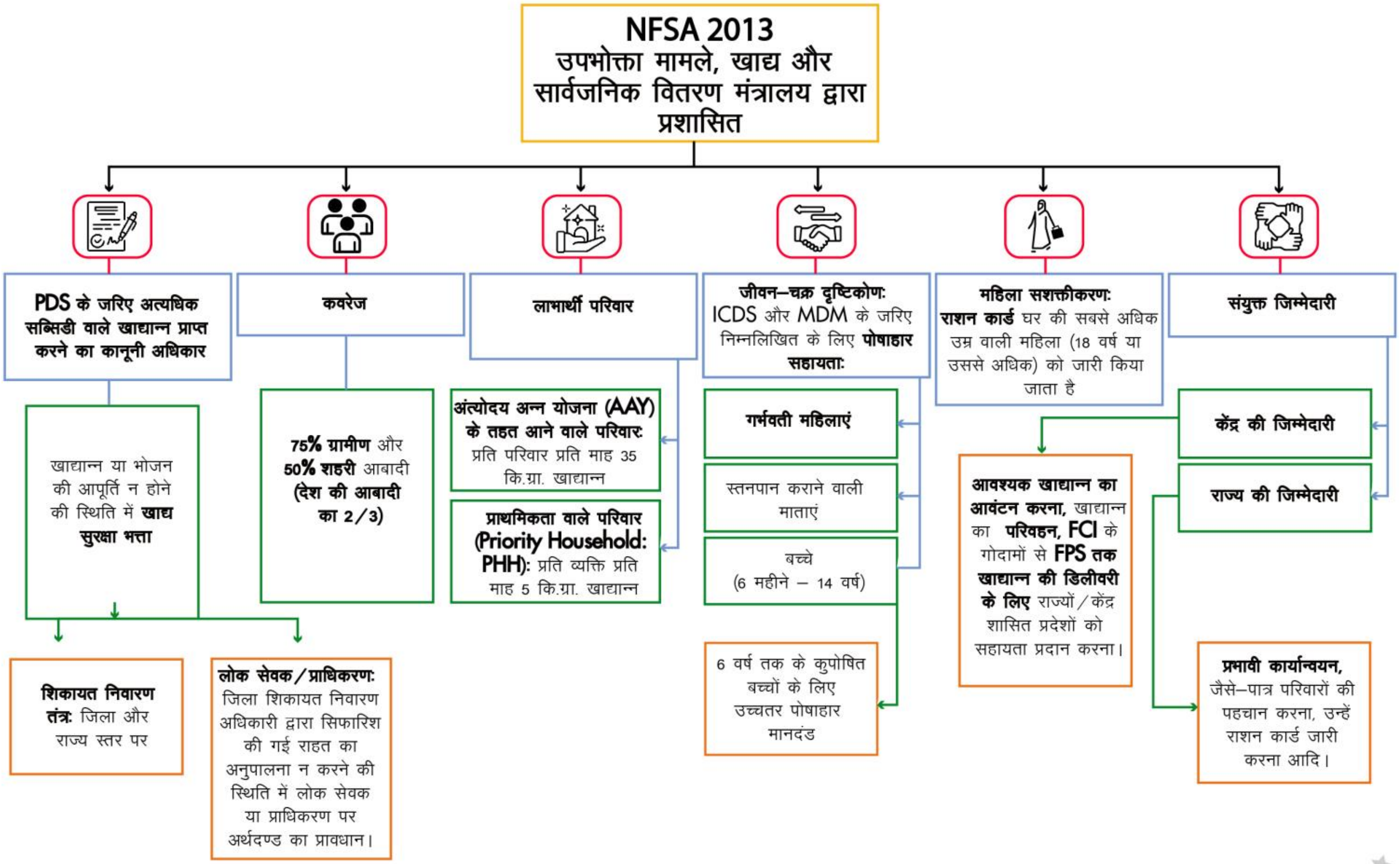
NFSA 2013
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित
PDS के जरिए अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार
खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता
शिकायत निवारण तंत्र: जिला और राज्य स्तर पर
लोक सेवक/प्राधिकरण: जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई राहत का अनुपालना न करने की स्थिति में लोक सेवक या प्राधिकरण पर अर्थदण्ड का प्रावधान।
कवरेज
75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी (देश की आबादी का 2/3)
लाभार्थी परिवार
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवार: प्रति परिवार प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न
प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Household: PHH): प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न
जीवन–चक्र दृष्टिकोण: ICDS और MDM के जरिए निम्नलिखित के लिए पोषाहार सहायता:
गर्भवती महिलाएं
स्तनपान कराने वाली माताएं
बच्चे (6 महीने – 14 वर्ष)
6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्चतर पोषाहार मानदंड
महिला सशक्तीकरण: राशन कार्ड घर की सबसे अधिक उम्र वाली महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को जारी किया जाता है
आवश्यक खाद्यान्न का आवंटन करना, खाद्यान्न का परिवहन, FCI के गोदामों से FPS तक खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करना।
संयुक्त जिम्मेदारी
केंद्र की जिम्मेदारी
राज्य की जिम्मेदारी
प्रभावी कार्यान्वयन, जैसे–पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि।

- **खराब सार्वजनिक खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली:** NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने हेतु 21.4 मिलियन टन अनाज का बफर स्टॉक बनाए रखना सरकार के लिए अनिवार्य है।
    - हालांकि, विगत कुछ वर्षों से खाद्यान्नों का वास्तविक बफर स्टॉक आवश्यकता से कहीं अधिक है। इस सीमा तक खरीद और भंडारण के परिणामस्वरूप दुर्लभ संसाधनों की बर्बादी होती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)[169] में बड़े पैमाने पर रिसाव:** शांता कुमार समिति ने PDS में 40-50% तक रिसाव होने की बात कही थी, जबकि कुछ राज्यों में तो यह 60-70% तक बढ़ जाता है।
- **गरीबी उन्मूलन की दिशा में असंधारणीय प्रयास:** वर्तमान केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) को शुरू में **तीन साल की अवधि** के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, पिछले दशकों में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि CIPs अपरिवर्तित रहे हैं।
    - 2014-22 की अवधि के दौरान **खाद्य सब्सिडी बिल लगभग दोगुना** हो गया है।
    - इस तरह की **बढ़ती सब्सिडी सरकारी खजाने को प्रभावित करती है।** साथ ही, यह **सार्वजनिक निवेश को कम करती है और संभावित रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न** करती है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी उन्मूलन के प्रयास बाधित होते हैं।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** अनाज में केवल चावल-गेहूं की पक्षपातपूर्ण खरीद ने कई राज्यों में **भू-जल स्तर को कम कर दिया है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों में भी कमी** की है। साथ ही, इससे फसल विविधीकरण भी बाधित हुआ है।

---

[169] Public Distribution System

- **विश्व व्यापार संगठन में चुनौतियां:** भारत की सब्सिडी वाली खाद्य सुरक्षा प्रणाली को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत **'मूल्य विकृतकारी मानदंड' (Price Distorting Norms)** माना जाता है।

सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आगे की राह

- **फूड बास्केट में विविधता:** NFSA के तहत पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उत्पादन व वितरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- मोटे अनाज, पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडा।
    - कई सरकारें खाद्य प्रणालियों के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही हैं। उदाहरण के लिए- **हरियाणा सरकार किसानों को धान** के अलावा दलहन, तिलहन और कपास को अपनाने **के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़** का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
    - इससे **किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण की संधारणीयता सुनिश्चित करने** में भी मदद मिलेगी।
- **उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता:** स्वस्थ खाद्य पदार्थों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच **जागरूकता का अभाव है।** यह PDS के माध्यम से फूड बास्केट के विविधीकरण की दिशा में मौजूद अन्य बाधाओं में से एक है।
    - **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)[170], स्वयं सहायता समूहों (SHGs)[171] और किसान उत्पादक संगठन (FPO)[172] समूहों** की सहायता से जागरूकता शिविर संचालित किए जा सकते हैं।
- **योजना का पुनर्गठन: शांता कुमार समिति के अनुसार, सरकार 33,000 करोड़ रुपये की बचत** कर सकती है। इस बचत का उपयोग **ग्रामीण अवसंरचना निर्माण, नवाचारों और रोजगार सृजन जैसे अन्य गरीबी उन्मूलन उपायों** के लिए किया जा सकता है। **इसके लिए निम्नलिखित सुधारों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:**
    - **कुशल बाजार सुनिश्चित करना:** निजी कंपनियों को खाद्यान्न की खरीदारी और भंडारण की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, राज्यों द्वारा किसानों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)[173] पर बोनस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
        - इससे **कटाई के बाद की गतिविधियों के दौरान रिसाव को कम** करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, **मूल्य निर्धारण प्रणाली का कुशल कामकाज भी सुनिश्चित** होगा।
    - **कवरेज को तर्कसंगत बनाना:** लाभार्थियों की संख्या को 67% से घटाकर 40% किया जा सकता है। नीति आयोग ने भी इसी तरह की सिफारिशें की हैं।
- **पहचान करने के लिए मानकीकृत मानदंड अपनाना:** केंद्र सरकार PHH की पहचान और चयन के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत कर सकती है। इससे **एकरूपता लाने, उचित लक्ष्यीकरण** करने और डायनामिक डेटाबेस विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **डिजिटलीकरण:** डिजिटलीकरण ने PDS के तहत आपूर्ति श्रृंखला तथा वितरण गतिविधियों को और मजबूत किया है।
    - **हालांकि, आधार से लिंक न होने के कारण खाद्यान्न प्रदान करने की मनाही से संबंधित मुद्दों के तत्काल समाधान की आवश्यकता है।**

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन को लेकर 2014 में **शांता कुमार** की अध्यक्षता में एक **उच्च स्तरीय समिति** का गठन किया गया था।
- **शांता कुमार समिति ने संपूर्ण खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए अलग–अलग उपायों की सिफारिश की।** इसने MSP व्यवस्था, खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और TPDS के तहत अनाज के वितरण में FCI की भूमिका को फिर से निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

---

[170] Panchayat Raj Institutions

[171] Self Help Groups

[172] Farmers Producer Organisation

[173] Minimum Support Price

निष्कर्ष

देश की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करना NFSA, 2013 का मुख्य प्रेरक तत्व है। यह अधिनियम देश में व्याप्त बहुत अधिक गरीबी को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भोजन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए।

6.4. आंगनवाड़ी प्रणाली (Anganwadi System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** (MoWCD)[174] ने संसद को सूचित किया है कि **आंगनवाड़ी प्रणाली को मजबूत करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च** किए गए हैं।

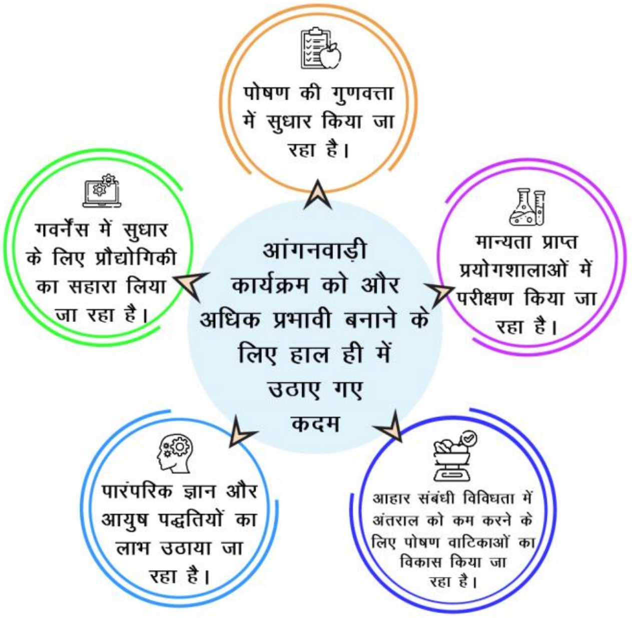
पोषण की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है।
मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा रहा है।
आहार संबंधी विविधता में अंतराल को कम करने के लिए पोषण वाटिकाओं का विकास किया जा रहा है।
पारंपरिक ज्ञान और आयुष पद्धतियों का लाभ उठाया जा रहा है।
गवर्नेंस में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा रहा है।
आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

आंगनवाड़ी प्रणाली के बारे में

- आंगनवाड़ी प्रणाली, **आंगनवाड़ी सेवा योजना** के तहत शुरू की गई थी। यह प्रणाली **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS)**[175] योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है (इन्फोग्राफिक देखिए)। ज्ञातव्य है कि **आंगनवाड़ी सेवा योजना को अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** के रूप में नामित किया गया है।
  - आंगनवाड़ी सेवा योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - यह योजना **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास (ECCD)**[176] के लिए **दुनिया के सबसे बड़े तथा अनूठे कार्यक्रमों** में से एक है।
- **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार** करना, तथा
  - **मृत्यु दर, रुग्णता/ रोगों और कुपोषण की व्यापकता को कम** करना।
- यह प्रणाली निम्नलिखित के माध्यम से **906.17 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान करती है:**
  - **आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs)**[177]**:** देश भर में लगभग 13.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। ये केंद्र इस योजना के तहत सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं।
  - **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWWs)**[178] **और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (AWHs)**[179]**:** इस प्रणाली के तहत लगभग 13.14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 11.74 लाख आंगनवाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं।

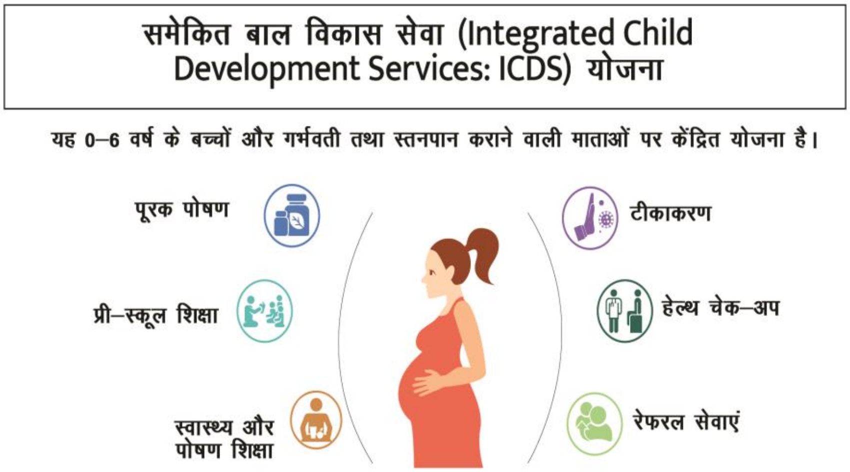
समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services: ICDS) योजना
यह 0–6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर केंद्रित योजना है।
पूरक पोषण
प्री–स्कूल शिक्षा
स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा
टीकाकरण
हेल्थ चेक–अप
रेफरल सेवाएं

---

[174] Ministry of Women & Child Development

[175] Integrated Child Development Service

[176] Early Childhood Care and Development

[177] Anganwadi Centres

[178] Anganwadi Workers

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं ICDS के **मूल कार्मिक** हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करते हैं और ICDS के कार्यान्वयन में मदद करते हैं।
- **एक गांव/ क्षेत्र** का प्रबंधन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इस कार्यकर्ता को समुदाय में से चुना जाता है। इसे **स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल** जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

- **आंगनवाड़ी केंद्रों** को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इसमें पोषण (POSHAN) ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुशल सेवा वितरण और उनके कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए **'पोषण ट्रैकर' (Poshan Tracker)** का सहयोग लिया जा रहा है।
    - इस मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का उपयोग बच्चों में **ठिगनेपन (Stunting), दुबलेपन (Wasting) और कम वजन (Underweight) के प्रसार की पहचान करने** के लिए किया जा रहा है। साथ ही, इसका उपयोग पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी किया जा रहा है।

सक्षम आंगनवाड़ी

- यह आंगनवाड़ी केंद्रों के **सुधार के लिए किया गया एक लक्षित हस्तक्षेप है।** इसके तहत केंद्रों की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें देश भर में मजबूत व अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, उनका कायाकल्प भी किया जाएगा।
- आंगनवाड़ियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अलावा, **सक्षम आंगनवाड़ी के तहत निम्नलिखित पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा-**
    - **आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में किशोरियां (14-18 वर्ष)।**
    - **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक प्रोत्साहन/ प्रेरणा (0-3 वर्ष)।**
- इसके तहत, **आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रत्येक वर्ष 40,000) को मजबूत किया जाएगा।**
    - यह निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगा:
        - **स्मार्ट लर्निंग ऐड (Aids), ऑडियो-एंड-वीडियो टूल्स, वाटर प्यूरीफायर और रेन-वाटर हार्वेस्टर** जैसे उपकरण।

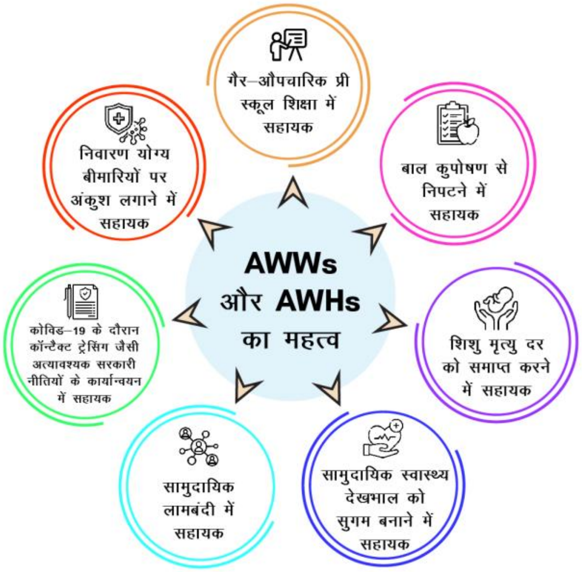
AWWs और AWHs का महत्व
गैर–औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा में सहायक
बाल कुपोषण से निपटने में सहायक
शिशु मृत्यु दर को समाप्त करने में सहायक
सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने में सहायक
सामुदायिक लामबंदी में सहायक
कोविड–19 के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी अत्यावश्यक सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में सहायक
निवारण योग्य बीमारियों पर अंकुश लगाने में सहायक

- **पारिश्रमिक**
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा **प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान** किया जाता है। इसे सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है।
        - केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर **3500 रुपये प्रतिमाह** कर दिया है।
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को **पोषण अभियान के तहत ICDS-CAS** का उपयोग करने के लिए **प्रति माह 500 रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन** भी दिया जाता है।
        - ICDS- CAS[180] **अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को डेटा एकत्र करने की सुविधा** प्रदान करता है।
        - यह एक छह-स्तरीय **डैशबोर्ड** है, जो रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन के उपयोग को सक्षम बनाता है।
    - इसके अलावा, अधिकांश राज्य/ संघ शासित प्रदेश **अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान** कर रहे हैं।
    - **बीमा कवरेज:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित योजनाओं के तहत कवर किया गया है:
        - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY);
        - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY); तथा
        - आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना (AKBY)।
    - **अन्य लाभ:** सवेतन अवकाश, पदोन्नति में आरक्षण, वर्दी और अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्रोत्साहन एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

---

[179] Anganwadi Helpers

[180] कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ Common Application Software

राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission: NNM) या पोषण अभियान के बारे में

- इसे 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की **निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तय करने और मार्गदर्शन करने** के लिए शुरू किया गया था।
- पोषण अभियान का उद्देश्य भारत के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले चिन्हित जिलों में **ठिगनेपन को कम** करना है। यह कार्य **प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार करके** संपन्न किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य **बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण सुनिश्चित** करना है।

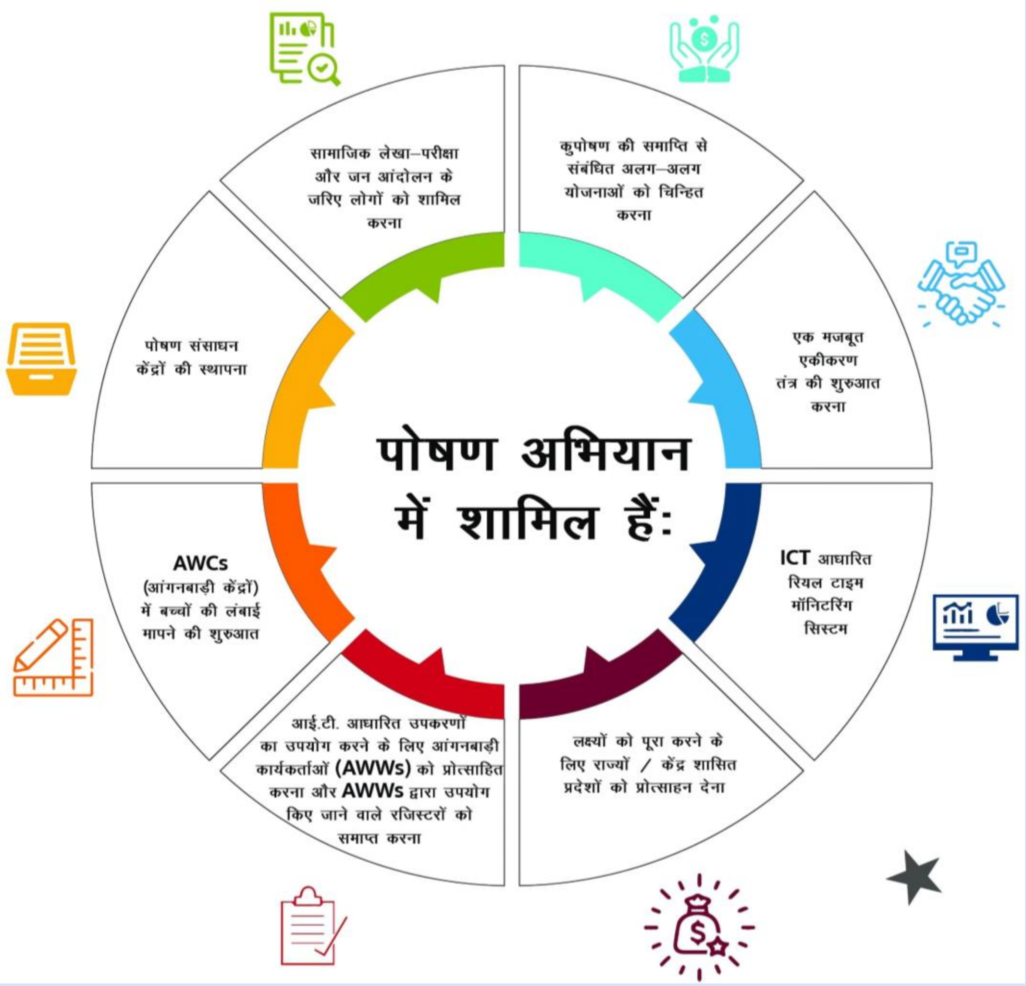
पोषण अभियान में शामिल हैं:
सामाजिक लेखा–परीक्षा और जन आंदोलन के जरिए लोगों को शामिल करना
कुपोषण की समाप्ति से संबंधित अलग–अलग योजनाओं को चिन्हित करना
एक मजबूत एकीकरण तंत्र की शुरुआत करना
ICT आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम
लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देना
आई.टी. आधारित उपकरणों का उपयोग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) को प्रोत्साहित करना और AWWs द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को समाप्त करना
AWCs (आंगनबाड़ी केंद्रों) में बच्चों की लंबाई मापने की शुरुआत
पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना

जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता			
विशिष्टता	**आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)**	**सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife: ANM)**	**आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ Accredited Social Health Activist: ASHA)**
योजना	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ICDS**	**राष्ट्रीय ग्रामीण/ शहरी स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)**	
नियुक्ति का स्थान	**आंगनवाड़ी केंद्र**	**स्वास्थ्य उप-केंद्र** और अतिरिक्त रूप से गांवों का दौरा करना।	• **ग्राम स्तर पर**
प्रमुख भूमिकाएं	**लाभार्थियों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास प्रदान करना।**	• स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने वाले कारकों पर **जागरूकता पैदा करना।** • प्रसव के संबंध में **महिलाओं, परिवारों और किशोरियों को परामर्श देना।** • **उपचारात्मक देखभाल और आपूर्ति करना।**	• टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के साथ-साथ **मातृ तथा बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने** पर ध्यान देना।
प्रोत्साहन	केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय और प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन।**	• केंद्र द्वारा तय किया गया **मानदेय।**	• **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त होता है।**

आंगनवाड़ी प्रणाली में चुनौतियां

- **वित्तीय:** वर्षों से इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया जा रहा है।
    - साथ ही, इसमें **अनुचित नियोजन और कार्यान्वयन तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के गैर-अनुपालन** से संबंधित समस्याएं भी मौजूद हैं।

- **आंगनवाड़ी केंद्रों की अपर्याप्त संख्या:** अलग-अलग राज्यों में स्वीकृत और परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या के मध्य अंतर है। यह अंतर लगभग 2% - 8.37% तक है।
- **आंगनवाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं:** कई परिचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
    - उदाहरण के लिए- मेघालय में केवल 30.85% आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** हालांकि, ICDS-CAS के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है।
- **अपर्याप्त मानव पूंजी:** तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक जैसे अलग-अलग राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं।
- **पारिश्रमिक:** अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक विशेष रूप से दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में **उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की तुलना में बहुत कम** है।

आगे की राह

- **कवरेज का विस्तार:** संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों/ लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में आने वाली **बाधाओं को दूर** करने की सिफारिश की है।
    - साथ ही, यह आकलन करने की भी आवश्यकता है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनवाड़ी केंद्र होने चाहिए या नहीं।
- **बुनियादी सुविधाएं:** यदि लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करनी हैं, तो सभी स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों को उचित अवसंरचना के साथ चलाया जाना चाहिए।
    - इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **सेवा शर्तों में सुधार:** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं के **पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करना और बेहतर सेवा शर्तें निर्धारित करना** अत्यंत आवश्यक है।
    - राज्य/ संघ शासित प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नाममात्र की राशि का भुगतान करते हैं। इनके पारिश्रमिक में भी पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग:** कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर लंबाई और वजन मापने के उपकरण मौजूद नहीं हैं। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

"ग्रासरूट सोल्जर्स: रोल ऑफ आशा इन द कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया" रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र तथा **इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई है।**
- यह रिपोर्ट **कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु भारत की प्रतिक्रिया रणनीति में आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका और प्राप्त अनुभव** को रेखांकित करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र**
    - **कोविड-19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका**
        - सामुदायिक स्तर पर निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहन, आइसोलेशन और क्वारेंटाइन मानदंडों की निगरानी आदि में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी।
        - **गैर-कोविड-19 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी उन्होंने विशेष योगदान** दिया था। उदाहरण के लिए- टी.बी., HIV आदि से संबंधित दवाओं की घर पर ही आपूर्ति।
        - **वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने और पात्र लाभार्थियों को टीका लगाने में भी** इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
    - **सिफारिशें:**
        - **आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका** सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं की गतिविधियां केवल सुभेद्य आबादी वाले इलाकों, जैसे- मलिन बस्ती क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
        - आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों को आसान बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया** जाना चाहिए।
        - संकट के दौरान **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए।**
        - जमीनी स्तर पर समुदायों की साक्षरता तथा भौतिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके **सरकार के सभी तंत्रों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।**

निष्कर्ष

सरकार कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं की सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना चाहती है। आंगनवाड़ी प्रणाली सरकार की इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हालांकि, इस प्रणाली की समग्र समीक्षा की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए।

6.5. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)**[181] ने **आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC)**[182] के सहयोग से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **"टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट: ए डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस"** है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

- **UNDP संयुक्त राष्ट्र का अग्रणी संगठन है।** यह 170 देशों तथा क्षेत्रों में गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्याय को समाप्त करने हेतु प्रयास कर रहा है।
- इसका काम **3 मुख्य फोकस क्षेत्रों पर केंद्रित है:**
  - सतत विकास को प्रोत्साहित करना
  - लोकतांत्रिक शासन और शांति की स्थापना करना, तथा
  - जलवायु और आपदा के प्रति लचीलापन लाना
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** ने 1965 में इसकी स्थापना की थी और **इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।**
- UNDP द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण रिपोर्ट
  - **मानव विकास रिपोर्ट**
  - **वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक**

आंतरिक विस्थापन क्या है और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs)[183] कौन हैं?

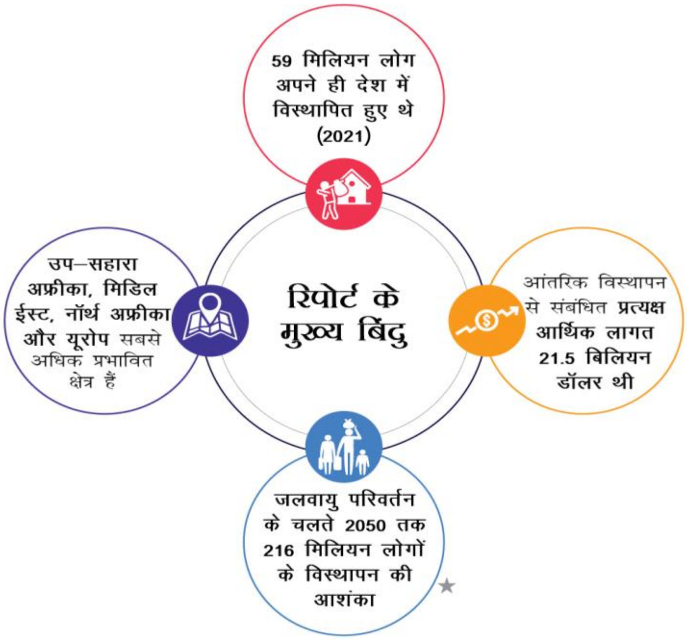
59 मिलियन लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए थे (2021)
उप–सहारा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
आंतरिक विस्थापन से संबंधित प्रत्यक्ष आर्थिक लागत 21.5 बिलियन डॉलर थी
जलवायु परिवर्तन के चलते 2050 तक 216 मिलियन लोगों के विस्थापन की आशंका

UNFCCC[184] के अनुसार, **"विस्थापन" प्रवासन का एक विशेष रूप है,** जिसमें व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है।

- **आंतरिक विस्थापन:** एक देश के भीतर नागरिकों की जबरन (इच्छा के विरुद्ध) आवाजाही को आंतरिक विस्थापन कहा जाता है।
- **आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs):** आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों (1998) के अनुसार, IDPs ऐसे व्यक्ति हैं, जो निम्नलिखित स्थितियों से बचने हेतु अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं:
  - सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव;
  - सामान्य हिंसा की स्थितियां;
  - मानवाधिकारों का उल्लंघन या प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाएं।

शमन के सफल उदाहरण, जिनसे हम सीख सकते हैं

- **पहुंच सुनिश्चित करना:** विस्थापित लोगों की स्कूलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। **ग्रामीण सोमालिया** में सूखे से विस्थापित पशुपालकों के बेटे मोगादिशू के स्कूलों में गए।
- **मेजबान (होस्ट) समुदायों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण:** शहर का विस्तार, स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही, अस्पताल संबंधी सुविधाओं के विस्तार की सहायता से स्वास्थ्य देखभाल में सुधार किया जा सकता है। सुधार से संबंधित ये परिणाम **इथियोपिया के गोडे और नाइजीरिया के उत्तर-पूर्व में** सूखे से विस्थापित लोगों के आगमन के दौरान देखे गए हैं।
- **लैंगिक संबंधों को सुधारने का अवसर:** पाकिस्तान में विस्थापन के बाद समाज में बेहतर लैंगिक संबंध देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए- वहां घरेलू हिंसा में कमी आई है। साथ ही, अधिक लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं और अधिक महिलाएं काम करने में सक्षम हुई हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया है।

---

[181] United Nation Development Programme

[182] Internal Displacement Monitoring Centre

[183] Internally Displaced Persons

[184] संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय/ United Nations Framework Convention on Climate Change

विस्थापन के प्रभावों को कम करने के उपाय

- **आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शक सिद्धांत (1998)** के अनुसार, IDPs के पास यह अधिकार है कि वे अपने विस्थापन को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन समाधानों में से किसी एक का स्वतंत्र रूप से चुनाव करें:
    - अपने पूर्व घरों या निवास के पारंपरिक स्थानों पर लौटना
    - उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाना, जहां वे शरण लेते हैं
    - देश में कहीं और बसना तथा एकीकरण करना
- **अंतर-एजेंसी स्थायी समिति (IASC)**[185] **ने 2010 में 'विस्थापन के लिए स्थायी समाधान' पर एक रूपरेखा** प्रस्तुत की थी। यह एक लंबी प्रक्रिया के बाद आगे मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह बताती है कि कैसे स्वैच्छिक और सूचित विकल्प का निर्धारण किया जाए ताकि IDPs बसने हेतु बेहतर विकल्प का चयन कर सकें। साथ ही, इस विकल्प को सुरक्षा और गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007** प्रस्तुत की गई थी। जहां तक संभव हो बड़े पैमाने पर विस्थापन को कम करना इसका उद्देश्य था।
- विकास प्रेरित विस्थापन को कम करने के लिए निम्नलिखित **का सख्त अनुपालन** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
    - **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996;**
    - **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006;** और
    - अनुसूची V (जनजातीय) क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण विनियम।

आंतरिक विस्थापन के प्रभाव को कम करने के लिए शमन के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। UNDP द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आंतरिक विस्थापन का समाधान विकासात्मक समाधानों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

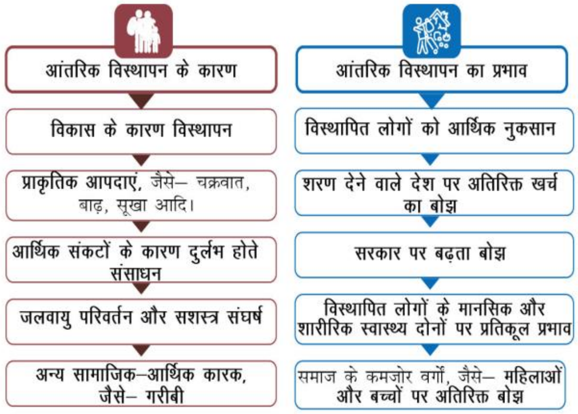
आंतरिक विस्थापन के कारण
विकास के कारण विस्थापन
प्राकृतिक आपदाएं, जैसे– चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि।
आर्थिक संकटों के कारण दुर्लभ होते संसाधन
जलवायु परिवर्तन और सशस्त्र संघर्ष
अन्य सामाजिक–आर्थिक कारक, जैसे– गरीबी
आंतरिक विस्थापन का प्रभाव
विस्थापित लोगों को आर्थिक नुकसान
शरण देने वाले देश पर अतिरिक्त खर्च का बोझ
सरकार पर बढ़ता बोझ
विस्थापित लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव
समाज के कमजोर वर्गों, जैसे– महिलाओं और बच्चों पर अतिरिक्त बोझ

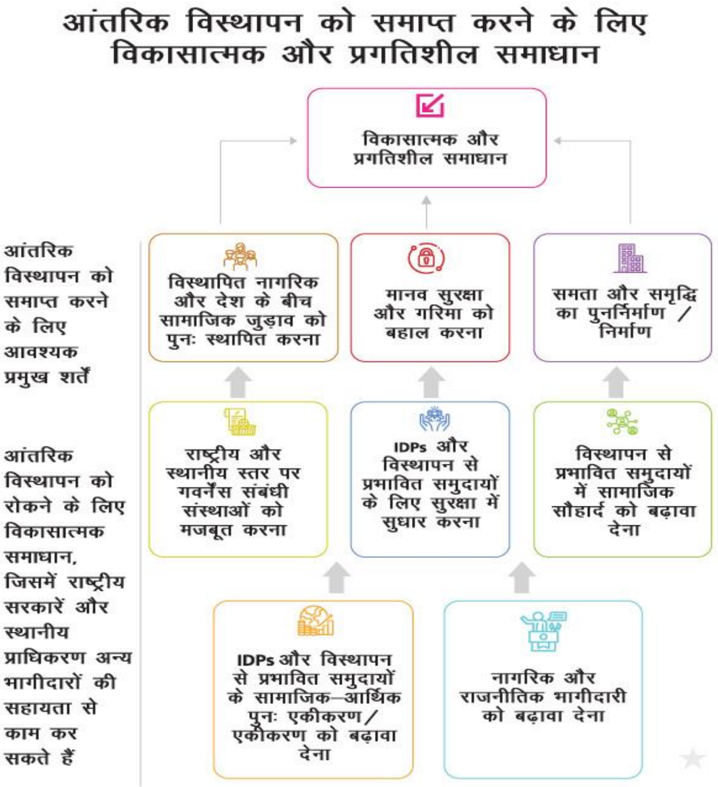
आंतरिक विस्थापन को समाप्त करने के लिए विकासात्मक और प्रगतिशील समाधान
विकासात्मक और प्रगतिशील समाधान
आंतरिक विस्थापन को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख शर्तें
विस्थापित नागरिक और देश के बीच सामाजिक जुड़ाव को पुनः स्थापित करना
मानव सुरक्षा और गरिमा को बहाल करना
समता और समृद्धि का पुनर्निर्माण / निर्माण
आंतरिक विस्थापन को रोकने के लिए विकासात्मक समाधान, जिसमें राष्ट्रीय सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण अन्य भागीदारों की सहायता से काम कर सकते हैं
राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस संबंधी संस्थाओं को मजबूत करना
IDPs और विस्थापन से प्रभावित समुदायों के लिए सुरक्षा में सुधार करना
विस्थापन से प्रभावित समुदायों में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना
IDPs और विस्थापन से प्रभावित समुदायों के सामाजिक–आर्थिक पुनः एकीकरण/एकीकरण को बढ़ावा देना
नागरिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना

आंतरिक विस्थापन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

जबरन विस्थापन: एक मानवीय त्रासदी और विकास संबंधी चुनौती

प्रति वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन, उत्पीड़न और प्राकृतिक खतरों के कारण अपना मूल-निवास स्थान छोड़ने को विवश होते हैं। यह इस बात पर पहले से कहीं अधिक बल देता है कि स्थायी समाधान किए जाने तक आंतरिक रूप से विस्थापित और शरण चाहने वाले संपूर्ण विश्व के शरणार्थियों के उचित रूप से संरक्षण और देखभाल के लिए एकजुट वैश्विक प्रयास किए जाएं। यह दस्तावेज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन विस्थापन की प्रवृत्तियों, देशों में इसके व्यापक प्रभाव, इससे निपटने के लिए किए गए प्रयासों का एक विश्लेषण प्रदान करता है। साथ ही, यह इन लंबित मुद्दों को प्रबंधित करने के विकल्पों पर भी सुझाव देता है।

---

[185] Inter-Agency Standing Committee

6.6. निर्भया कोष (Nirbhaya Fund)

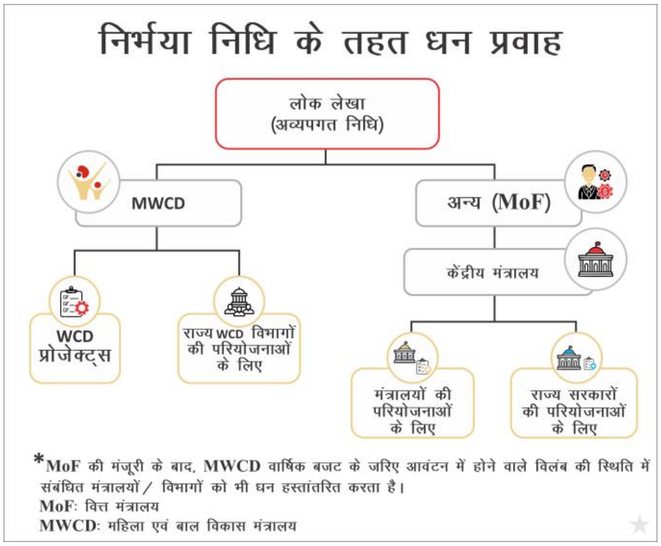
निर्भया निधि के तहत धन प्रवाह
लोक लेखा (अव्यपगत निधि)
MWCD
अन्य (MoF)
केंद्रीय मंत्रालय
WCD प्रोजेक्ट्स
राज्य WCD विभागों की परियोजनाओं के लिए
मंत्रालयों की परियोजनाओं के लिए
राज्य सरकारों की परियोजनाओं के लिए

*MoF की मंजूरी के बाद, MWCD वार्षिक बजट के जरिए आवंटन में होने वाले विलंब की स्थिति में संबंधित मंत्रालयों / विभागों को भी धन हस्तांतरित करता है।

MoF: वित्त मंत्रालय

MWCD: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक सूचना से पता चला है कि 2012 में 'निर्भया कोष' की स्थापना के बाद से अब तक इसके 70% धन का ही उपयोग किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसकी स्थापना से लेकर 2021-22 तक, निर्भया कोष के तहत कुल 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इसमें से अब तक 4,200 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

निर्भया फंड के बारे में

- 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की एक घटना की प्रतिक्रिया के रूप में इस कोष की स्थापना की गई थी।
- यह देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित एक गैर-व्यपगत निधि[186] है।
- **कोष का प्रबंधन:** इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।
    - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)** निर्भया कोष के तहत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं की सिफारिश/ मूल्यांकन के लिए **नोडल मंत्रालय** है।
- **निर्भया कोष का फंडिंग पैटर्न:**
    - दुर्गम भू-भाग वाले राज्यों के लिए 90:10;
    - अन्य राज्यों के लिए 60:40;
    - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%;
    - कुछ पहलों के लिए 100% धन भी प्रदान किया जाता है।
- **निधियों का आवंटन:** MWCD के सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक 'अधिकार प्राप्त समिति' (EC)[187] निर्भया कोष के तहत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है।

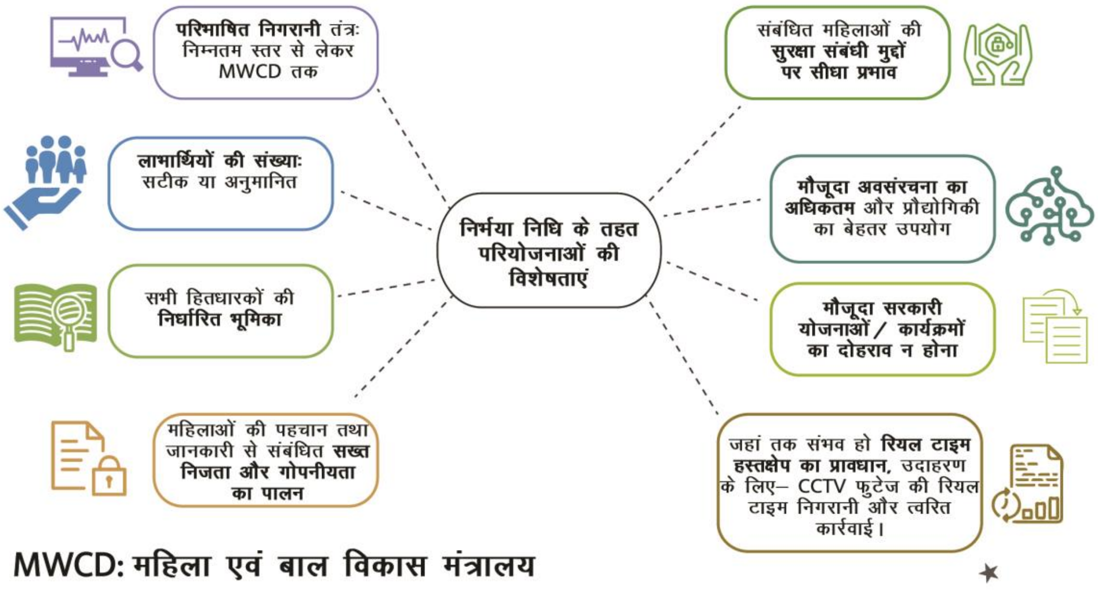
निर्भया निधि के तहत परियोजनाओं की विशेषताएं
परिभाषित निगरानी तंत्र: निम्नतम स्तर से लेकर MWCD तक
लाभार्थियों की संख्या: सटीक या अनुमानित
सभी हितधारकों की निर्धारित भूमिका
महिलाओं की पहचान तथा जानकारी से संबंधित सख्त निजता और गोपनीयता का पालन
संबंधित महिलाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सीधा प्रभाव
मौजूदा अवसंरचना का अधिकतम और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग
मौजूदा सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों का दोहराव न होना
जहां तक संभव हो रियल टाइम हस्तक्षेप का प्रावधान, उदाहरण के लिए– CCTV फुटेज की रियल टाइम निगरानी और त्वरित कार्रवाई।

MWCD: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- इस कोष के तहत धन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है:
    - **वन स्टॉप सेंटर की स्थापना;**

---

[186] Non-Lapsable Fund

[187] Empowered Committee

  - **सुरक्षा उपकरण का विनिर्माण;**
  - **फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना;**
  - यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फोरेंसिक किट की खरीदारी आदि।

निर्भया कोष के उपयोग में आने वाली चुनौतियां

- **अंतर-मंत्रालयी सहयोग:** परियोजनाओं के अनुमोदन में अंतर-मंत्रालयी सहयोग से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में लगने वाले समय के कारण निर्भया कोष से जुड़ी परियोजनाओं के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **प्रस्तावों का अभाव:** महिला सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों से अपेक्षाकृत कम प्रस्ताव मिले हैं। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय शामिल हैं। ऑक्सफैम, 2021 रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों से प्रस्ताव आने अपेक्षित हैं।
- **अपर्याप्त आवंटन:** MWCD के तहत निर्भया कोष द्वारा वित्तपोषित **तीन योजनाओं** को मिशन शक्ति के तहत संबल (SAMBAL) योजना नामक एक नई अम्ब्रेला योजना में मिला दिया गया है। ये **तीन योजनाएं** हैं: वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन और महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना।
  - हालांकि, 2021-22 में SAMBAL योजना के लिए किया गया आवंटन पिछले वर्ष इन सभी योजनाओं के लिए किये गए संयुक्त आवंटन से 10% कम है।
- **पारदर्शिता की कमी:** उदाहरण के लिए- गृह मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए किये गए आवंटन को जेंडर बजट के विवरण में शामिल नहीं किया गया था।
- **कोष की संरचना से जुड़ी सीमाएं:** परियोजना की विशेषताओं, जैसे- मौजूदा बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग और प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग पर जोर दिया गया है। इसने निगरानी और रिपोर्टिंग तथा अपराधों की जांच के लिए कम लागत वाले हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित किया है।
  - इसमें सार्वजनिक स्थानों से संबंधित शहरी अपराधों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - यहां तक की 'शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति' ने भी कहा है कि इस निधि का उपयोग नियमित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  - **अपर्याप्त निधि:** ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम 10,000-11,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। निर्भया कोष के तहत किया गया आवंटन इससे कम है।
  - **अप्रत्याशित व्यवधान:** अप्रत्याशित कारणों से भी व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, जैसे- कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधा।

आगे की राह

- **संरचना में सुधार:** निर्भया कोष के उपयोग को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों को व्यापक बनाया जाना चाहिए, ताकि **शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यवहार परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में बेहतर उपायों** को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - उदाहरण के लिए- **केरल ने 2021-22 के अपने जेंडर बजट में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा देखभाल, पुलिस थानों में लैंगिक जागरूकता** आदि हेतु संसाधनों का आवंटन किया है।
- **सूचना-आधारित नीति निर्माण:** अधिकार प्राप्त समिति को **महिला सुरक्षा के संबंध में समग्र परिदृश्य** का आकलन करते हुए किये जा सकने वाले प्रभावी उपायों की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय समुदायों, पुलिस, NCRB, मनोवैज्ञानिकों आदि को शामिल करके सभी प्रमुख शहरों से फीडबैक लेना चाहिए।
  - इससे केंद्र सरकार राज्यों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा किए बगैर आवश्यक हस्तक्षेपों को लागू करने हेतु सक्रिय रूप से योजनाएं/ कार्यक्रम तैयार करने में सक्षम होगी।
- **पारदर्शिता:** शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय समिति ने अनुशंसा की है कि संबंधित मंत्रालयों को **एक मजबूत तंत्र** विकसित करना चाहिए, ताकि उनके द्वारा चलाई जा रही **परियोजनाओं/ योजनाओं की निरंतर निगरानी** की जा सके।
- **केंद्र के हिस्से में वृद्धि:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **केंद्र सरकार इन बजटीय आवंटनों में 90-100% तक योगदान करे।** वर्तमान में, केंद्र और राज्यों के बीच बजट का साझाकरण 60:40 के अनुपात में होता है।

    - निर्भया कोष के लिए **वार्षिक आवंटन को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना चाहिए।** इससे मौजूदा परियोजनाओं का और बेहतर संचालन किया जा सकेगा। साथ ही, व्यापक क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा सकेगा।
- **बेंचमार्क स्थापित करना:** महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा (VAWG)[188] से संबंधित सेवाओं के सार्वभौमीकरण के लिए बेंचमार्क बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, जिला और उप-जिला स्तर पर इनकी उपलब्धता और गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान देना चाहिए।

6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.7.1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की "ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्संस विद डिसैबिलिटीज" पर रिपोर्ट {Global Report On Health Equity For Persons With Disabilities (PWD): World Health Organisation}

- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
    - विश्व भर में लगभग **1.3 बिलियन लोग किसी-न-किसी रूप में दिव्यांगता** से ग्रस्त हैं। यह विश्व की **कुल आबादी का 16% है।**
    - सामान्य व्यक्ति की तुलना में दिव्यांग व्यक्ति (PwD) **20 वर्ष तक कम जीते हैं।**
    - दिव्यांग व्यक्तियों के **मधुमेह, स्ट्रोक या अवसाद जैसे रोगों से ग्रसित होने का खतरा** सामान्य लोगों की तुलना में **दोगुने से अधिक होता है।**
    - उन्हें कार्य करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए- पहुंच से बाहर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए **6 गुना अधिक रुकावट पैदा करती हैं।**
- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य समानता की जरूरत क्यों है?**
    - यह **व्यक्तियों और समुदायों को उच्च लाभांश प्रदान** करती है। दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रत्येक 1 डॉलर के निवेश से 10 डॉलर का लाभ प्राप्त होता है।
    - इससे **सतत विकास लक्ष्य संख्या-3** को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- इस रिपोर्ट में **सरकारों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लक्षित 40 कार्यवाहियों की सिफारिश** की गई है। ये कार्यवाहियां राजनीतिक प्रतिबद्धता, गवर्नेंस, स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त-पोषण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं।
- रिपोर्ट में सभी सरकारों और स्वास्थ्य क्षेत्रक के भागीदारों के लिए **निम्नलिखित 3 सिद्धांतों की सिफारिश** की गई है:
    - **स्वास्थ्य क्षेत्रक की किसी भी पहल के केंद्र में दिव्यांग व्यक्तियों** के लिए स्वास्थ्य समानता को शामिल किया जाना चाहिए।
    - स्वास्थ्य क्षेत्रक की किसी भी पहल के क्रियान्वयन में **दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।**
    - **दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य समानता की ओर ले जाने वाली स्वास्थ्य क्षेत्रक की पहलों** की निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

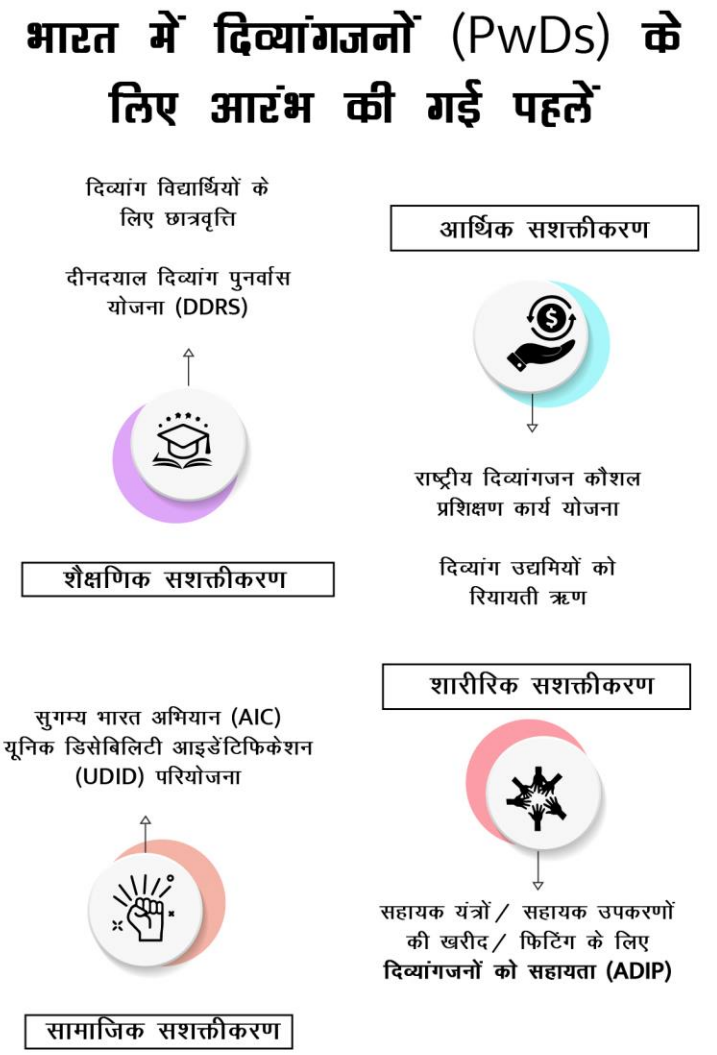

भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए आरंभ की गई पहलें

शैक्षणिक सशक्तीकरण
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)

आर्थिक सशक्तीकरण
- राष्ट्रीय दिव्यांगजन कौशल प्रशिक्षण कार्य योजना
- दिव्यांग उद्यमियों को रियायती ऋण

सामाजिक सशक्तीकरण
- सुगम्य भारत अभियान (AIC)
- यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन (UDID) परियोजना

शारीरिक सशक्तीकरण
- सहायक यंत्रों / सहायक उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (ADIP)

---

[188] Violence Against Women and Girl

6.7.2. ऑक्सफैम इंडिया ने 'इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की (‘India Inequality Report 2022: Digital Divide’ Released By Oxfam India)

- यह एक **वार्षिक रिपोर्ट** है। इसमें देश में व्याप्त **असमानता के संकट को रेखांकित** किया गया है। वर्ष 2022 की यह रिपोर्ट भारत में **डिजिटल डिवाइड के विस्तार** तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसी **आवश्यक सेवाओं पर इसके प्रभाव** को रेखांकित करती है।
    - **ऑक्सफैम इंडिया एक गैर-लाभकारी संगठन है।** यह भारत में बाल शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं का सशक्तीकरण करने और असमानता के खिलाफ उपायों में सहायता देने का काम कर रहा है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
    - 2021 में **61% पुरुषों के पास मोबाइल फोन** थे, जबकि महिलाओं में यह अनुपात केवल **31% है।**
    - 67% शहरी आबादी **इंटरनेट** का उपयोग कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर केवल **31%** है।
    - **ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग कम हुआ** (कोविड के बाद) है।
    - **सबसे गरीब 40% आबादी की तुलना में सबसे अमीर 60% आबादी** द्वारा **डिजिटल भुगतान करने की संभावना चार गुना** अधिक रहती है।
    - **महाराष्ट्र में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है, जबकि बिहार में यह सबसे कम है।**
- **डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए की गई सिफारिशें**
    - **सामुदायिक नेटवर्क और सार्वजनिक वाई-फाई/ इंटरनेट एक्सेस पॉइंट** जैसे उपायों के माध्यम से ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में **इंटरनेट की उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए।**
    - सरकार को **डिजिटल उपकरणों को वहनीय बनाना चाहिए।** इसके लिए **डिजिटल अवसंरचना में निवेश, मजबूत विनियामक ढांचे का निर्माण तथा कंप्यूटर और फोन पर कर को घटाने** जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।
    - विशेष रूप से ग्रामीण भारत में **डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन** करना चाहिए। इसके अलावा, पंचायतों और स्कूलों का डिजिटलीकरण भी करना चाहिए।
    - **एडटेक और हेल्थटेक से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण-तंत्र की स्थापना** करनी चाहिए।

- डिजिटल डिवाइड **"सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) तक पहुंच तथा विविध प्रकार की गतिविधियों के लिए इंटरनेट के उपयोग के अवसरों के मामले में अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर व्यक्तियों, परिवारों, व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतर है।"**

नोट: यह रिपोर्ट **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)**[189] द्वारा जारी की जाने वाली **भारत में असमानता की स्थिति** रिपोर्ट से अलग है।

6.7.3. प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojna: PMAAGY)

- PMAAGY के तहत, **जनजातीय कार्य मंत्रालय का लक्ष्य** कम-से-कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों (STs) वाले 36,428 गांवों को **आदर्श जनजातीय गांवों** के रूप में विकसित करना है।
    - PMAAGY **'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' का संशोधित संस्करण है।** इस योजना को **2021-22 से 2025-26** की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
- PMAAGY का उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित **गांवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करना है।**
- **योजना के मुख्य घटक हैं:**
    - **ग्राम विकास योजना तैयार करना;**
    - केंद्र/ राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/ पारिवारिक लाभ योजनाओं का **कवरेज अधिकतम करना; तथा**
    - स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के **बुनियादी ढांचे में सुधार करना।**

---

[189] Economic Advisory Council to the Prime Minister

6.7.4. श्रेयस योजना (Shreyas Scheme)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति ने 2021-22 में श्रेयस (SHREYAS) योजना के तहत निधि के कम उपयोग को रेखांकित किया है।
- श्रेयस **(स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम),** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के तहत **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना (CSS)** है।
  - इस योजना के अंतर्गत **अनुसूचित जाति (SCs) और अन्य समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- श्रेयस (SHREYAS) को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें **केंद्रीय क्षेत्रक की निम्नलिखित दो योजनाओं को शामिल** किया गया है:
  - नेशनल फैलोशिप फॉर OBC, तथा
  - OBCs और EBCs विद्यार्थियों के विदेश में अध्ययन हेतु **शिक्षा ऋण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की डॉ. अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना।**
- **योजना के घटक**

अनुसूचित जाति (SCs) के विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास एजुकेशन (TCS)	• SC समुदाय के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS)	• SC, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर तथा पारंपरिक कारीगर समुदाय के विद्यार्थियों को **विदेशों में परास्नातक स्तर के कोर्स और Ph.D कोर्स में दाखिला लेने के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
SC समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेशनल फेलोशिप (NFSC)	• SC विद्यार्थियों को **भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए M. Phil/ Ph.D** जैसे कोर्स में दाखिला लेने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।
SC और OBC समुदाय के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	• इन समुदायों के विद्यार्थियों को **प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने और सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त** करने में सक्षम बनाया जाता है।

- **संसदीय समिति के अनुसार, योजना की निधि का निम्नलिखित तीन कारणों से कम उपयोग किया गया है।**
  - **TCS:** संस्थानों द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं;
  - **NFSC:** कोर्स में शामिल होने/ जारी रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है; तथा
  - **निःशुल्क कोचिंग:** सूचीबद्ध संस्थानों ने संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

6.7.5. सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index: SPI)

- SPI को **इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव** ने साथ मिलकर तैयार किया है। इसे प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है।
- SPI में सामाजिक प्रगति के **तीन महत्वपूर्ण आयामों में 12 घटकों के** आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन किया जाता है। तीन महत्वपूर्ण आयामों में शामिल हैं:
  - **बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं,**

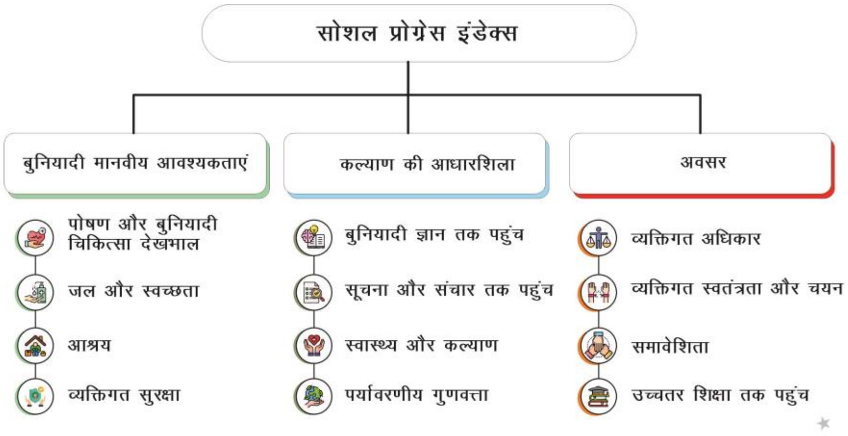
सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स
बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं
कल्याण की आधारशिला
अवसर
पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल
जल और स्वच्छता
आश्रय
व्यक्तिगत सुरक्षा
बुनियादी ज्ञान तक पहुंच
सूचना और संचार तक पहुंच
स्वास्थ्य और कल्याण
पर्यावरणीय गुणवत्ता
व्यक्तिगत अधिकार
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन
समावेशिता
उच्चतर शिक्षा तक पहुंच

  - **रहन-सहन के बेहतर तरीकों के आधार और**
  - **अवसर।**
- **SPI की मुख्य विशेषताएं:**
  - **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** करने वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा हैं।**
  - **शीर्ष** प्रदर्शन करने वाले **तीन जिले हिमाचल प्रदेश में शिमला और सोलन तथा मिजोरम में आइजोल हैं।**
- विश्व स्तर पर, **भारत SPI-2022 में 110वें स्थान पर है।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

ABHYAAS
PRELIMS 2023
ALL INDIA PRELIMS
(GS & CSAT) TEST SERIES
(OFFLINE)
REGISTRATION
STARTING SOON
All India Ranking
Vision IAS Post Test Analysis™
Available In ENGLISH / हिन्दी
150+ CITIES

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

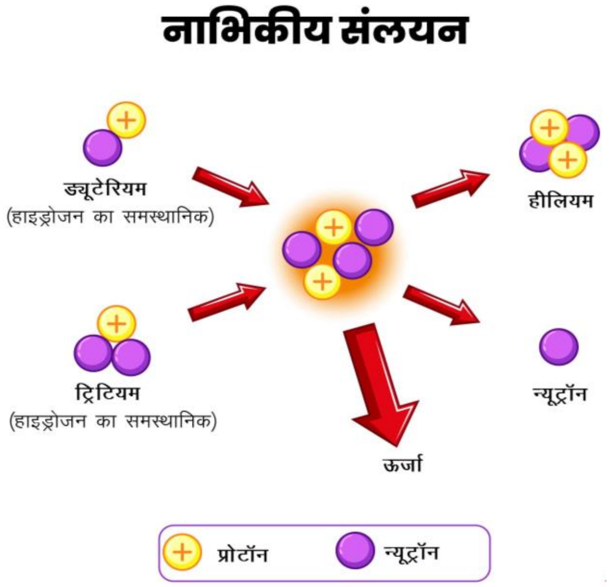

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कैलिफोर्निया स्थित **लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी** के वैज्ञानिकों ने पहली बार **नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के जरिए निवल ऊर्जा (Net Energy)** का उत्पादन किया है। ध्यातव्य है कि इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में **लेजर का उपयोग** किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- **प्रयोग में क्या हुआ?**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित नेशनल इग्निशन फैसिलिटी (NIF)[190] के वैज्ञानिकों ने पहली बार **नाभिकीय संलयन** के माध्यम से इग्निशन के स्तर को प्राप्त किया है। गौरतलब है इग्निशन के स्तर पर **नाभिकीय अभिक्रिया की प्रक्रिया में प्रयुक्त ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन** होता है।
- **इसे कैसे क्रियान्वित किया गया?**
    - NIF द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक को गर्म और संपीड़ित करने के लिए शक्तिशाली लेजर्स का उपयोग किया गया। **जब नाभिक आपस में जुड़ते हैं, तो वे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इससे संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है।** जब यह ऊर्जा, संलयन अभिक्रिया शुरू करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, तो इस घटना को **इग्निशन** कहा जाता है।
    - **उत्पादित ऊष्मा** और संलयन अभिक्रिया शुरू करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा के **अनुपात को ऊर्जा के लाभ** (Gain) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **इस प्रयोग का परिणाम?**
    - इस प्रयोग के दौरान कथित तौर पर लगभग 3 मेगाजूल ऊर्जा (अभिक्रिया से प्राप्त निवल ऊर्जा) का उत्पादन हुआ, और 1.53 इकाई लाभ के साथ इग्निशन का स्तर प्राप्त हुआ।
- **यह महत्वपूर्ण क्यों है?**
    - यह प्रयोग दर्शाता है कि नाभिकीय संलयन के जरिए ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रणाली विकसित की जा सकती है।

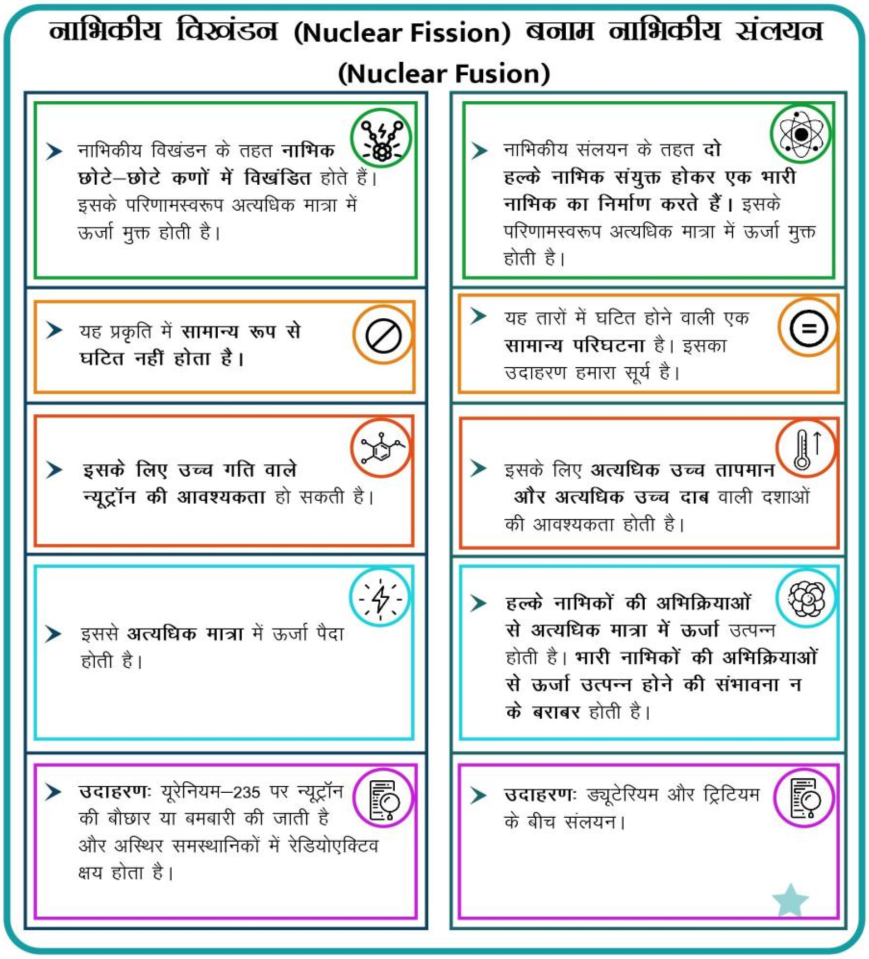

नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) बनाम नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

नाभिकीय विखंडन के तहत **नाभिक छोटे–छोटे कणों में विखंडित** होते हैं। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।	नाभिकीय संलयन के तहत **दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं।** इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
यह प्रकृति में **सामान्य रूप से घटित नहीं होता है।**	यह तारों में घटित होने वाली एक **सामान्य परिघटना** है। इसका उदाहरण हमारा सूर्य है।
इसके लिए उच्च गति वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता हो सकती है।	इसके लिए **अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक उच्च दाब** वाली दशाओं की आवश्यकता होती है।
इससे **अत्यधिक मात्रा** में ऊर्जा पैदा होती है।	**हल्के नाभिकों की अभिक्रियाओं से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा** उत्पन्न होती है। **भारी नाभिकों की अभिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना न के बराबर** होती है।
उदाहरण: यूरेनियम–235 पर न्यूट्रॉन की बौछार या बमबारी की जाती है और अस्थिर समस्थानिकों में रेडियोएक्टिव क्षय होता है।	**उदाहरण**: ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच संलयन।

---

[190] National Ignition Facility

नाभिकीय संलयन क्या है?

- नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है **जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक (उदाहरण के लिए- ट्रिटियम और ड्यूटीरियम)** आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक **(हीलियम)** का निर्माण करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- संलयन अभिक्रियाएं **पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती हैं।** प्लाज़्मा एक गर्म, आवेशित गैस के रूप में होता है। यह धनात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से बना होता है जिसमें ठोस, तरल एवं गैसों से अलग अद्वितीय गुण होते हैं।
- **संलयन में आने वाली बाधाएं:** धनात्मक रूप से आवेशित नाभिकों के बीच मजबूत **प्रतिकर्षी स्थिर वैद्युत बल**[191] उन्हें नजदीक आने से रोकता है। इससे नाभिकों के टकराव और संलयन की प्रक्रिया बाधित होती है।
- **यह कब होता है:** प्रतिकर्षी (स्थिर वैद्युत) बल की तुलना में नाभिकों के बीच आकर्षण बल के अधिक हो जाने पर संलयन अभिक्रिया शुरू होती है। गौरतलब है कि नाभिकीय आकर्षण बल, परमाणु नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखने में मदद करता है।
    - ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब **तापमान बढ़ता** है, जिससे आयनों की गति तीव्र हो जाती है। अतः ऐसे में आयन एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाते हैं जिससे संलयन अभिक्रिया आरंभ हो जाती है।
- **संलयन अभिक्रिया के आरंभ होने के लिए आवश्यक शर्तें:**
    - **तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए।**
    - **दीर्घ अवधि तक उच्च व पर्याप्त घनत्व को बनाए रखा जाना चाहिए** ताकि संलयन अभिक्रियाओं की दर बढ़कर उस स्तर तक पहुंच जाए जहां आवश्यक उर्जा उत्पन्न होने लगे।

नाभिकीय संलयन के प्रकार: जड़त्वीय और चुंबकीय (Inertial and Magnetic)

- **NIF द्वारा संचालित प्रयोग में जड़त्वीय संलयन (Inertial fusion) का उपयोग किया गया था। जड़त्वीय संलयन में** लेजर या आयन बीम कुछ मिलीमीटर व्यास वाले ईंधन के कैप्सूल पर अत्यधिक सटीक रूप से केंद्रित होते हैं।
- **एक अन्य विधि चुंबकीय संलयन है।** इसके तहत संलयन अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए उच्च दबाव वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सैकड़ों घन मीटर प्लाज्मा को एक मिलीग्राम/ घन मीटर से कम घनत्व तक संपीडित और गर्म किया जाता है।
- चुंबकीय संलयन की तुलना में **जड़त्वीय संलयन के माध्यम से ब्रेक-ईवन एनर्जी स्तर को प्राप्त करना** अपेक्षाकृत आसान होता है।
    - **ब्रेक-ईवन एनर्जी:** जब संलयन अभिक्रिया द्वारा विमुक्त ऊर्जा प्लाज्मा को गर्म करने के लिए उपयोग गई ऊर्जा के बराबर हो जाती है, तो इसे ब्रेक-ईवन एनर्जी की स्थिति कहते हैं।

नाभिकीय संलयन द्वारा विद्युत उत्पादन के लाभ

- **प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन:** कोयला, तेल और गैस के दहन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में परमाणुओं के नियंत्रित संलयन (Fusing) के जरिए लगभग चार मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा इससे नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं (समान द्रव्यमान पर) की तुलना में भी चार गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- **संधारणीयता:** संलयन के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है यानी ड्यूटिरियम और ट्राईटियम। ड्यूटिरियम को जल के सभी रूपों से डिस्टिलेशन के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। संलयन अभिक्रिया के दौरान निर्मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन्स, लिथियम के साथ अभिक्रिया करके ट्राईटियम का उत्पादन करते हैं।
- **शून्य कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2):** संलयन के दौरान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता है। ध्यातव्य है कि इसके प्रमुख उप-उत्पाद के रूप में हीलियम का निर्माण होता है। यह एक अक्रिय, गैर-विषाक्त गैस है।

भारत सरकार को नाभिकीय संलयन में निवेश क्यों करना चाहिए?

- **जीवाश्म ईंधन की कमी:** भारत के पास हाइड्रोकार्बन ऊर्जा या नाभिकीय विखंडन-आधारित ऊर्जा से संबंधित आवश्यक संसाधन की कमी है। नाभिकीय संलयन के विज्ञान और इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति को देखते हुए संलयन के प्रति हमारी रुचि और निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **दीर्घकालिक योजना:** भारत ने निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 तक प्राप्त करने की घोषणा की है। यह लक्ष्य हमें संलयन को नवीकरणीय ऊर्जा के एक व्यावहारिक और प्रमुख पूरक विकल्प के रूप में तैयार करने में पर्याप्त समय प्रदान करता है।
- **ऊर्जा की बढ़ती मांग:** भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है। उच्च घनत्व वाली ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम संलयन, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व:** चूंकि यह एक नया क्षेत्र है, अतः ऐसे में भारत इस तरह की प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग से जुड़े शुरुआती लाभ उठा सकता है।

---

[191] Repulsive Electrostatic Force

- **नाभिकीय संलयन के प्रसार के दौरान जोखिम की संभावना कम होती है:** संलयन में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी विखंडनीय सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके तहत प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी ट्राइटियम न तो विखंडनीय है और न ही विखंडनीय सामग्री है।
- **मेल्टडाउन का कोई जोखिम नहीं:** संलयन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है, तो रिएक्टर में प्लाज़्मा के रूप में मौजूद ईंधन कुछ ही सेकंड के भीतर ठंडा हो जाता है और अभिक्रिया बंद हो जाती है। अतः ऐसे में चेन रिएक्शन की संभावना समाप्त हो जाती है।
- **लंबे समय तक बने रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट से बचाव:** नाभिकीय संलयन रिएक्टर किसी प्रकार के अति रेडियोधर्मी, लंबे समय तक बने रहने वाले नाभिकीय अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं।

वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें

- **इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) असेंबली:** दक्षिणी फ्रांस में, भारत सहित 35 देश, दुनिया के सबसे बड़े टोकामक बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। यह चुंबकीय संलयन के उपयोग पर आधारित एक उपकरण है। इस उपकरण को संलयन की व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **चीन का कृत्रिम सूर्य:** चीन द्वारा डिज़ाइन किया गया 'प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक' (EAST)[192] उपकरण सूर्य में जारी परमाणु संलयन प्रक्रिया का अनुसरण करता है।
- **SST-2 टोकामक:** प्रायोगिक संलयन रिएक्टर के रूप में SST-2 टोकामक की स्थापना कर भारत ने इस दिशा में अपना प्रयास शुरू कर दिया है। यह SST-2 टोकामक गुजरात के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में स्थित है।
- **जॉइंट यूरोपियन टोरस (JET):** यह यूरोपीय देशों की एक संयुक्त परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के नाभिकीय संलयन आधारित ग्रिड ऊर्जा के लिए रास्ता तैयार करना है।

प्रमुख चुनौतियां

- **अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया:** सभी अनुमानों के अनुसार, आने वाले दो-तीन दशकों तक व्यावसायिक स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए संलयन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- नाभिकीय संलयन वास्तव में तभी लाभकारी हो सकता है, जब उसकी अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा, लेजर्स में प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा से अधिक हो। ज्ञातव्य है कि NIF के प्रयोग में लगभग 3 मेगा जूल ऊर्जा उत्पादित हुई है।
- **लंबी अवधि तक प्रयोग को बनाए रखने में कठिनाई:** वर्तमान में प्रयोगशालाओं में जारी संलयन अभिक्रियाएं मुश्किल से कुछ ही सेकंड तक चलती हैं। लेजर बीम पर आधारित अभिक्रियाएं और भी कम समय तक चलती हैं। अतः ऐसे में प्रयोग के तहत अत्यधिक उच्च तापमान को लंबे समय तक बनाए रख पाना अत्यधिक कठिन हो सकता है।
- **विनाश:** प्रौद्योगिकी का उपयोग संलयन-आधारित नाभिकीय हथियारों को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये हथियार वर्तमान नाभिकीय हथियारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो सकते हैं।
- **व्यापक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता:** संलयन अभिक्रिया केवल अति उच्च तापमान पर ही आरंभ होती है। यह तापमान सूर्य के केंद्र में मौजूद तापमान से 10 गुना अधिक होता है। अतः प्रयोगशाला में इस तरह की चरम परिस्थितियां निर्मित करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी।

आगे की राह

भारत की नाभिकीय संलयन नीति के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश किया जाना चाहिए। साथ ही, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ITER परियोजना में भारत की भागीदारी इस लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में नाभिकीय संलयन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है।

अल्प अवधि में, भावी अनुसंधान के तहत अगले प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य 100 इकाई से अधिक ऊर्जा लाभ प्राप्त करना है। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि इससे एक विद्युत संयंत्र को कुशलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। हालांकि, दीर्घकालिक लक्ष्य के तहत एक व्यावहारिक और सतत नाभिकीय संलयन ऊर्जा पारितंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी योगदान कर सके।

7.2. राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 (National Geospatial Policy, 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नागरिक केंद्रित **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति** (NGP)[193], **2022** को अधिसूचित किया है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भू-स्थानिक क्षेत्रक को मजबूत करना है।

विजन और लक्ष्य

- **वैश्विक नेतृत्वकर्ता:** इसका लक्ष्य उच्च स्तरीय नवाचार पारितंत्र के साथ भारत को वैश्विक भू-स्थानिक क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

---

[192] Experimental Advanced Superconducting Tokamak

[193] National Geospatial Policy

- **एकीकृत नीति:** इस नीति का उद्देश्य देश में एक मजबूत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना है, ताकि इसका लाभ उठाकर डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा जा सके और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बेहतर किया जा सके।
- **डेटा का बेहतर उपयोग:** इसका उद्देश्य सार्वजनिक निधियों का उपयोग कर एकत्र किए गए महत्वपूर्ण भू-स्थानिक डेटा को व्यवसायों और आम जनता के लिए सहज रूप से उपलब्ध कराना है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** इसका उद्देश्य निजी उद्यमों को शामिल करते हुए देश में एक उन्नत भू-स्थानिक उद्योग को स्थापित करना है।

भू-स्थानिक डेटा क्या है?

भू-स्थानिक डेटा एक प्रकार का समय आधारित डेटा होता है। यह **पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी स्थान से संबंधित घटनाओं या परिघटनाओं (मानव निर्मित या प्राकृतिक) का विवरण देता** है। यह स्थैतिक या गतिशील दोनों तरह का हो सकता है। स्थैतिक डेटा के उदाहरणों में भूकंप, वनस्पति आदि से संबंधित डेटा शामिल हैं। वहीं गतिशील डेटा के उदाहरणों में पैदल यात्री, ट्रैक किया जाने वाला पैकेज आदि शामिल हैं।

नीतिगत लक्ष्य

2025	2030	2035
• भू-स्थानिक क्षेत्रक के उदारीकरण का समर्थन करने के लिए **एक सक्षम नीति और कानूनी ढांचा स्थापित करना।** • पूरे देश के लिए **उच्च सटीकता** वाली जियोइड (Geoid) मॉडल को विकसित करना।	• **हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली विकसित करना।** • पूरे देश के लिए **उच्च सटीकता वाला एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)** स्थापित करना। • एकीकृत डेटा और सूचना ढांचे द्वारा **भू-स्थानिक ज्ञान अवसंरचना (GKI)**[194] को विकसित करना।	• ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने के लिए अंतर्देशीय जल और उथले समुद्री सतह की स्थलाकृति का **हाई-रिज़ॉल्यूशन बैथमेट्रिक भू-स्थानिक डेटा उपलब्ध** कराना। • प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन (National Digital Twin) रणनीति तैयार करना।** ○ **डिजिटल ट्विन** किसी भौतिक संपत्ति, प्रक्रिया या सेवा की एक आभासी प्रतिकृति है।

संस्थागत फ्रेमवर्क

- **भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति (The Geospatial Data Promotion and Development Committee: GDPDC) का गठन:** इस समिति का गठन भू-स्थानिक डेटा के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर उचित दिशा-निर्देशों, रणनीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में किया जाएगा।
    - **GDPDC 17 सदस्यीय एक संस्था होगी जिसका अध्यक्ष उद्योग, सरकार या शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।**
- GDPDC, राष्ट्रीय स्थानिक डेटा समिति (NSDC)[195] की जगह लेते हुए इसके **कार्यों और शक्तियों को धारण करेगी।** साथ ही, यह 2021 में गठित भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति का भी स्थान लेगी।

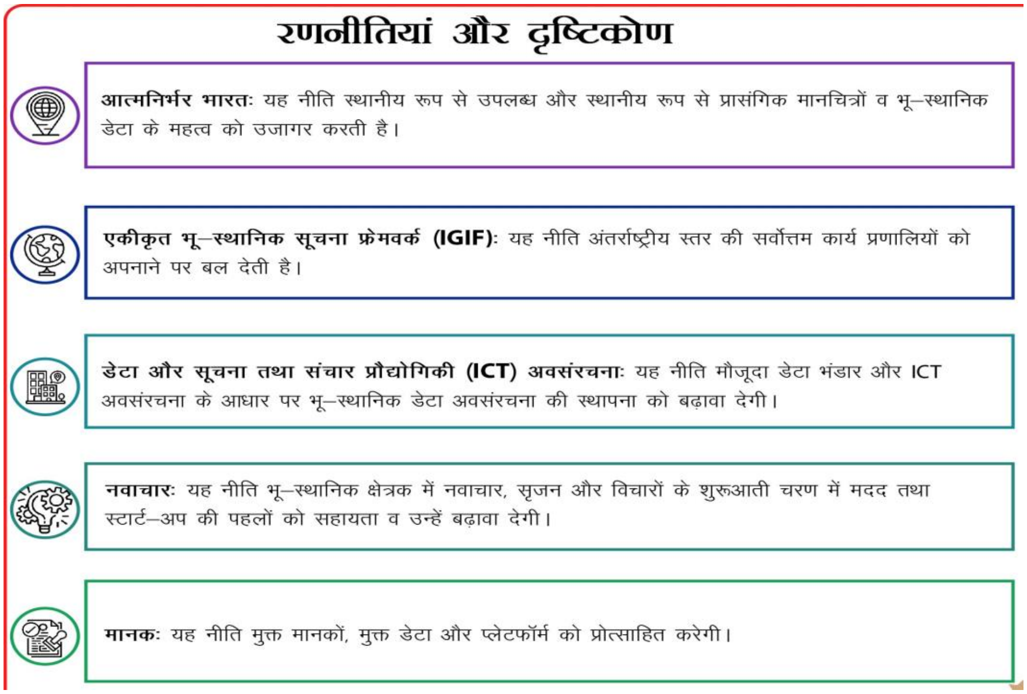

रणनीतियां और दृष्टिकोण

आत्मनिर्भर भारत: यह नीति स्थानीय रूप से उपलब्ध और स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानचित्रों व भू–स्थानिक डेटा के महत्व को उजागर करती है।

एकीकृत भू–स्थानिक सूचना फ्रेमवर्क (IGIF): यह नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने पर बल देती है।

डेटा और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना: यह नीति मौजूदा डेटा भंडार और ICT अवसंरचना के आधार पर भू–स्थानिक डेटा अवसंरचना की स्थापना को बढ़ावा देगी।

नवाचार: यह नीति भू–स्थानिक क्षेत्रक में नवाचार, सृजन और विचारों के शुरूआती चरण में मदद तथा स्टार्ट–अप की पहलों को सहायता व उन्हें बढ़ावा देगी।

मानक: यह नीति मुक्त मानकों, मुक्त डेटा और प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेगी।

---

[194] Geospatial Knowledge Infrastructure

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology: DST) की भूमिका:** यह पहले की तरह सरकार के एक नोडल विभाग के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा। GDPDC, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को उपयुक्त सिफारिशें भी प्रदान करेगी।

नीति के अन्य पहलू

- **भू-स्थानिक शिक्षा और कौशल विकास:** इस नीति के तहत निम्नलिखित संस्थाओं को भू-स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute for Geo-informatics Science and Technology: NIGST),
  - भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (Indian Institute of Remote Sensing: IIRS) और/ या
  - कोई भी अन्य उपयुक्त संस्थान (सार्वजनिक या निजी)।
- **भू-स्थानिक उद्यम:**
  - उद्योग, शिक्षाविदों और अनुसंधान के लिए कारोबार सुगमता के साथ एक **सक्षम पारितंत्र** उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हें भू-स्थानिक डोमेन के कई क्षेत्रकों में सक्रिय रूप से संलग्न किया जाएगा।
  - GDPDC के तहत **भू-स्थानिक औद्योगिक विकास बोर्ड (GIDB)**[196] नामक एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा। यह निकाय भारतीय भू-स्थानिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।

भू-स्थानिक अवसंरचना को मजबूत करना

- **भू-स्थानिक डेटा अवसंरचना:**
  - संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग **14 ग्लोबल फंडामेंटल जियोस्पेशियल डेटा थीम्स को मान्यता देता है।** GDPDC पर्यावरण, वन जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए इन डेटा थीम्स को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय मौलिक भू-स्थानिक डेटा थीम्स के रूप में अपनाएगा और विकसित करेगा।
  - **राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (National Geospatial Data Registry: NGDR):** यह डेटा सेट और सेवाओं के आकड़ों के एक साझा सेट के रूप में कार्य करेगी तथा सभी हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी।
  - **एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफ़ेस (Unified Geospatial Interface: UGI):** भू-स्थानिक डेटा के इस्तेमाल के आधार पर उपभोक्ता-उन्मुख उत्पाद, अनुप्रयोग, सेवाएं और समाधान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।
  - **भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India: SoI):** यह एजेंसी, GDPDC के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान (BISAG-N)[197] अन्य संस्थानों और निजी क्षेत्रक के सहयोग से NGDR तथा UGI के विकास एवं संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।
- **मानचित्रण अवसंरचना (Mapping infrastructure):** यह नीति राष्ट्रीय मानचित्र नीति, 2005 की जगह लेगी। सरकार भू-स्थानिक सूचना वितरण में सुधार के लिए निजी क्षेत्रक और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी।
- **निजी अवसंरचना की भूमिका:** निजी क्षेत्रक, SoI और कई नोडल मंत्रालयों/ एजेंसियों के साथ मिलकर भू-स्थानिक और मानचित्रण अवसंरचना को तैयार करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **भू-स्थानिक ज्ञान अवसंरचना (Geospatial Knowledge Infrastructure : GKI):** यह ज्ञान और स्वचालन (Automation) के लिए महत्वपूर्ण भू-स्थानिक घटक प्रदान करेगा।
  - GKI को चौथी औद्योगिक क्रांति संबंधी प्रौद्योगिकियों और बढ़ती डिजिटल अवसंरचना के साथ भू-स्थानिक डेटा के एकीकरण द्वारा सक्षम बनाया जाएगा।

---

[195] National Spatial Data Committee

[196] Geospatial Industrial Development Board

[197] Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics

भू-स्थानिक डेटा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे “वीकली फोकस” डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

भू-स्थानिक डेटा: आधुनिक रक्षा प्रणाली की ओर एक कदम

सैन्य प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण के साथ पिछले कुछ वर्षों में युद्ध लड़ने के तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। इस बीच, भू-स्थानिक डेटा और उपकरण, खतरे की पहचान करने से लेकर निर्णय लेने में सुधार ला रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह डॉक्यूमेंट भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की संभावनाओं पर चर्चा करता है और इस क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती घटकों पर प्रकाश डालता है।

7.3. अंतरिक्ष संधारणीयता (Space Sustainability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOOSA)[198] और **ऑस्ट्रिया** की सरकार द्वारा **विश्व अंतरिक्ष मंच (WSF)**[199], 2022 का आयोजन किया गया था। इसकी थीम **“पृथ्वी पर संधारणीयता के लिए अंतरिक्ष में संधारणीयता[200]”** थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **विश्व अंतरिक्ष मंच** एक ऐसा मंच है, जो वैश्विक सतत विकास में **अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी** की भूमिका पर वैश्विक **परिचर्चा को बढ़ावा** देता है।
- यह व्यापक अंतरिक्ष समुदाय के **हितधारकों को एक मंच** प्रदान करता है। इसमें **सरकारी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ उद्योग, निजी क्षेत्रक और शिक्षाविद** शामिल हैं।

अंतरिक्ष संधारणीयता के बारे में

- **अंतरिक्ष संधारणीयता** की अवधारणा **बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग** पर केंद्रित है। यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग पर जोर देती है ताकि समस्त मानव जगत **अभी और आगे चलकर दीर्घकाल में भी** इससे लाभान्वित हो सके।

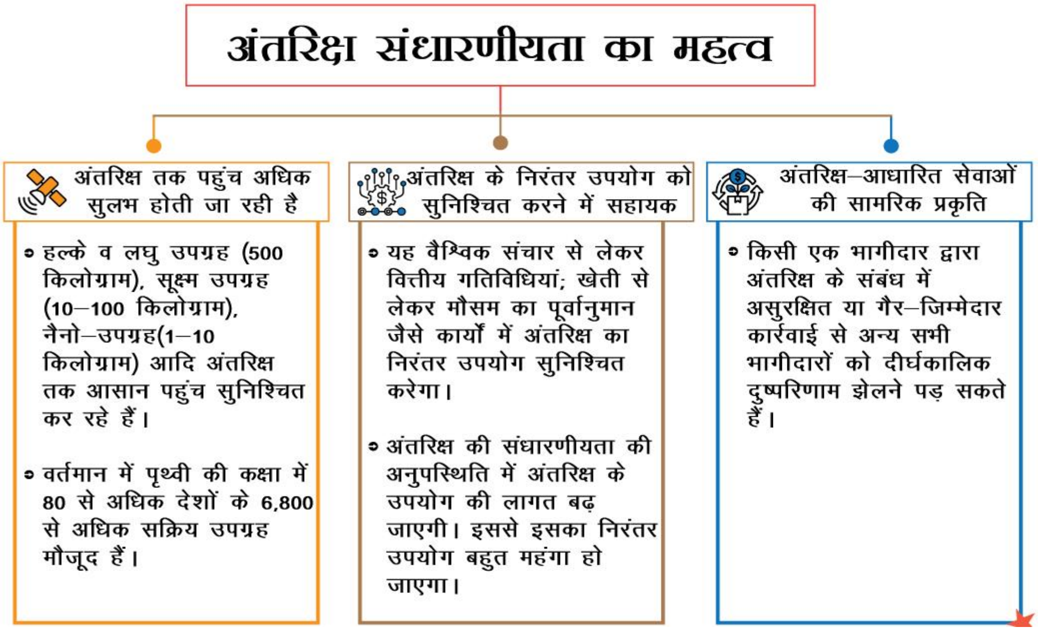

अंतरिक्ष संधारणीयता का महत्व

अंतरिक्ष तक पहुंच अधिक सुलभ होती जा रही है
- हल्के व लघु उपग्रह (500 किलोग्राम), सूक्ष्म उपग्रह (10–100 किलोग्राम), नैनो–उपग्रह(1–10 किलोग्राम) आदि अंतरिक्ष तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं।
- वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 80 से अधिक देशों के 6,800 से अधिक सक्रिय उपग्रह मौजूद हैं।

अंतरिक्ष के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक
- यह वैश्विक संचार से लेकर वित्तीय गतिविधियां; खेती से लेकर मौसम का पूर्वानुमान जैसे कार्यों में अंतरिक्ष का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- अंतरिक्ष की संधारणीयता की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष के उपयोग की लागत बढ़ जाएगी। इससे इसका निरंतर उपयोग बहुत महंगा हो जाएगा।

अंतरिक्ष–आधारित सेवाओं की सामरिक प्रकृति
- किसी एक भागीदार द्वारा अंतरिक्ष के संबंध में असुरक्षित या गैर–जिम्मेदार कार्रवाई से अन्य सभी भागीदारों को दीर्घकालिक दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

- हालांकि, इसके लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चर्चा और समझौतों** को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, उन्हें इस प्रकार से तैयार करना होगा ताकि बाह्य अंतरिक्ष का **सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण** उपयोग सुनिश्चित हो सके।

---

[198] United Nations Office of Outer SPACE Affairs

[199] World Space Forum

[200] Sustainability in Space for sustainability on Earth

अंतरिक्ष संधारणीयता के समक्ष मौजूदा जोखिम क्या है?

- **कक्षीय भीड़ और अंतरिक्ष मलबा:** यह अंतरिक्ष मिशन के **संचालन और सुरक्षा** के समक्ष प्रत्यक्ष जोखिम उत्पन्न करता है। यह **क़ानूनी और बीमा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न** कर सकता है। उदाहरण के लिए- सैटेलाइट टी.वी. और वैश्विक संचार की **बढ़ती मांग** के कारण भू-तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रहों को **कक्षीय स्थान (Slot) के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा** का सामना करना पड़ता है।
  - कक्षाओं में उपग्रहों की अत्यधिक भरमार से **केसलर सिंड्रोम** नामक एक चेन रिएक्शन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पृथ्वी की निम्न भू-कक्षा में **पिंडों का घनत्व** इतना अधिक बढ़ जाता है कि दो **पिंडों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति से एक व्यापक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट अर्थात् परस्पर टकराव का एक विनाशकारी चक्र आरंभ** हो जाता है। ऐसे में **पिंडों के बीच होने वाला प्रत्येक टकराव, अत्यधिक मलबा उत्पन्न** करता है तथा आगे चलकर टकराव की संभावना को बढ़ाता है।
  - इसके अलावा, एक मिशन के पूरा हो जाने के बाद, **"एंड-ऑफ-लाइफ प्रोटोकॉल"** के तहत अंतरिक्ष पिंडों को **ग्रेव्यार्ड कक्षा या कम ऊंचाई वाली कक्षाओं की ओर स्थानांतरित करना** अनिवार्य होता है। हालांकि, इनमें से कोई भी विकल्प **लंबे समय तक टिकाऊ** नहीं है।

1960 से 2010 तक पृथ्वी की निम्न-कक्षा (Low Earth Orbit) में उपग्रह और मलबा

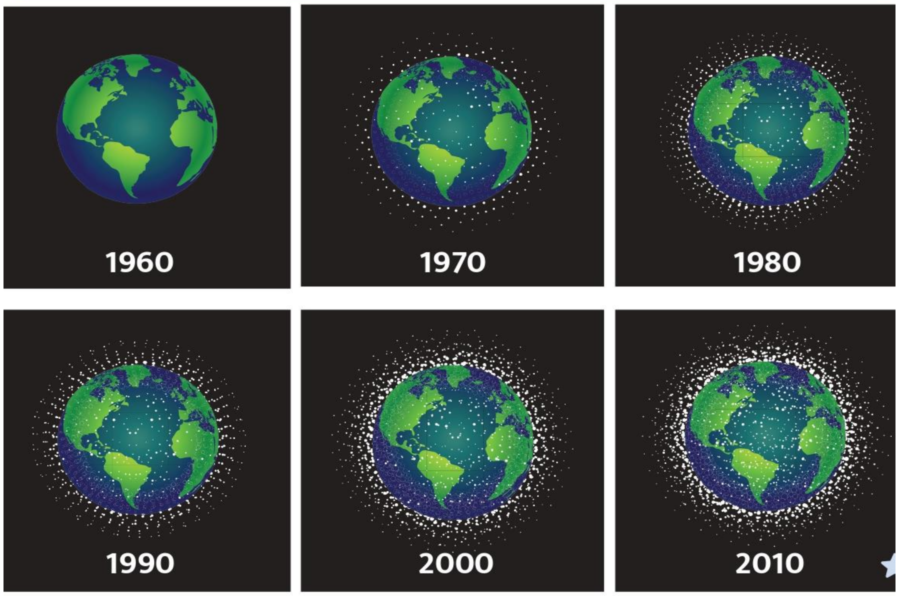

- **अंतरिक्ष में संघर्ष और तनाव:** अंतरिक्ष के बढ़ते **सैन्यीकरण और हथियारों के प्रयोग** के कारण अंतरिक्ष में तनाव बढ़ रहा है।
  - **सुरक्षा उपायों के रूप में** अधिक से अधिक राष्ट्र **अंतरिक्ष के एकीकरण** की दिशा में प्रयासरत हैं। अतः ऐसे में इस बात का जोखिम बढ़ गया है कि **उपग्रहों के साथ कोई भी हस्तक्षेप अंतरिक्ष** में तनाव एवं संघर्ष को व्यापक बना सकता है।
  - अमेरिका, रूस, चीन और भारत द्वारा **विनाशकारी एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियारों का विकास और परीक्षण** इसका एक उदाहरण है।
- **रेंडेजुवुस एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन (Rendezvous and Proximity Operations: RPO):** इसमें एक या एक से अधिक अंतरिक्ष पिंडों के **प्रक्षेप पथ (Trajectory) को बदल दिया जाता है।** यह अंतरिक्ष स्थित पिंडों को एक-दूसरे के करीब लाने में मदद करता है। RPO क्षमताओं का अति-दोहन **अंतरिक्ष संधारणीयता से संबंधित गंभीर चुनौतियों** को पैदा कर सकता है।
  - व्यापक और परिष्कृत RPO क्षमताओं के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, इससे नया **अंतरिक्ष मलबा बनेगा या भ्रमवश अन्य देशों के साथ टकराव में भी बढ़ोतरी होगी।** इससे आगे चलकर **तनाव में वृद्धि हो** सकती है और संभवतः यह संघर्ष का भी कारण बन सकता है।
- **अंतरिक्ष की मौसमी दशा:** अंतरिक्ष का मौसम उपग्रहों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाकर तथा नेविगेशन संकेतों को बाधित करके उपग्रहों के **परिचालन को प्रभावित** कर सकता है। इससे **अस्थायी सेवा व्यवधान** और अंतरिक्ष यान की विश्वसनीयता एवं जीवन चक्र पर दीर्घकालिक प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
  - इसके अलावा एक चिंता यह भी है कि प्राकृतिक घटनाओं को भ्रमवश **शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समझा जा सकता है।**

अंतरिक्ष संधारणीयता की दिशा में शुरू की गई पहलें

वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें

- **बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (U.N. Office for Outer Space Affairs: UNOOSA):** यह वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **कानूनी, तकनीकी और राजनैतिक अवसंरचना** के निर्माण में सरकारों का समर्थन करता है।
- **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD):** यह एक **अंतर्राष्ट्रीय मंच** है। इसे निरस्त्रीकरण तथा **अंतरिक्ष में हथियारों एवं अन्य अंतरिक्ष सुरक्षा मुद्दों** से संबंधित मामलों पर एकजुट होकर कार्य करने के लिए विकसित किया गया है।
    - **बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम (PAROS)**[201] इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।
- **अंतरिक्ष संधारणीयता पर दिशा-निर्देश (2019) में, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS)**[202] ने बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की **दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए 21 स्वैच्छिक व गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों** के एक सेट को अपनाया था।
- **स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग (SSR):** वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने SSR नामक एक नया मानक प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य उन अंतरिक्ष अभिकर्ताओं की **पहचान** करना है तथा उन्हें **पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना** है जो **संधारणीय एवं उत्तरदायी** अंतरिक्ष मिशनों को तैयार तथा कार्यान्वित करने में मदद कर सकें।

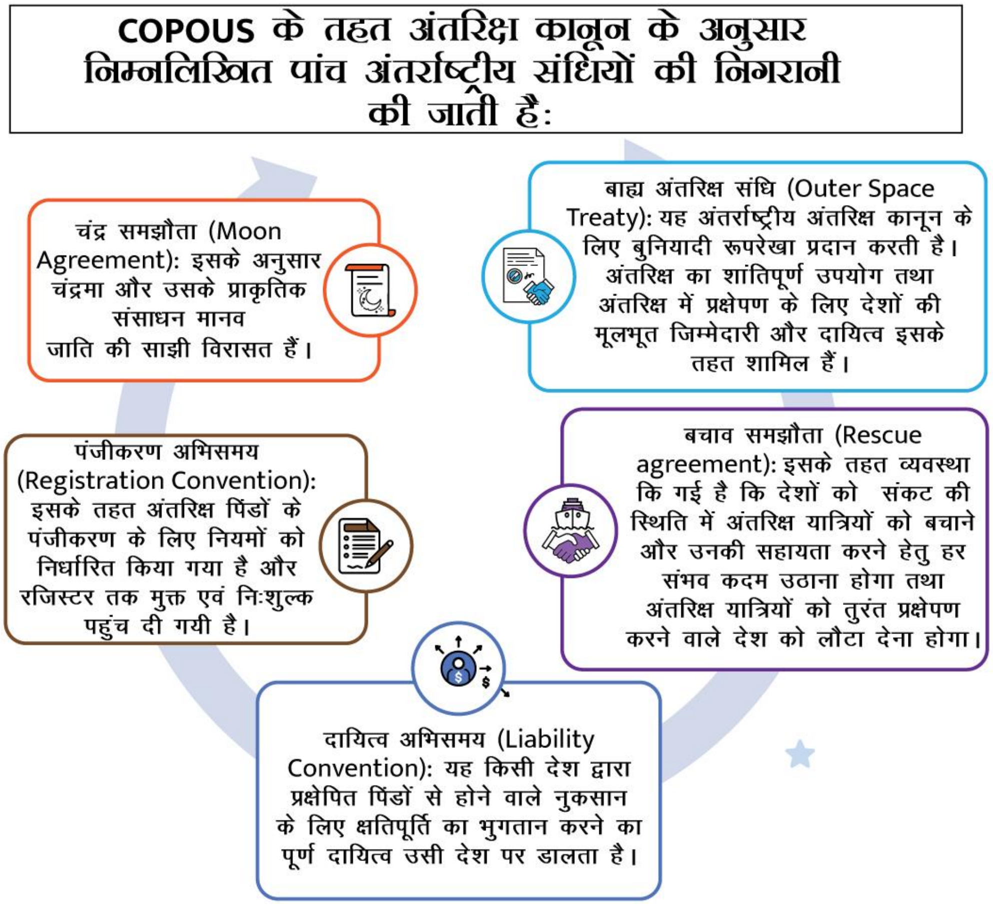

COPOUS के तहत अंतरिक्ष कानून के अनुसार निम्नलिखित पांच अंतर्राष्ट्रीय संधियों की निगरानी की जाती है:

चंद्र समझौता (Moon Agreement): इसके अनुसार चंद्रमा और उसके प्राकृतिक संसाधन मानव जाति की साझी विरासत हैं।

बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty): यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के लिए बुनियादी रूपरेखा प्रदान करती है। अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग तथा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए देशों की मूलभूत जिम्मेदारी और दायित्व इसके तहत शामिल हैं।

पंजीकरण अभिसमय (Registration Convention): इसके तहत अंतरिक्ष पिंडों के पंजीकरण के लिए नियमों को निर्धारित किया गया है और रजिस्टर तक मुक्त एवं निःशुल्क पहुंच दी गयी है।

बचाव समझौता (Rescue agreement): इसके तहत व्यवस्था कि गई है कि देशों को संकट की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने और उनकी सहायता करने हेतु हर संभव कदम उठाना होगा तथा अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत प्रक्षेपण करने वाले देश को लौटा देना होगा।

दायित्व अभिसमय (Liability Convention): यह किसी देश द्वारा प्रक्षेपित पिंडों से होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का पूर्ण दायित्व उसी देश पर डालता है।

- **ASAT परीक्षण-प्रतिबंध प्रस्ताव:** हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)[203] ने **काइनेटिक एंटी-सैटेलाइट (ASAT) परीक्षणों को प्रतिबंधित** करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी संकल्प (Resolution) को पारित किया है।
    - यह संकल्प **बाह्य अंतरिक्ष की संधारणीयता** पर ASAT परीक्षणों के परिणामों के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए लाया गया था। ध्यातव्य है कि कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस संकल्प को प्रस्तुत किया गया था।
    - **हालांकि, भारत ने इस संकल्प से संबंधित मतदान में भाग नहीं लिया था।**

भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- **प्रोजेक्ट नेत्र (Project NETRA):** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)[204] ने **अंतरिक्ष मलबे की निगरानी** के लिए 'प्रोजेक्ट नेत्र' नामक एक पहल की शुरुआत की है।
    - यह मलबे की स्थिति पर **प्रत्यक्ष जानकारी** प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के संबंध में **भावी योजनाओं के निर्माण** में सहायता करेगा।

---

[201] Prevention of an Arms Race in Outer Space

[202] Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

[203] United Nations General Assembly

[204] Indian Space Research Organisation

- **अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (SSA)[205]:** SSA अंतरिक्ष और स्थलीय पर्यावरण के व्यापक ज्ञान और समझ से संबंधित है। यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में प्रासंगिक और बेहतर निर्णय लेने तथा सटीक आकलन को सक्षम बनाता है।
  - वर्तमान में, IIIT दिल्ली अंतरिक्ष में टकराव से जुड़ी संभावनाओं की भविष्यवाणी हेतु एक **शोध परियोजना** पर काम कर रहा है। इस शोध परियोजना को **"ऑर्बिट कम्प्यूटेशन ऑफ़ रेज़िडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सीचुएशनल अवेयरनेस[206]"** नाम दिया गया है।
  - इसके अलावा, **भारत और अमेरिका ने एक द्विपक्षीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं।**
- **स्पेडेक्स (SPADEX):** इन-ऑर्बिट **सर्विसिंग** प्रदान करने के लिए, इसरो एक अंतरिक्ष डॉकिंग (Space Docking) प्रयोग विकसित कर रहा है, जिसे 'स्पेडेक्स' कहा जाता है। ध्यातव्य है कि इन-ऑर्बिट सर्विसिंग, टकराव के विनाशकारी चक्र को रोकने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है।
  - इसमें एक मौजूदा उपग्रह के साथ किसी अन्य उपग्रह की डॉकिंग की जाती है। इसके अलावा इसके तहत उपग्रह की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ ईंधन का पुनर्भरण और अन्य **इन-ऑर्बिट सेवाएं भी प्रदान** की जाती हैं। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में दो अलग-अलग मुक्त रूप से गति करने अंतरिक्ष पिंडों को आपस में जोड़ने को डॉकिंग कहा जाता है।
- **अन्य**
  - भारत, बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित **सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पक्षकार** है।
  - भारत UN COPOUS[207] में **बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों** की दीर्घकालिक संधारणीयता पर **चर्चा में सक्रिय भागीदारी रहा** है।

अंतरिक्ष संधारणीयता को मजबूत बनाने हेतु किए जाने वाले उपाय

नीतिगत उपाय

- **अंतरिक्ष गवर्नेंस: एक वैश्विक सहमति के रूप में पृथ्वी की कक्षा** से जुड़ी वैश्विक समझ पर प्रभावी गवर्नेंस प्रणाली की शुरुआत की जा सकती है।
- **नए कानून/ संधियों का निर्माण:** इस तरह के प्रयासों के तहत **प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और भागीदारी के इच्छुक राष्ट्रों की बढ़ती संख्या** पर विचार किया जाना चाहिए।
- **डेटा साझाकरण:** परिसंपत्तियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और सुरक्षित करने तथा जोखिम को कम और संचालन की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए डेटा साझाकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

तकनीकी उपाय

- **बेहतर अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान:** अंतरिक्ष मौसम को ध्यान में रखते हुए **इंजीनियरिंग मानकों** को तैयार करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, अनुसंधान और पूर्वानुमान कार्यक्रमों पर **निरंतर सहयोग** को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **अंतरिक्ष मलबे को कम करना और उसे हटाना:** प्रत्येक चरण में उपग्रहों के **पुन:उपयोग और पुनर्चक्रण** को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। वे तकनीकें जो **उपग्रहों की अति सघनता वाली कक्षाओं से मलबे को स्थानांतरित** कर सकती हैं, उनमें शामिल हैं:
  - जीवन चक्र के पूर्ण होने पर (EOL)[208] **कक्षा से स्वतः बाहर होने वाले उपग्रह (Deorbiting satellites)**;
  - EOL की स्थिति में **कक्षीय जीवनकाल को कम करना**;
  - कार्यात्मक जीवन चक्र के पूर्ण होने पर उन्हें **कम सघनता वाली "निपटान (Disposal)" कक्षाओं** में स्थानांतरित करना; और
  - कक्षा से मलबे को **सक्रिय रूप से हटाना।**
- **प्रभावी अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन (Space Traffic management: STM):** STM तकनीकी और नियामक प्रावधानों का एक सेट है। इसे बाह्य अंतरिक्ष में **सुरक्षित पहुंच**, उचित संचालन और **बाह्य अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी को बढ़ावा देने** के लिए विकसित किया गया है।
- **इसके अलावा विश्व स्तर पर अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।**

---

[205] Space Situational Awareness

[206] Orbit Computation of Resident Space Objects for Space Situational Awareness

[207] United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/ बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति

[208] End of Life

अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे "वीकली फोकस" डॉक्यूमेंट का संदर्भ ले सकते हैं।

अंतरिक्ष अन्वेषण: बदलती परिस्थितियां और भविष्य के लिए विकल्प

विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के संदर्भ में, अंतरिक्ष अन्वेषण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र वृद्धि कर रहा है, इस क्षेत्रक में आपसी सहयोग की आवश्यकता भी बढ़ गई है। चूंकि भारत इस क्षेत्रक की उभरती हुई शक्ति है, यह अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करने और उसे सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

7.4. आचार्य जगदीश चंद्र बोस (जे.सी. बोस) {Acharya Jagadish Chandra Bose (J.C. BOSE)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने **भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस (जे.सी. बोस) की 164वीं जयंती** के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

जे.सी. बोस (1858-1937) के बारे में

- **वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट (पादप क्रिया विज्ञानी) थे।**
- उनका जन्म **बंगाल प्रेसीडेंसी के मुंशीगंज** में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में, **बांग्लादेश में** स्थित है। जे.सी. बोस ने **कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय** से **प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। 1885 में भारत लौटने पर,** उन्हें **कलकत्ता स्थित प्रेसीडेंसी कॉलेज** में **प्रोफेसर नियुक्त** किया गया था।
- राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने **1917 में बोस संस्थान** की स्थापना की।
    - यह **अंतर्विषयक (Interdisciplinary) अध्ययन** के प्रति समर्पित **एशिया का पहला आधुनिक अनुसंधान केंद्र** था।
- वह **1904 में अमेरिकी पेटेंट** से सम्मानित होने वाले **पहले एशियाई** थे। इसके अलावा वे **1920 में श्रीनिवास रामानुजन** के साथ **रॉयल सोसाइटी के फेलो** (FRS) बनने वाले प्रथम एशियाई भी थे।
- **उन्हें 1927 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 14वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त** किया गया था।

आचार्य जे.सी. बोस ने कैसे सिद्ध किया कि पौधों में जीवन होता है?

जे.सी. बोस का मानना था कि पौधों में एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है तथा बाह्य उत्प्रेरकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओं को मापा और दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने अपने प्रयोगों से निम्नलिखित विषयों के बारे में समझ प्रदान करने की कोशिश की:

- **पौधों में जीवन और मृत्यु:** उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में पौधे को ब्रोमाइड नामक एक जहरीले रसायन में डुबोया गया। हालांकि, पौधे द्वारा जहरीले रसायन के अवशोषित किए जाने की स्थिति में **पौधे की स्पंदन दर** (किसी जीव की नाड़ी के समान) **अस्थिर** हो गई। **पौधे की स्पंदन दर को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ** का उपयोग किया गया था। इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि **पौधों में जीवन मौजूद** होता है।

क्रेस्कोग्राफ

- बोस ने क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया था। बोस ने इसका प्रयोग बाह्य उत्प्रेरकों के अधीन **पौधों के सूक्ष्म विकास** को प्रदर्शित करने तथा उनकी वृद्धि दर को मापने हेतु किया था।
- यह यंत्र पौधों में एक इंच के 1/100,000 जितनी छोटी वृद्धि का पता लगा सकता है।

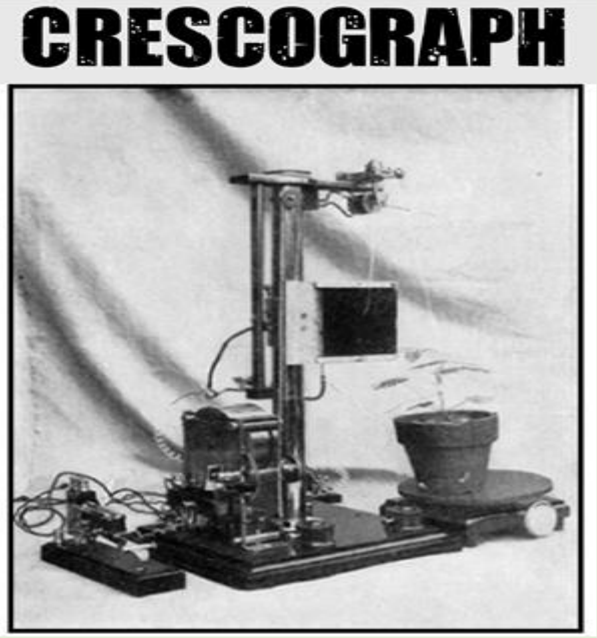

- **पौधे हर्ष और दर्द महसूस करते हैं:**
  - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे **मधुर संगीत और मंद ध्वनि** के संपर्क में आने पर **पौधे अधिक तेजी से बढ़ते** हैं और कैसे **कठोर संगीत और उच्च ध्वनि** की स्थिति में इनकी **वृद्धि प्रभावित** होती है।
  - उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि **प्रदूषित हवा और प्रकाश रहित आसमान** की स्थिति में **पौधे कैसे शिथिल** हो जाते हैं।

आचार्य जे.सी. बोस के अन्य योगदान

- **भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान:**
  - वह **मिलीमीटर वेव्स** और **माइक्रोवेव उपकरणों** के क्षेत्र में अभूतपूर्व शोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मिलीमीटर वेव्स, 10 मि.मी. और 1 मि.मी. के बीच तरंग दैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम का एक विशेष भाग (बैंड) है।
  - उन्होंने **5-मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर आधारित दुनिया के पहले वायरलेस संचार लिंक** को विकसित किया था। **इसके तहत स्पार्क ट्रांसमीटर द्वारा** इलेक्ट्रिक स्पार्क के माध्यम से रेडियो तरंगें उत्पन्न **की गई और रिसीवर के रूप में एक सर्पिल 'कोहेरर (Coherer)'** द्वारा उस रेडियो तरंग को डिटेक्ट किया गया था। इस प्रकार **स्पार्क ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में सर्पिल 'कोहेरर' का उपयोग करते हुए संचार लिंक स्थापित किया गया था।**

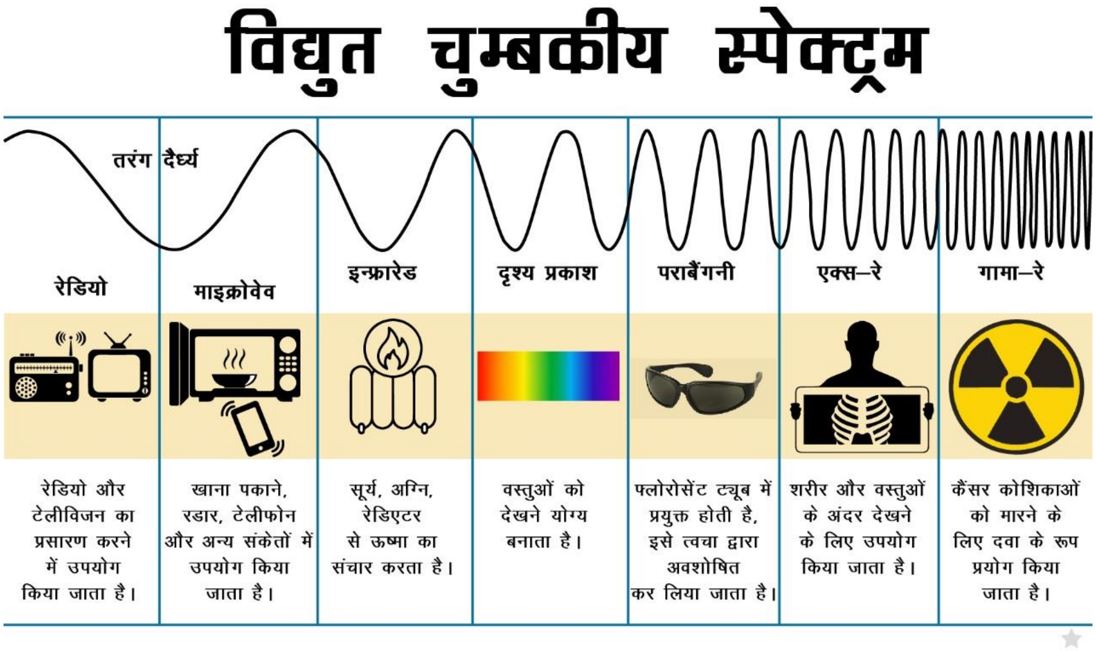
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम
तरंग दैर्ध्य
रेडियो
माइक्रोवेव
इन्फ्रारेड
दृश्य प्रकाश
पराबैंगनी
एक्स–रे
गामा–रे
रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण करने में उपयोग किया जाता है।
खाना पकाने, रडार, टेलीफोन और अन्य संकेतों में उपयोग किया जाता है।
सूर्य, अग्नि, रेडिएटर से ऊष्मा का संचार करता है।
वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है।
फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त होती है, इसे त्वचा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
शरीर और वस्तुओं के अंदर देखने के लिए उपयोग किया जाता है।
कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवा के रूप प्रयोग किया जाता है।

    - **बोस के कोहेरर का उपयोग कर गुग्लिल्मो मार्कोनी** ने एक क्रियाशील **दो-तरफा रेडियो** बनाया था।
  - चूंकि रेडियो प्रौद्योगिकी के पीछे के विज्ञान को पहली बार बोस द्वारा समझाया गया था, इसलिए **इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (IEEE)** द्वारा उन्हें **'रेडियो विज्ञान के जनक'** की उपाधि दी गई थी।
    - IEEE **विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी पेशेवर सोसाइटी** है। यह इलेक्ट्रो-टेक्नोलॉजी और संबद्ध विज्ञान के विकास व अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है।
- **जीव विज्ञान में योगदान:**
  - उन्होंने पौधों पर **मौसम, रासायनिक अवरोधकों** और **तापमान के प्रभाव** पर शोध किया था। गौरतलब है कि रासायनिक अवरोधक (Chemical Inhibitors) वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को धीमा करते हैं।
  - उन्होंने दिखाया कि **कॉर्टेक्स** (संवहनी पादपों में जड़ या तने की बाहरी परत) **की सबसे भीतरी परत की जीवित कोशिकाएं स्पंदनात्मक गति** (हृदय की लयबद्ध स्पंदन के समान) की स्थिति में थीं।
    - इस स्पंदन के कारण **कोशिका-से-कोशिका में ऊपर की दिशा में जल का संचरण** होता है।
  - इस क्षेत्र से जुड़ी उनकी दो प्रमुख कृतियों में **'रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन-लिविंग'** और **'द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स'** शामिल हैं।
- **साहित्य:** जे.सी. बोस को बंगाली साहित्य का **पहला साइंस फिक्शन लेखक** भी माना जाता है।
  - उन्होंने **'निरुद्धेशेर कहानी', द स्टोरी ऑफ़ द मिसिंग वन (1896) नामक कृतियों की भी रचना** की थी, जिन्हें **बंगाली साइंस फिक्शन की पहली कृतियों में से एक** माना जाता है।
  - **पोलातोक तूफान:** इस साइंस फिक्शन को मुख्य रूप से एक गैर-काल्पनिक लेखन अव्यक्तो (1921) के संग्रह में प्रकाशित किया गया था।
    - इस लघुकथा में जे.सी. बोस ने औपनिवेशिक शक्तियों और उसकी संस्थाओं से संबंधित पश्चिमी ज्ञान को चुनौती देने के लिए **जादुई यथार्थवाद (Magic Realism)** नामक साहित्यिक साधन का उपयोग किया था।

जे.सी. बोस की विरासत और वर्तमान समय में उनके कार्य की प्रासंगिकता

- उन्होंने **सत्येंद्र नाथ बोस** (बोसॉन का नाम उनके नाम पर रखा गया था), **मेघनाद साहा, पीसी महालनोबिस** जैसे महान विचारकों को शिक्षित किया था, जो आगे चलकर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में जाने गए।
- **मिलीमीटर वेव के क्षेत्र में अग्रणी कार्य:** दूरसंचार के क्षेत्र में, **मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क पर कई प्रकार की सेवाओं के लिए मिलीमीटर वेव का उपयोग किया जाता है,** क्योंकि यह उच्च गति से डेटा के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।
- **बायोफिज़िक्स और साइबरनेटिक्स: पौधों की वृद्धि पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण** के प्रभाव का मापन, **बायोफिज़िक्स और साइबरनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र** बनता जा रहा है।
    - **बायोफिज़िक्स:** यह क्षेत्र भौतिकी के उन सिद्धांतों और विधियों पर आधारित है जो यह समझने में मदद करती हैं कि जैविक प्रणालियां कैसे कार्य करती हैं।
    - **साइबरनेटिक्स:** यह प्राणियों और मशीनों के बीच संचार एवं नियंत्रण की प्रक्रियाओं के संबंध में किया जाने वाला वैज्ञानिक अध्ययन है।
    - 1971 में, बोस संस्थान को **भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुदान-सहायता संस्थान** बना दिया गया।

जे.सी. बोस के वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान के साथ-साथ, **रवींद्रनाथ टैगोर** ने उनकी कृतियों को **भारतीय वैज्ञानिक भावना से प्रेरित तथा भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति एवं इसके राष्ट्रीय गौरव और विरासत** को प्रदर्शित करने वाला माना है।

जे.सी. बोस: एक सत्याग्रही वैज्ञानिक

- उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वेतन संबंधी भेदभाव का विरोध करने हेतु सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था।
- उन्होंने विषयों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग रखने की व्यवस्था का विरोध किया था। उनके अनुसार विषयों के अध्ययन की पूर्वी पद्धति का लक्ष्य यह है कि किसी भी परिघटना का उसके समस्त भेदों सहित एक समग्र अध्ययन किया जाए।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.5.1. स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (Spacetech Innovation Network: SpIN)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ ISRO) ने **SpIN** को लॉन्च करने के लिए **सोशल अल्फा** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **SpIN** अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमशीलता तंत्र हेतु **नवाचार, क्यूरेशन (Curation) और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच** होगा।
    - इसने अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है।
    - इसके तहत चयनित स्टार्ट-अप्स और नवोन्मेषक **सोशल अल्फा एवं इसरो के बुनियादी ढांचे व संसाधनों दोनों का उपयोग** करने में सक्षम होंगे।
- **इसके तहत मुख्य रूप से तीन अलग-अलग नवाचार श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:**
    - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग,
    - अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकियां, तथा
    - एयरोस्पेस सामग्री, सेंसर्स और एवियोनिक्स।

7.5.2. सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (SWOT) मिशन {Surface Water and Ocean Topography (SWOT) Mission}

- **अंतर्राष्ट्रीय 'सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी' (SWOT) मिशन नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी** के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। इस मिशन में **कनाडा और ब्रिटेन** की अंतरिक्ष एजेंसियां भी योगदान कर रही हैं।
- SWOT ऐसा **पहला उपग्रह मिशन है, जो पृथ्वी की 90% से अधिक सतह पर व्याप्त ताजे जल निकायों एवं महासागरों के जल स्तर को मापेगा।**
    - SWOT प्रत्येक 21 दिनों में कम-से-कम एक बार **78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश** के बीच संपूर्ण पृथ्वी की सतह को कवर करेगा।
    - यह **Ka-बैंड रडार इंटरफेरोमीटर (KaRIn)** का उपयोग करेगा। यह रडार स्पंदन (pulses) को जल की सतह से टकराता है तथा अंतरिक्ष यान के दोनों ओर स्थित दो एंटीना का उपयोग करके वापस आए संकेतों को प्राप्त करता है।
- **SWOT का महत्व**
    - यह उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिसके तहत **महासागर वायुमंडलीय ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड** को अवशोषित कर प्राकृतिक रूप से वैश्विक तापमान को नियंत्रित करते हैं तथा **जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद** करते हैं।
    - इस मिशन से **टिपिंग पॉइंट को बेहतर तरीके से समझने** में मदद मिलेगी। टिपिंग पॉइंट वह बिंदु है, जिस पर महासागर ऊष्मा अवशोषित करने के बजाय उसे उत्सर्जित करना आरंभ कर देते हैं। इस तरह वैश्विक तापवृद्धि की गति बढ़ जाती है।

- यह बाढ़ और सूखा सहित अन्य आपदाओं से निपटने के लिए **बेहतर तरीके से तैयारी करने तथा योजना बनाने में नीति निर्माताओं की सहायता** करेगा।
- यह **समुद्र स्तर में वृद्धि पर बेहतर तरीके से नजर रखने** में मदद करेगा। समुद्र स्तर में वृद्धि समुदायों और तटीय पारिस्थितिकी-तंत्र को सीधे प्रभावित करती है।

7.5.3. पर्सीवरेंस मिशन (Perseverance Mission)

- पर्सीवरेंस रोवर मिशन **नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा** है। यह मंगल ग्रह के रोबोटिक अन्वेषण का एक दीर्घकालिक प्रयास है।
  - **पर्सीवरेंस के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - **मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीवीय जीवन के संकेतों की तलाश करना,**
    - **भविष्य के मानव अन्वेषणों की तैयारी करना** और
    - **पृथ्वी पर लाने** के लिए मंगल की चट्टान और रेगोलिथ (चट्टान एवं मृदा कण) के नमूने एकत्र करना।
- हाल ही में, पर्सीवरेंस रोवर ने संग्रह किए गए चट्टान के नमूने से भरा **टाइटेनियम ट्यूब** मंगल ग्रह की सतह पर छोड़ दिया है।
  - मंगल ग्रह के **जेजेरो क्रेटर से आग्नेय चट्टान के नमूने** एकत्र किए गए थे। इस क्रेटर को **साउथ साइताह (South Séítah)** भी कहा जाता है।
  - ये नमूने **"थ्री फोर्क्स"** नामक स्थान पर रखे जा रहे हैं। यह **किसी अन्य दुनिया में स्थापित अपनी तरह का पहला नमूना संग्रह डिपो** है।
  - यह **डिपो एक बैकअप के रूप में काम करेगा।** यदि पर्सीवरेंस इन नमूनों को पृथ्वी पर भेजने में सफल नहीं हुआ, तो इस बैकअप की मदद से **नासा भावी मिशन के माध्यम से इन्हें पृथ्वी** पर लाएगा।

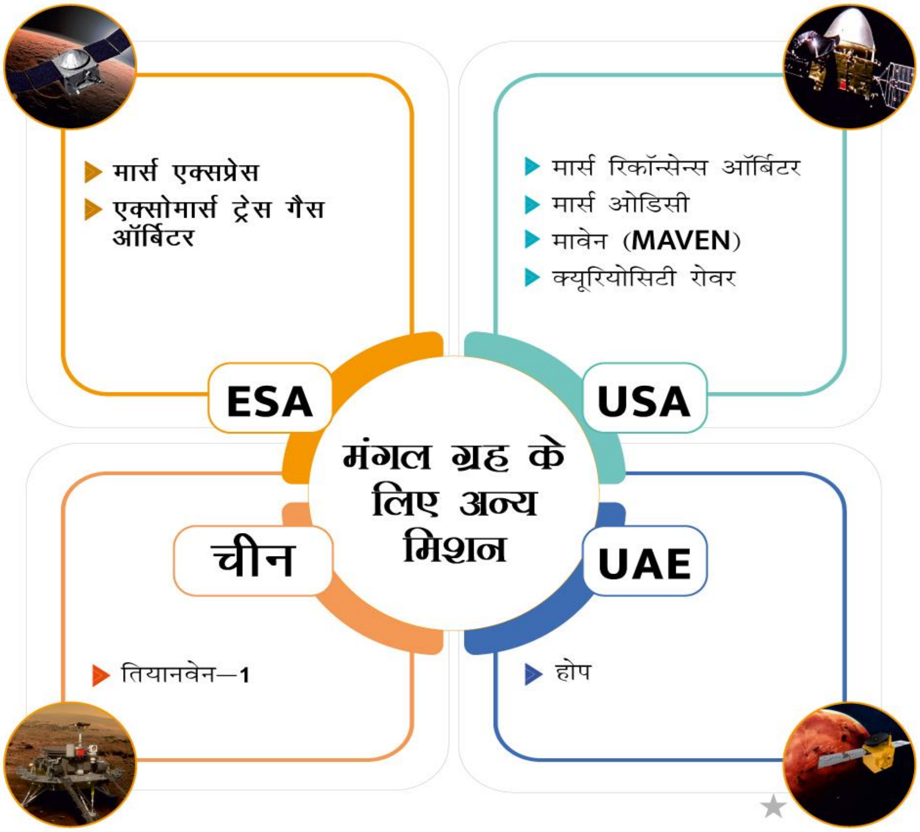

- **मंगल ग्रह का महत्व**
  - **जीवन की खोज:** साक्ष्यों से पता चलता है कि मंगल ग्रह कभी जल से भरा हुआ था। साथ ही, यह गर्म और सघन वातावरण वाला भी था। ये सभी लक्षण रहने योग्य वातावरण की संभावना का संकेत देते हैं।
  - **यह वह संभावित ग्रह है, जिस पर मनुष्य लंबे समय तक रह सकता है या निवास कर सकता है:** शुक्र और बुध का तापमान बहुत अधिक है। बृहस्पति और इसके बाद स्थित सौर मंडल के सभी ग्रह गैस से बने हैं तथा बहुत ठंडे हैं।

7.5.4. आर्टेमिस-1 लूनर मिशन (Artemis 1 Lunar Mission)

- चालक दल रहित ओरियन कैप्सूल, **बाजा (कैलिफोर्निया) तट के निकट समुद्र में उतरने** (Splashed down) में सफल रहा। इसके साथ ही, 2.3 मिलियन किलोमीटर की उड़ान के बाद नासा के आर्टेमिस-1 लूनर मिशन का समापन हुआ।
  - ओरियन की पृथ्वी पर वापसी, **नासा के अंतिम चंद्र मिशन-अपोलो 17 के चंद्रमा पर उतरने की 50वीं वर्षगांठ** के अवसर पर हुई।
- इस दौरान ओरियन ने **'स्किप एंट्री' नामक एक नई लैंडिंग तकनीक** को प्रदर्शित किया। इस तकनीक में अंतरिक्ष यान को लैंडिंग साइट पर सटीक रूप से उतरने और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - इस तकनीक के तहत ओरियन ने पहले पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया। इसके बाद यह वायुमंडल के उत्थान बल (लिफ्ट) के प्रभाव से फिर से ऊपरी वायुमंडल के बाहर चला (स्किप) गया। इसके उपरांत इसने कम आवेग के साथ वायुमंडल में पुनर्प्रवेश किया और पैराशूट्स की मदद से सफल लैंडिंग की।

- **आर्टेमिस नासा के गहन अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणालियों का पहला एकीकृत परीक्षण है। ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS)** रॉकेट अन्वेषण प्रणालियां हैं।
  - यह जटिल मिशनों की श्रृंखला (Increasingly Complex Missions) में से पहला मिशन है। ये मिशन **चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण को संभव बनाएंगे।**
  - आर्टेमिस 1 ने यह प्रदर्शित किया है कि पृथ्वी के वायुमंडल से होकर वापस लौटते समय ओरियन का ऊष्मा रोधी कवच उच्च गति और उच्च ताप सहन कर सकता है।

आर्टेमिस-2	इसे 2024 में प्रक्षेपित करने की योजना है। यह एक **मानवयुक्त अभियान** होगा। यह चंद्रमा की परिक्रमा तो करेगा, किंतु उसकी **सतह पर नहीं उतरेगा।**
आर्टेमिस-3	इसे 2026 में प्रक्षेपित करने की योजना है। इसके तहत **मानवयुक्त अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव** पर उतरेगा।

अन्य चंद्र अन्वेषण मिशन

- **लूना 2:** यह चंद्रमा पर उतरने वाला **पहला अंतरिक्ष यान** था। यह अंतरिक्ष यान **पूर्व सोवियत संघ (USSR)** ने लॉन्च किया था।
- **अपोलो 11:** यह चंद्रमा पर उतरने वाला **पहला मानव मिशन** था। यह **संयुक्त राज्य अमेरिका** का मिशन था।
- **चंद्रयान-1:** इसे **इसरो** ने लॉन्च किया था।

7.5.5. गामा रे बर्स्ट (Gamma Ray Burst: GRB)

- खगोलविदों ने एक किलोनोवा उत्सर्जन के साथ संयुग्मित (Twinned) **लॉन्ग GRB उत्सर्जित करने वाले बाइनरी मर्जर की घटना को दर्ज** किया है। यह अपनी तरह की पहली खोज है।
  - परंपरागत रूप से किलोनोवा शॉर्ट GRB से जुड़ा होता है। यह तब उत्सर्जित होता है, जब **दो सघन पिंड, जैसे- बाइनरी न्यूट्रॉन तारा या एक न्यूट्रॉन तारा और एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं।**
- **GRB ऊर्जावान ब्रह्मांडीय विस्फोटों से उत्पन्न चमकयुक्त उच्च-ऊर्जा युक्त विकिरण हैं।** GRB को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
  - **लॉन्ग GRBs:** ये विखंडित हो रहे विशाल तारों के केंद्रों में ब्लैक होल्स के निर्माण से उत्पन्न होते हैं। वे 2 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए प्रस्फुटित (burst) होते हैं।
  - **शॉर्ट GRBs:** ये न्यूट्रॉन तारों जैसे सघन पिंडों के विलय के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका समय 2 सेकंड से भी कम होता है।

7.5.6. ग्लास रिपोर्ट, 2022 (Glass Report 2022)

- हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने ग्लोबल एंटी-माइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) एंड यूज सर्विलांस सिस्टम (GLASS) रिपोर्ट जारी की है।
  - इस रिपोर्ट को पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था।
  - GLASS-AMR देशों द्वारा AMR डेटा के संग्रह, विश्लेषण और साझा करने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- 2022 की ग्लास रिपोर्ट में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एंटीबायोटिक के उपभोग के आंकड़े शामिल किए गए हैं।
- इस रिपोर्ट के लिए, **देशों द्वारा चार प्रकार के संक्रमणों हेतु चयनित रोगजनकों पर AMR डेटा एकत्र और प्रस्तुत** किया जाता हैं:
  - **रक्तप्रवाह संक्रमण (Bloodstream infections: BSIs):** यह एसिनेटोबेक्टर एस.पी.पी., ई कोलाई, क्लेबसिएला निमोनिया, साल्मोनेला एस.पी.पी., स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्टैफिलोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है।
  - **मूत्र मार्ग संक्रमण (Urinary tract infections: UTIs):** यह ई कोलाई और K न्यूमोनिया के कारण होता है।
  - **गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण:** यह साल्मोनेला एस.पी.पी. और शिगेला एस.पी.पी. के कारण होता है।
  - **जननांग संक्रमण (Genital infections):** यह निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance: AMR)

- जब **जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ अपने में इस तहत के बदलवा कर लेते हैं कि** उन पर रोगाणुरोधी दवाईयों का कोई असर नहीं होता है तब इस स्थिति को AMR कहते हैं। इसके कारण इनके द्वारा फैले किसी संक्रमण का उपचार करना कठिन हो जाता है।
- दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप, एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं। इसके कारण संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है।

अवेयर (एक्सेस, वॉच, रिजर्व: AWaRe)

- आवश्यक दवाओं के चयन और इस्तेमाल पर **WHO के विशेषज्ञ समिति द्वारा 2017 में एंटीबायोटिक दवाओं का AWaRe वर्गीकरण तैयार** किया गया था।
- अवेयर एक ऐसा साधन है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक के उचित उपयोग तथा उसके बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने वाले प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।
- इसके तहत एंटीबायोटिक दवाओं को तीन समूहों, यथा- **एक्सेस, वॉच** और **रिजर्व** में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण AMR के संबंध में अलग-अलग एंटीबायोटिक दवाओं और एंटीबायोटिक वर्गों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के उचित उपयोग पर बल देना है।

7.5.7. विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 (World Malaria Report 2022)

- इस रिपोर्ट को **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने जारी किया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - कोविड-19 के निरंतर प्रभाव के बावजूद, 2021 में **मलेरिया के मामलों और मौतों की संख्या स्थिर रही है।**
    - 2021 में मलेरिया के **विश्व स्तर पर लगभग 247 मिलियन मामले** दर्ज किए गए थे तथा इससे **6,19,000 लोगों की मौत हुई थी।**
  - WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के अंतर्गत **भारत में मलेरिया के 79% मामले दर्ज** किए गए हैं। साथ ही, **मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से 83% मौतें भारत** में हुई हैं।
- मलेरिया रोग **परजीवी** के कारण होता है। यह रोग **संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों** के काटने से लोगों में फैलता है।
- **पांच परजीवी प्रजातियों के कारण मनुष्यों में मलेरिया फैलता** है। इनमें से दो प्रजातियां **पी. फाल्सीपेरम** (अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक प्रचलित) और **पी. विवैक्स** (उप-सहारा अफ्रीका के बाहर प्रचलित) **सबसे बड़ा खतरा हैं।**

7.5.8. विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी (WOMB/ वॉम्ब) {Winning Over Mothers With Hepatitis B (WOMB)}

- इस **कार्यक्रम को यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान (दिल्ली) तथा दिल्ली सरकार ने मिलकर** शुरू किया है।
  - इसका उद्देश्य **माता से शिशु में हेपेटाइटिस-बी के संचरण के बारे में जागरूकता फैलाना है।** यह जागरूकता अभियान हेपेटाइटिस-बी से पीड़ित 100 माताओं को एंबेसडर और शिक्षक के रूप में नियुक्त करके संचालित किया जाएगा।
  - यह कार्यक्रम **'येलो रिबन' अभियान की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित** किया गया था। येलो रिबन अभियान वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 1998 में शुरू किया गया था।

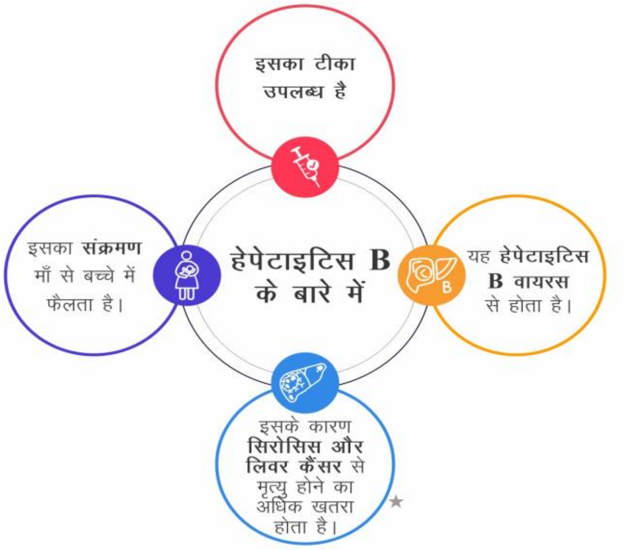
इसका टीका उपलब्ध है
इसका संक्रमण माँ से बच्चे में फैलता है।
हेपेटाइटिस B के बारे में
B
यह हेपेटाइटिस B वायरस से होता है।
इसके कारण सिरोसिस और लिवर कैंसर से मृत्यु होने का अधिक खतरा होता है।

7.5.9. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अनुसार एचआईवी (HIV) संक्रमण दर में 2010 और 2021 के बीच 46% की गिरावट (HIV Infection Rate Declines By 46 Percent Between 2010 and 2021: NACO)

- विश्व एड्स दिवस पर, **NACO** द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की **वार्षिक दर में 46% की गिरावट** आई है। वहीं वैश्विक स्तर पर औसत 32% की गिरावट दर्ज की गई है।
  - इसके अतिरिक्त, **एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 76% की गिरावट** आई है।
  - **NACO,** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के तहत एक संगठन है। यह **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)** की गतिविधियों के लिए एक **नोडल एजेंसी** के रूप में कार्य करता है।

- विश्व एड्स दिवस पर **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कई पहलों की घोषणा की। ये पहलें निम्नलिखित हैं:**
  - **राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी:** यह एक **डिजिटल हब** है। यहां HIV और एड्स से संबंधित **सभी संसाधन सामग्रियां** आम जनता के लिए उपलब्ध होंगी।
  - **NACO का राष्ट्रीय डेटा हब:** यह आंतरिक उपयोग के लिए प्रमुख रिपोर्ट्स, दस्तावेजों और NACO के सभी अनुमोदित डेटा के लिए केंद्रीय डिजिटल भंडार होगा।
  - **#अब नहीं चलेगा अभियान:** यह HIV से संबंधित कलंक और भेदभाव को खत्म करने का अभियान है।
- विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, 1988 से विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
  - **विश्व एड्स दिवस, 2022 की थीम "ईक्वलाइज़" (बराबरी) थी।**
  - **"ईक्वलाइज़" का प्रचार वाक्य HIV संक्रमित और प्रभावित आबादी में असमानताओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई** करने तथा एड्स को समाप्त करने में मदद करने का आह्वान है।
- HIV (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) **रोग और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर** करता है।
  - वर्तमान में, HIV के लिए **कोई प्रभावी इलाज नहीं** है। हालांकि, उचित चिकित्सा देखभाल से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है।
  - यदि HIV का **इलाज नहीं किया जाता है, तो यह एड्स का रूप धारण कर सकता है।**
  - 2021 में विश्व में **HIV से पीड़ित 52% बच्चों को विश्व स्तर पर एंटीरेट्रोवायरल उपचार (ART)** प्राप्त हुआ था।

7.5.10. ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) रिसर्च फंडिंग ट्रेंड्स, 2005-2021 रिपोर्ट {Tuberculosis (TB) Research Funding Trends, 2005–2021 Report}

- इस रिपोर्ट को **ट्रीटमेंट एक्शन ग्रुप (TAG) और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप** ने जारी किया है।
  - स्टॉप टीबी पार्टनरशिप **संयुक्त राष्ट्र** से संबंधित इकाई है। इसका लक्ष्य **2030 तक टीबी को समाप्त** करना है।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - 2021 में पहली बार, दुनिया भर में टीबी अनुसंधान और विकास के लिए एक बिलियन डॉलर तक का वित्त-पोषण प्रदान किया गया था।
    - 2018 में टीबी पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में **टीबी पर अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिवर्ष दो बिलियन डॉलर के वित्त-पोषण** का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- टीबी **'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस'** के कारण होता है। यह एक **संचारी रोग** है, जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है
  - यह रोग **उपचार योग्य और रोकथाम योग्य** है।

7.5.11. 'पैथो डिटेक्ट™ किट' ('Pathodetect™ Kit')

- पैथो डिटेक्ट™ किट' **भारत की पहली स्वदेशी टीबी (तपेदिक/ क्षय रोग) डिटेक्शन किट** है। इसे पुणे स्थित **'मायलैब'** ने बनाया है। इस किट को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, टीबी विशेषज्ञ समिति और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) से स्वीकृति मिल गई है।
- **लाभ:**
  - इस किट द्वारा किया गया **एकल टेस्ट किसी भी व्यक्ति में टीबी तथा मल्टीड्रग-रेजिस्टेंस** (आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन के विरुद्ध प्रतिरोध) का **पता लगा सकता है।**
  - यह किट कुशल रूप से स्वचालित है। यह टेस्ट करने के लिए **उच्च विशेषज्ञता की आवश्यकता को कम करती** है।
  - इस किट को **भारतीय परिस्थितियों में कमरे के तापमान** पर संग्रहित **किया जा सकता है।**
  - इसकी लागत कम है। **इसके संचालन के लिए विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है।**

7.5.12. एथिलीन ग्लाइकॉल (Ethylene Glycol)

- रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने **एथिलीन ग्लाइकॉल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 शीर्षक से एक राजपत्र अधिसूचना जारी** की है।
- एथिलीन ग्लाइकॉल एक **रंगहीन और गंधहीन एल्कोहॉलिक यौगिक** है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए **घातक** हो सकता है।
  - यह **कमरे के तापमान पर एक सिरप या चिपचिपे तरल जैसा** होता है।
- इसका ज्यादातर इस्तेमाल **ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज के रूप में और पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण** के लिए किया जाता है।

- यह **हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड, स्टैंप पैड की स्याही, बॉलपॉइंट पेन, सॉल्वैंट्स, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक** आदि में भी पाया जाता है।
- डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल **अपमिश्रक** (Adulterants) हैं। इनका इस्तेमाल **कभी-कभी लागत में कटौती करने के लिए तरल दवाओं (जैसे- सिरप) में सॉल्वैंट्स के रूप में अवैध** रूप से किया जाता है।

7.5.13. भारत में वैज्ञानिक शोध-पत्रों का प्रकाशन (Scientific Publication in India)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) ने 'साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडीकेटर्स 2022'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिक शोध-पत्रों के प्रकाशनों में भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब भारत **सातवें स्थान से तीसरे स्थान** पर आ गया है।
    - भारत में **2010 में प्रकाशित 60,555 शोध-पत्रों की तुलना में 2020 में 1,49,213 शोध-पत्र प्रकाशित** किए गए थे।
- इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत **राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली** से यह ज्ञात हुआ है कि-
    - केंद्र सरकार ने 2001-20 की अवधि के दौरान कुल शोध कार्यों के लिए वित्त-पोषण में मात्र **45.4% का योगदान दिया था। इसके बावजूद भी IITs, CSIR, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र के अधीन अन्य संस्थानों ने इसी अवधि के दौरान कुल शोध कार्यों में 67.5% योगदान** दिया था।
    - इनकी तुलना में, **अन्य संस्थानों (निजी और राज्य सरकारों के अधीन) ने अधिक व्यय के बावजूद कुल शोध कार्यों में मात्र एक तिहाई का योगदान** दिया है।

7.5.14. कम्युनिटी इनोवेटर फैलोशिप (Community Innovator Fellowship: CIF)

- कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)-इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल** है। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने शुरू किया है।
    - यह एक वर्ष का गहन फेलोशिप कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य **ज्ञान सृजन को सुगम बनाना** है। साथ ही, **इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमिता यात्रा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता प्रदान** करना है।
- **कम्युनिटी इनोवेटर फेलो** एक उद्यमशील मानसिकता वाला व्यक्ति होता है। इसके पास अपने उद्यम के माध्यम से सामुदायिक चुनौतियों को हल करने का विचार होता है।

7.5.15. शी स्टेम (She Stem)

- **स्वीडन भारत नोबेल स्मृति सप्ताह** के हिस्से के रूप में शी स्टेम, 2022 को **लगातार तीसरे वर्ष** सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।
- **शी स्टेम के बारे में:**
    - इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल **STEM**[209] **और संधारणीयता के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की सराहना** करने के लिए किया जाता है।
    - इस कार्यक्रम को **भारत में स्वीडन के दूतावास द्वारा अटल नवाचार मिशन (नीति आयोग) और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च** की साझेदारी में आयोजित किया जाता है।

7.5.16. डिजी यात्रा (Digi Yatra)

- नागर विमानन मंत्रालय ने देश में **तीन हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा** को आरंभ किया है।
- **डिजी यात्रा** की कल्पना हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित व निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह **फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT)** पर आधारित है।
- यह कागज रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके उपयोग से हवाई अड्डे पर कई चेकपॉइंट्स पर बार-बार पहचान की जांच से बचा जा सकता है।
- **आधार** आधारित सत्यापन और स्वयं द्वारा ली गई एक फोटो को अपलोड करके **डिजी यात्रा ऐप** पर एक बार पंजीकरण करना आवश्यक है।
- इसके तहत, प्रत्येक यात्री को एक **विशेष डिजी यात्रा आई.डी.** दी जाती है।
- एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में **डिजी यात्रा फाउंडेशन (DYF)** की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य **डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम** का निर्माण करना है।

---

[209] Science, Technology, Engineering, Mathematics/ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित

7.5.17. ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming)

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय नामित किया गया है।
- **MeitY को ऑनलाइन गेमिंग का केंद्रीय विनियामक प्राधिकरण** नामित किया गया है। इससे निवेशकों, उद्योग और उपभोक्ताओं को नीतिगत स्पष्टता एवं निश्चितता प्राप्त होगी।
  - किसी एक नोडल मंत्रालय के नहीं होने से **ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र** से जुड़े मामलों को कई मंत्रालय एक साथ मिलकर देखते थे। इनमें मुख्यतः **MeitY, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय** शामिल थे।
- यह निर्णय **एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने** तथा भारत को ऑनलाइन गेमिंग का एक वैश्विक केंद्र बनाने की **सरकार की पहल के अनुरूप है।**

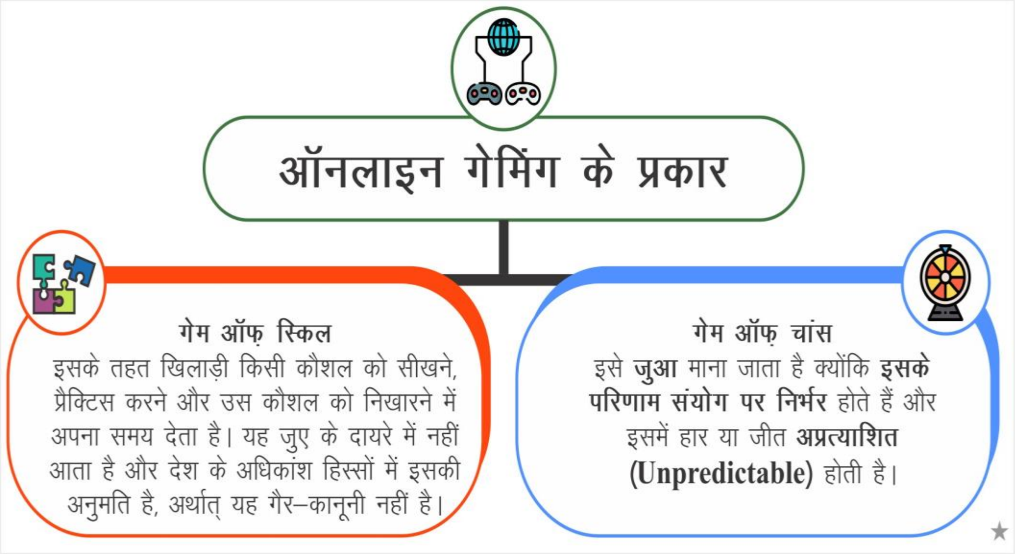

ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार

गेम ऑफ़ स्किल

इसके तहत खिलाड़ी किसी कौशल को सीखने, प्रैक्टिस करने और उस कौशल को निखारने में अपना समय देता है। यह जुए के दायरे में नहीं आता है और देश के अधिकांश हिस्सों में इसकी अनुमति है, अर्थात् यह गैर–कानूनी नहीं है।

गेम ऑफ़ चांस

इसे **जुआ** माना जाता है क्योंकि **इसके परिणाम संयोग पर निर्भर** होते हैं और इसमें हार या जीत **अप्रत्याशित (Unpredictable)** होती है।

- ऑनलाइन गेम्स उन खेलों को कहा जाता है, जो **किसी-न-किसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क पर खेले जाते हैं।** आमतौर पर इन्हें इंटरनेट पर खेला जाता है।
  - ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अनुसार, **भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का व्यवसाय 2023 तक 15,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।**
- **ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ने के कारण:**
  - अब स्मार्टफोन सर्व सुलभ हो गए हैं और इंटरनेट डेटा भी सस्ती दरों पर उपलब्ध है,
  - कोविड महामारी के कारण स्कूल एवं कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे हैं आदि।
- **ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी समस्याएं:**
  - ये खेल शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं;
  - ऑनलाइन गेम खेलने वालों को नींद न आने एवं भूख न लगने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है;
  - यह करियर को भी नुकसान पहुंचाता है आदि।
- इसके अलावा, **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS)** को कई खेल आयोजनों के हिस्से के रूप में **ई-स्पोर्ट्स (इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स) को विनियमित करने का कार्य** सौंपा गया है।
  - केंद्र सरकार **ई-स्पोर्ट्स की पहचान ऐसे प्रतिस्पर्धी खेल** के रूप में करती है, जिसमें प्रतिभागी **डिजिटल परिवेश में शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की क्षमताओं के साथ प्रतिस्पर्धा** करते हैं।

7.5.18. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'स्टे सेफ ऑनलाइन' अभियान और 'G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (DIA)' लॉन्च किया {'Stay Safe Online' Campaign and 'G20 Digital Innovation Alliance (DIA)' Launched By MeitY}

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) **G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG)** के लिए नोडल एजेंसी है।
- भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान MeitY **तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये क्षेत्र हैं- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास।**

  - **DPI में ऐसी मूलभूत जनसंख्या-स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रणालियां** शामिल हैं, जिन पर डिजिटल अर्थव्यवस्था संचालित होती है। इनमें पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली, डेटा एक्सचेंज और सामाजिक रजिस्ट्रियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए- आधार और UPI डिजिटल प्रणाली।
- **स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के बारे में**
  - इसका उद्देश्य **ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना** है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण यह जरुरी हो गया है।
  - इसके तहत इन्फोग्राफिक्स आदि के माध्यम से **अलग-अलग भाषाओं में जागरूकता से संबंधित कंटेंट का प्रसार** करना शामिल है।
- **G20-DIA के बारे में**
  - इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों के साथ-साथ आमंत्रित गैर-सदस्य राष्ट्रों के स्टार्ट-अप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को **पहचानना, उन्हें मान्यता देना और अपनाने योग्य बनाना** है।
  - इसके तहत **छह विषयों (थीम)** से जुड़े डिजिटल समाधान प्राप्त किए जाएंगे। ये विषय हैं- **एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी।**

7.5.19. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 {India Internet Governance Forum (IGF) 2022}

- इंडिया IGF, **यू.एन. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है।** इंडिया IGF इंटरनेट से संबंधित लोक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग हितधारकों (जैसे- सरकार, उद्योग, निजी कंपनियों, तकनीकी समुदाय, शैक्षणिक समुदाय, नागरिक समाज संगठनों आदि) को एक मंच पर लाता है।

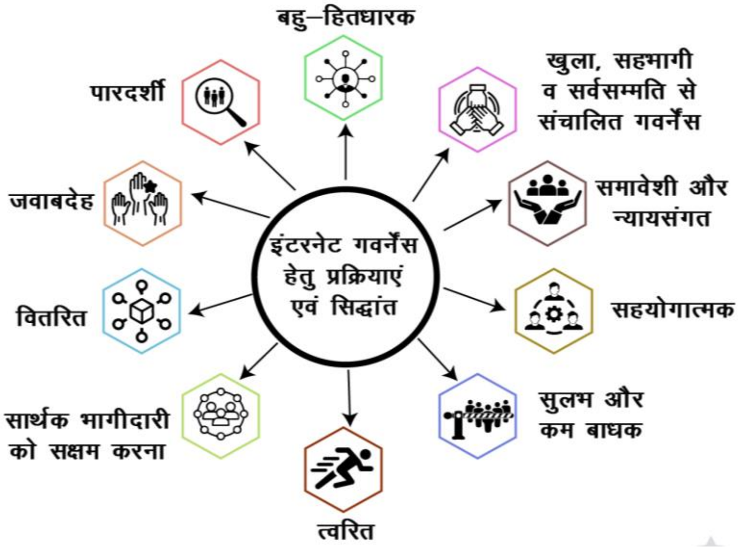
बहु–हितधारक
पारदर्शी
खुला, सहभागी व सर्वसम्मति से संचालित गवर्नेंस
जवाबदेह
इंटरनेट गवर्नेंस हेतु प्रक्रियाएं एवं सिद्धांत
समावेशी और न्यायसंगत
वितरित
सहयोगात्मक
सार्थक भागीदारी को सक्षम करना
सुलभ और कम बाधक
त्वरित

- इंटरनेट गवर्नेंस सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और तकनीकी समुदाय द्वारा अपनी-अपनी भूमिकाओं में **साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और गतिविधियों का पूरक विकास तथा इस्तेमाल** करना है। ये गतिविधियां ही इंटरनेट के विकास व उपयोग को आकार प्रदान करती हैं।
  - इसमें **फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कोड या लॉजिकल लेयर, कंटेंट लेयर और सुरक्षा** शामिल हैं।
  - इसमें **IP एड्रेसिंग, डोमेन नेम सिस्टम (DNS), रूटिंग, तकनीकी नवाचार, मानकीकरण, सुरक्षा, गोपनीयता** आदि भी शामिल हैं।
- इंटरनेट गवर्नेंस **सतत मानव विकास को बढ़ावा देने, समावेशी ज्ञान आधारित समाज के निर्माण तथा सूचना व विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ाने में इंटरनेट की क्षमता के कारण बहुत महत्वपूर्ण है।**
  - **इंटरनेट की कोई एकल प्रभारी संस्था नहीं है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN), IGF, इंटरनेट कंपनियां, गैर सरकारी संगठन** आदि इसके प्रमुख अभिकर्ताओं में शामिल हैं।
  - भारत इंटरनेट गवर्नेंस के मामलों में बहु-हितधारक दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है।
- **इंटरनेट गवर्नेंस के सिद्धांत** (इंफोग्राफिक देखें)।
- **इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियां:**
  - इंटरनेट का निरंतर विकसित होता स्वरूप;
  - डिजिटल क्षेत्र में कुछ कंपनियों और देशों का वर्चस्व है;
  - इंटरनेट के मामले में मांग पक्ष की बजाय आपूर्ति पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है आदि।

7.5.20. प्रोजेक्ट वाणी (Project Vanni)

- **गूगल इंडिया** ने इस पहल के लिए **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc)** के साथ मिलकर काम किया है।
- इसका उद्देश्य **संपूर्ण भारत के 773 जिलों से वहां बोली जाने वाली भाषाओं के नमूने एकत्र करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग (AI/ ML) मॉडल** का निर्माण करना है।

  - यह **AI-आधारित भाषा मॉडल** होगा, जो विविध भारतीय भाषाओं और बोलियों को समझ सकता है।
  - ऐसे डेटासेट का संभावित उपयोग **स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय समावेशन** जैसे क्षेत्रकों में एप्स बनाने के लिए किया जा सकता है।

7.5.21. एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब (Asia's First Drone Delivery Hub)

- इसका अनावरण **मेघालय सरकार ने टेक ईगल** नामक स्टार्ट-अप की साझेदारी में किया है।
- इसका उद्देश्य राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में **दवाओं, नैदानिक नमूनों, टीकों आदि की आपूर्ति को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित** करना है। यह कार्य एक समर्पित ड्रोन वितरण नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा।
- **लाभ:**
  - 2.7 मिलियन लोगों तक स्वास्थ्य सेवा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित होगी;
  - दूरदर्शिता की कमी, उच्च वितरण लागत आदि की समस्या को दूर किया जा सकेगा इत्यादि।

7.5.22. 2अफ्रीका पर्ल्स (2Africa Pearls)

- **मेटा (फेसबुक)** भारत में 2अफ्रीका पर्ल्स का विस्तार करने के लिए **भारती एयरटेल के साथ साझेदारी करेगी।**
- 2अफ्रीका पर्ल्स **समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी केबल प्रणालियों में से एक है।** यह प्रणाली **अफ्रीका, एशिया और यूरोपीय देशों को आपस में जोड़ेगी।**
  - एक बार पूर्ण हो जाने के बाद, यह प्रणाली **कुल तीन बिलियन लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।**
  - साथ ही, यह **भारत में फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी में भी सुधार** करेगी।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

ESSAY
ENRICHMENT PROGRAMME 2023
6 NOV | 5 PM
- Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
- Practical and efficient approach to learn different parts of essay
- Regular practice and brainstorming sessions
- Inter disciplinary approaches
- LIVE / ONLINE Classes Available

8. संस्कृति (culture)

8.1. श्री अरबिंदो (Sri Aurobindo)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती मनाई गई।

श्री अरबिंदो के बारे में

- श्री अरबिंदो **20वीं सदी के बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी** थे।
- उनका **जन्म 15 अगस्त, 1872** को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी।
- सात वर्ष की आयु में वे अपने भाइयों के साथ इंग्लैंड चले गए थे। **उन्होंने 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल से तथा 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई** की थी। साथ ही, उन्होंने **ICS परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की थी।** हालांकि, वे अपनी प्रोबेशन अवधि पूर्ण नहीं कर सके थे।
- वे **भारत की स्वतंत्रता के लिए जन-आधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं** में से एक थे।

श्री अरबिंदो का योगदान

उन्होंने एक **देशभक्त, कवि, शिक्षाविद्, दार्शनिक और योगी** के रूप में भारत की स्वतंत्रता तथा इसके आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

ऑरोविले

ऑरोविले पुडुचेरी में कोरोमंडल तट पर स्थित एक शहर है। यह **श्री अरबिंदो के दृष्टिकोण और कार्यों से प्रेरणा प्राप्त** करता है। उनके आध्यात्मिक सहयोगी, **द मदर (मीरा अल्फासा) ने 1968 में इस बस्ती की स्थापना की थी** और इसका चार्टर प्रस्तुत किया था।

- **राजनीतिक योगदान:**
  - वे गरमपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। उनके सहयोग से **1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी।**
  - वे **1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस** का हिस्सा थे।
  - **1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन** के दौरान वह नरमपंथियों के खिलाफ **बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गरमपंथी समूह में शामिल हो गए थे। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है |** सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था।
- **आध्यात्मिक योगदान:**
  - 1914 में उन्होंने **'आर्य'** नामक एक दार्शनिक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। इस पत्रिका की प्रेरणा से **1926** में **मीरा अल्फासा** के सहयोग से श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की गई।
    - **मीरा अल्फासा ने ऑरोविले अर्थात् "भोर का शहर"** की स्थापना की थी। यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था।
  - उन्होंने **"इंटीग्रल योग"** की अवधारणा विकसित की थी। इसके तहत उनका मानना था कि मनुष्य **सच्चा आत्मज्ञान** (Self Realization) प्राप्त कर सकता है। **इंटीग्रल योग** का उद्देश्य आध्यात्मिक बोध है, जो न केवल मनुष्य की चेतना को मुक्त करता है, बल्कि उसकी प्रकृति को भी रूपांतरित करता है।
- **साहित्यिक योगदान:**
  - 1893-94 में **इंदु प्रकाश** में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को **"न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड"** शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी।
  - उन्होंने **बंदे मातरम (अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र), कर्मयोगिनी (अंग्रेजी समाचार पत्र)** और **धर्मा (बंगाली साप्ताहिक पत्र)** की शुरुआत की थी।
  - क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने **युगांतर पत्रिका** (बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र) में अपने लेख प्रकाशित किए थे। इसके अलावा, अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका, **भवानी मंदिर** में भी उनके लेख प्रकाशित होते थे।
  - उन्होंने **रामायण, महाभारत और उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति व भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अनुवाद भी** किया था।

  - कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित उनकी अन्य कृतियां हैं- **एस्सेज़ ऑन गीता (1922), कलेक्टेड पोयम्स एंड प्लेज़ (1942), द सिंथेसिस ऑफ योगा (1948), द ह्यूमन साइकिल (1949), द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी (1949), सावित्री: ए लीजेंड एंड ए सिंबल (1950) आदि।**

श्री अरबिंदो का दृष्टिकोण	
जातिगत भेदभाव पर	**हिंदुत्व पर**
• श्री अरबिंदो समाज के किसी भी **कृत्रिम विभाजन में विश्वास नहीं करते थे।** वे **सामाजिक असमानताओं को राष्ट्रीय चेतना की जागृति में एक बड़ी बाधा** मानते थे। • उन्होंने **समानता की वेदांतिक अवधारणा** का समर्थन किया था तथा सभी जीवित प्राणियों की **शाश्वत एकता और मौलिक एकता में विश्वास** प्रकट किया था। • उन्होंने अंग्रेजों द्वारा उनकी 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत **जाति के राजनीतिकरण के विरुद्ध भी आवाज उठाई थी।** • उनका तर्क था, कि **जाति-आधारित भेदभाव बाहरी है** और **इसने सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया है।**	• श्री अरबिंदो **श्री रामानुजाचार्य** की शिक्षा से प्रभावित थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में बहिष्कृत लोगों को शामिल करने के पक्ष में तर्क दिया था। • वे **स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतिक दर्शन से भी प्रेरित थे,** जिन्होंने सभी जीवित प्राणियों की मौलिक एकता के पक्ष में तर्क दिया था। • **वे सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे,** जो ईश्वर के समक्ष सभी की समानता पर बल देता है।

वर्तमान युग में श्री अरबिंदो की विचारधारा का महत्त्व

- **धर्म पर उनके विचार सामाजिक ध्रुवीकरण** को रोकने में सहायक हो सकते हैं।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उनके विचार** संस्कृतियों के एकरूपीकरण (Homogenization) से निपटने और **भारत को सौहार्दपूर्ण राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए** महत्वपूर्ण हैं।
- **उनके कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड संबंधी विचार *वसुधैव कुटुम्बकम* की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।** दुनिया को साझा खतरों के खिलाफ सामूहिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उनका विश्वव्यापी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए- **भारत का वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम।**
- उनकी **इंटीग्रल योग की अवधारणा** आत्म-ज्ञान की प्राप्ति तथा चिंता, बेचैनी, अवसाद आदि जैसी जटिल भावनाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकती है।

15 अगस्त, 1947 को श्री अरबिंदो ने एक संदेश दिया था। इसमें उन्होंने अस्थायी आवश्यकता के रूप में विभाजन की कल्पना की थी और यह आशा व्यक्त की थी कि यह शीघ्र ही उलट जाएगा। साथ ही, उन्होंने **भारत के लिए अपने स्वप्नों को साझा किया था,** जो अब भी प्रासंगिक हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

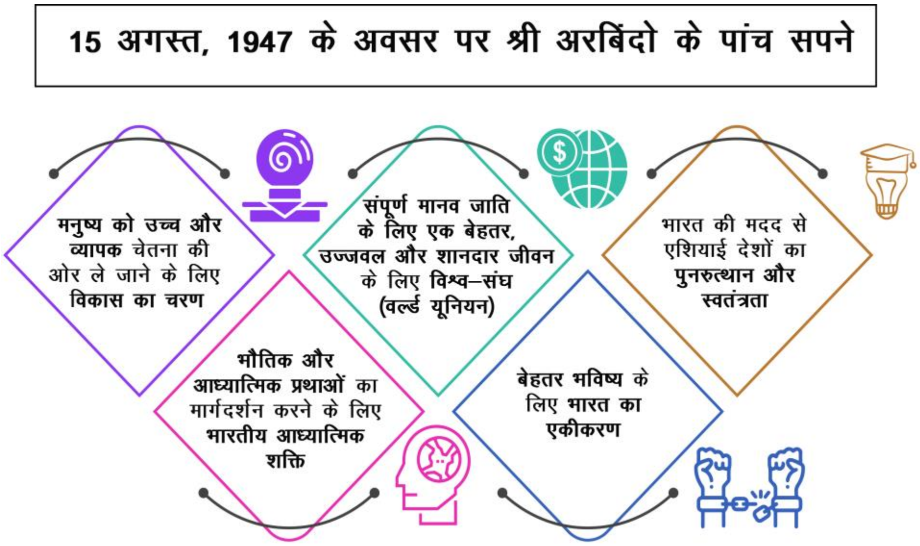
15 अगस्त, 1947 के अवसर पर श्री अरबिंदो के पांच सपने
मनुष्य को उच्च और व्यापक चेतना की ओर ले जाने के लिए विकास का चरण
संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बेहतर, उज्जवल और शानदार जीवन के लिए विश्व–संघ (वर्ल्ड यूनियन)
भारत की मदद से एशियाई देशों का पुनरुत्थान और स्वतंत्रता
भौतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय आध्यात्मिक शक्ति
बेहतर भविष्य के लिए भारत का एकीकरण
$

8.2. भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication: GI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सरकार ने देश भर के 9 उत्पादों को GI टैग (भौगोलिक संकेतक का दर्जा)** प्रदान किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके साथ ही भारत के GI टैग उत्पादों की कुल संख्या 432 हो गई है।
- सबसे अधिक GI टैग प्राप्त शीर्ष 5 राज्य **कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र** हैं।

भौगोलिक संकेतक (GI) के बारे में

- ट्रिप्स[210] समझौते में भौगोलिक संकेतक (GI) का प्रावधान है। यह एक प्रकार का ऐसा संकेतक है जो **किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** से जोड़ता है। **GI टैग संबंधी मानदंडों को पूरा करने पर WTO[211] के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उनके राज्यों/ प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को GI टैग दिया जा सकता है।** ऐसे उत्पाद की गुणवत्ता, ख्याति और अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती है।
    - एक भौगोलिक संकेतक अधिकार, इसके धारक को **किसी तीसरे पक्ष के गैर-मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है।**
        - उदाहरण के लिए- **जिन अधिकार-क्षेत्रों में दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक संरक्षित है, उन क्षेत्रों में दार्जिलिंग चाय के उत्पादक ऐसी चाय के लिए 'दार्जिलिंग' शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगा सकते हैं,** जो उनके चाय बागानों में नहीं उगाई जाती है या जो भौगोलिक संकेतक अभ्यास संहिता द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादित नहीं की जाती है।
    - हालांकि, **एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उसी तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता है,** जिसका निर्धारण उस संकेतक के मानकों में किया गया है।
- ट्रिप्स के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुपालन में भारत ने **माल का भौगोलिक संकेतक (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 तथा माल के भौगोलिक संकेतक (विनियमन और संरक्षण) नियम, 2002** को लागू करके विधायी उपाय किए हैं।
    - इस अधिनियम के तहत, **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के तहत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक "भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार" है। यह रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (GIR)[212] के कामकाज की निगरानी करता है।
        - GIR चेन्नई में है और इसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय है।
- **एक भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होता है।** पंजीकरण अवधि को समय-समय पर **एक बार में आगे 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।**

हाल ही में प्राप्त हुए भौगोलिक संकेतक टैग के बारे में

उत्पाद	राज्य	विवरण
गमोसा 	**असम**	• गमोसा/ गमूसा/ गमछा **सफेद रंग का हाथ से बुना हुआ वस्त्र का एक आयताकार टुकड़ा है।** इस वस्त्र के किनारे लाल रंग के होते हैं। • यह एक **पारंपरिक वस्त्र है जिसका असम के लोगों के लिए काफी महत्त्व है।** • गमोसा को **'बिहुवान'** के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह असम के बिहू त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा है।
अलीबाग के सफेद प्याज 	**महाराष्ट्र**	• यह सफेद प्याज की एक पारंपरिक किस्म है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग तहसील में उगाई जाती है। ○ **अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम** है। यहां की **भू-जलवायु परिस्थितियां** इसे अन्य सफेद प्याज उत्पादक क्षेत्रों से विशिष्ट बनाती हैं। • इस प्याज में आमतौर पर बाजार में मिलने वाले मानक प्याज की तरह **तेज गंध नहीं होती है।** • इसका **स्वाद मीठा होता है, जो अन्य प्याज से अलग है।**

---

[210] Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) / बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू

[211] World Trade Organization/ विश्व व्यापार संगठन

[212] Geographical Indications Registry

तंदूर अरहर (Tandur Redgram) 	तेलंगाना	• यह **तेलंगाना के वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक** फसल है। • इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 22-24% होती है, जो अनाज से लगभग तीन गुना अधिक है। • शोधकर्ताओं के अनुसार, **विशेष रूप से तंदूर क्षेत्र में मृत्तिका खनिजों से युक्त उपजाऊ गहरी काली मृदा और चूना पत्थर के विशाल भंडार को तंदूर अरहर की विशिष्ट गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया** जा सकता है।
लद्दाख रक्तसे कार्पो एप्रीकॉट (खुबानी) (Ladakh Raktsey Karpo Apricot) 	लद्दाख	• **खुबानी** कुल का 'रक्तसे कार्पो' फल **विटामिन और सोर्बिटोल से समृद्ध तथा निम्न कैलोरी वाला** होता है। सोर्बिटोल ग्लूकोज का एक प्राकृतिक विकल्प है, जिसका सेवन मधुमेह रोगियों द्वारा किया जा सकता है। • इन खुबानियों को किसी भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए बिना **जैविक तरीके से उगाया** जा सकता है। • **रक्तसे कार्पो फल के बीजों में सफेद रंग की बीज गुठली** होती है। हालांकि, दुनिया भर में खुबानी फलों में भूरे रंग की बीज गुठली होती हैं।
अट्टापडी तुवारा/ Attappady Thuvara (लाल चना) 	केरल	• अट्टापडी तुवारा **केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी जनजातीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक** फसल है। ○ यह एक काष्ठीय झाड़ी है, जिसे आम तौर पर वार्षिक फसल के रूप में उगाया जाता है। • अट्टापडी तुवारा के **बीज सफेद आवरण** वाले होते हैं। ○ अन्य लाल चनों की तुलना में, अट्टापडी तुवारा के बीज आकार में बड़े और वजनदार होते हैं। ○ यह **प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर** है।
ओनाटुकारा एलु/ Onattukara Ellu (तिल) 	केरल	• यह एक प्राचीन और पारंपरिक वार्षिक **तिलहन फसल** है। • इसमें अपेक्षाकृत **उच्च एंटीऑक्सीडेंट** गुण पाए जाते हैं। • यह शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने वाले **फ्री रेडिकल्स से लड़ने में हमारी मदद करता है।** • यह असंतृप्त वसा से भी युक्त है। इस कारण यह हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद है।
कोडुंगल्लूर पोट्टुवेल्लरी/ Kodungalloor Pottuvellari (स्नैप मेलन) 	केरल	• इसकी खेती पूरी तरह से **परिपक्व फल के लिए** की जाती है। जिसका **उपयोग जूस बनाने** के लिए किया जाता है। • कुछ राज्यों में इसका उपयोग **सब्जी** के रूप में किया जाता है। • इसमें **उच्च मात्रा में विटामिन C पाया** जाता है। • अन्य कुकुरबिट्स (लौकी कुल) की तुलना में, **कोडुंगल्लूर पोट्टुवेल्लरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा की मात्रा अधिक** होती है।
अट्टापडी अटुकोम्बु अवरा/ Attappady Attukombu Avara (फली) 	केरल	• इसकी खेती पलक्कड़ जिले के अट्टापडी क्षेत्र में की जाती है। • अन्य **डोलिकोस बीन्स की तुलना में इसमें उच्च एंथोसायनिन सामग्री** पाई जाती है, जो इसके तने और फलों को **बैंगनी रंग** प्रदान करती है। • एंथोसायनिन में मधुमेह निवारक गुण पाए जाते हैं। यह **हृदय रोगों से बचाता** है। ○ इसके अलावा, **इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की भी उच्च मात्रा होती है।** • अट्टापडी अटुकोम्बु अवरा की उच्च फेनोलिक सामग्री कीट और रोगों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। इससे फसल जैविक खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है।
कंतल्लूर-वट्टावडा वेलुथुल्ली/ Kanthalloor-	केरल	• **इसकी खेती इडुक्की में की जाती है। इसमें उच्च मात्रा में सल्फाइड, फ्लेवोनोइड्स और प्रोटीन मौजूद**

Vattavada Veluthulli (लहसुन) 		होता है। • यह **एलिसिन** से भरपूर है, जो सूक्ष्मजीवों से होने वाले संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोगों और रक्त वाहिकाओं की क्षति आदि के खिलाफ प्रभावी है।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.3.1. यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची (UNESCO'S Tentative List of World Heritage Sites)

- अनंतिम सूची में **गुजरात के वडनगर शहर, मोढेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी की शैलकृत (Rock cut) मूर्तियों** को शामिल किया गया है।
    - यूनेस्को की अनंतिम सूची **उन धरोहरों की एक सूची है, जिन्हें प्रत्येक पक्षकार देश विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का इच्छुक** होता है। इस सूची में शामिल होने के बाद **यूनेस्को इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान करने पर विचार** करता है।
    - अनंतिम सूची में अब **भारत के 52 स्थल दर्ज** हो गए हैं।
- **तीन नए स्थलों के बारे में**

स्थल	**प्रमुख विशेषताएं**
वडनगर शहर (गुजरात) 	• वडनगर गुजरात के **मेहसाणा जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका है।** • यह **एक बहुस्तरीय और बहु-सांस्कृतिक व्यापारिक बस्ती** है। इस नगर का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ई.पू. से शुरू होता है। • यह **L-आकार का एक शहर** है। इसके **उत्तर-पूर्वी किनारे पर शर्मिष्ठा झील** स्थित है। • वडनगर में **दो प्रमुख प्राचीन व्यापार मार्ग** एक-दूसरे को काटते थे। ○ उनमें से एक **मध्य भारत को सिंध से और आगे उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों** से जोड़ता था। दूसरा मार्ग **गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह शहरों को उत्तर भारत** से जोड़ता था। • इसमें **भीतरी बंदरगाह (Hinterland Port), शंख और मनकों के उद्योगों का केंद्र, धार्मिक केंद्र/ मंदिरों का शहर** आदि हैं। • यह **प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर** है।
मोढेरा का सूर्य मंदिर और इसके आस-पास के स्मारक (गुजरात) 	• यह गुजरात के **मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के बाएं तट** पर स्थित है। पुष्पावती **रूपन नदी की एक सहायक नदी है।** • इस मंदिर का निर्माण चालुक्य (सोलंकी) राजा **भीमदेव प्रथम** (1022-1063 ई.) के शासन काल के दौरान 1026-27 ई. में हुआ था। • यह मंदिर **मारू-गुर्जर स्थापत्य शैली** में निर्मित है। • इस मुख्य मंदिर में शामिल हैं- **गर्भगृह, एक सभागार (गढ़मंडप), बाहरी सभाकक्ष (सभामंडप या रंगमंडप) और एक पवित्र सरोवर (कुंड), जिसे अब रामकुंड कहा जाता है।** • इसका निर्माण **चमकीले पीले बलुआ पत्थर से हुआ है।** • इस मंदिर की मूर्तिकला में तीन देव-समूहों की **आदमकद प्रतिमाएं** शामिल हैं। ये देव समूह हैं- **आदित्य, लोकपाल और देवियां।**
उनाकोटी श्रृंखला में शैलकृत मूर्तियां और उभरी हुई नक्काशियां 	• यह त्रिपुरा के **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित** है। उनाकोटी का शाब्दिक अर्थ है- **"एक करोड़ से एक कम"।** • यह त्रिपुरा में **8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी से शैव उपासना का प्राचीन प्रमाण** प्रस्तुत करता है। • इस स्थल पर चट्टानों पर हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। ○ उनाकोटि की इस मूर्तिकला को **चट्टानों को काटकर बनाई गई (शैलकृत) मूर्तियां तथा अलग-अलग मूर्तियों** में वर्गीकृत किया जा सकता है। ○ **प्रसिद्ध आकृतियों और मूर्तियों में शामिल हैं-** उनाकोटीश्वर काल भैरव, गंगाधर, बोधिसत्व का चित्रण, चतुर्मुखलिंग और एकमुखी लिंग आदि। • **उनाकोटी में एक जलधारा तीन कुंड का निर्माण** करती है। ये तीनों कुंड **वार्षिक अशोकाष्टमी मेले** का हिस्सा हैं।

8.3.2. भद्राचलम और रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर {Bhadrachalam and Rudreshwar Temple (RAMAPPA)}

- राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिरों में प्रसाद (PRASHAD) परियोजना की आधारशिला रखी है।
- भारत सरकार ने **2014-2015 में 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रसाद/ PRASHAD)**[213] की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य **'देश के तीर्थ स्थलों और विरासत पर्यटन स्थलों में एकीकृत आधारभूत संरचना का विकास'** करना है।

श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम, भद्राचलम 	• यह मंदिर **भगवान राम** को समर्पित है। यह **गोदावरी नदी** के बाएं तट पर स्थित है। ○ भद्राचलम का नाम **भद्रागिरि** से लिया गया है। भद्रा पर्वत- मेरु और मेनका के वरदान से उत्पन्न एक संतान है। • इस मंदिर का निर्माण **17वीं शताब्दी** में हुआ था, लेकिन इस स्थान का महत्व **रामायण काल** से चला आ रहा है। • यह **पर्णशाला गांव (दंडकारण्य वन में) तथा रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के स्थान** के निकट है। • दस्तावेजों के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण या पुनर्निर्माण **कंचेरला गोपन्ना** ने करवाया था। कंचेरला गोपन्ना को भद्राचल रामदासु भी कहा जाता है। यह **गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह** के शासनकाल में राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) था।
रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, मुलुगु 	• **रुद्रेश्वर, जिसे हज़ार स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर** के नाम से भी जाना जाता है, **एक शिव मंदिर है।** यह शिव मंदिर **रामलिंगेश्वर स्वामी** को समर्पित है। • इस मंदिर का निर्माण **काकतीय राजवंश (1123–1323 ई.) के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र** ने करवाया था। **रामप्पा** इसके शिल्पकार का नाम था। • 2021 में, इस मंदिर को **यूनेस्को की विश्व विरासत सूची (सांस्कृतिक) में शामिल** किया गया था। • इसका निर्माण **बलुआ पत्थरों** से किया गया है। यह मंदिर काकतीय राजवंश की **विशिष्ट शैली, तकनीक एवं सजावट** को प्रदर्शित करता है। **इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:** ○ नक्काशीदार **ग्रेनाइट और डोलराइट** के अलंकृत बीम व स्तंभ; ○ पिरामिडनुमा विमान (क्षैतिज आकार का टावर), जो हल्की छिद्रपूर्ण ईंटों से बना हुआ है आदि।

8.3.3. श्रीशैलम मंदिर (Srisailam Temple)

- भारत के राष्ट्रपति ने प्रसाद (PRASHAD) योजना के तहत "आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर की विकास" परियोजना का उद्घाटन किया है।
- **श्रीशैलम मंदिर (कुर्नूल, आंध्र प्रदेश) के बारे में**
  - यह **कृष्णा नदी के तट पर स्थित नल्लामाला पहाड़ियों की चोटी** पर स्थित है।
  - यह मंदिर **भगवान शिव (भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी) और देवी पार्वती (देवी भ्रमराम्बा देवी)** को समर्पित है।
  - यह भारत का **एकमात्र ऐसा मंदिर है, जो शैव और शाक्त**, दोनों के उपासकों के लिए पवित्र है।
  - इसके पीठासीन देवता **लिंगम के आकार में भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी** हैं।
  - इसे भगवान शिव के **12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से एक** माना जाता है।
  - इसे **पाडल पेत्रा स्थलम** में से एक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जिसे **तमिल तेवरम भजनों** में गौरवान्वित किया गया है।
  - इसका **प्राचीनतम उल्लेख सातवाहन राजवंश के शासक पुलुमावी** के दूसरी शताब्दी ई. के **नासिक शिलालेख** में प्राप्त होता है।
  - इसे **इक्ष्वाकु शासकों का संरक्षण** (200-300 ईस्वी) भी प्राप्त था। **रेड्डी शासकों** (1325-1448) के समय इसका **स्वर्ण युग** माना जाता है।
    - **चालुक्य, काकतीय और विजयनगर** साम्राज्य ने भी इसके **विकास में योगदान** दिया था।

Jyotirlingas in India

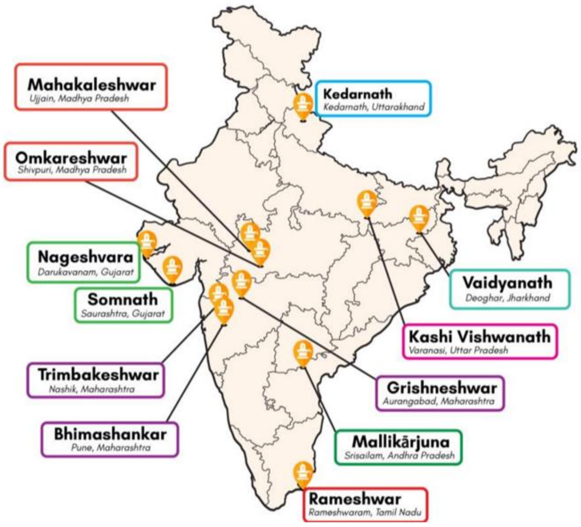
Mahakaleshwar
Ujjain, Madhya Pradesh
Kedarnath
Kedarnath, Uttarakhand
Omkareshwar
Shivpuri, Madhya Pradesh
Nageshvara
Darukavanam, Gujarat
Somnath
Saurashtra, Gujarat
Vaidyanath
Deoghar, Jharkhand
Kashi Vishwanath
Varanasi, Uttar Pradesh
Trimbakeshwar
Nashik, Maharashtra
Grishneshwar
Aurangabad, Maharashtra
Bhimashankar
Pune, Maharashtra
Mallikārjuna
Srisailam, Andhra Pradesh
Rameshwar
Rameshwaram, Tamil Nadu

---

[213] Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive

8.3.4. पाणिनि कोड (Panini Code)

- **समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में पाणिनि ने एक "मेटारूल" सिखाया था।**
    - परंपरागत रूप से, विद्वानों ने “मेटारूल” के अर्थ की इस रूप में व्याख्या की है कि **दो नियमों में संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाले नियम का उपयोग किया जाता है।** हालांकि, यह व्याख्या **व्याकरण की दृष्टि से अक्सर गलत परिणाम देती थी।**
    - नए शोध में तर्क दिया गया है कि इस तरह के संघर्षों में, पाणिनि चाहते थे कि **किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए।**
- **शोध का महत्व:** यह शोध संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। साथ ही, कंप्यूटर द्वारा भी संस्कृत व्याकरण को पढ़ाया जा सकेगा।
- **पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में**
    - पाणिनि **संस्कृत व्याकरण के विद्वान** थे। उन्होंने **ध्वनि विज्ञान (Phonetics), स्वर विज्ञान (Phonology) और शब्द-संरचना (Morphology) का एक व्यापक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत** दिया था।

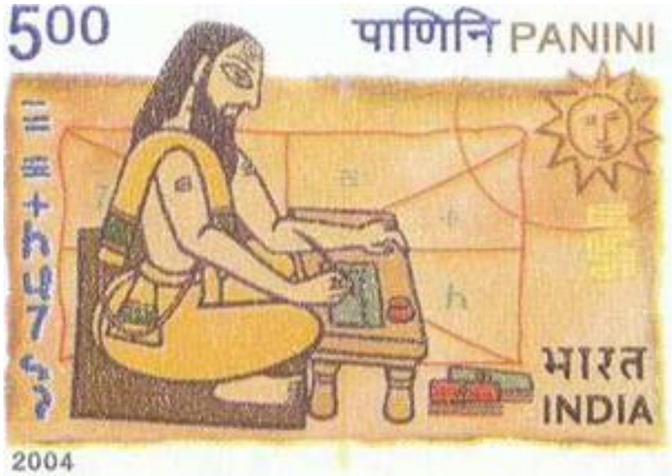

    - उन्हें एक **सूचनाविद्** के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि **उन्होंने सूचनाओं को डिकोड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल** किया था।
- पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ को **अष्टाध्यायी (या अष्टक)** के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना **छठी या पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व** में की गई थी। संस्कृत भाषा के पीछे के विज्ञान को समझाने के लिए इस ग्रंथ में **4,000 सूत्र** हैं।
    - यह एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर करता है, जो किसी शब्द के आधार (मूल) और प्रत्यय (suffix) को व्याकरणिक रूप से सही शब्दों एवं वाक्यों में बदलने के लिए **एल्गोरिदम की तरह कार्य** करती है।
    - इसकी तुलना **एलन एम. ट्यूरिंग की ट्यूरिंग मशीन से की जाती है,** क्योंकि शब्द बनाने के इसके नियम जटिल हैं।
- **अष्टाध्यायी का बाद में कई सहायक ग्रंथों द्वारा संवर्धन किया गया था। ये सहायक ग्रंथ हैं- शिवसूत्र** (ध्वनियों का विशेष क्रम); **धातुपाठ** (मूल शब्दों की सूची); **गणपाठ** (संज्ञाओं के अलग-अलग समूह) और **लिंगानुशासन** (लिंग निर्धारण की प्रणाली) आदि।

8.3.5. एर्रा मट्टी डिब्बालू (Erra Matti Dibbalu)

- वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार से तटीय लाल बालू टिब्बों (Red sand dunes) के संरक्षण का आग्रह किया है।
- इन तटीय लाल बालू टिब्बों को स्थानीय भाषा में **'एर्रा मट्टी डिब्बालू'** कहा जाता है। इन्हें ‘रेड सैंड हिल्स’ भी कहा जाता है। ये **विशाखापट्टनम शहर के सीमांत क्षेत्रों में** स्थित हैं।
    - इनके शीर्ष पर हल्के पीले रंग के बालू के टिब्बे हैं। उनके नीचे ईंट जैसे रंग की लाल रेत की परत है। इस परत के नीचे लाल-भूरे रंग की कंक्रीट की तरह मजबूत रेत की परत है और सबसे नीचे पीली रेत की संरचना है।
    - ये टिब्बे **नाजुक** प्रकृति के हैं और इनके समक्ष **प्राकृतिक क्षरण का खतरा मौजूद** है।
- 2014 में **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)[214] ने इन्हें भूवैज्ञानिक-विरासत (Geo-Heritage)** स्थल का दर्जा दिया था।
    - भूवैज्ञानिक-विरासत स्थलों को **राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक** भी कहा जाता है। ये वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व के भूवैज्ञानिक क्षेत्र हैं।
- **एर्रा मट्टी डिब्बालू का महत्व**
    - **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद** मिलती है, क्योंकि ये टिब्बे उष्ण और हिम दोनों युगों में अस्तित्व में रहे हैं।
        - यह धरोहर स्थल लगभग 18,500 से 20,000 वर्ष पुराना है और **यह पिछले अंतिम हिमयुग** से संबंधित हो सकता है।
    - यह एक **दुर्लभ परिघटना** है, क्योंकि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों या समशीतोष्ण क्षेत्रों में बालू के ऐसे निक्षेप नहीं बनते हैं।
        - **दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल तीन स्थलों** पर ऐसे निक्षेप प्राप्त होते हैं। एर्रा मट्टी के अलावा **तमिलनाडु के टेरी सैंड्स और श्रीलंका में एक बालू निक्षेप स्थल** इसके उदाहरण हैं।
    - यह स्थल **प्रागैतिहासिक मानव** का आश्रय भी रहा है। यहां से **तीन अलग-अलग युगों के पाषाणकालीन उपकरण व नवपाषाणकालीन मृदभांड** प्राप्त हुए हैं।

---

[214] Geological Survey of India

- **आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख भूवैज्ञानिक-विरासत स्थल/ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक निम्नलिखित हैं:**
  - **ज्वालामुखी संस्तर वाले बेराइट्स:** मंगमपेटा (कडप्पा),
  - **एपरचियन अनकंफर्मिटी:** चित्तूर तथा
  - **नेचुरल जियोलॉजिकल आर्च:** तिरुमला हिल्स (चित्तूर)।

8.3.6. संगई महोत्सव (Sangai Festival)

- इस महोत्सव का नाम **राजकीय पशु संगई के नाम पर** रखा गया है। यह **केवल मणिपुर** में पाया जाने वाला **ब्रो-एंटलर्ड डांसिंग डिअर है।**
  - संगई हिरण **केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान** में पाया जाता है। इसे तैरते हुए **बायोमास पर देखा जाता** है, जिसे **'फुमदी' कहा जाता** है।
- यह मणिपुर का सबसे बड़ा **वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव** है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष **नवंबर** माह में किया जाता है।
- **इस महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जैसे-**
  - मणिपुर की प्रसिद्ध **मार्शल आर्ट: थांग टा** (भाला और तलवार कौशल का संयोजन);
  - **सगोल कांगजेई:** पोलो का एक स्वदेशी रूप आदि।

8.3.7. हॉर्नबिल महोत्सव (Hornbill Festival)

- यह नागालैंड की **देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से एक** है।
- इस त्यौहार का उद्देश्य **नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा** करना है।
- इसका नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। **हॉर्नबिल एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है।** यह आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में परिलक्षित होता है।
- इसे पहली बार **वर्ष 2000 में आयोजित** किया गया था। इसे **प्रतिवर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह** में मनाया जाता है।

8.3.8. वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) {Veer Bal Diwas (26 December)}

- देश में पहली बार **'वीर बाल दिवस'** मनाया गया है। इसे **गुरु गोबिंद सिंह के शहीद पुत्रों (साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह) को श्रद्धांजलि देकर** शुरू किया गया है।
- दिसंबर के अंतिम सप्ताह को **शहीदी सप्ताह** के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत **गुरु गोबिंद सिंह के बड़े पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह** की शहादत को याद करके होती है।
- **गुरु गोबिंद सिंह** (1671-1708) का जन्म **पटना साहिब (बिहार)** में हुआ था। वे सिखों के **10वें गुरु थे।**
  - उन्होंने **खालसा पंथ** की स्थापना की थी और मुगलों के खिलाफ **आनंदपुर (1700) और चमकौर (1704) की लड़ाई** लड़ी थी।
  - उन्होंने **1705 ई. में 'जफरनामा'** की रचना की थी।

8.3.9. असम आंदोलन (Assam Movement)

- असम में **10 दिसंबर को शहीद दिवस के रूप में** मनाया गया। इसके अंतर्गत, असम आंदोलन के पहले शहीद **खड़गेश्वर तालुकदार** को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी।
- असम आंदोलन (1979-1985) **ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और अखिल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) के नेतृत्व में शुरू** किया गया था।
  - यह आंदोलन राज्य में **अवैध अप्रवासन की आशंकाओं तथा स्थानीय पहचान और विरासत के खतरे में पड़ने के भय** के कारण शुरू हुआ था।
  - यह आंदोलन भारत सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच **असम समझौता** हो जाने के बाद समाप्त हो गया था।
  - **इस आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे:**
    - **बाहरी लोगों का पता लगाना** और उन्हें राज्य से **बाहर करना,**
    - असम का सर्वांगीण आर्थिक विकास करना, तथा
    - राज्य के लोगों को **संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करना।**

8.3.10. साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Akademi Awards: SAA)

- **साहित्य अकादमी ने 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है।**
- यह एक **साहित्यिक सम्मान** है। इसे प्रमुख भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा में प्रकाशित साहित्यिक विशेषताओं वाली उत्कृष्ट कृतियों के **लेखकों को प्रतिवर्ष** प्रदान किया जाता है।

  - यह सम्मान **संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा की कृतियों को भी मान्यता** प्रदान करता है।
  - पुरस्कार में तांबे की पट्टिका वाली एक मंजूषा (एक छोटी सी डिब्बी या पेटी की तरह), एक शॉल और एक लाख रुपये की राशि शामिल है।
- **साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है।** यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

8.3.11. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार (National Sports Awards)

- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार **6 पुरस्कारों का एक संग्रह** है। इसे भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों (Coaches) या संगठनों को दिया जाता है।
- **इन 6 पुरस्कारों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार,
  - अर्जुन पुरस्कार,
  - द्रोणाचार्य पुरस्कार,
  - आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार,
  - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और
  - राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी **मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर** पर दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** वितरित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

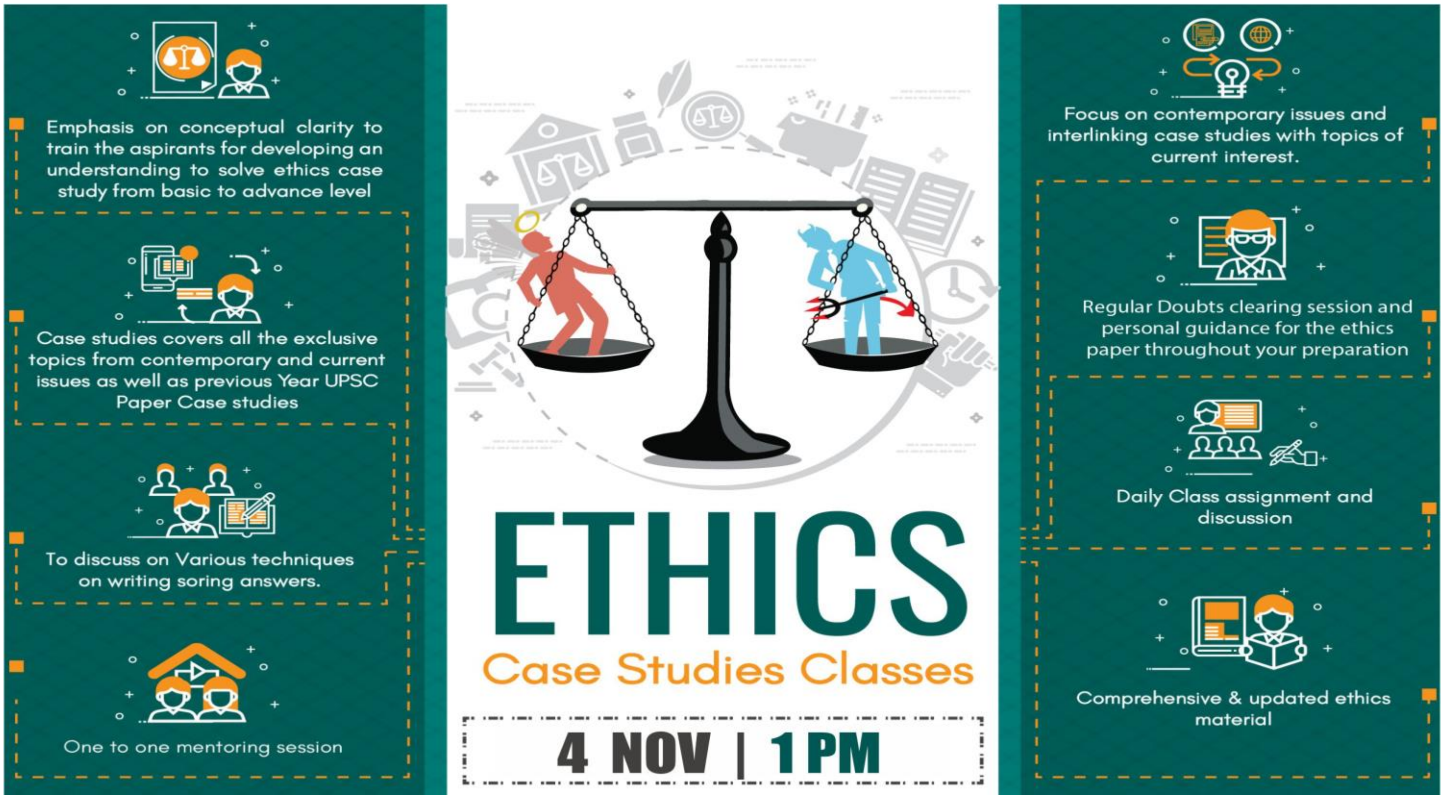

Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level

Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies

To discuss on Various techniques on writing soring answers.

One to one mentoring session

ETHICS

Case Studies Classes

4 NOV | 1 PM

Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.

Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation

Daily Class assignment and discussion

Comprehensive & updated ethics material

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. भ्रष्टाचार और भारत में सिविल सेवाएं (Corruption and Civil Services in India)

परिचय

“भारतीय खाद्य निगम (FCI) भ्रष्टाचार मामला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 19 और स्थानों पर छापेमारी की”, “CBI ने 50 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया”.... भ्रष्टाचार के ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां लोक सेवकों की संलिप्तता पाई गई है।

इस संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर एक लोक सेवक को भ्रष्टाचार के मामले में अवैध उपहार (Illegal Gratification) लेने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य हो या न हो।

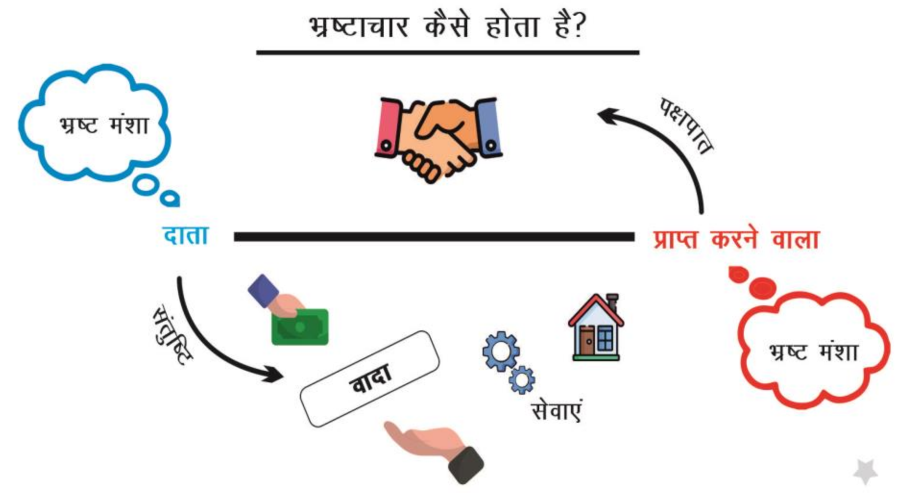

भ्रष्टाचार क्या है?

किसी व्यक्ति द्वारा निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को भ्रष्टाचार कहा है। यह भ्रष्टाचार की सबसे सरल परिभाषाओं में से एक है। भ्रष्टाचार को परिभाषित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा भी इसी परिभाषा का अनुसरण किया जाता है।

इसके अलावा, भ्रष्ट इरादे से किसी व्यक्ति को अनुचित सहायता प्रदान करना तथा इस उद्देश्य के लिए उपहार या पैसे आदि देना या स्वीकार करना भी भ्रष्टाचार कहलाता है।

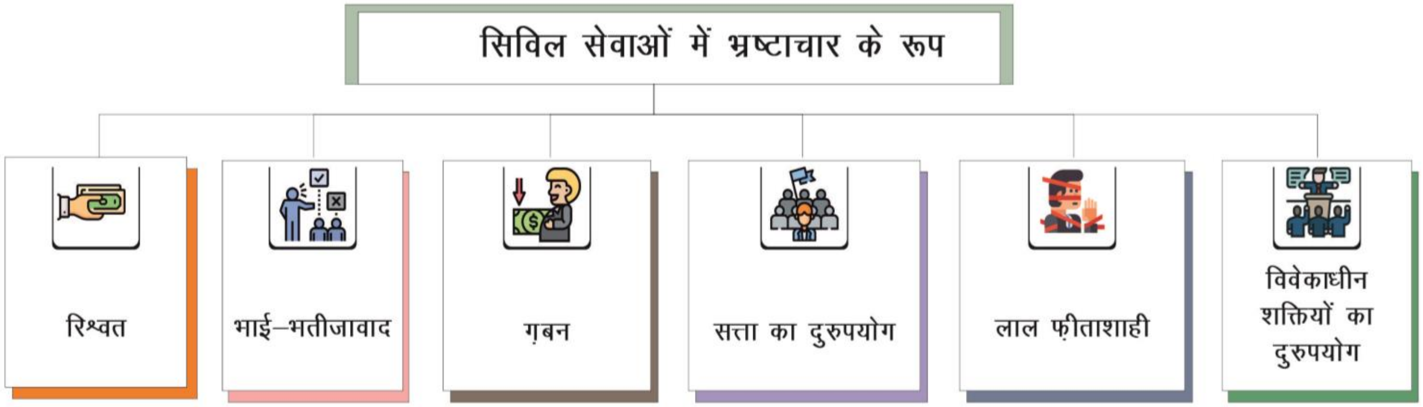
सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार के रूप
रिश्वत
भाई–भतीजावाद
गबन
सत्ता का दुरुपयोग
लाल फ़ीताशाही
विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग

कई सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण क्या हैं?

- **वेतन संबंधी मुद्दे:** निजी क्षेत्रक की तुलना में सिविल सेवकों का कम वेतन होना भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। सिविल सेवाओं में कम वेतन की समस्या उच्चतम और निम्नतम ग्रेड के बीच अपर्याप्त अंतर के कारण बनी हुई है।
    - अपने निजी क्षेत्रक के समकक्षों के साथ बराबरी करने के लिए (अर्थात् वेतन में मौजूदा अंतर की भरपाई के लिए) कई सिविल सेवक अवैध तरीकों, जैसे- रिश्वत आदि का सहारा लेते हैं।
- **भ्रष्टाचार की सांस्कृतिक स्वीकार्यता:** व्यवसायियों, राजनेताओं और नागरिकों के बीच लगभग सभी स्तरों पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता, अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम में भ्रष्टाचार को एक सामान्य व्यवहार के रूप में स्थायित्व प्रदान करती है।
- **अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का कमजोर अनुपालन:** इसके तहत अन्य मूल्यों के साथ सत्यनिष्ठा, योग्यता, निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, उनका सीमित विस्तार, कार्यान्वयन संबंधी अभाव और समग्र रूप से समर्पित आचार संहिता की अनुपलब्धता जैसी कमियां नैतिक आचरण की महत्ता को कम करती हैं।

- **अपारदर्शी विनियमन और उच्च विवेकाधिकार:** कई नियमों की मौजूदगी जो प्रकृति में अपारदर्शी और विवेकाधीन हैं, भ्रष्ट प्रथाओं में संलिप्त होने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, बाह्य तत्वों द्वारा इन शक्तियों के दुरूपयोग की संभावना और अधिक बढ़ जाती है।
- **औपनिवेशिक विरासत के रूप में निरंकुश प्राधिकार की उपस्थिति:** निरंकुश प्राधिकार की उपस्थिति नैतिक आचरण को बाधित करती है, विशेषकर एक ऐसे समाज में जहां वर्षों से सत्ता के साथ एक अधीनस्थ संबंध का प्रचलन रहा है। अतः ऐसे में लोक सेवकों के लिए नैतिक आचरण से विचलित होना एक सामान्य बात हो जाती है।
- **सिविल सेवा का राजनीतिकरण:** सिविल सेवाओं का राजनीतिकरण, सिविल सेवाओं में तटस्थता संबंधी मूल्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा, यह दूसरों के बीच अनुचित लाभ के लिए सहयोग तथा पक्षपातपूर्ण निर्णयन इत्यादि प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा दे सकता है।

भ्रष्टाचार के प्रभाव	
गवर्नेंस पर प्रभाव	**समाज पर प्रभाव**
• **संसाधनों का दुरुपयोग:** भ्रष्टाचार द्वारा सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिए- सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा संसाधनों का अनुचित प्रयोग। यह सेवाओं के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और इससे सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है। • **शक्ति का दुरुपयोग:** भ्रष्टाचार से संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास होता है तथा इससे सत्यनिष्ठा की भावना का उल्लंघन और प्राधिकारों के दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। • **भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों का अवैध गठजोड़:** इससे कानूनों के उल्लंघन, सेवा की खराब गुणवत्ता, अपराधों की जांच में पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप आदि जैसी परिस्थितियों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा राजनीतिक, समूह, वर्ग, सांप्रदायिक या जाति के आधार पर कानून तोड़ने वालों को भी प्रबंधित कर पाना कठिन हो सकता है। • **राज्य की क्षमता को सीमित करता है:** भ्रष्टाचार राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • **विश्वास में कमी:** सिविल सेवकों को जनता की सेवा करने और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर नागरिकों का भरोसा टूटने लगता है तथा विश्वास में गिरावट आने लगती है। साथ ही, यह सरकार और सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा को भी कमजोर करता है।	• **असमानता को बढ़ाता है:** भ्रष्टाचार से सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है। बढ़ती असमानता से वंचितों के बीच अन्याय की भावना जन्म ले सकती है। परिणामतः समाज के विभिन्न स्तरों में आक्रोश, क्रोध और घृणा इत्यादि भावनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। • **रोल मॉडल अभ्यास में गिरावट:** भ्रष्टाचार सत्ता में अत्यधिक विषमता पैदा करता है। यह नैतिक व्यवहार के अनुरूप दायित्वों के निर्वहन संबंधी सामाजिक दबाव को कम करता है। फलतः इससे भविष्य में भ्रष्टाचार करना आसान हो जाता है। • **"चलता-है" रवैया:** नौकरशाही प्रणाली के माध्यम से किसी कार्य को निष्पादित करवाने और सार्वजनिक खर्चे पर स्वहित को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार को एक साधन के रूप में देखा जाता है। • **राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करता है:** भ्रष्टाचार एक अप्रतिरोध्य चुंबक (Irresistible magnet) के रूप में काम करता है। यह अपराधियों को राजनीति की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार यह राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करता है तथा बदले में सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। इसके अलावा, यह अधिक-से-अधिक लोगों को भ्रष्टाचार के अनुसरण के लिए प्रोत्साहित करता है। • **न्याय को बाधित करता है:** भ्रष्टाचार, अमीर और बड़े-बड़े लोगों से संबंध रखने वाले लोगों को कानून के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में दोषसिद्धि या दंड से बचने का अवसर प्रदान करता है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विकसित अन्य अधिनियम

- भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)
- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (The Prevention of Corruption Act, 1988)**
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 {The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988}
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (The Prevention of Money Laundering Act, 2002)
- विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 {The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010}
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (The Right to Information Act, 2005)**

भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय

- **नागरिकों के अनुकूल पारदर्शी सेवाओं** को शुरू किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
    - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल,
    - सार्वजनिक खरीद में ई-निविदा,
    - गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए सरकारी खरीद,

    - ई-गवर्नेंस पर फोकस।
- भारत सरकार द्वारा ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप 'सी' पदों की भर्ती में **साक्षात्कार की प्रक्रिया को बंद** कर दिया गया है।
- **अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 (All India services (DCRB) Rules, 1958) को अमल में लाना:** इसके तहत सत्यनिष्ठा की कमी और लोक हित के मामले में निष्प्रभावी होने के आधार पर, सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)**[215] ने प्रमुख खरीद संबंधी गतिविधियों को मूर्त रूप देने दौरान संगठनों को **सत्यनिष्ठा समझौते (Integrity Pact)** को अपनाने की सिफारिश की है।
    - **सत्यनिष्ठा समझौता** एक हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा साथ ही, सार्वजनिक अनुबंध के लिए एक प्रस्ताव भी है। यह अनुबंध करने वाले प्राधिकरण और बोलीदाताओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और अधिकतम पारदर्शिता के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध बनाता है।
- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** इसके तहत **लोकपाल संस्था** को सुचारू रूप से चलाने हेतु अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- रिश्वत देने के कृत्य को अपराध के रूप में घोषित करने के लिए **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** में संशोधन किया गया है।
- **मिशन कर्मयोगी** का उद्देश्य राष्ट्र के लिए नागरिक-केंद्रित और भविष्य उन्मुख सिविल सेवा का निर्माण करना है।

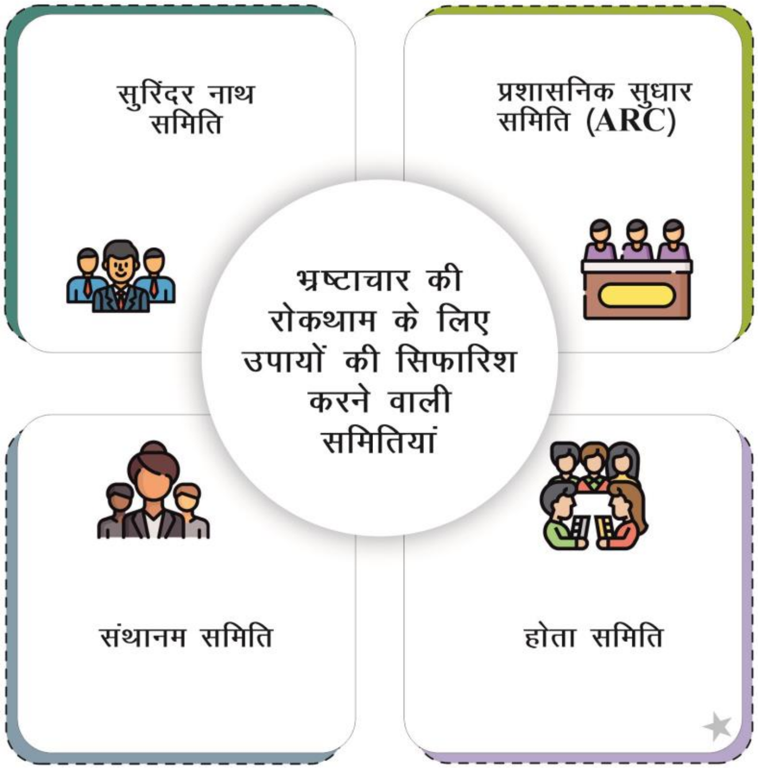
सुरिंदर नाथ समिति
प्रशासनिक सुधार समिति (ARC)
भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उपायों की सिफारिश करने वाली समितियां
संथानम समिति
होता समिति

आगे की राह

- **मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर जोर देना:** सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी सिविल सेवकों के मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए- **सत्यनिष्ठा परीक्षण (Integrity testing)** या आचार संहिता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे तरीकों का उपयोग यहां किया जा सकता है।
    - ऐसे तरीकों का प्रयोग करके उन व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है जो रिश्वत, या किसी अन्य प्रलोभन को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही, उन व्यक्तियों को भी चिन्हित किया जा सकता है जो अपने पद के विपरीत गैर-कानूनी कृत्यों को अंजाम देते हैं।
- **कानूनी और विनियामकीय सुधार:** ऐसे प्रयासों के तहत कानूनी और प्रशासनिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग को सीमित करने और सिविल सेवकों के लिए स्पष्ट जवाबदेही प्रणाली के निर्माण में मदद कर सकता है।
    - इसमें नागरिक केंद्रित शासन प्रणालियों और विनियमों का भी विकास शामिल है।
- **संस्थागत सुधार:** CBI, CVC, अदालतों और लोकपाल जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इस क्रम में इन संस्थानों को बाह्य दबावों जैसे राजनीतिक दबाव, वित्तीय निर्भरता आदि से मुक्त किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना:** ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-गवर्नेंस जैसी तकनीक का उपयोग सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने में मदद कर सकता है।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रबंधन:** नियमित रूप से सिविल सेवकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और प्रबंधन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। यह भ्रष्ट प्रथाओं की पहचान करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह भ्रष्टाचार के प्रति सिविल सेवकों के बीच खौफ पैदा करेगा।

---

[215] Central Vigilance Commission

- **नागरिकों के दायित्व:** भ्रष्टाचार कोई पृथक गतिविधि या कृत्य नहीं है, बल्कि इसे एक प्रणालीगत हिस्से के रूप में अंजाम दिया जाता है। इसमें सिविल सेवकों के साथ-साथ नागरिक और व्यवसाय भी शामिल होते हैं। अतः इसके मद्देनजर उन्हें भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के आलोक में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही, इसमें उनकी संलिप्तता को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

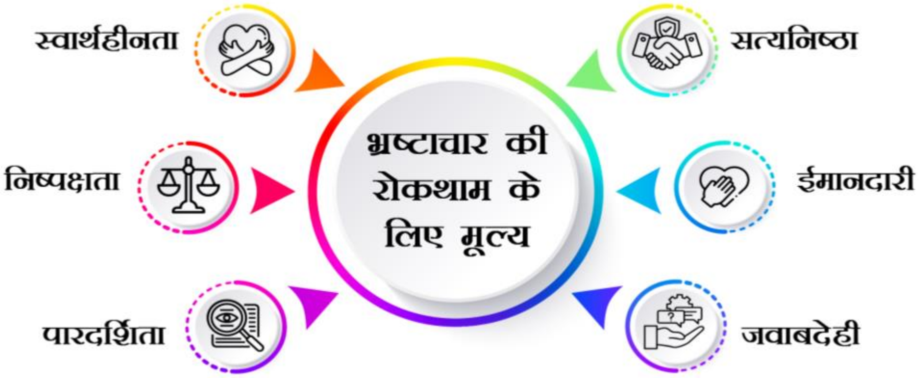

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार की सांस्कृतिक स्वीकार्यता को कम करके ही भ्रष्टाचार को रोका और समाप्त किया जा सकता है। संस्कृति में सुधार के लिए, सिविल सेवकों के बीच न्यायसंगत मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें ऐसे मूल्यों को बनाए रखने, आत्मसात करने और उनके कार्यान्वयन हेतु मजबूती से प्रयास करना चाहिए।

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2023
सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
4 सितंबर
5 PM

- इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय–वार समझ विकसित करना है।
- तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
- इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे– द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
- "टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफ़लाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार–विमर्श हेतु अवसर।
- प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय–समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

ENGLISH MEDIUM also Available

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News)

10.1. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना का विस्तार रसायन, फार्मा, लौह और इस्पात क्षेत्रक तक कर दिया गया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **घरेलू उद्योग का समर्थन करना** और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में **अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।** • इस योजना का उद्देश्य, उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क/ करों से प्राप्त राशि वापस करना है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं- ○ निर्यात किए गए उत्पाद पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्क/ कर/ लेवी, निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर पहले लगाए गए अप्रत्यक्ष कर; और ○ निर्यात किए गए उत्पादों के वितरण के संबंध में ऐसे अप्रत्यक्ष शुल्क/ कर/ लेवी।	• यह **वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है।** इसे **राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।** 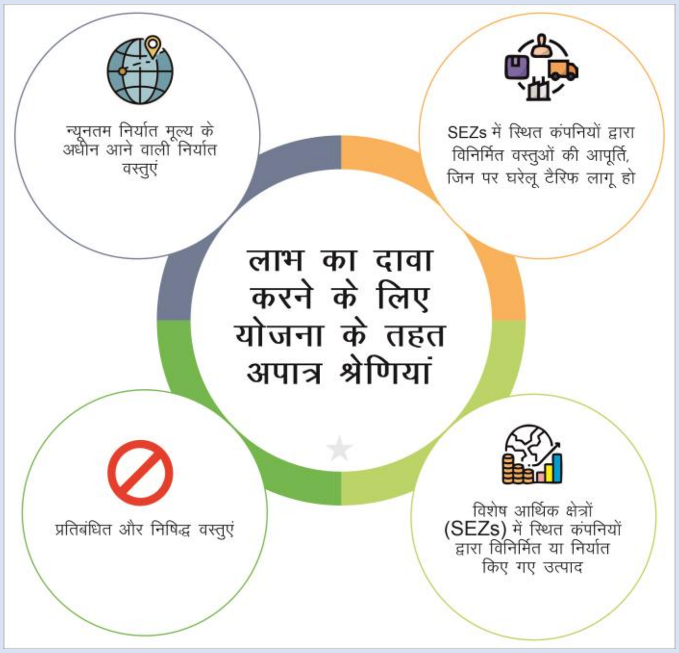 न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन आने वाली निर्यात वस्तुएं SEZs में स्थित कंपनियों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति, जिन पर घरेलू टैरिफ लागू हो लाभ का दावा करने के लिए योजना के तहत अपात्र श्रेणियां प्रतिबंधित और निषिद्ध वस्तुएं विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में स्थित कंपनियों द्वारा विनिर्मित या निर्यात किए गए उत्पाद ○ RoDTEP योजना की शुरुआत **सितंबर 2019 में भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS) के स्थान पर की गई थी।** • इस योजना में **सभी अप्रत्यक्ष केंद्रीय और राज्य कर शामिल हैं** जिनकी किसी भी मौजूदा योजना में प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। • इस योजना का उद्देश्य **निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए सभी छिपे हुए करों और शुल्कों को वापस करना है,** उदाहरण के लिए- ○ निर्यात उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन (पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी, पी.एन.जी, और कोयला उपकर आदि) पर केंद्रीय और राज्य कर। ○ विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत पर राज्य द्वारा लगाया गया शुल्क। ○ APMC द्वारा लगाया जाने वाला मंडी कर। ○ आयात-निर्यात दस्तावेज पर टोल टैक्स और स्टाम्प शुल्क, आदि। • **सभी वस्तु निर्यातक इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र हैं।** ○ **ऐसा निर्यातक या तो व्यापारी या निर्माता निर्यातक हो सकता है।** हालांकि, इस तरह के सामान को ऐसे व्यक्ति द्वारा सीधे निर्यात किया जाना चाहिए। • सभी क्षेत्रों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए RoDTEP के तहत, **वस्त्र उत्पादों सहित उन सभी क्षेत्रकों को शामिल किया गया है, जो RoSCTL के अंतर्गत नहीं आते हैं।** ○ राज्य और केंद्रीय कर और लेवी (RoSCTL)[216] योजना को वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ○ इसका उद्देश्य परिधान और मेड-अप क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए **विनिर्मित वस्तुओं और**

---

[216] Rebate of State and Central Taxes and Levies

	कपड़ों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर के सभी संबद्ध करों / लेवी में छूट प्रदान करना है। • RoDTEP समर्थन **पात्र निर्यातकों को फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB) अधिसूचित दर पर मूल्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध होगा।** ○ FOB का अर्थ "फ्री ऑन बोर्ड" या "फ्रेट ऑन बोर्ड" है। यह एक पदनाम है जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कब दायित्व और माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है। • कुछ निर्यात उत्पादों पर छूट निर्यातित **उत्पाद की प्रति इकाई मूल्य सीमा के आधार पर तय होगी।** • छूट एक हस्तांतरणीय शुल्क **क्रेडिट/ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप) के रूप में** जारी की जाएगी। **इस छूट को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मेंटेन किया जाएगा।** • यह **योजना विश्व व्यापार संगठन के नियम के अनुरूप है।** यह योजना इस वैश्विक सिद्धांत का अनुसरण करती है कि करों/ शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। ○ वैश्विक बाजार में माल को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **उन्हें या तो छूट दी जानी चाहिए या निर्यातकों को भेज दिया जाना चाहिए।**

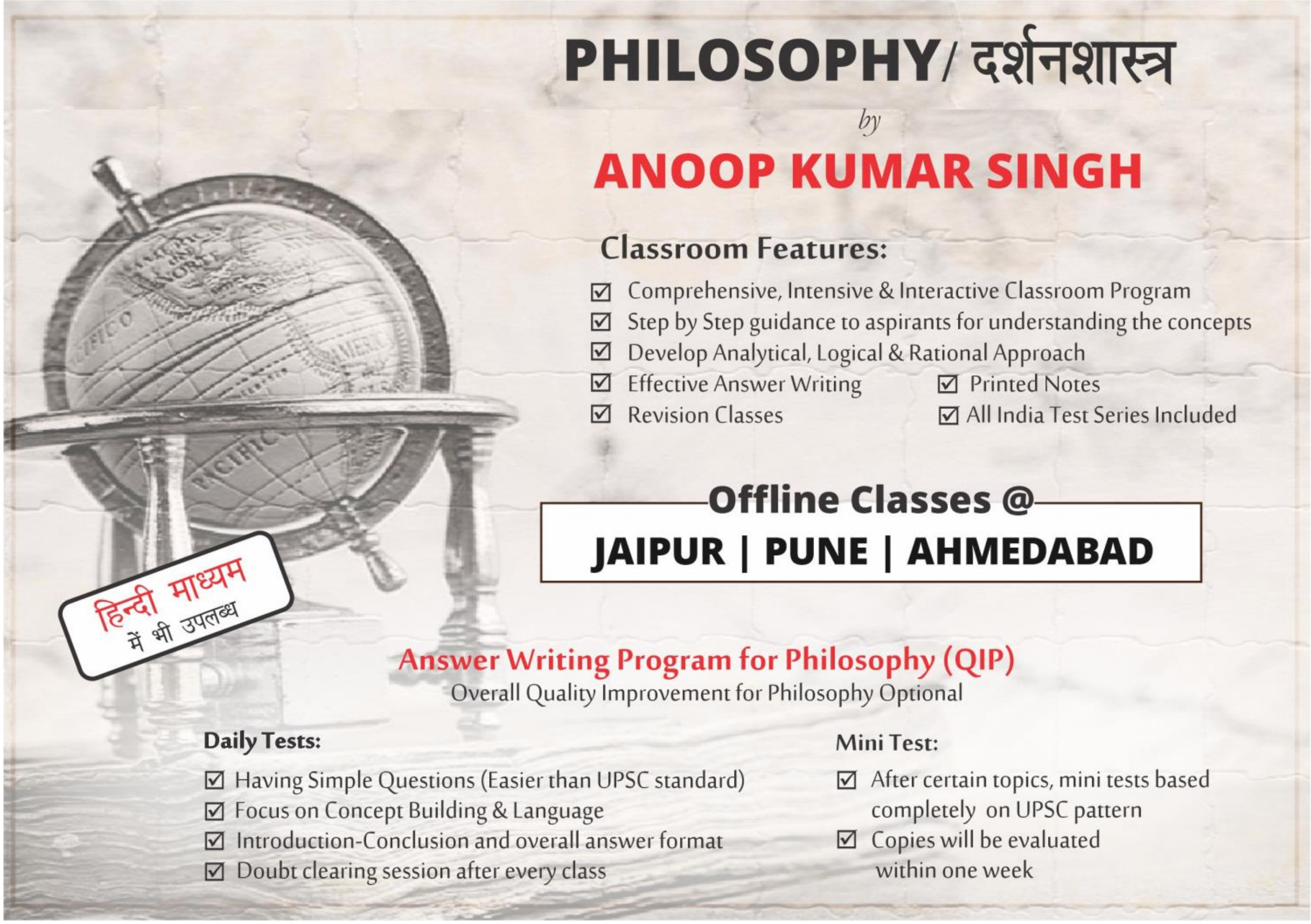

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
☑ Effective Answer Writing
☑ Revision Classes
☑ Printed Notes
☑ All India Test Series Included

Offline Classes @

JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
☑ Focus on Concept Building & Language
☑ Introduction-Conclusion and overall answer format
☑ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

☑ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
☑ Copies will be evaluated within one week

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

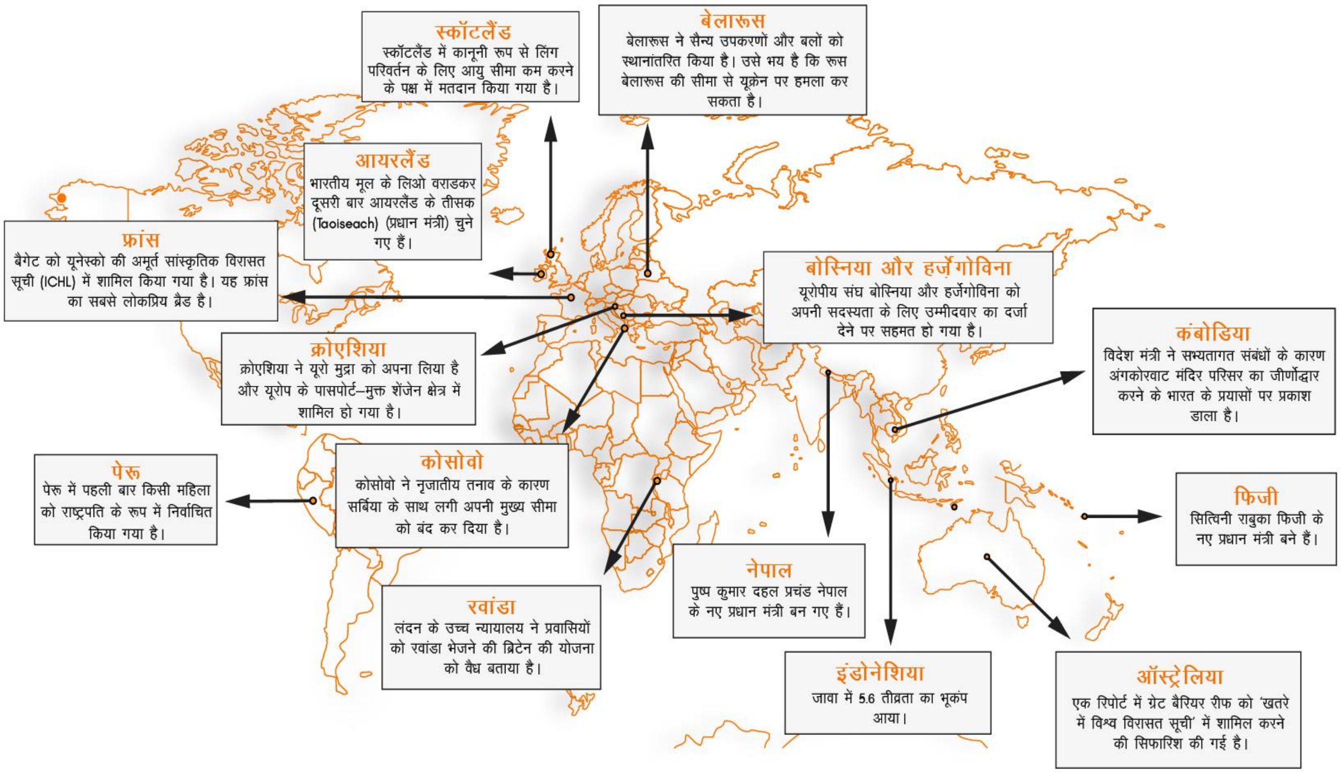

स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन के लिए आयु सीमा कम करने के पक्ष में मतदान किया गया है।

बेलारूस
बेलारूस ने सैन्य उपकरणों और बलों को स्थानांतरित किया है। उसे भय है कि रूस बेलारूस की सीमा से यूक्रेन पर हमला कर सकता है।

आयरलैंड
भारतीय मूल के लिओ वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के तीसक (Taoiseach) (प्रधान मंत्री) चुने गए हैं।

फ्रांस
बैगेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची (ICHL) में शामिल किया गया है। यह फ्रांस का सबसे लोकप्रिय ब्रेड है।

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
यूरोपीय संघ बोस्निया और हर्जेगोविना को अपनी सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गया है।

क्रोएशिया
क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट–मुक्त शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया है।

कंबोडिया
विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों के कारण अंगकोरवाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है।

पेरू
पेरू में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है।

कोसोवो
कोसोवो ने नृजातीय तनाव के कारण सर्बिया के साथ लगी अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है।

फिजी
सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधान मंत्री बने हैं।

नेपाल
पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधान मंत्री बन गए हैं।

रवांडा
लंदन के उच्च न्यायालय ने प्रवासियों को रवांडा भेजने की ब्रिटेन की योजना को वैध बताया है।

इंडोनेशिया
जावा में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया।

ऑस्ट्रेलिया
एक रिपोर्ट में ग्रेट बैरियर रीफ को 'खतरे में विश्व विरासत सूची' में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

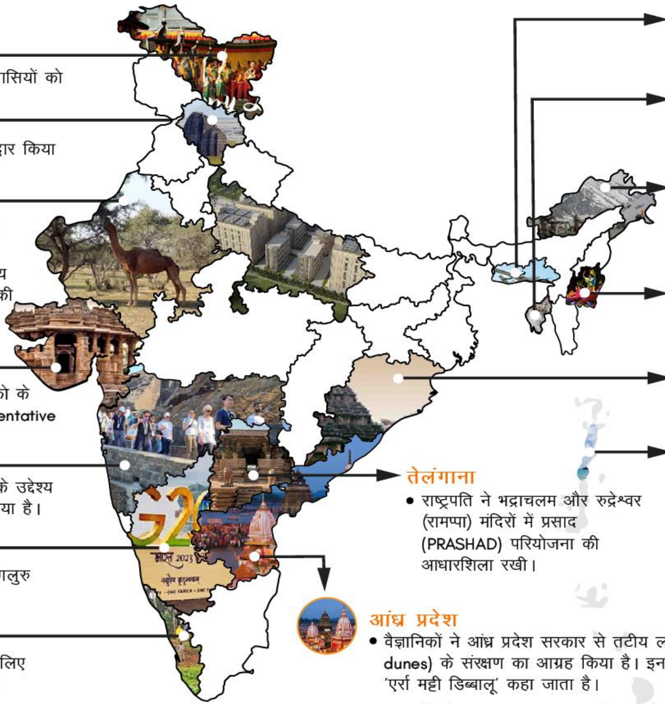

लद्दाख
- प्रधान मंत्री ने लोसर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

हिमाचल प्रदेश
- बिलासपुर के जलमग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

राजस्थान
- उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई।
- जैसलमेर के लोग ओरण भूमि को समुदाय द्वारा संरक्षित पवित्र स्थान घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

गुजरात
- वडनगर शहर और सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची (Tentative list) में शामिल किया गया है।

महाराष्ट्र
- G20 प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन–यात्रा के उद्देश्य से मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का दौरा किया है।

कर्नाटक
- G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई।

केरल
- प्राकृतिक वनस्पतियों की पुनर्बहाली के लिए 'वनीकरण' परियोजना शुरू की गई है।

मेघालय
- मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है।

त्रिपुरा
- उनाकोटी श्रृंखला में शैलकृत मूर्तियों और उभरी हुई नक्काशियों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची (Tentative list) में शामिल किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश
- भारतीय सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है।

मणिपुर
- प्रधान मंत्री ने संगई महोत्सव को संबोधित किया।

ओडिशा
- ओडिशा में धनु यात्रा की शुरुआत हो गई है।

अंडमान और निकोबार
- भारत–इंडोनेशिया संयुक्त टास्क फोर्स ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा आचे प्रांत के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की है।

तेलंगाना
- राष्ट्रपति ने भद्राचलम और रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिरों में प्रसाद (PRASHAD) परियोजना की आधारशिला रखी।

आंध्र प्रदेश
- वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार से तटीय लाल बालू टिब्बों (Red sand dunes) के संरक्षण का आग्रह किया है। इन टिब्बों को स्थानीय भाषा में 'एर्रा मट्टी डिब्बालू' कहा जाता है।
- राष्ट्रपति ने प्रसाद (PRASHAD) योजना के तहत "आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर का विकास" परियोजना का उद्घाटन किया।

सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
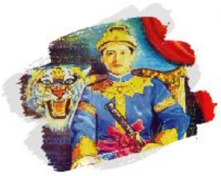 **छो लुंग सुकफा**	● असम दिवस (2 दिसंबर) के अवसर पर असम राज्य ने 'स्वर्गदेव छो लुंग सुकफा' को श्रद्धांजलि अर्पित की। ● **छो लुंग सुकफा के बारे में**: □ उन्हें **'असम का वास्तुकार'** कहा जाता है। वह बृहत्तर असम के संस्थापक और अधिक से अधिक असमियों को एकजुट करने वाले सूत्रधार थे। □ उन्होंने **13वीं शताब्दी में असम में महान अहोम साम्राज्य की स्थापना** की थी। इस साम्राज्य ने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। □ अहोम साम्राज्य की राजधानी **'चराइदेव'** (वर्तमान शिवसागर शहर के पास) थी। □ **योगदान** ✓ उन्होंने अलग–अलग समुदायों और जनजातियों को एकजुट करने की दिशा में सफल प्रयास किए थे। ✓ उन्होंने अपनी मित्रता, एकता और सद्भाव की नीति के माध्यम से एक मजबूत एवं जीवंत असम की नींव रखी थी।	● **साहस और निस्वार्थता** ▷ वे अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। वे मध्यकालीन असम के पहले अहोम राजा थे। ▷ उनके द्वारा स्थापित राज्य लगभग छह सौ वर्षों तक अस्तित्व में रहा और इस प्रक्रिया में अलग–अलग समुदायों को एकीकृत किया गया।
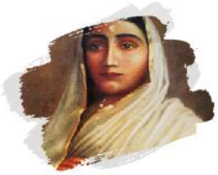 **अहिल्याबाई होल्कर**	● महाराष्ट्र के शहर **अहमदनगर का नाम बदलकर 'पुण्यश्लोक अहिल्योदेवी नगर'** करने का प्रस्ताव रखा गया है। ● वह **18वीं शताब्दी में मालवा रियासत की रानी थीं।** भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में अपने पति (खंडेराव) की मृत्यु के बाद उन्होंने 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया। ● उनके शासनकाल की मुख्य विशेषताएं/ उपलब्धियां: □ उनकी प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियां उत्कृष्ट थी। उनके शासनकाल के दौरान उचित व्यवस्था और बेहतर सरकार काम करती रही। □ **महेश्वर शहर एक साहित्यिक, संगीत आधारित, कलात्मक और औद्योगिक केंद्र बन गया।** उन्होंने वहां एक वस्त्र उद्योग स्थापित करने में मदद की, जो अब महेश्वरी साड़ियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। □ उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वर आदि सहित कई अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार/ पुनर्निर्माण करवाया।	● **वीरता और प्रशासनिक क्षमता** ▷ मालवा की रानी एक बहादुर रानी और कुशल शासक होने के अलावा, एक विद्वान राजनीतिज्ञ भी थीं। जब मराठा पेशवा अंग्रेजों के एजेंडे का सामना नहीं कर सके तो उन्होंने इस स्थिति का व्यापक विश्लेषण किया।
 मदन मोहन मालवीय	● इनका जन्म **प्रयागराज** (पूर्व नाम– **इलाहाबाद**) में हुआ था। वे एक **स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् थे।** इन्हें **'महामना'** के नाम से भी जाना जाता है। ● इन्होंने वर्ष **1906 में हिंदू महासभा और वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय** की स्थापना की थी। ● इन्होंने **इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली और भारतीय औद्योगिक आयोग** के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। ● वे **वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** (INC) में शामिल हुए थे और चार बार इसके अध्यक्ष बने थे– **1909 (लाहौर), 1918 (दिल्ली), 1932 (दिल्ली) और 1933 (कलकत्ता)।** ● **मीडिया/प्रेस में योगदान: इन्होंने 'हिंदुस्तान'** समाचार–पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अभ्युदय (हिंदी साप्ताहिक, 1907), **मर्यादा** (हिंदी मासिक, 1910) और द **लीडर** (अंग्रेजी दैनिक, 1909) की शुरुआत की थी।	● **प्रतिबद्धता और देशभक्ति** ▷ एक वकील के रूप में, उन्होंने यू.पी. के गोरखपुर में 1922 के चौरी चौरा दंगों के अधिकांश आरोपियों का बचाव किया। कहा जाता है कि इस मामले में उन्होंने 155 अभियुक्तों को मौत की सजा पाने से बचाया था। ▷ उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय जागृति एवं स्वतंत्रता के राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया।
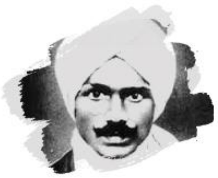 **सुब्रमण्यम भारती (भारतियार)**	● वह **महाकवि भारतियार के नाम से प्रसिद्ध थे।** वे तमिलनाडु के एक **महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे।** ● **मुख्य योगदान**: □ **एक कवि और राष्ट्रवादी के रूप में**: उन्होंने देशभक्ति की कविताएँ लिखीं थीं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में "सुदेसा गीतांगल", "कन्नन पट्टू" आदि शामिल हैं। □ **एक पत्रकार के रूप में: वे "स्वदेसमित्रम" के उप–संपादक थे।** उन्होंने तमिल भाषा में एक समाचार–पत्र "इंडिया" शुरू किया था। यह तमिलनाडु में राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करने वाला पहला समाचार–पत्र था। ● वे **बाल–विवाह** के खिलाफ थे। **उन्होंने ब्राह्मणवाद और हिन्दू धर्म में सुधार** के लिए संघर्ष किया था। वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुट थे। ● **एट्टायपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें 'भारती'** की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ है देवी सरस्वती का आशीर्वाद।	● **प्रतिभाशाली और समतावादी** ▷ वे एक साहित्यिक विद्वान थे और उन्होंने उस समय के मौजूदा हर जटिल सामाजिक, राजनीतिक या दार्शनिक मुद्दे के बारे में लिखा। ▷ उनका लेखन एक ऐसे दूरदर्शी काव्य को प्रकट करता है जो एक न्यायपूर्ण और आनंदमय मानव समाज की प्राप्ति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मानवीय गरिमा के विरुद्ध मानकर अस्वीकार कर दिया। वे अपने ही समाज की दमनकारी प्रथाओं के समान रूप से आलोचक थे।
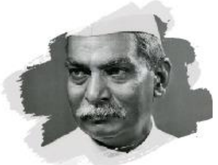 **डॉ. राजेंद्र प्रसाद**	● वह **भारत के पहले राष्ट्रपति** (1950–62) थे। ● उन्होंने **वर्ष 1946 से 1949 तक भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता** की थी और संविधान को आकार देने में मदद की थी। ● वह स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे। इसके अलावा, **वह वर्ष 1934, 1939 और 1947 के अधिवेशनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे।** ● **साहित्यिक कृतियां**: चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, सर्चलाइट (अंग्रेजी) आदि। □ **उन्होंने हिन्दी साप्ताहिक 'देश' की स्थापना एवं संपादन भी किया था।**	● **समर्पण और जन सेवा** ▷ वे उन समर्पित लोगों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक आकर्षक करियर को छोड़ दिया। ▷ उन्होंने 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया।

 सत्येंद्र नाथ बोस	● 1 जनवरी को **उनकी 129वीं जयंती** मनाई गई है। ● **प्रमुख उपलब्धियां:** ▫ उनका कार्यक्षेत्र **सैद्धांतिक भौतिकी** से संबंधित था। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और **क्वांटम सांख्यिकी के विकास** में मौलिक अवधारणात्मक योगदान दिया था। ▫ उन्होंने **आइंस्टीन के साथ काम किया था** और दोनों ने मिलकर **बोस–आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित की थी।** ▫ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स (विद्युत गतिकी) के संदर्भ के बिना **ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्लैंक का नियम प्रतिपादित किया था। यह नियम किसी भी गर्म वस्तु/पिंड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम** को संदर्भित करता है। ▫ **वे मौरिस डी ब्रोगली की प्रयोगशाला** से जुड़ गए थे। यहां उन्होंने एक्स–रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रिस्टलोग्राफी की तकनीक सीखी थी। ▫ उन्हें **वर्ष 1954 में पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।	● **वैज्ञानिक सोच और ज्ञान** ▸ उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अपने शोध के जरिए लगातार योगदान दिया। ▸ बाद में उनके शोध के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 1986 में कलकत्ता में एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की स्थापना की गई।
 चौधरी चरण सिंह	● चौ. चरण सिंह का जन्म **मेरठ जिले (उत्तर प्रदेश) के नूरपुर गांव** में हुआ था। वह एक **स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे।** ▫ वर्ष 1979 में वह भारत के प्रधान मंत्री बने थे। ● उन्हें **किसानों के हितों की रक्षा के लिए** उनके योगदान हेतु याद किया जाता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1938 में उन्होंने उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) विधान सभा में कृषि उपज बाजार विधेयक प्रस्तुत किया था। ▫ इस विधेयक के प्रावधानों को भारत के अधिकांश राज्यों ने लागू किया था। ● उनकी जयंती पर **प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।** ● **साहित्यिक योगदान:** सहकारी खेती का एक्स–रे; जमींदारी का उन्मूलन आदि।	● **सरलता और करुणा** ▸ उन्होंने सादा जीवन व्यतीत किया। अध्ययन और लेखन कार्य में उनकी गहरी रुचि थी। ▸ उन्होंने ऋण मोचन विधेयक, 1939 के निर्माण और उसे अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। इससे ग्रामीण देनदारों को बड़ी राहत मिली।
 कमलादेवी चट्टोपाध्याय	● इनका जन्म **कर्नाटक के मैंगलोर** में हुआ था। वे विधायी सीट पर चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थीं। ● उनका मानना था **कि महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरणीय न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार** सभी परस्पर संबंधित गतिविधियां हैं। ● **वे वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हुई थीं।** ● उन्होंने कला और शिल्प को बढ़ावा दिया था। इसके परिणामस्वरूप **राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी (SNA) और भारतीय शिल्प परिषद** की स्थापना हुई थी। ● उन्हें SNA फैलोशिप, रेमन मैग्सेसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।	● **सामाजिक न्याय की समर्थक और एक्टिविस्ट** ▸ एक समाज सुधारक के रूप में, उन्होंने भारतीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करने के लिए हस्तशिल्प, रंगमंच और हथकरघा को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ▸ दांडी नमक सत्याग्रह के दौरान, उन्होंने गांधीजी को महिलाओं को सत्याग्रह में सबसे आगे रहने का समान अवसर देने के लिए राजी किया।
 बिनोय (विनय) बसु	● इनका जन्म **मुंशीगंज जिले के रोहितभोग गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है।** ● वे क्रांतिकारी युगांतर पार्टी से जुड़े एक गुप्त संगठन **'मुक्ति संघ' के सदस्य थे।** ● **बिनोय बसु ने दिनेश गुप्ता** और बादल गुप्ता के साथ 8 दिसंबर, 1930 को राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया था और **कोलकाता जेल के पुलिस महानिरीक्षक (IG) कर्नल एन.एस. सिम्पसन पर गोलियां चला दीं थी।** ● वे **कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाले संगठन 'बंगाल वालंटियर्स'** का हिस्सा थे। ▫ बंगाल वालंटियर्स का **गठन वर्ष 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था।**	● **वीरता और बलिदान** ▸ वे क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित थे। उन्होंने बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्ता के साथ सचिवालय भवन पर हमला किया था।
 योगिंदर के. अलघ	● **जन्म:** पंजाब (पाकिस्तान) के चकवाल में। ● **योगदान:** ▫ इन्होंने भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य किया था। वे **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के कुलपति भी रहे थे।** ▫ वे राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। ▫ वर्ष 1979 में इनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसे **'अलघ समिति'** के नाम से भी जाना जाता है। इस टास्क फोर्स ने पहली बार कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धनता संबंधी अनुमान तैयार किए थे। ▫ इन्होंने वर्ष 2006 से 2012 तक **इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (IRMA)** के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।	● **जनसेवा के लिए समर्पित** ▸ उन्होंने विशिष्ट फसलों की बजाय पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित कृषि नियोजन की प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए

सोशल मीडिया पर फॉलो करें

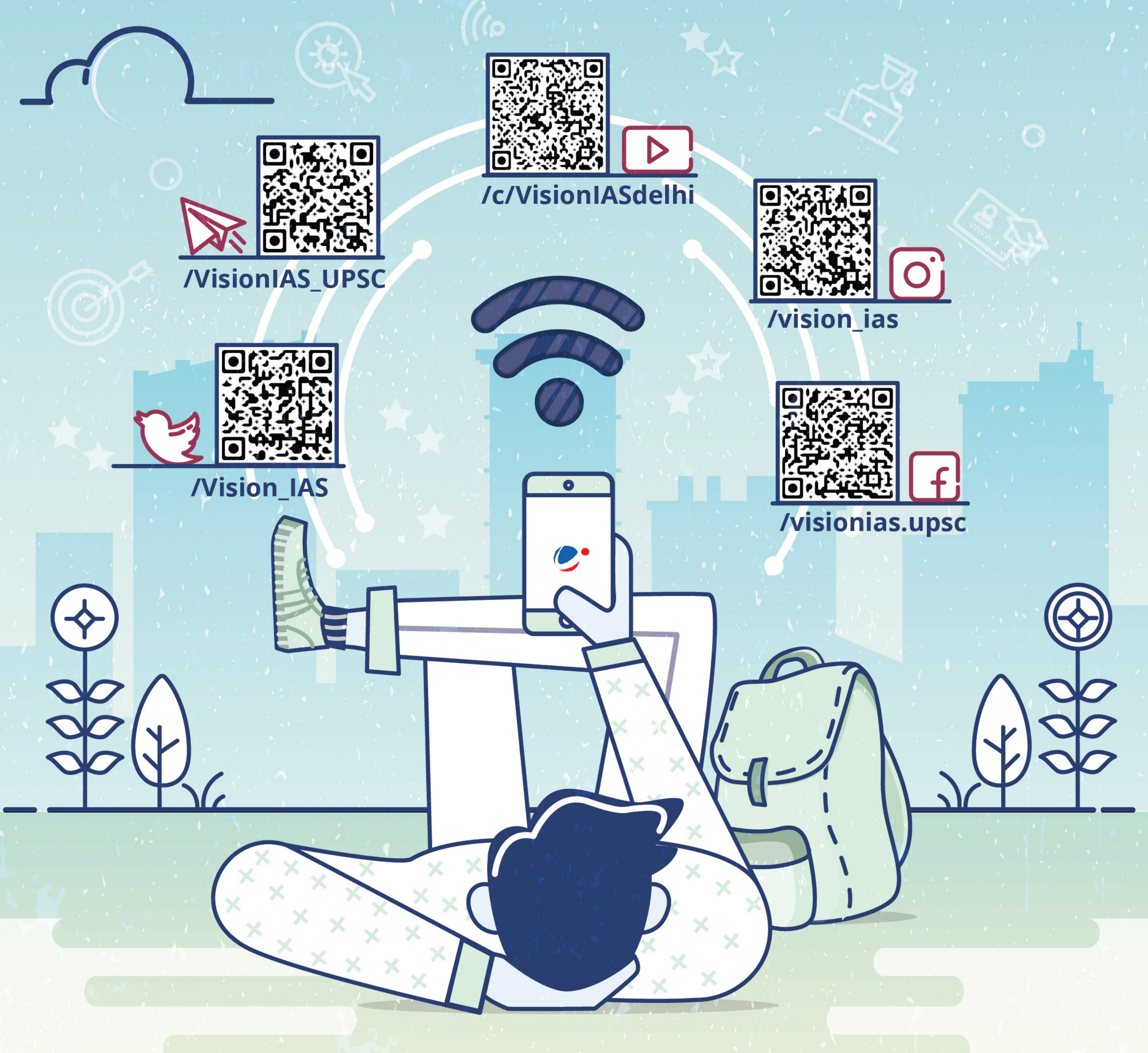

/c/VisionIASdelhi

/VisionIAS_UPSC

/vision_ias

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of **VisionIAS**

2 AIR

ANKITA AGARWAL

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor,
Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments,
Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC